खण्ड-429, अंक-8
गुरूवार, 20 फाल्गुन, शक संवत् 1920
(11 मार्च, 1999 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1999)

खण्ड 429 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1999

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	क–ख
सीमेन्ट फैक्ट्रियों के मजदूरों की समस्याओं से सम्बन्धित नियम–311 के अन्तर्गत दी गई सूचना को उठाने का प्रयास	1
प्रश्नोत्तर	1–59
विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री आविद अली अंसारी, डा० तारादेवी, श्री राजा कृष्णपाल सिंह तथा हाजी मोहम्मद वसीम अंसारी के निधन पर शोकोद्गार ...	60–65
श्री चन्द्रपाल सिंह यादव आदि की गिरफ्तारी की सूचना सदन को न दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास (जारी)	65–66
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	66
मिर्जापुर निर्वाचन क्षेत्र के कतिपय स्थानों पर जल भराव की समस्या के निदान हेतु नाला बनवाने की मांग के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	66–67
हरकोट बटलर प्रौद्योगिक संस्थान कानपुर में चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी पदों पर की गयी पदोन्नति में हुई धांधली की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	67
जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड बसखरी में राजकीय कन्या इण्टर कालेज खोले जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	67
प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों के अतिथि संकाय में कार्यरत अतिथि प्रवक्ताओं का जनहित में रिक्त पदों के सापेक्ष स्थायी समायोजन करने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	67–68
जौनपुर के बयालसी क्षेत्रान्तर्गत पेयजल की समस्या के निदान हेतु अधिकाधिक इण्डिया मार्क–II हैण्डपम्प लगवाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	68
उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट निगम संयुक्त संघर्ष समिति डाला चुर्क चुनार के मजदूरों की समस्याओं का समाधान किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	68–69
लखनऊ के चौक स्थित हिरन पार्क में स्थित अवैध कारखाने को गैर आबादी वाले क्षेत्र में स्थापित किये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	69
श्री चन्द्रपाल सिंह यादव आदि की गिरफ्तारी की सूचना सदन को न दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास	69–70
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	70
प्रक्रिया नियमावली के नियम–29(1) एवं 30(1) के अनुसार प्रश्नों के उत्तर शासन द्वारा समय से प्राप्त न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न... ...	70–71
दिनांक 9 मार्च, 1999 को सदन में कोरम के अभाव से नियम–51 की सूचनाओं तथा वक्तव्यों के व्यपगत होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न्	71–72
विधान सभा की प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति का बारहवां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	72

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद मथुरा में "ब्रजभाषा अकादमी" की स्थापना विषयक श्री देवकीनन्दन कुम्हेरिया द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	72
जनपद मथुरा के ब्लाक फरह ग्राम ओल में व्यवसायिक शिक्षा संस्थान (आई० टी० आई०) की स्थापना विषयक श्री अशोक कुमार गोयल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका....(उपस्थित की गयी)	72
जनपद मथुरा एवं आगरा के मध्य स्थल ब्लाक फरह में पर्यटक विश्राम गृह की स्थापना विषयक श्री बृजेन्द्र द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ... (उपस्थित की गयी)	73
जनपद मथुरा में स्थित "गोविन्द नगर" क्षेत्र को पुरातत्व विभाग के नियंत्रण में लिये जाने के सम्बन्ध में श्री जगदीश प्रसाद मौर्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका...(उपस्थित की गयी)	73
जनपद मथुरा में "राष्ट्रीय पुरुष पं० दीनदयाल उपाध्याय" के नाम से नयी तहसील बनवाये जाने विषयक श्री हरीशंकर पाठक द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थिति की गयी)	73
मेरठ के प्रमुख नालों की सफाई कर [illegible]ने विषयक श्री नरेन्द्र कुमार आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित थ	73
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (सं[illegible]) विधेयक, 1999 (पुरःस्थापित)	73–74
नियम–311 की नियम–56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	74–98
श्री रामाधार सिंह सदस्य विधान सभा की गिरफ्तारी की सूचना... ...	98–101
वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–23 गन्ना विकास विभाग (गन्ना) अनुदान संख्या–24 गन्ना विकास (चीनी उद्योग) ... ... (स्वीकृत)	102–125
वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या–93 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या–94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) ... ... (स्वीकृत)	125–160
श्री रामाधार सिंह सदस्य, विधान सभा की रिहाई की सूचना	160
उत्तर प्रदेश स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 1999 जैसा विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ (पारित)	160–164
नियम–103 के अन्तर्गत श्री गोरखनाथ पाण्डेय द्वारा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में अधिवक्ताओं के समुचित प्रतिनिधित्व सम्बन्धी प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)...	164
नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं	165–167
कृषि उत्पादन मण्डी समिति मथुरा में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृषि मंत्री के वक्तव्य का स्थगन	167

विषय	पृष्ठ संख्या
वाराणसी में गंगाजल का रंग काला बदबूदार होने से नागरिकों में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में श्री श्याम देव राय चौधरी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पर्यावरण मंत्री के वक्तव्य का स्थगन...	167
प्रदेश के नगरीय क्षेत्र के विधायकों को ग्रामीण क्षेत्र के विधायकों की भांति 5 गांवों की विद्युतीकरण योजना के अनुसार शहर के वार्डों और मोहल्लों में विद्युतीकरण की अनुशंसा के अधिकार के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य का स्थगन ...	167
प्रदेश में ग्रामीण अंचलों में पानी की निकासी की सुव्यवस्थित व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम औतार शाक्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन ...	167
प्रदेश में शिक्षा विभाग के शासनादेश सं०–2762/15–31–91–4/46/91 शिक्षा अनुभाग–3 दि० 30-11-91 का अनुपालन अंग्रेजी स्कूलों द्वारा सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में डा० रामबाबू हरित द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य का स्थगन ...	167
जनपद अल्मोड़ा के रानीखेत क्षेत्रान्तर्गत "जालली" में विकास खण्ड की घोषणा के अनुसार अधिसूचना जारी न किये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय भट्ट द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मा० मुख्य मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन	167
प्रदेश के औद्योगिक विकास हेतु उद्यमियों के लिए "एकल खिड़की" प्रणाली का प्रारम्भ करने आदि विषयक श्री राम औतार शाक्य, श्री श्याम देवराय चौधरी आदि की नियम–49 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर आधे घण्टे की चर्चा का स्थगन	167
जनपद हरदोई स्थित उत्तर प्रदेश राज्य कताई वस्त्र निगम द्वारा संचालित कताई मिल के बन्द होने तथा मिल श्रमिकों की दयनीय स्थिति को देखते हुए पुनः चालू करने के सम्बन्ध में डा० धर्मज्ञ मिश्र द्वारा नियम–49 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर आधे घण्टे की चर्चा का स्थगन	167
नत्थियां	168–171

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

गुरुवार, दिनांक 11 मार्च, 1999

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

1–अकबर हुसैन, श्री — मुरादाबाद
2–अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री — गोण्डा
3–अजय राय, श्री — वाराणसी
4–अतीक अहमद, श्री — इलाहाबाद
5–अफरोज अली खां, श्री — रामपुर
6–अब्दुल कलाम, श्री — बस्ती
7–अब्दुल कलाम, श्री — वाराणसी
8–अब्दुल खालिक, श्री — अलीगढ़
9–अमर मणि, श्री — महराजगंज
10–अमीर आलम खान, श्री — मुजफ्फरनगर
11–अम्बिका चौधरी, श्री — बलिया
12–अरिमर्दन सिंह, श्री — महोबा
13–अशोक कुमार सिंह, — रायबरेली
14–आनन्द प्रकाश, श्री — पडरौना
15–उर्मिला देवी, श्रीमती — मैनपुरी
16–ओंकार सिंह, श्री — एटा
17–ओमकार सिंह, श्री — बदायूं
18–ओम प्रकाश, श्री — एटा
19–ओम प्रकाश गुप्त, श्री — सीतापुर
20–कमला प्रसाद रावत, श्री — बाराबंकी
21–कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री — सहारनपुर
22–काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, श्री — रामपुर
23–काजी मोहम्द मुहिउद्दीन, श्री — हरिद्वार
24–किशन लाल बघेल, सेठ — आगरा
25–के० सी० सिंह, "बाबा", श्री — ऊधम सिंह नगर
26–कोविद कुमार, श्री — शाहजहांपुर
27–गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री — आगरा
28–गंगा बख्श सिंह, श्री — उन्नाव
29–गोपाल कृष्ण, श्री — पीलीभीत
30–चन्द्र किशोर, श्री — महराजगंज
31–चन्द्र पाल सिंह यादव, श्री — झांसी
32–चन्द्रेश पासवान, श्री — गोरखपुर
33–छोटे सिंह यादव, श्री — फर्रुखाबाद
34–जगपाल, श्री — सहारनपुर
35–जगदम्बिका पाल, श्री — बस्ती
36–जगदीश सिंह राणा, श्री — सहारनपुर
37–जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री — फर्रुखाबाद
38–जय नारायण तिवारी, श्री — सुल्तानपुर
39–जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइया, श्री — गोरखपुर
40–जोखू लाल यादव, श्री — इलाहाबाद
41–दयाशंकर, श्री — जालौन
42–दीप लाल भारती, श्री — पडरौना
43–देवेन्द्र सिंह यादव, कुंवर — एटा
44–धनी राम वर्मा, श्री — इटावा
45–नरेन्द्र सिंह चौधरी, श्री — कानपुर देहात
46–नरेन्द्र सिंह यादव, श्री — फर्रुखाबाद
47–नरेन्द्र सिंह शिशौदिया, श्री — गाजियाबाद
48–नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री — हरदोई
49–नवाब सिंह नागर, श्री — गाजियाबाद
50–"पटेल" रामकुमार वर्मा, श्री — खीरी
51–परमानन्द दण्डी, स्वामी — रामपुर
52–पूरन सिंह बुन्देला, श्री — ललितपुर
53–प्रेम पाल सिंह यादव, श्री — बदायूं
54–प्रेम लता कटियार, श्रीमती — कानपुर नगर
55–फतेह बहादुर, श्री — महराजगंज
56–बाबू खां, श्री — हरदोई
57–बाबू राम यादव, श्री — मैनपुरी
58–बिजेन्द्र आर्य, श्री — मुजफ्फरनगर
59–ब्रजेन्द्र पाल सिंह, श्री — मुरादाबाद
60–भोला शंकर मौर्य, श्री — बदायूं
61–महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा — आगरा
62–महेन्द्र कुमार, श्री — बुलन्दशहर
63–महेन्द्र सिंह यादव, श्री — बुलन्दशहर
64–मुख्तार अंसारी, श्री — मऊ
65–मुरलीधर, श्री — फतेहपुर
66–मुगद लारी, श्री — देवरिया
67–मुस्ताक सोलंकी, श्री — कानपुर नगर
68–मुस्लिम, डा० — रायबरेली
69–मूल चन्द, श्री — बिजनौर
70–मोती लाल, श्री — खीरी

71–योगेन्द्र सिंह सेंगर, श्री — देवरिया
72–रघुराज प्रताप सिंह "राजा भईया", कुंवर — प्रतापगढ़
73–रमापति शास्त्री, श्री — गोण्डा
74–राकेश त्यागी, श्री — बुलन्दशहर
75–राजा राम पाण्डेय, श्री — प्रतापगढ़
76–राजेन्द्र, श्री — गाजीपुर
77–राम अवतार मिश्रा, श्री — शाहजहांपुर
78–राम कृपाल, श्री — इलाहाबाद
79–राम नरेश रावत, श्री — गाजियाबाद
80–राम पाल राजवंशी, श्री — सीतापुर
81–राम प्रसाद चौधरी, श्री — बस्ती
82–रामलखन, श्री — सुल्तानपुर
83–रामवीर सिंह, श्री — फिरोजाबाद
84–राम सिंह सैनी, श्री — हरिद्वार
85–राम सेवक सिंह, श्री — बदायूं
86–राम हर्ष सिंह, श्री — सुल्तानपुर
87–रामाधार सिंह, श्री — हमीरपुर
88–रामेश्वर दयाल बाल्मीकि, श्री — मैनपुरी
89–रामेश्वर सिंह यादव, श्री — एटा
90–रिफाकत हुसैन चौधरी, श्री — मुरादाबाद
91–लल्लू सिंह, श्री — फैजाबाद
92–लाखीराम जोशी, श्री — टिहरी गढ़वाल
93–लालजी टंडन, श्री — लखनऊ
94–वकार अहमद शाह, डा० — बहराइच
95–वहोरन लाल मौर्य, श्री — बरेली
96–विजमा यादव, श्रीमती — इलाहाबाद
97–विजय प्रकाश, श्री — इलाहाबाद
98–विजय सिंह, श्री — सोनभद्र
99–विद्या सागर गुप्ता, श्री — लखनऊ
100–विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, श्री — गोण्डा
101–विनोद मणि, श्री — महराजगंज
102–विरेन्द्र सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
103–वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री — एटा
104–शिव गणेश लोधी, एडवोकेट — रायबरेली
105–शिव चरन प्रजापति, श्री — हमीरपुर
106–शिव पाल सिंह यादव, श्री — इटावा
107–श्याम सुन्दर, श्री — रायबरेली
108–संजय गर्ग, श्री — सहारनपुर
109–संजय सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
110–सरवर अली खां, श्री — बारांवकी
111–सुखपाल पाण्डेय, श्री — बस्ती
112–हरि प्रसाद उ. ध्मड़ी, श्री — सोनभद्र
113–हरि शंकर माहौर, श्री — अलीगढ़

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

सीमेन्ट फैक्टरियों के मजदूरों की समस्याओं से सम्बन्धित नियम–311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को उठाने का प्रयास

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, डाला, चुर्क सीमेन्ट फैक्टरियों के हजारों मजदूरों को सरकार वेतन नहीं दे रही है, जिसके नाते उनके बच्चों की शिक्षा-दीक्षा नहीं हो पा रही है ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना नियम–56 में आ गयी है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

लाखों लोग इससे प्रभावित हैं और यह अत्यन्त संवेदनशील मामला है, तमाम लोग इलाज के अभाव में दयनीय दशा में पहुंच गये हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी जो सीमेन्ट फैक्ट्री के मजदूरों के सम्बन्ध में सूचना है, वह नियम–56 में आ गयी है, आपकी बात सुन ली जायेगी ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु नई पर्यटन नीति की घोषणा

**1–श्री राम औतार शाक्य–

क्या पर्यटन मंत्री कृपया बतायेंगे कि विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने एवं पर्यटकों से होने वाली आमदनी से आय का स्रोत बढ़ाने के लिए पर्यटन के विकास की कोई विशेष कार्य योजना सरकार बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण एवं पर्यटन मंत्री (श्री कलराज मिश्र)–

जी हां ।

विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने एवं पर्यटकों से होने वाली आमदनी से आय का स्रोत बढ़ाने के लिए पर्यटन विकास की विशेष कार्य योजना के रूप में नई पर्यटन नीति 1996 की घोषणा की गयी है ।

पर्यटन नीति का मुख्य उद्देश्य पर्यटक/यात्री को केन्द्र बिन्दु मानते हुए पर्यटन विकास, समाज एवं पर्यटन व्यवसाय की पर्यटन उद्योग में भागीदारी, पर्यटन से जुड़े स्वदेशी एवं विदेशी भागीदारों को गुणात्मक सेवायें उपलब्ध कराना, पर्यटन विपणन में विस्तार करना, प्रदेश में समस्त परिपथों के लिए एकीकृत विकास विपणन मास्टर प्लान बनाना तथा उसका क्रियान्वयन, पर्यटन उद्योग में दक्षता, सामाजिक आर्थिक लाभ एतद्द्वारा रोजगार सृजन में वृद्धि तथा धार्मिक, साहसिक एवं ऐतिहासिक पर्यटन हेतु पर्यटकों को विशेष सुविधा उपलब्ध कराना है । इस उद्देश्य के अनुरूप विदेशी पर्यटकों की संख्या

तथा उनसे आय का स्रोत बढ़ाने का लक्ष्य है । इन लक्ष्यों की पूर्ति निजी क्षेत्र में पर्याप्त पूंजी निवेश हेतु सुनिश्चित कराने के लिए अप्रवासी भारतियों को विशेष महत्व दिया गया है । प्रदेश में 10 परिपथों का गठन कर सुनियोजित विकास की विशेष कार्य योजना है जिसमें विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं का समुचित विकास किया जाना तथा सुनियोजित प्रचार-प्रसार, पर्यटकों विपणन की रणनीति क्षेत्रीय निधियों की स्थापना, पर्यटन इकाइयों का उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण, नये पर्यटन उत्पाद/आकर्षण का विकास एवं प्रचार जैसे योग, अध्यात्म, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, साहसिक, क्रीड़ा, पर्यावरण से प्रासंगिक पर्यटन, जल विहार, फिल्म सूटिंग, व्यन्जन विशेषतायें, परम्परागत परिधान, शिल्प कलायें एवं वन्य ग्राम जीवन का विकास आदि कार्य रणनीति में हैं । पर्यटन स्थलों पर आकर्षण सुविधाओं का देश एवं विदेश में विभिन्न माध्यमों से प्रचार जैसे सी०डी० कैसेज तथा वेवसाइट आदि के माध्यम से पर्यटन उद्योग को बढ़ावा, प्रशिक्षित मानव संसाधन आदि कार्य करने की रणनीति है ताकि भारतीय एवं विदेशी पर्यटकों का आवागमन तथा आय का स्रोत बढ़ाया जा सके ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम औतार शाक्य–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने इस प्रश्न के उत्तर में बताया है कि पर्यटन को धार्मिक, साहसिक और ऐतिहासिक तीन श्रेणियों में बांटा गया है । जहां तक मेरी जानकारी है, यह पर्यटन उद्योग लाभ का एक विभाग है और उसमें घाटा नहीं हो रहा है । मैं लम्बी-चौड़ी बात न कहकर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं जो धार्मिक पर्यटकों का वर्गीकरण आपने किया है उसमें कौन से धर्म से सम्बन्धित विदेशी पर्यटक इस देश में सबसे ज्यादा आते हैं जिससे प्रदेश को आय होती है ?

श्री कलराज मिश्र–

मान्यवर, धार्मिक पर्यटकों के माने किसी भी धर्म से सम्बन्धित हों, किसी भी पन्थ को मानने वाला हो, वह धार्मिक पर्यटक कहलाता है और अपने धार्मिक पूजा स्थल पर जाकर पूजा-अर्चना करता है वह धार्मिक पर्यटक कहलाता है । इस हिसाब से हमने जो धार्मिक यात्रा पर आते हैं उसमें एक तो चारों धाम की बात कही गयी है और दूसरा, जो बौद्ध परिपथ हैं उनमें पूरे प्रदेश को हमने विभाजित किया है जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, वह बौद्ध परिपथ के अन्तर्गत आते हैं । इस दृष्टि से पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अभी एक अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव मनाया गया जिसमें 11 देशों के लगभग दो हजार धार्मिक यात्री आये । इसी तरह चारों धाम यात्रा करने वालों में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की यात्रा करने वाले धार्मिक यात्री लगातार आते रहते हैं । इसी तरह इस्लाम में आस्था रखने वाले देवॉ-शरीफ आदि जाते हैं और ईसाई पन्थ को मानने वाले हमारे यहां जैसे सरधना है वहां जाते हैं तो सभी धर्मों के लोग आते हैं । हिन्दू धर्म में भी अनेक जैसे–जैन, शाक्य आदि हैं जो इन धर्मों के धर्मावलम्बी हैं और जहां पर उनके तीर्थ स्थल हैं वहां जाते हैं तो इन सभी के लिए हमने समुचित व्यवस्था की है । धार्मिक पर्यटकों के अलावा और भी लोग जो धर्म के हिसाब से नहीं दूसरे यात्री आते हैं इस तरह के जो विदेशी यात्री हैं उनको आकर्षित करने के लिए भी हमने व्यवस्था की है । चूंकि मूल प्रश्न में आपने विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने की बात कही है तो इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो दूसरे धार्मिक स्थलों को भी देखने जाते हैं, टूरिज्म की दृष्टि से वाइल्ड लाइफ की दृष्टि से आते हैं तो सभी को सुविधा देने की बात है इस दृष्टि से पर्यटक नीति बनाकर हमने विदेशी पर्यटकों और देशी पर्यटकों को आकर्षित करने की योजना बनायी है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस नीति के पहले और नीति घोषित करने के बाद से लेकर आज तक क्या गुणात्मक परिवर्तन हुआ है, कितने लोग इसके बाद अधिक संख्या में आये हैं ?

इस नीति के घोषित होने से कितने ऐसे विदेशी या भारत मूल के जो विदेशों में रहते हैं या देश और प्रदेश के कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आवेदन किया है कि हम पर्यटन स्थलों को विकसित करना चाहते हैं और इससे आमदनी बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि सरकार के पास सीमित संसाधन हैं तो पर्यटक अधिक संख्या में आकर्षित हों और पर्यटक स्थलों का विकास हो जो अभी तक नहीं हो पा रहा है इसके लिए क्या कुछ आवेदन-पत्र इस नीति के घोषित होने पर आये हैं या माननीय मंत्री जी से किसी ने सम्पर्क किया है कि हम पर्यटन उद्योग में पूंजी निवेश करना चाहते हैं उनकी संख्या कितनी है और सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ।

इसके अलावा एक बात और है जो शाक्य जी का आशय था जो विदेशों से पर्यटक आते हैं सबसे अधिक पर्यटक बौद्ध धर्मावलम्बी होते हैं । क्योंकि उत्तर प्रदेश बौद्ध धर्म का वह पावन स्थल है जहां से बौद्ध धर्म का उद्गम हुआ है । पर्यटक सारनाथ, संकिता, श्रावस्ती जाते हैं । जो बौद्ध धर्म के पर्यटन स्थल हैं कुशीनगर को छोड़कर और जगह व्यवस्था ठीक नहीं है । कपिलवस्तु जो भगवान बुद्ध के पिता की राजधानी थी आज वह खंडहर के रूप में है । उसको विकसित करने के लिए क्या सरकार ने कोई योजना बनायी है, यदि हां, तो वह क्या योजना है ?

श्री कलराज मिश्र–

माननीय सदस्य ने कई सवाल पूछे । पहले मैं बताना चाहता हूं कि पर्यटन नीति घोषित करने के बाद तमाम स्थलों को आर्कषक बनाने का हमने प्रयास किया है और हम लोगों ने पूंजीनिवेश की दृष्टि से आवेदन मांगे हैं । 31 दिसम्बर, 98 को हमारी पर्यटन नीति घोषित हुए है उसके बाद कई लोगों ने एप्रोच किया है कि हम आना चाहते हैं और पूंजी निवेश करना चाहते हैं । हमने आवेदन आमंत्रित किये हैं, पर्यटन विभाग द्वारा विज्ञापन दिया गया है । जो भी आवेदन हमारी पर्यटन नीति की शर्तों के हिसाब से होंगे और जो लोग इसमें निवेश करना चाहेंगे उनको खुली छूट है । दूसरे मैं बताना चाहता हूं कि पर्यटन नीति के अन्तर्गत हमने एक महत्वाकांक्षी योजना बनायी है अभी तक 350 करोड़ रुपये का निवेश होता है । हमने एक दशक में 10 हजार करोड़ के निवेश की एक महत्वांकाक्षी योजना बनायी है । तीसरी बात आपने कहा कि हमारे प्रदेश में बौद्ध धर्म के अनुयायी बाहर से सबसे ज्यादा आते हैं । मैं बताना चाहता हूं कि आजादी के बाद प्रथम बार हमने अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव मनाया है । जिस प्रकार से मुसलमान लोग मक्का मदीना जाते हैं, हिन्दू लोग बद्रीनाथ और केदारनाथ जाते हैं और जैसे लोग कुम्भ मेले पर जाते हैं उसी तरह से बौद्ध धर्म के अनुयाइयों के लिए सर्वप्रथम सारनाथ में प्रयोग के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव आयोजित किया गया । बौद्ध पर्यटन परिक्रमा ट्रेन भी हमने चालू की है । हावड़ा, बोधगया, गोरखपुर, वाराणसी को एक बौद्ध सर्किट माना है और इसमें आने वाले यात्रियों के लिए व्यवस्था की है । जो पैकेज टूर आयेंगे बौद्ध परिक्रमा ट्रेन में उनके लिए आई०टी०सी० के माध्यम से सुविधा दी जायगी । इसी तरह से सारनाथ, कुशीनकर, कपिलवस्तु का विकास सरकार अपने सीमित क्षेत्रों से कर रही है और निजी क्षेत्र को भी हम आमंत्रित कर रहे हैं ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैंने एक स्पेसिफिक स्थान का नाम दिया था कपिलवस्तु का, कपिलवस्तु उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद में है उसके विकास के लिए पूर्व सरकार ने कुछ शिलान्यास किया था, घोषणायें की थी, मैं यह जानना चाहूंगा कि उस स्थल के लिए यह सरकार क्या कर रही है ?

श्री कलराज मिश्र–

मान्यवर, कपिलवस्तु एक ऐसा स्थल है जहां कि बौद्ध तीर्थ यात्री काफी संख्या में आते हैं हमने उसके विकास के लिए समुचित व्यवस्था की है। पिछली सरकार ने उसके विकास के लिए जो शिलान्यास किया था जो भी धनराशि दी, उस धनराशि का आवंटन नहीं था। सीमित संसाधन होने के नाते एक प्रारूप बनाकर उसके अनुरूप विकास करना चाहते हैं। हम तत्काल नहीं कर पा रहे हैं लेकिन भविष्य में हमारी योजना है हम उसको करेंगे।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए शासन की तरफ से, योजना के बारे में बात कही गयी है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो इनकी योजना पर्यटन को आकर्षित करने के लिए बढ़ावा देने के लिए है इस योजना पर कितना वित्तीय अधिभार आयेगा और दूसरा सवाल यह है कि जब से यह सरकार आयी, इस अवधि में विदेशों से आने वाले यात्री चाहे तीर्थ यात्री के रूप में या अन्य रूप में आये हैं उनकी संख्या में कितनी बढ़ोत्तरी हुई है ?

श्री कलराज मिश्र–

मान्यवर, जहां तक खर्च की बात है जो बजट होता है उसके अनुसार एक-एक स्थान के हिसाब से खर्च सुनिश्चित होता है, उसके अनुरूप योजना बनायी जाती है। दूसरा जो माननीय सदस्य ने विशेष रूप से पूछा है कि जब से यह सरकार आयी है विदेशी पर्यटकों के आने की संख्या क्या रही है ? सदन की जानकारी के लिए मैं आंकड़े बता देना चाहता हूं। पूरे भारत के हिसाब से विदेशी पर्यटकों के आगमन की संख्या में 8.5फीसदी घटोत्तरी हुई है लेकिन आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि उत्तर प्रदेश इस मामले में सौभाग्यशाली प्रदेश है। विदेशी पर्यटकों की संख्या में इस वर्ष बढ़ोत्तरी हुई है। मान्यवर, अगर अनुमति दें तो तीन वर्षों का बता दें।

श्री अध्यक्ष–

आप केवल बढ़ोत्तरी का प्रतिशत बता दें।

श्री कलराज मिश्र–

मान्यवर, पिछली बार 7 लाख 12 हजार पर्यटक आये थे इस बार 7 लाख 83 हजार आये। तो गत वर्षों से संख्या में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। भारत के अन्य राज्यों की तुलना में विदेशी पर्यटकों के आने की संख्या बढ़ी है।

श्री वसीम अहमद–

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आजमगढ़ के महराजगंज ब्लाक में आपने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भैरव बाबा के स्थान पर शिलान्यास किया था। आज तक वहां कोई काम शुरू नहीं किया गया, आप यह बता दें कि कब तक पैसा आवंटित होगा और काम कब से शुरू होगा ?

श्री अध्यक्ष–

मूल प्रश्न विदेशी पर्यटकों से सम्बन्धित है इसके लिए अलग से आप प्रश्न पूछ लीजिये। माननीय मंत्री जी अगर सूचना हो तो बता दें।

श्री कलराज मिश्र–

मान्यवर, मैंने शिलान्यास किया है, उसका सौन्दर्यीकरण शुरू होगा।

श्री आर० के० सिंह पटेल–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि चित्रकूट के कौन-कौन से धार्मिक स्थल उत्तर प्रदेश में आते हैं । क्या उनको पर्यटक स्थल घोषित किया गया है । तथा उनके विकास के लिए क्या कोई योजना बनायी गयी है ?

श्री कलराज मिश्र–

मान्यवर, चित्रकूट स्वयं एक धार्मिक स्थल है चित्रकूट के धार्मिक स्थलों के विकास के लिए 25 लाख रुपये दिये गये हैं और इस सम्बन्ध में काम भी तेजी से चल रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

चित्रकूट के बारे में अलग से प्रश्न कर लें ।

श्री बी० आर० वर्मा–

उत्तर प्रदेश सरकार ने चित्रकूट के विकास के लिए 25 लाख रुपये दिये हैं । यह पैसा उत्तर प्रदेश की सीमा में ही खर्च किया जायेगा या चित्रकूट में उत्तर प्रदेश के जो बाहर भाग है उस पर भी खर्च किया जायेगा ?

श्री कलराज मिश्र--

यह पैसा उत्तर प्रदेश के लिए दिया गया है उत्तर प्रदेश की सीमा में ही खर्च किया जायेगा । बाहर खर्च करने का सवाल ही नहीं ।

श्री राम औतार शाक्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो बौद्ध परिपथ में जापानी सहायता या अन्य देशों से सहायता प्राप्त होती है वह केवल बौद्ध परिपथ से सम्बन्धित पर्यटन स्थलों पर ही खर्च करते हैं या दूसरी जगहों पर भी खर्च करते हैं । संकिशा में एक पर्यटक आवास 1994 में बन गया था लेकिन अभी तक पर्यटन विभाग को हैण्ड ओवर नहीं हुआ । उसमें केवल 10-5 हजार रुपये ही खर्च करने होंगे ।

श्री कलराज मिश्र–

बौद्ध परिपथ के लिए जो विदेशी सहायता प्राप्त होती है वह स्थापना सुविधा के विकास के लिए है । इस समय आर्थिक प्रतिबन्ध के कारण अभी सहायता प्राप्त नहीं हुई है । इस सम्बन्ध में हमने और मुख्य मंत्री जी ने भारत सरकार को पत्र लिखें हैं । संकिशा के पर्यटक आवास गृह के बारे में जो बात कही गयी है । यह आवास गृह बनकर तैयार हो गया लेकिन तकनीकी गड़बड़ी के कारण इसमें रुकावट आयी है । वैसे यह आवास गृह निजी क्षेत्र को देने के लिए विचार कर रहे हैं ।

प्रदेश में विश्वविद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पेंशन लाभ हेतु विकल्प भरने की सुविधा

**2–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को प्रोविडेन्ट फण्ड के स्थान पर पेंशन लाभ हेतु विकल्प भरने की सुविधा देने हेतु महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के शासनादेश 196/55-19-97-3 (25) 90 दिनांक 24-2-97 की भांति उनका भी शासनादेश जारी करने पर शासन विचार कर रहा है ? यदि हां, तो कब तक शासनादेश जारी होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उच्च शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

शासनादेश संख्या–901/70-4/98-46 (14)/83, दिनांक 16-5-98 के अन्तर्गत प्रदेश के विश्वविद्यालयों के समस्त सेवानिवृत्त शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी जिन्हें पेंशन/पारिवारिक पेंशन की सुविधा का लाभ नहीं मिल पाया है, को शासनादेश जारी होने के दिनांक से 90 दिनों के भीतर पेंशन/पारिवारिक पेंशन हेतु अपना विकल्प दिये जाने की सुविधा का लाभ अनुमन्य करा दिया गया है। उक्त शासनादेश की प्रति संलग्न है। †

शासनादेश जारी हो चुका है, अतः पुनः प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी को इस शासनादेश के लिए बधाई देता हूं। शिक्षक और शिक्षणेत्तर सेवानिवृत्त कर्मचारी जो महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को यह सुविधा प्रदान की गयी है, 90 दिन की कोई समय सीमा तो नहीं है। यदि इसकी जानकारी कुछ कर्मचारियों को नहीं हो पायी है तो वह अपने विकल्प का चयन करने के लिए क्या इस 90 दिन की समय सीमा को बढ़ाने पर विचार करेंगे ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, यह तो मैंने उत्तर में स्पष्ट किया है कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों के समस्त सेवानिवृत्त शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी जिन्हें पेंशन/पारिवारिक पेंशन की सुविधा का लाभ नहीं मिल पाया है, को शासनादेश जारी होने के दिनांक से 90 दिनों के भीतर पेंशन/पारिवारिक पेंशन हेतु अपना विकल्प दिये जाने का लाभ अनुमन्य करा दिया गया है। सभी इसमें आच्छादित हैं।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में किसानों को खाद उपलब्ध कराने की कार्य योजना

*1–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार को ज्ञात है कि वित्तीय वर्ष 1998-99 में रबी की फसल की बुवाई के समय प्रदेश के अधिकांश भागों के किसानों को डी०ए०पी० खाद उपलब्ध नहीं हो सकी जिससे उन्हें भारी क्षति उठानी पड़ी ? यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ? क्या सरकार ने भविष्य में इसके निवारण हेतु कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)–

जी नहीं। प्रदेश में रबी, 1998-99 में उर्वरकों का अभाव नहीं रहा है, परन्तु कुछ जनपदों में सहकारिता क्षेत्र में उर्वरकों की कमी रही जिसको पूरा करने के लिए शासन द्वारा यथा समय कार्यवाही की गयी।

भारत सरकार द्वारा डी०ए०पी० पर प्रदान की जा रही मूल्य सहायता की दरें लाभकारी न होने के कारण प्रदायकर्ताओं ने प्रारम्भ में प्रदेश को कम डी० ए० पी० की आपूर्ति की। साथ ही अक्टूबर माह में वर्षा हो जाने के कारण गत वर्षों की तुलना में गेहूं की बुवाई एकाएक प्रारम्भ हो जाने के फलस्वरूप डी० ए० पी० की मांग बढ़ जाने के कारण कतिपय जनपदों में डी० ए० पी० की कमी महसूस की गयी। जी हां। राज्य सरकार ने इस वर्ष अभी से ऐसी स्थिति से निपटने हेतु कार्य योजना बनायी है।

---

† देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 168–169 पर।

खरीफ के लिए 4.25 लाख मै० टन डी० ए० पी० की मांग भारत सरकार को सूचित कर दी गयी है, जो उनके स्तर पर स्वीकार कर ली गयी है । आगामी रबी की जनपदवार मांग जिलाधिकारियों से मांगी गयी है । प्रदेश की संकलित मांग भारत सरकार को शीघ्र प्रेषित कर दी जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, यह सवाल पूरे प्रदेश के किसानों के जनजीवन से जुड़ा हुआ है । इस प्रदेश में 80 प्रतिशत लोग गांव में रहते हैं । अगर प्रदेश के किसानों को पानी, बिजली और खाद समय से नहीं मिला तो किसानों की आर्थिक व्यवस्था ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था चरमरा जायेगी । नवम्बर और दिसम्बर का महीना पीक आवर के होते हैं और उस समय रबी की फसल की बुवाई होती है और किसान को डी० ए० पी० की खाद की बहुत आवश्यकता होती है । सरकार ने उत्तर में यह माना है कि कमी हुई है और कमी क्यों हुई है इसका खुलासा नहीं किया गया है । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं नवम्बर, दिसम्बर, 1998 में कितनी खाद उपलब्ध करायी गयी और नवम्बर, दिसम्बर, 1997 में कितनी खाद उपलब्ध थी ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है उसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि जो मूल प्रश्न किया गया था वह वर्ष 1998 में रबी की बुवाई के समय कितनी डी० ए० पी० खाद उपलब्ध रही उसके बारे में था । 1997 की फीगर्स तो मेरे पास उपलब्ध नहीं है कि उस समय कितनी खाद उपलब्ध थी । बल्कि इतना जरूर बताना चाहता हूं कि डी० ए० पी० और एन० पी० के० खाद में फासफोरस ऐसिड मिलता है और जिसे इम्पोर्ट किया जाता है । या पूरी डी० ए० पी० की इम्पोर्ट होती है । नवम्बर के महीने में चूंकि इम्पोर्ट नहीं हो सकी और अक्टूबर के महीने में काण्डला में तूफान आया था और दो शिप डैमेज हो जाने के कारण नवम्बर के महीने में डी० ए० पी० की कमी आ गई थी । दिसम्बर के महीने में हम जितनी की आवश्यकता थी उससे अधिक उपलब्ध करा रहे थे । बड़े फिगर की आवश्यकता होगी । जनपदवार मेरे पास है, माननीय सदस्य चाहेंगे तो उनको सूचना दे सकता हूं ।

श्री राम जग–

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि रबी की बुवाई के समय उर्वरक खाद उपलब्ध नहीं थी । जो प्राइवेट दुकानदार थे उनके पास खाद मौजूद थी । उन्हें किस कारखाने से खाद मिलती थी ? सहकारी समितियों में कहीं खाद उपलब्ध नहीं थी । आखिर यह सरकार की कौन सी दोहरी व्यवस्था है कि प्राइवेट दुकानों में खाद उपलब्ध है और इनकी दुकानों में सोसाइटी में खाद उपलब्ध नहीं थी । दूसरा मेरा यह कहना है कि उर्वरक खाद के वितरण में प्राइवेट दुकानदार मिलावट की खाद बेचते रहे । सरकार ने इसके लिये कौन सी कार्यवाही की यह बता दें ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, नवम्बर में डी० ए० पी० की उपलब्धता चाहे निजी दुकानदार रहे हों, सरकारी गोदाम हों या सहकारी दुकानें सभी जगह कम रही है । नवम्बर के महीने में जब कमी रही तो प्राइवेट दुकानदारों के पास भी कहां से उपलब्ध हो सकती है । जहां तक माननीय सदस्य ने कहा है कि निजी दुकानदार मिलावट की खाद बेचते हैं तो मान्यवर, इसके लिये तो बराबर जांच के लिये नमूने लिये जाते रहे हैं । माननीय सदस्य इसके लिये प्रश्न कर दें मैं सूचना उपलब्ध करा दूंगा कि कितने नमूने लिये गये, कितनों के खिलाफ एफ० आई० आर० हुई और कितनों के खिलाफ कार्यवाही की गई ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने बड़ी खूबसूरती से सवाल के जवाब को टाल दिया । माननीय शाक्य जी ने पूछा माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा जो लिखित है कि फासफोरस खाद की कोई कमी नहीं रही । मान्यवर, फासफोरस, पोटाश जो कि मिट्टी के लिये जरूरी होती है मान्यवर, उसके कम्पेरिजन में जब पूछा कि नवम्बर दिसम्बर में कितनी उपलब्ध कराई गई । माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि नवम्बर में नहीं उपलब्ध कराई । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि दिसम्बर 98 में फासफोरस की कितनी डिमान्ड थी जो पहले से ही लक्ष्य निर्धारित किया गया था उस लक्ष्य के अगेन्स्ट कितनी खाद एग्रीकल्चरल विभाग की दुकानों पर और सहकारिता की जो हमारी समितियां हैं उन पर कितनी खाद उपलब्ध कराई गई । अगर इतनी भी जानकारी न हो तो मैं संक्षेप में कर देता हूं केवल फैजाबाद और बस्ती मण्डल के बारे में बता दें कि वहां कितना अनुमानित लक्ष्य था और उसके अगेन्स्ट में दिसम्बर 98 में कितनी खाद उपलब्ध कराई गई ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, दिसम्बर के महीने में जैसा कि मैंने स्वयं बताया कि दिसम्बर महीने में कितनी आवश्यकता रही है उससे अधिक खाद हमारे पास थी । साढ़े छः लाख का लक्ष्य था और हमने साढ़े सात लाख के करीब सप्लाई किया है । आज भी स्टाक रखा हुआ है ।

श्री लालजी वर्मा–

सहकारी समितियों पर कितना दिया और सामान्य रूप से कितना दिया ?

श्री अध्यक्ष–

इनके जनपद का बता दें ?

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि उर्वरक की कमी नहीं रही तो पोटाश, चाहे वह सरकारी हो चाहे सहकारी हो क्या पोटाश उपलब्ध कराई गई ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

डी० ए० पी० के बारे में मैंने बताया है ।

श्री अध्यक्ष–

यह मूल प्रश्न से नहीं निकलता है ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा नवम्बर महीने में डी० ए० पी० खाद की कमी थी नवम्बर और दिसम्बर माह में गेहूं की बुआई होती है तो खाद की कमी रही जो मिली उसमें बड़े पैमाने पर खाद में मिलावट रही, मिलावट पहले भी रही है जब से यह सरकार आई है मिलावट के कारण खरीफ की फसल का उत्पादन पूरे प्रदेश में घटा, यह नवम्बर में स्वीकार कर रहे हैं सहकारी समितियों मे बड़े पैमाने पर खाद की कमी रही दूसरी तरफ जो खाद मिलती थी उसमें मिलावट थी जिसका नतीजा यह हुआ कि गेहूं की फसल बहुत कमजोर फसल है जो रबी की फसल पैदा होगी निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के उत्पादन में कमी आएगी । यह सरकार किसानों की दुश्मन है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न बोलिए ना ।

श्री अवधेश प्रसाद–

बड़े पैमाने पर घपला कराया गया है इस पर श्रीमन्, चर्चा करा लें जो माननीय सदस्य इसमें दिलचस्पी रखते हैं यह पार्टी का सवाल नहीं है समूचे उत्तर प्रदेश के किसानों का सवाल है माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं।

श्री लालजी वर्मा–

इन्होंने उत्तर में कहा है कि रबी में उर्वरक का अभाव नहीं रहा, उर्वरक में पोटाश की खाद आनी है जिसके कारण फसल उत्पन्न होती है। दाना अच्छा पड़ता है, लेकिन मान्यवर, पोटाश की खाद एक टन भी नवम्बर, दिसम्बर और जनवरी माह में उपलब्ध नहीं कराई गई फास्फोटिक का 1998 का पूछा, फैजाबाद और बस्ती का बता दें ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मेरे पास जिलेवार सब है मैं इसमें देख रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

सूचना है तो ठीक है, नहीं है तो इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी आपने कहा जनपदवार ब्यौरा है, अगर है तो बता दें ?

श्री लालजी वर्मा–

मान्यबर, इसको स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष–

इस पर चर्चा करवा लेते हैं।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, डी० ए० पी० 1-10-98 से 14-12-98 तक उपलब्धता एग्रीकल्चरल कोआपरेटिव दो हजार मीट्रिक टन, टार्गेट था 3620 मीट्रिक टन। उपलब्ध रहा टोटल 6460 मीट्रिक टन, बस्ती जनपद में। संत कबीर नगर में डी० ए० पी० 2540 मीट्रिक टन। सिद्धार्थनगर में 5500 मीट्रिक टन एम० ओ० पी०.....

श्री अध्यक्ष–

माननीय कृषि मंत्री जी इसमें आधे घंटे की चर्चा करवा लेते हैं।

जिलों के पुनर्गठन नीति/मानक की जानकारी

*2–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में सरकार की नीति एवं मानक क्या हैं ? क्या गत दो वर्षों में नवसृजित जनपदों को इन मानकों में रखा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही)–

जिला प्रशासन में दक्षता लाने तथा अधिक प्रभावी बनाने एवं जनता की सुविधा तथा जनहित आदि को दृष्टिगत रखते हुए सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा निर्णय लिया जाता है।

नये जनपदों के गठन हेतु वर्तमान मानक निम्न प्रकार से हैं :-

न्यूनतम आबादी	15.00 लाख
न्यूनतम क्षेत्रफल	5,000 वर्ग किमी०
तहसीलों की न्यूनतम सं०	3
विकास खण्डों की न्यूनतम सं०	10
थानों की न्यूनतम संख्या	12
लेखपालों की न्यूनतम सं०	300

सभी मानक पूर्ण नहीं हैं ।

जनहित में मानकों का आवश्यकतानुसार शिथिलीकरण कर नये जनपद सृजित किये गये हैं ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, प्रश्न के उत्तर के पहले भाग में आया है कि जिला प्रशासन में दक्षता लाने तथा अधिक प्रभावी बनाने एवं जनता की सुविधा तथा जनहित और नीचे लिखा है कि जनहित में मानकों का आवश्यकतानुसार शिथिलीकरण कर नये जनपद सृजित किये गये हैं और फिर लिखा है कि सम्यक् विचारोपरान्त । मान्यवर, आर्थिक, सामाजिक तथा भौगोलिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह मानक बनाये गये हैं । इन्होंने दोबारा हवाला देते हुए यह उत्तर दिया कि 'आवश्यकतानुसार' । तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि "आवश्यकतानुसार" इसकी परिभाषा राजनीतिक सनक तो नहीं है । दूसरा जो नये जिले किन्हीं कारणों से भी बनाये गये हैं, इन जिलों को मूर्त स्वरूप देने के लिए जो सरकारी खजाना है उसमें कितना धन खर्च होने की सम्भावना है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, जो पहले प्रश्न किया है, तो जब जिलों का गठन किया गया था तो परिस्थितियों को देखकर और सारी बातों पर विचार-विमर्श करके मंत्रिपरिषद् से शिथिलीकरण करके गठन किया गया था । जहां तक धन की बात है एक जन पद में करीब-करीब 55 विभाग गठित होते हैं और सारा लगाकर जो अभी तक आंकड़े हैं अनुमान से 110 से 130 करोड़ तक का खर्च आता है । यह जैसे-जैसे महंगाई बढ़ती है उसके हिसाब से घटता-बढ़ता रहता है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, इसमें कितने धन की आवश्यकता है मूर्त रूप देने के लिए, यह उत्तर नहीं आया । इसमें आवश्यकतानुसार वाली बात कही जा रही है ?

श्री अध्यक्ष–

आवश्यकता राजनीतिक भी हो सकती है, स्थानीय भी हो सकती है और क्षेत्रीय और भौगोलिक भी हो सकती है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

इसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय का एक फैसला आया सैकड़ों करोड़ रुपये इन नये जिलों को बनाने पर खर्च होंगे तो क्या इन जिलों के सृजन पर पुनर्विचार करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, 23-12-98 को मंत्रिपरिषद् की बैठक मे निर्णय लिया गया इसमें पूरे प्रदेश से प्रत्यावेदन आये जिलों का निर्माण किया जाय जिलों को समाप्त किया जाय, जिलों की सीमाओं का पुनर्सीमन किया

जाय । इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए 23-12-98 की बैठक के निश्चयानुसार 12-1-99 को एक उप समिति गठित हो गयी । इन सारे मामलों में कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी । मंत्रिपरिषद् में प्रदेश की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले लिया जायगा ।

श्री इकबाल महमूद–

मान्यवर, मुरादाबाद में ज्योतिबा फूले नगर बना, मंत्री जी उसके प्रभारी भी हैं लेकिन आज भी कई थाने और तहसील मुरादाबाद से जुड़े हुए हैं तो जब तक नई सीमायें घोषित न की जायें इन गांवों को मुरादाबाद में रखने का इरादा यह सरकार रखती है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, जो उप समिति गठित की गयी है वह सारे जिलों के बारे में विचार कर रही है ।

श्री अक्षयवर लाल–

मान्यवर, 22 मई, 1997 को श्रावस्ती के एक ही स्थान पर दो जिलों की घोषणा की गयी । तो जो जनपद बन गये हैं और जो मानक हैं उनमें परिवर्तन नहीं किया गया है तो जहां प्रशासनिक और भौगोलिक आवश्यकता नहीं है, इन जनपदों को कब समाप्त कर दिया जायेगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सभी जनपदों के बारे में विचार चल रहा है ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, अभी मंत्री जी ने जवाब दिया है कि जिलों में 55 विभाग काम करते हैं, प्रत्येक जनपद के सृजन पर 100 से 130 करोड़ रुपये खर्च होता है । मैं यह जानना चाहता हूं कि जनपदों के गठन का मकसद प्रशासनिक इकाई के संचालन का है, तो जितने यह नव सृजित जनपद हैं क्या यहां पर इन सभी विभागों के अधिष्ठान से सम्बन्धित प्रबन्ध, पदों का सृजन आदि सम्पूर्ण कार्य क्या कर लिए गये हैं ?

श्री अध्यक्ष–

आपका प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, बहुत से जनपद बना दिये गये हैं लेकिन वहां काम नहीं हो रहा है, नये जिलों में काम प्रारम्भ नहीं हुआ है इसलिए इन जनपदों की जनता अपना काम कराने कहां जायेगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

ऐसा कोई जनपद नहीं है जहां काम नहीं हो रहा हो । सभी जनपदों में स्थायी रूप से कार्यालय नहीं बनाये हैं लेकिन अस्थायी रूप से व्यवस्था कर दी गयी है और काम हो रहा है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने फैसला कर लिया है कि इन नये जिलों को समाप्त करने जा रही है और जो कमेटी बनायी है उसके अध्यक्ष, सदस्य कौन-कौन हैं एवं यह कमेटी अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर देगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, रिपोर्ट देने की बात अभी निश्चित नहीं है किन्तु विचार-विमर्श चल रहा है ।

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि कमेटी का मैं संयोजक हूं, संसदीय कार्य मंत्री श्री हुकुम सिंह, श्री रघुवर दयाल वर्मा और ऊर्जा मंत्री श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल तथा श्री मारकण्डेय चन्द समिति के सदस्य हैं ।

जनपद सन्त कबीर नगर, श्रावस्ती को समाप्त करने हेतु उप समिति का गठन

*3–श्री राम ललित चौधरी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1997-98 में नवगठित जिलों जैसे सन्त कबीर नगर, श्रावस्ती आदि को समाप्त करने पर विचार के लिए किसी उप समिति का गठन किया गया है ? यदि हां, तो कब और उसका क्या औचित्य है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

वर्ष 1997-98 में सृजित किये गये जनपदों एवं मण्डलों की उपयोगिता, वायविलिटी, आने वाले व्यय भार एवं क्षेत्रीय जनता की सुविधा आदि पहलुओं पर विचार कर संस्तुति देने के सम्बन्ध में दिनांक 12 जनवरी, 1999 को एक उप समिति का गठन किया गया है ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, व्यय भार और जनता की सुविधा को देखते हुए जनहित में मुख्य मंत्री ने नये जिलों का गठन किया था लेकिन इस सरकार को व्यय भार अधिक लग रहा है और जबरदस्त आर्थिक तंगी एवं जर्जर स्थिति से गुजर रही सरकार व्यय भार कम करने के लिए जनहित में 1997-98 में क्या सरकार कुछ जिलों को समाप्त करने पर विचार करने के बजाय भारी भरकम मंत्रिमण्डल, पर जो अरबों रुपया खर्च हो रहा है तो क्या सरकार, मंत्रिमण्डल के आकार को कम करेगी ?

मान्यवर, अभी हाल में नवसृजित जनपदों के बारे में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का कोई निर्णय आया है, मैं जानना चाहता हूं वह निर्णय क्या है और क्या सरकार न्यायालय के निर्णय के अनुरूप अपेक्षित सुधार करेगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, जहां तक मंत्रिमण्डल के आकार की बात है तो उत्तर प्रदेश में मंत्रिमण्डल का आकार बड़ा नहीं है । विपक्ष में बैठे लोग इसके जिम्मेदार हैं । राबड़ी देवी के मंत्रिमण्डल में 325 में 78 मंत्री बनाये गये हैं, इससे कुछ ज्यादा यहां हैं, कई जगह दो-दो मुख्य मंत्री बन रहे हैं । उत्तर प्रदेश में सदस्यों की संख्या को देखते हुए मंत्रिमण्डल जनसमस्याओं को सुलझाने की दृष्टि से बड़ा नहीं है, इसको ध्यान में रखकर ही बनाया गया है ।

श्री अध्यक्ष–

जैसे जनपदों का निर्माण आवश्यकतानुसार होता है, वैसे ही मंत्रिमण्डल का गठन भी आवश्यकतानुसार होता है ।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सन्त कबीर नगर जनपद के बारे में कहा गया । माननीय उच्च न्यायालय का आदेश 15-1-99 को आया और उसमें हमने रिव्यू दाखिल किया जो 16-1-99 को खारिज हो गया, उसके खिलाफ हम एस०एल०पी० दाखिल करने जा रहे हैं, उसके बाद जो भी निर्णय होगा, शिरोधार्य होगा ।

श्री राम ललित चौधरी–

न्यायालय ने जो अपेक्षित सुधार की बात कही है, उसके बारे में सरकार क्या कर रही है ? दूसरी बात जानना चाहता हूं कि आपको व्यय भार की जो चिन्ता है तो पूरे उत्तर प्रदेश को एक जिला मान लीजिये, व्यय भार खत्म हो जायेगा ।

श्री अध्यक्ष–

पहले प्रश्न का उत्तर दे दें।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मैं पहले भी कह चुका हूं कि माननीय उच्च न्यायालय में हम एस०एल०पी० दाखिल करने जा रहे हैं, हम निर्णय से बंधे हैं, जो भी होगा, वह मानेंगे ?

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, सरकार की ढिलाई की वजह से एकपक्षीय निर्णय हुआ और सरकार इस बार भी कोई काम नहीं करेगी, यह नवसृजित जिलों को समाप्त करना चाहती है। यदि यह 15 जिले को बचाने के लिए 15 मंत्रियों को जनहित में कम कर दें तो क्या सरकार इस पर विचार कर रही है ?

श्री अध्यक्ष–

यह कोई प्रश्न नहीं है।

श्री अक्षयवर लाल–

मान्यवर, किसी भी जिले का गठन वहां की प्रशासनिक, भौगोलिक दृष्टि तथा जनता की मांग के अनुसार किया जाता है। गत 22 मई, 1997 को श्रावस्ती में एक मंच से श्रावस्ती और बलरामपुर दो नये जिलों की घोषणा कर दी गयी, नया जिला बनाने के बारे में जनता की कोई मांग नहीं थी, उसका परिणाम यह हुआ कि जो पहले मुख्यालय पर आने के लिए 20 कि०मी० आना पड़ता था, वही अब इकौना, गिलौला के लोगों को नदी पार करके 80 कि०मी० जाना पड़ता है।

(विपक्ष की ओर से कई सदस्यों के खड़े होने तथा अपनी बात कहने का प्रयास करने पर-व्यवधान)

मैं यह जानना चाहता हूं कि इससे श्रावस्ती की जनता आन्दोलित है और हजारों पत्र वहां से सरकार को आये हैं, क्या सरकार इस जिले को समाप्त करने की घोषणा करेगी ?

श्री अध्यक्ष–

देखिये उत्तर बहुत स्पष्ट है। वर्ष 1997-98 में सृजित किये गये जनपदों एवं मण्डलों की उपयोगिता, वायविलिटी, आने वाले व्यय भार एवं क्षेत्रीय जनता की सुविधा आदि पहलुओं पर विचार कर संस्तुति देने के सम्बन्ध में दिनांक 12 जनवरी, 1999 को एक उप समिति का गठन किया गया है। आप जो कठिनाइयां बता रहे हैं, वह इस समिति के समक्ष प्रस्तुत करिये, जब इसकी रिपोर्ट आयेगी, तब देखा जायेगा।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, जो कठिनाइयां माननीय सदस्य ने बतायी हैं प्रदेश और जनता के हित में जो बात होगी उस समिति उस पर निर्णय करेगी।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि सन्त कबीर नगर के मामले में उच्च न्यायालय में अपील की जा रही है जैसे माननीय चौधरी साहब ने कहा कि उच्च न्यायालय ने जिला बनाने के बारे में मना नहीं किया है कहा है कि अगर जिला बनाना जरूरी है तो विधान सभा में इस आशय का प्रस्ताव लाकर यदि कोई कमी उसमें रह गयी है तो लाया जाय। मैं जानना चाहता हूं कि सन्त कबीर नगर के बारे में आज जन भावना को देखते हुए इस आशय का प्रस्ताव विधान सभा में रखेंगे ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मैंने मान्यवर, पहले ही कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश पर उच्चतम न्यायालय में एस०एल०पी० दायर कर रहे हैं। तो मामला न्यायालय में है उनका निर्णय हो जाने के बाद ही कुछ होगा। (व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, 1997 में जब यह जिला बना तब माननीय मंत्री जी राजस्व मंत्री थे। [illegible] और सन्त कबीर नगर का निर्णय तत्कालीन मुख्य मंत्री सुश्री मायावती जी ने अन्य नव सृजित जि[illegible] के साथ किया था। जो यह उप समिति गठित की है उसका अब क्या औचित्य है जब कि स्वयं उस समय वही राजस्व मंत्री थे। दूसरा माननीय उच्च न्यायालय ने जिला खत्म करने का निर्देश नहीं दिया है बल्कि कहा है कि अगर कोई कमी है तो उस सम्बन्ध में प्रस्ताव विधान सभा में लाकर किया जाय। क्या इस परिप्रेक्ष में यह प्रस्ताव सदन में लाने का कष्ट करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, मैंने पहले ही बताया कि मामला उच्चतम न्यायालय में है उसके निर्णय के बाद ही कोई कार्यवाही की जा सकती है उसके पहले यह सम्भव नहीं है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय ने कहीं भी आपको जिलों को बनाने से रोक लगाने की बात नहीं कही है बल्कि यह निर्देश दिया है कि यदि इस कार्यवाही में कहीं कोई कमी रह गयी है तो उसको विधिवत् पूरा कर दिया जाए।

मानक हमेशा सरकार तय करती है। इसी से सम्बन्धित एक बात और कहना चहता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री उस समय भी इसी विभाग के मंत्री थे जब जिलों का गठन किया गया था यदि जिलों के गठन में यदि कोई कमी रह गयी है तो उसको पूरा करने के लिए आवश्यक प्रस्ताव सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, पूरे प्रदेश के हित में आम जनता के हित में जो भी होगा न्यायालय के फैसले के बाद ही निर्णय लिया जायेगा।

श्री बी० आर० वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो समिति बनायी गयी है वह क्या इन बिन्दु पर भी विचार कर रही है कि जो नये जिले गठित हुए हैं उनको समाप्त भी किया जा सकता है या नहीं ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

इस समिति के सामने सारे बिन्दु विचारणीय हैं समिति की रिपोर्ट आने पर बाद में उन पर निर्णय लिया जायेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वेष भावना से काम कर रही है। इसलिए इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करता है।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इसके विरोध में मेरा दल भी सदन का बहिष्कार करता है ।

(श्री प्रमोद कुमार अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, जिलों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में यह सरकार विचार कर रही है । मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना है कि बहुत सी तहसीलें ऐसी गठित की गयी हैं जिनके मामले में जन आन्दोलन चल रहे हैं । मेरे यहां पर विकास नगर तहसील गठित की गयी है, जिसकी सीमा को लेकर जन आन्दोलन चल रहा है । तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब जिलों की सीमा के सम्बन्ध में विचार किया जाय तो तहसीलों की सीमा के सम्बन्ध में भी विचार करेंगे या नहीं ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, इस समिति के सामने तहसीलों को समाप्त करने का कोई विचार नहीं है जहां तक तहसीलों की सीमाओं का प्रश्न है उसको देख लिया जायेगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में मवेशी मालिकों का चालान एवं पुलिस उत्पीड़न की रोकथाम के उपाय

*1–श्री राजधारी–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अन्दर एक जिले से दूसरे जिले अर्थात् एक छोर से दूसरे छोर तक पशुओं को लाने एवं ले जाने को सरकार ने प्रतिबन्धित कर रखा है ? यदि नहीं, तो क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश की पुलिस द्वारा आये दिन गलत ढंग से मवेशी, मवेशी वाहन तथा मवेशी मालिकों का चालान किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस दुर्व्यवस्था एवं पुलिस उत्पीड़न की रोकथाम के लिये कोई कदम उठायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पशुधन मंत्री (श्री राधेश्याम गुप्त)–

गोवध निवारण अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत गोवंशीय पशुओं के परिवहन पर प्रतिबन्ध है । परन्तु अन्य पशुओं का जिले के अन्दर या बाहर ले जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राजधारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि गोवंशी पशुओं का संरक्षण और सम्वर्धन करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है गोवंशी पशुओं का संरक्षण हो इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कई कानून बनाये हैं । माननीय मंत्री जी ने जिस ऐक्ट का हवाला दिया है उसका उद्देश्य केवल इतना ही है कि निश्चित सीमा की आयु के पशुओं का वध न हो और उनके परिवहन पर प्रतिबन्ध नहीं है । मेरा कहना है कि उन्नतिशील जाति के बछड़े और बछिया जो हरियाणा से आते हैं उनको पुलिस के लोग रोक लेते हैं और अनावश्यक रूप से परेशान करते हैं, जिसके कारण उनकी कीमत दुगुनी हो जाती है । तो मेरा कहना है कि जब उन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है तो इस तरह से पुलिस उनको रोक कर क्यों परेशान करती है । क्या सरकार इस पर विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री राधेश्याम गुप्त–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955 की धारा 3 में यह प्राविधान है कि उन दशाओं को छोड़कर जिनके लिए यहां आगे व्यवस्था है कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश से किसी स्थान में गाय का अथवा सांड या बैल का, जब तक कि उसने उस क्षेत्र के सक्षम अधिकारी से जहां कि उस सांड या बैल का वध किया जाना है उसके सम्बन्ध में यह लिखित प्रमाण-पत्र की वह वध करने योग्य है, प्राप्त न कर लिया हो, न तो वध करेगा न वध करवायेगा, न उसे वध के लिए प्रस्तुत करेगा या करवायेगा, भले ही तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में कोई बात हो अथवा कोई प्रतिकूल रूढ़ि अथवा प्रथा हो। मान्यवर, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के अनुसार यदि ऐसे पशु वध के लिए ले जाये जाते हैं तो उन पर पुलिस प्रतिबन्ध लगा सकती है।

श्री राजधारी–

जो कान्फ्लिक्टिंग ऐक्ट, 1955 बना है जिसके अनुसार पशुओं के वध पर रोक लगायी गयी है। हमारी जो आपत्ति है कि जो लोग पालने के लिए पशु लाते ले जाते हैं वह पशु इस नियम के अन्तर्गत नहीं आते। लेकिन जब यह पशु एक जगह से दूसरी जगह ले जाये जाते हैं तो पुलिस द्वारा पैसा लिया जाता है। पशु पालन विभाग और सरकार इस सम्बन्ध में क्या कर रही है ?

श्री राधेश्याम गुप्त–

मान्यवर, जो गोवंश का वध हो रहा है उसको किस प्रकार से चेक किया जाये इसीलिए जो प्राविधान इस अधिनियम के अन्तर्गत किये गये हैं उसी के अन्तर्गत चेकिंग करते हैं। उसमें जो दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्यवाही करते हैं। पालने के लिए ले जाने वाले पशुओं पर ले जाने में कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पशुओं को रास्ते में ले जाने पर पुलिस उत्पीड़न कर रही है। माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि पशुवध कानून के अन्तर्गत यह किया जा रहा है। पूर्वांचल में गांव में, हरियाणा, पंजाब, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, मेरठ और हापुड़ से पशु ले जाये जाते हैं। रास्ते पर पुलिस को चेक करने का अधिकार कहां है ? काटने के लायक जो पशु हैं वह बिना डाक्टर के सर्टिफिकेट के बगैर नहीं काटे जाने चाहिए। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार पालने के लिए आने वाले पशुओं को पुलिस द्वारा चेकिंग करने के अधिकार को समाप्त करेंगे। जो ऐक्ट बना हुआ है उसके अनुसार अदेय रूप से पशुओं का कटान रोकने के लिए सर्टिफिकेट देने का काम वधशाला के चिकित्सक का है।

श्री अध्यक्ष–

आप सीधे-सीधे अनुपूरक प्रश्न पूछ लीजिये।

डा लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मेरा प्रश्न है कि हरियाणा और अन्य जगहों से जो पूर्वी उ० प्र० में अच्छे और जुझारू पशु लाये जाते हैं पुलिस रास्ते में रोक कर उत्पीड़न करती है। क्या इस ऐक्ट की आड़ लेकर होने वाले उत्पीड़न को सरकार रोकने पर विचार करेगी ?

श्री राधेश्याम गुप्त–

आप ऐसे कोई उदाहरण दे दें तो जांच करा ली जायेगी ? अधिनियम, 1960 की धारा 38 में है कि मवेशियों के परिवहन के सम्बन्ध में किन चीजों की आवश्यकता है एक तो यह है कि पशुओं की प्राथमिक चिकित्सा सुविधा प्रत्येक मवेशी समूह के साथ आवश्यक है, रेलवे वैगन में या सड़क वाहन में परिवहन हेतु प्रति मवेशी दो वर्ग मीटर से जगह कम न हो। पीने के पानी की व्यवस्था समुचित होनी चाहिए, समुचित मात्रा में चारे, दाने की व्यवस्था एवं भण्डारण की व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

इतना विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री राधेश्याम गुप्त–

अभी माननीय सदस्य ने कहा है कि पूर्वांचल में पुलिस उत्पीड़न होता है । मैंने पूर्वांचल के 29 जिलों से सूचना मंगायी है जिसके अनुसार 452 अभियोग दर्ज किये गये हैं जिनमें 1633 गायें पकड़ी गयी हैं, 6538 अन्य गोवंशीय पशु पकड़े गये हैं और 538 अन्य पशु पकड़े गये हैं । इस प्रकार से कुल 8719 पशु पकड़े गये हैं ।

श्री अध्यक्ष–

इतना विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है ।

डा०लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने खुद ही बताया है कि 1633 मामले पूर्वांचल के हैं । मा० मंत्री जी साफ-साफ क्यों नहीं बता रहे हैं कि अगर पुलिस इस ऐक्ट का फायदा उठाकर पैसा वसूलती है तो उसको रोकने के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री राधेश्याम गुप्त–

मान्यवर, यदि ऐसा कोई केस प्रकाश में आयेगा तो कार्यवाही की जायेगी ।

श्री भरत सिंह–

मा० अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानकारी चाहता हूं कि पूर्वांचल से बहुत से लोगों के पास दुधारू पशु पालकर अपनी रोजी-रोटी चलाने का एक मात्र जरिया है । पूर्वांचल के जनपद बलिया में पशु पालन एक बहुत बड़ा रोजी-रोटी का जरिया है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम जो कह रहे हैं मा० मंत्री जी सम्भवतः नहीं सुन रहे हैं मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जनपद बलिया में उत्तरी भारत का सबसे बड़ा पशु मेला भृगु मुनि के आश्रम के पास लगता है जिसमें मेरठ, पंजाब और पश्चिमी उ० प्र० से बछड़े, पाली व्यापारी लोग बेचने के लिए लाते हैं । मेरा कहना है कि लोगों को पुलिस उत्पीड़ित करती है जिसको रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है ? इसका उत्तर दिलवा दें ?

श्री राधेश्याम गुप्त–

मैंने बताया कि पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पुलिस कार्यवाही कर सकती है और उसी के अन्तर्गत पुलिस ने कार्यवाही की । उसमें कहीं अगर दुरुपयोग होता है तो उदाहरण दें, मैं उसकी जांच कराऊंगा ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, इस सवाल को स्थगित कर दें क्योंकि उत्तर में कहा गया है कि गोवध निवारण अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत गोवंशीय पशुओं के परिवहन पर प्रतिबन्ध है जिसकी आड़ लेकर जो दुधारू पशु पालने के लिए ले जाये जाते हैं उनको पुलिस प्रताड़ित करती है । इस प्रश्न को स्थगित कर दें । ताकि सरकार का इस पर स्पष्ट दृष्टिकोण आ जाय कि जो पशु जीविकोपार्जन के लिए और पालने के लिए ले जा रहे हैं उन पर प्रतिबन्ध नहीं होगा । इसका सही उत्तर आ जाय इसके लिए इस प्रश्न को स्थगित कर दें या मंत्री जी स्पष्ट कर दें जो पालने के लिए पशु ले जाये जा रहे हैं उन पर प्रतिबन्ध नहीं लगेगा ?

श्री राधेश्याम गुप्त–

मान्यवर, ऐक्ट के अन्दर प्राविधान है कि सक्षम अधिकारी का परमिट लेकर परिवहन कर सकते हैं । इसका मतलब यह तो नहीं है कि गोवध के लिए ले जा रहे हैं या पालने के लिए ले जा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ ।

नोट :- अतारांकित (ग) तारांकित प्रश्न संख्या–1 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

तारांकित प्रश्न

*1–श्री राम औतार शाक्य–

[दिनांक 25-2-99 को तारा० प्रश्न संख्या–1 द्वारा उत्तरित]

*2–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[9वें बुधवार में ता० प्र० सं०–3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में शीत गृहों को संशोधित अधिनियम के तहत भण्डारण प्रभार नियंत्रण से मुक्त रखने की व्यवस्था

*3–श्री राजधारी–

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कृपया बतायेंगे कि पूर्व सरकार द्वारा शीतगृहों में आलू भण्डारण की दर पर लगे नियंत्रण को हटाने संबंधी जारी आदेश को वापस लेने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्यान मंत्री (चौधरी लक्ष्मी नारायण)–

जी नहीं ।

भारत सरकार द्वारा शीतगृहों को नियंत्रित करने विषयक कोल्ड स्टोरेज आदेश 1980 निरस्त कर दिया गया है और राज्य सरकार से भी ऐसी ही कार्यवाही की अपेक्षा की गयी थी परन्तु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिनियम–1976 की धारा–29 में संशोधन के उपरान्त प्रदेश में अधिनियम में इस प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं पायी गयी । शीतगृहों को भण्डारण प्रभार नियंत्रण मुक्त करने के उपरान्त नये शीतगृहों की स्थापना और बन्द शीतगृहों को पुनः संचालन में जो गति आयी है उस पर अंकुश लग सकता है ।

जनपद भदोही, ज्ञानपुर के ग्रामों में खड़न्जा निर्माण

*4–श्री गोरखनाथ पाण्डेय

क्या पंचायती राज मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद भदोही के विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर में 1997 से 1998 में अब तक किन-किन ग्रामों में खड़न्जे के निर्माण हेतु कितना धन डी०पी०आर० ओ० द्वारा अवमुक्त किया गया ? क्या दीघ एवं ज्ञानपुर में किये गये निर्माण कार्यों में की गयी धांधली की जांच किसी सक्षम अधिकारी से करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री धर्मपाल सिंह)–

ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र के कुल 10 अम्बेडकर ग्रामों बैरीपुरवा, लोहराखास, रघुरामपुर, दशरथपुर, शिवरामपुर, सिंहपुर, बिछिया, बंजारी, डभका एवं जाठी में वित्तीय वर्ष 1997-98 में रु० 90,000/–प्रति ग्राम की दर से कुल रु० 9,00,000/–अवमुक्त किया गया है ।

दीघ एवं ज्ञानपुर में कराये गये निर्माण कार्यों का भौतिक/गुणवत्ता का सत्यापन कराया जा चुका है । कोई अनियमितता नहीं पायी गयी । अतः पुनः जांच कराने का औचित्य नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पूर्वांचल में बाढ़ पीड़ित किसानों को निःशुल्क बीज वितरण योजना

*5–श्री समरपाल सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वांचल में बाढ़ से पीड़ित किसानों को मुफ्त बीज बांटने की प्रदेश सरकार ने कोई योजना चलाई है ? यदि हां, तो कितना बीज बांटा गया और कितने किसान लाभान्वित हुए ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के ऐसे लघु एवं सीमान्त कृषकों, जिनकी खरीफ फसल की 50 प्रतिशत से अधिक की क्षति हुई थी को एक कुन्तल प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम एक कुन्तल गेहूं का बीज निःशुल्क वितरित किया गया ।

पूर्वांचल के 16 जनपदों में कुल 2,08,074 कुन्तल गेहूं बीज बांटा गया और 5,76,863 किसान लाभान्वित हुए ।

*6–श्री यशपाल सिंह चौहान

13रे शुक्रवार में तारां० प्र० सं०–16 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

जनपद बलिया के वेटनरी फार्मासिस्टों के रुके वेतन का भुगतान

*7–श्री अम्बिका चौधरी

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद में कौन-कौन ऐसे वेटनरी फार्मासिस्ट हैं जिनका वेतन माह फरवरी, 1998 एवं जून, 1998 का रुका हुआ है ? क्या सम्बन्धित वेटनरी फार्मासिस्टों को उनका रुका हुआ वेतन दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राधेश्याम गुप्त–

श्री राम जन्म यादव ।

जी हां । वेतन भुगतान के संबंध में कार्यवाही हेतु मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, बलिया को निर्देश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मद्रास में वर्ष 1996 में आयोजित अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता के पदकधारकों को पुरस्कार धनराशि दिलवाने की मांग

*8–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया

क्या खेलकूद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, 1996 में मद्रास में आयोजित अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को शासन द्वारा दी जाने वाली पुरस्कार धनराशि अभी तक खिलाड़ियों को नहीं दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए खिलाड़ियों को पुरस्कार धनराशि दिलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खेलकूद, युवा कल्याण, प्रान्तीय विकास दल मंत्री (श्री श्याम सुन्दर शर्मा)–

जी हां ।

जी नहीं, क्योंकि मार्च, 1996 में मद्रास में आयोजित अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को शासन द्वारा दी जाने वाली पुरस्कार की धनराशि हेतु टीम मैनेजर ने प्रमाण स्वरूप टीम की वापसी पर पदक प्राप्त खिलाड़ियों की कोई सूची उपलब्ध नहीं

करायी है । जिसकी व्यवस्था शासनादेश संख्या–3642/42-95/9/एस०पी०/8/94, दिनांक 29-2-96 के प्रस्तर–4 में की गयी है। जिसके कारण खिलाड़ियों को शासन स्तर से पुरस्कृत नहीं किया जा सका है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी के सुमली नदी, सरसवां घाट पर अर्धनिर्मित पुल को पूर्ण कराने की मांग

*9–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के सुमली नदी के सरसवां घाट पर राज्य सेतु निगम द्वारा अर्धनिर्मित पुल हेतु वर्ष 1995-96 में मण्डी परिषद्, उत्तर प्रदेश से रुपये 45 लाख स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो क्या अब तक उक्त पुल पूर्ण कराने के संबंध में कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद आजमगढ़ के चिन्हित टैक्सी स्टैण्डों पर वाहन शुल्क की वसूली

*10–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में छोटी-छोटी बाजारों में कुल कितने स्थानों पर टैक्सी स्टैण्ड की तहबाजारी का ठेका स्वीकृत है ? क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद आजमगढ़ में टैक्सी स्टैन्ड के ठेकेदार चिन्हित स्थानों पर शुल्क न लेकर बाजार के अन्दर आने और जाने वाले दोनों रास्तों पर गैर कानूनी तरीके से सभी वाहनों से जबरदस्ती शुल्क वसूलते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार टैक्सी स्टैण्ड की तहबाजारी के नाम पर जनपद आजमगढ़ के अन्दर अवैध वसूली को रोकते हुए केवल चिन्हित टैक्सी स्टैण्ड पर रुकने वाले वाहनों से ही शुल्क लेना सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जनपद आजमगढ़ में कुल 12 स्थानों पर टैक्सी स्टैण्ड की तहबाजारी का ठेका दिया गया है, जो निम्न स्थानों यथा–बूढ़नपुर, जिवली, देवगांव, विलारमऊ, जहानागंज, चांदपट्टी, लाठघाट, सठियांव, पुलसराय, अजमतगढ़, रासेपुर तथा अमिलों पर स्वीकृत है ।

जी नहीं ।

चिन्हित स्थानों पर ही वाहन शुल्क की वसूली की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद उन्नाव, तहसील बीघापुर हेतु स्टाफ एवं जीपों की व्यवस्था की जानकारी

1–श्री कृपा शंकर सिंह–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि उन्नाव जनपद में पांचवीं तहसील बीघापुर का सृजन अक्टूबर, 1995 में किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त तहसील में स्टाफ एवं जीपों की स्वीकृति राजस्व विभाग द्वारा कर दी गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां।

पद एवं स्टाफ के सृजन की कार्यवाही विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

2–श्री रमेश राही

[4थे शुक्रवार में अता० प्र०सं०–183 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मथुरा के गोवर्धन कृषि निवेश बिक्री केन्द्र के भ्रष्टाचार/घोटाला संबंधी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

3–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि निवेश बिक्री केन्द्र गोवर्धन, मथुरा के भ्रष्टाचार तथा घोटाले के संबंध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी०एम/वि०को०/एम–1–15510/मथुरा/98, दिनांक 27-8-98, मुख्य सचिव, कृषि को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां।

प्रकरण की जांच उप कृषि निदेशक (प्रसार) आगरा से करायी गयी। जांच में दोषी पाये गये कार्मिकों को निलम्बित कर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

उन्नाव के भूमि संरक्षण अधिकारी, (गोमती) द्वारा परियोजना अटवा गंजमुरादाबाद के कार्य प्रगति की रिपोर्ट

4–श्री उदय राज यादव–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या भूमि संरक्षण अधिकारी, (गोमती) उन्नाव ने अपने पत्र सं०–750 दिनांक 25-8-98 द्वारा परियोजना अटवा, गंजमुरादाबाद, उन्नाव में कार्य शून्य दर्शाया था ? क्या यह इकाई दिनांक 31-8-98 की रात्रि में शाहजहांपुर शिफ्ट हो गयी थी ? क्या दिनांक 31-8-98 को ही उक्त इकाई द्वारा दो चेक निर्गत कर उसका भुगतान दिनांक 28-9-98 को प्राप्त किया गया। क्या सिर्फ 4 दिन में लगभग 4.00 लाख रुपये का मेडबन्दी आदि का कार्य हुआ है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी सम्बन्धित श्रमिकों के बाउचरों की जांच करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं। भूमि संरक्षण अधिकारी (गोमती) उन्नाव द्वारा अपने पत्रांक–750 दिनांक 25-8-98 द्वारा जो श्री कृपाल सिंह, सहायक भूमि संरक्षण निरीक्षक को सम्बोधित है, परियोजना अटवा गंजमुरादाबाद में श्री कृपाल सिंह, स०भू०सं०नि० की प्रगति को शून्य दर्शाया है न कि परियोजना अटवा गंजमुरादाबाद की सम्पूर्ण प्रगति को।

जी हां।

जी नहीं। 31-8-98 को दो नहीं चार चेक निर्गत किये गये थे जिनका भुगतान विभिन्न तिथियों में प्राप्त किया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर नगर पंचायत ओयल में उप मण्डी समिति की स्थापना की मांग

5–डा० कौशल किशोर–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषकों व व्यापारियों के हितों के लिये नगर पंचायत ओयल, जनपद लखीमपुर में सरकार एक उप मण्डी समिति की स्थापना करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं ।

सम्बन्धित मण्डी समिति लखीमपुर से उक्त आशय का कोई प्रस्ताव शासन को प्राप्त नहीं है ।

प्रदेश में विगत वर्ष अतिवृष्टि, बाढ़ एवं ओला से प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण कराकर कृषकों को राहत प्रदान करने की जानकारी

6–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या पिछले वर्ष हुए अतिवृष्टि, बाढ़ एवं ओला प्रभावित सभी क्षेत्रों का कोई सर्वेक्षण सरकार द्वारा कराया गया है और प्रभावित कृषकों को कोई राहत प्रदान की गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

पिछले वर्ष (1997-98) में ओलावृष्टि से प्रभावित जनपदों को लगभग रु० 1709.62 लाख की राहत प्रदान की गई है । ओलावृष्टि/चक्रवात/वर्षा से प्रभावित किसानों के कृषि देयों की वसूली आगामी रबी की फसल तक के लिए स्थगित की गई ।

जनपद लखीमपुर, नगर पंचायत ओयल के बर्तन उद्योग को बढ़ावा देने हेतु रोजगार छतरी योजना

7–डा० कौशल किशोर–

क्या लघु उद्योग मंत्री को जानकारी है कि नगर पंचायत ओयल, जनपद लखीमपुर खीरी में बरतन उद्योग चल रहा है ? क्या पूंजी के अभाव, तकनीकी ज्ञान या किसी अन्य कारण से यह उद्योग मृत प्राय होता जा रहा है ? क्या इस उद्योग को चलाने वाली कसेरा जाति भुखमरी के कगार पर है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस कस्बे के बरतन उद्योग को बढ़ावा देने के लिये कोई योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री (श्री बाबूराम एम०काम०)–

(क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । इस उद्योग के विकास हेतु ओयल के चार कारीगरों को मुरादाबाद में प्रशिक्षित कर आधुनिक तकनीक की जानकारी दी गयी तथा प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत 5 शिक्षित बेरोजगार कारीगरों को रु०2.95 लाख की आर्थिक सहायता बैंक से उपलब्ध कराई गयी है । तकनीकी ज्ञान में वृद्धि करने तथा पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के प्रयास निरन्तर किये जा रहे हैं ।

(ग) जनपद के ओयल कस्बे में लगभग 15 परिवार पीतल के बर्तन उद्योग में लगे हैं । इन कारीगरों का सर्वेक्षण कराया गया । यह भुखमरी के कगार पर नहीं है । शासन द्वारा संचालित रोजगार छतरी

योजना के अन्तर्गत इन कारीगरों को किसी न किसी रोजगार योजना में लाभान्वित करने की कार्यवाही की जा रही है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रदेश में अतिवृष्टि से पीड़ित कृषकों को प्रति एकड़ के हिसाब से सहायता का प्राविधान

8–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश बाढ़ से प्रभावित (जल-प्लावित) तथा अतिवृष्टि से जिन कृषकों की खरीफ की फसल नष्ट हो गयी है उन्हें एक हजार रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से सहायता प्रदान की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार दैवी आपदा राहत निधि से बाढ़/अतिवृष्टि से फसलों के क्षतिग्रस्त होने पर प्रभावित कृषकों को राहत सहायता दिया जाना अनुमन्य नहीं है । ओलावृष्टि से फसलों को 50% से अधिक क्षति होने पर कृषकों को रु० 500/–प्रति एकड़ की दर से अधिकतम रु० 2500/–प्रति कृषक तक अहेतुक सहायता दिये जाने का प्राविधान है । उक्त दरों को दुगुना करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है ।

जनपद–मथुरा गोवर्धन में बाढ़ जल प्लावन समस्या समाधान हेतु प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

9–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र गोवर्धन में बाढ़ एवं जल प्लावन की समस्या, जल निकासी हेतु नालों की सफाई कराये जाने एवं राहत सामग्री उपलब्ध कराये जाने विषयक विधायक प्रकोष्ठ का पत्रांक सी०एम०/वि०को०/एम–3/17037/मथुरा/98, दिनांक 12-10-98 मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

विधान सभा क्षेत्र गोवर्धन में माह जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर, 98 में अति[illegible] होने के कारण जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अधिकांश क्षेत्रों से भरे हुये पानी को रबी की फसल की बुआई से पूर्व ही सिंचाई विभाग का तकनीकी सहयोग लेकर पम्पों द्वारा निकाल दिया गया, जहां वर्तमान में रबी की फसल भी बोई जा चुकी है । अतिवृष्टि से प्रभावित पात्र परिवारों को नियमानुसार अहेतुक, गृह अनुदान एवं अनुग्रह अनुदान सहायता वितरित की जा चुकी है ।

जनपद हरदोई, मल्लावां के ग्रामों एवं ग्राम पंचायतों में बाढ़ पीड़ित परिवारों को राहत राशि वितरण की जानकारी

10–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91—मल्लावां निर्वाचन [illegible] अन्तर्गत ग्राम पंचायत कटरी बिछहिया व इसके मजरे चिरंजू पुरवा बंगला कटरी, सड़वा पागर ग्राम पंचायत कटरी छिबरामऊ व उसके मजरे छिबरामऊ, पुरानी बस्ती, नई बस्ती, सोनारी पुरवा, मोहनपुरवा, चौधीपुरवा, चिरंग पुरवा, तिलोक पुरवा, दनई पुरवा, ग्राम पंचायत सांपखेड़ा, ग्राम–कटरी अरसेनामऊ व उसके मजरे, भिक्का पुरवा मल्हन पुरवा, पटारेनपुरवा, ग्राम–नौरंगपुर व उसके मजरे [illegible]पुर तथा गुलाबपुरवा के बाढ़ पीड़ित पात्र व्यक्तियों को बाढ़ के समय तात्कालिक सहायता के रू[illegible] में पात्र एक सौ

रुपया ही प्रदान किये गये थे? क्या सामग्री के लिये पांच सौ रुपया तथा नगद एक हजार रुपये दिये जाने का प्राविधान किया गया था ? यदि हां, तो शेष धनराशि कब तक वितरित की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जनपद हरदोई के 91–मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कटरी बिछुइया व इसके मजरे चिरन्जूपुरवा, बंगला कटरी, सड़वापागर, ग्राम पंचायत क० छिबरामऊ व उसके मजरे छिबरामऊ, पुरानी बस्ती, नई बस्ती, सोनारी पुरवा, सोहन पुरवा, चौधीपुरवा, चिरगू पुरवा, तिलोक पुरवा, दनई पुरवा, ग्राम पंचायत सांपखेड़ा, ग्राम कटरी जरसेना मऊ व उसके मजरे-भिक्खा पुरवा, मल्हन पुरवा, पटारेनपुरवा, ग्राम मोरनपुरवा व उसके मजरे जगदीशपुर तथा गुलाबपुरवा के चिन्हांकित पात्र व्यक्तियों को तत्कालीन आवश्यकतानुसार खाद्यान्न आदि अहैतुक सहायता वितरित की गयी ।

शासनादेश सं०–2152/1-11-98–राजस्व–11 लखनऊ दिनांक 31-8-98 के अनुसार मानकों के अनुरूप जहां दैवी आपदा एक माह से अधिक हो द्वितीय किश्त के रूप में 1000/–रु० नकद व 500/–रु० वस्तुओं के रूप में देने का प्राविधान है । परन्तु आपदा एक माह से कम रहने के कारण प्रस्तर–1 में वर्णित सहायता दी गयी । अब किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है ।

जनपद मुजफ्फरनगर, ग्राम मारकपुर में प्राइमरी विद्यालय की भूमि से अवैध कब्जा हटाने की जानकारी

11–श्री रणधीर सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खसरा नम्बर, 55. 56. 57 रकबा लगभग पांच बीघा ग्राम मारकपुर परगना शेरपुर खादर जिला मुजफ्फरनगर में यह भूमि खाद के गड्ढे खेल का मैदान प्राइमरी विद्यालय के नाम कागजात में दर्ज है ? क्या उक्त भूमि पर शीशा सिंह पुत्र जरनैल सिंह निवासी मारकपुर ने कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो उपरोक्त अवैध कब्जा कब तक हटाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

खसरा सं०–55 श्री महेन्द्र सिंह, सरदार सिंह, बलवीर सिंह, जसवन्त सिंह पुत्रगण श्री दरयाव सिंह व निरंजन सिंह पुत्र हकम सिंह निवासी भदौला के नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है । खसरा सं०–56 में रास्ता अंकित है तथा खसरा सं०–57 में स्कूल अंकित है ।

केवल खसरा सं०–57 पर शीशा सिंह पुत्र श्री जरनैल सिंह ने अनधिकार कब्जा कर लिया था ।

अवैध कब्जा हटा दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद चम्पावत विकास खण्ड मुख्यालय में तहसील खोले जाने के प्रस्ताव की जानकारी

12–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नवसृजित जिला चम्पावत के विकास खण्ड मुख्यालय में तहसील खोले जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसे कब तक खोल दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

विकास खण्ड चम्पावत में पूर्व से ही तहसील चम्पावत का मुख्यालय है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

13–श्री अखिलेश सिंह

[4थे मंगलवार में अता० प्र०सं०–177 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद प्रतापगढ़, ब्लाक गौरा, ग्राम तबकलपुर में मेडिकल कालेज को ग्राम पंचायत द्वारा दी जा रही भूमि के बाजार दर से मूल्य के भुगतान के विवरण की जानकारी

14–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक गौरा के ग्राम तबकलपुर में किसी निजी मेडिकल कालेज को ग्राम पंचायत की भूमि दी जा रही है ? यदि हां, तो भूमि का विवरण बाजार मूल्य, भूमि प्रबन्धक समिति तबकलपुर का विधिक प्रस्ताव, भूखण्डों का विवरण सक्षम अधिकारी की स्वीकृति का विवरण उसका बाजार दर से मूल्य एवं उसके भुगतान का विवरण क्या है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद फैजाबाद तहसील व परगना रुदौली, ग्राम बरावां में अनियमित भूमि आवंटन का प्रकरण

15–श्री शरदवीर सिंह

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1995 के पहले गुरुवार हेतु नियम–38(2) के अन्तर्गत निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–8 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनियमित पाये गये भूमि आवंटनों में से किन-किन व्यक्तियों के भूमि आवंटन निरस्त किये गये हैं ? उपरोक्त अनियमित भूमि आवंटन के लिये कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है ? उनके विरुद्ध अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बीरेन्द्र सिंह सिरोही–

ग्राम बरावां परगना व तहसील रुदौली में दिनांक 19-2-98 को किए गये सभी 33 आवंटन निरस्त कर दिये गये हैं। (सूची संलग्न है।)

दोषपूर्ण आवंटन की कार्यवाही में लिप्त लेखपाल/नायब तहसीलदार 10 वर्ष पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं और तत्कालीन तहसीलदार की मृत्यु हो चुकी है जिस कारण किसी कार्यवाही की वर्तमान में कोई आवश्यकता नहीं है।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 170–171 पर।)

जनपद फैजाबाद तहसील व परगना रुदौली, ग्राम बरावां में आरक्षित भूमि आवंटन का निरस्तीकरण

16–श्री शरदवीर सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1995 के पहले गुरुवार के लिये नियम–38(2) के अन्तर्गत पुनः निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–8 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि श्री अकबर अली पुत्र श्री करम रसूल व श्री रविन्द्र देव पुत्र श्री राम अछैवर निवासी ग्राम बरावां, परगना व तहसील रुदौली, जनपद फैजाबाद को कृषि कार्य हेतु आवंटित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आरक्षित भूमि (तालाब व चकरोड) है ? यदि हां, तो क्या नियमानुसार उक्त आरक्षित भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता है ? यदि हां, तो क्या उक्त आवंटन निरस्त किये जाने हेतु कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

श्री अकबर अली पुत्र करन रसूल को आवंटित की गयी भूमि तालाब व चकरोड की श्रेणी में नहीं है । केवल श्री रवीन्द्र देव पुत्र राम अछैवर को आवंटित भूमि में गाटा सं०–243 रकबा–1-0-8 तालाब है । सुरक्षित भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता है ।

जी हां ।

आवंटन की सम्पूर्ण कार्यवाही दोषपूर्ण पाये जाने के कारण माननीय अपर आयुक्त, फैजाबाद मण्डल के आदेश दिनांक 7-4-98 द्वारा निरस्त की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद तहसील–रुदौली ग्राम सभा बरावां में चकबन्दी पूर्व के भू-अभिलेखों में अंकित कथित गाटा संख्या को बंजर अंकित करने में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

17–श्री शरदवीर सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी विभाग को चकबन्दी से पूर्व के भू-अभिलेखों में अंकित/आरक्षित तालाब तथा पशुचर भूमि को बंजर के रूप में अंकित (परिवर्तित) करने का अधिकार है ? यदि नहीं, तो ग्राम सभा बरावां परगना व तहसील रुदौली जनपद फैजाबाद में चकबन्दी से पूर्व के भू-अभिलेखों में अंकित गाटा संख्या 70 तालाब तथा गाटा संख्या–279 एवं 324 पशुचर को खतौनी में बंजर अंकित करने के लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है ? क्या सरकार उक्त गाटा संख्याओं को खतौनी एवं अन्य भू-अभिलेखों में पूर्ववत् तालाब व पशुचर अंकित कराने का कष्ट करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

प्रश्नगत गाटा संख्या–70,279 व 324 ग्राम बरावां परगना व तहसील रुदौली जनपद फैजाबाद का परीक्षण कराया जा रहा है । परीक्षणोपरान्त दोषी होने अथवा न होने के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी है ।

परीक्षणोपरान्त अनियमितता पाये जाने की स्थिति में नियमानुसार न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी । प्रश्नगत ग्राम की धारा–52 का प्रकाशन हेतु दिनांक 23-3-91 को अधिसूचना जारी की जा चुकी है ।

जनपद चित्रकूट, कृषि मण्डी समिति कर्वी के गांवों में हैण्डपम्प लगाने हेतु प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

18–श्री आर० के० सिंह पटेल तथा श्री दद्दू प्रसाद–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि मण्डी समिति कर्वी, जनपद चित्रकूट को क्रमशः दिनांक 7-4-97, 9-6-97 एवं 3-7-97 को 2.90 लाख रुपये, 5.22 लाख रुपये व 4.80 लाख रुपये विभिन्न ग्रामों में पेयजल समस्या का निराकरण हेतु हैण्ड पम्प लगाने हेतु स्वीकृत किये गये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त हैण्ड पम्प लगा दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो कब तक लगा दिये जायेंगे ? क्या उक्त हैण्ड पम्प लगाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 17-10-98 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

मण्डी समितियों के परिसर के बाहर मण्डी परिषद् द्वारा हैण्ड पम्प लगाये जाने के संबंध में शासन द्वारा लगायी गयी रोक के कारण अब हैण्डपम्प लगाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

प्रश्नकर्ता के उक्त पत्र के परिप्रेक्ष्य में शासन के पत्र सं०–एम०–187/–12-5-98 दिनांक 8 दिसम्बर, 1998 द्वारा निदेशक, मण्डी परिषद् को प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने तथा अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया ।

जनपद हरदोई, ब्लाक मऊ के ग्रामों के तालाबों में मछलियों में लगी बीमारी के रोकथाम हेतु उपाय

19–श्री श्याम प्रकाश–

क्या मत्स्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के विभिन्न झीलों ग्राम भड़ायल जंसरी, ब्लाक मऊ आदि तालाबों में गत कई वर्षों से मछलियां अनेकों घातक बीमारियों से भारी मात्रा में मर रही हैं ? क्या इसके कारण सौल, पढ़िन आदि मछलियों की प्रमुख प्रजातियां लगभग नष्ट हो रही हैं ? यदि हां, तो क्या इन रोगों की रोकथाम के लिये सरकार द्वारा कोई उपाय किये जायेंगे ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राधेश्याम गुप्त–

जी हां । मऊ नामक ब्लाक जनपद हरदोई में नहीं है। टड़ियावां ब्लाक स्थित ग्राम भड़ायल एवं जंसरी के एक झील एवं 6 तालाबों में भूर, सौल तथा पढ़िन प्रजाति की मछलियां ईपीजूटिक अल्सरेटिव सिन्ड्रोम नामक बीमारी से नष्ट हो रही है ।

जी हां ।

रोग के लक्षण एवं उपचार सम्बन्धी कार्यवाही करा दी गयी है तथा उक्त की जानकारी भी गांव सभा स्तर तक दी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में दुग्ध विकास की नई योजना

20–प्रो० रवीन्द्र पुण्डीर–

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दुग्ध विकास की कौन-कौन सी नई योजनायें चालू की जा रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बाढ़ नियंत्रण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री जयपाल सिंह)–

प्रदेश में वर्ष 1999-2000 में दुग्ध विकास की निम्नांकित नई योजनायें चालू की जा रही है :–

राज्य सेक्टर–

(1) मार्केट इन्टरवेंशन आपरेशन ।

(2) दुग्ध सहकारिताओं का संस्थागत सुदृढ़ीकरण ।

(3) बल्क वेल्डिंग मार्केटिंग ।

(4) हाईटेक एनीमल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट ।

जिला सेक्टर–

(1) दुग्ध उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम ।

(2) दुग्ध संघों /संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण, विस्तार, प्रशिक्षण एवं प्रसार कार्यक्रम ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई, मल्लावां के गांवों/मजरे में बाढ़ पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता की अवशेष धनराशि के भुगतान की मांग

21–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम मगरहा व इसके मजरे मल्हानपुरवा तथा बखरियां ग्राम राधौपुर नेवादा व उसके मजरे–मिर्जापुर, अन्टिया, गौसापुर, सरदारनगर, भगतपुरवा, करवा तथा मढ़िया, ग्राम बावतपुर व उसके मजरे जरेरा, मढ़िया, धनीगंज मुचुवापुर, भुइडनपुरवा, लक्ष्मनपुरवा, भुप्पा पुरवा, बेसनपुरवा, लसगेरोरपुर, साधौपुरवा, खाले पुरवा, रामपुर तकिया तौकलाबाद भूडगइया तथा मुचआयत, ग्राम जाफरपुर व उसके मजरे–मढ़िया तथा कटरी, जफरपुर, ग्राम पंचायत कटरी परसोला व उसके मजरे रामेश्वरपुरवा, उम्मेदपुरवा, मथुरीपुरवा, निहाल पुरवा, मक्कूपुरवा तथा महनन्दी पुरवा के बाढ़ पीड़ित पात्र व्यक्तियों को बाढ के समय तात्कालिक सहायता के रूप में मात्र एक सौ रुपया ही प्रदान किया गया था ? क्या इस हेतु पांच सौ रुपया तथा नगद एक हजार रुपया प्रदान किया जाना प्रस्तावित था ? यदि हां, तो क्या सरकार शेष एक हजार चार सौ रुपये का भुगतान उक्त ग्रामवासियों को करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जनपद हरदोई के 91–मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम मगरहा व इसके मजरे मल्हनपुरवा तथा बखरिया ग्राम राधौपुर नेवादा व उसके मजरे मिर्जापुर अंटिया, गोसावर, सरदार नगर, भगतपुरवा, कस्बा तथा मढ़िया ग्राम बावटमऊ व उसके मजरे जरेरा, मढ़िया, धनीगंज, मुचुवापुर, भुइडनपुरवा, लछिमनपुरवा, भुप्पापुरवा, बेसनपुरवा लसगेरोरपुर, साधौपुरवा, खालेपुरवा, रामपुर, तकिया, तौकलाबाद, भुइगइवा तथा ग्राम जाफरपुर व उसके मजरे मढ़िया तथा क० जफरपुर ग्राम पंचायत कटरी परसोला व उसके मजरे रामेश्वरपुरवा, उमेदपुरवा, निहालपुरवा, मक्कूपुरवा, महनन्दीपुरवा के बाढ़पीड़ित तत्समय के चिन्हांकित पात्र व्यक्तियों को तात्कालिक आवश्यकता अनुसार खाद्यान्न आदि सामग्री वितरित की गयी ।

शासनादेश सं०–2152/1-11-98–राजस्व–11 दिनांक 31-8-98 के अनुसार मानकों के अनुरूप जहां दैवी आपदा एक माह से अधिक हो रही हो, द्वितीय किश्त के रूप में 1000/–रु० नकद व 500/–रु० वस्तुओं के रूप में देने का प्राविधान है । उक्त ग्रामों मजरों में बाढ़ का प्रभाव एक माह से कम रहने के कारण प्रस्तर–1 में वर्णित सहायता दी गयी ।

अब किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है ।

कृषि उत्पादन मण्डी समिति कासगंज परगना बिलराम की कतिपय धाराओं के प्रकाशन में हुई त्रुटि को ठीक कराने की मांग

22–श्री नेतराम सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि एटा जिले की कृषि उत्पादन मंडी समिति कासगंज, परगना बिलराम की धारा 4(1)/17 एवं धारा 6(1)/17 के प्रकाशन में त्रुटिवश परगना बिलराम के स्थान पर

बिलग्राम तथा भूमि के रकबा भूमि के योग में 20.001 हेक्टेयर के स्थान पर 20.031 हेक्टेयर अंकित हो गया था ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त भूमि का रकबा एवं नाम को शुद्ध करायेंगे तथा त्रुटि करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

गजट व विज्ञप्तियों के शुद्ध प्रकाशन हेतु जिलाधिकारी, एटा द्वारा कृषि अनुभाग–5 से अनुरोध किया जा चुका है तथा जांच करायी जा रही है ।

जनपद बलिया की तहसीलों में बाढ़ से राहत हेतु भेजी गयी धनराशि का वितरण

23–श्री हरदेव सिंह–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि बाढ़ राहत के लिये गत बाढ़ के समय बलिया जनपद की तहसील बिल्थरा रोड सिकन्दरपुर, बांसडीह और बैरिया के लिये कुल कितनी-कितनी धनराशि भेजी गयी है? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि वितरण में भ्रष्टाचार एवं धांधली के कारण सूची में अंकित बाढ़ पीड़ितों को धनराशि नहीं मिल सकी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन तहसीलों की वितरण व्यवस्था की जांच व लाभार्थियों की प्राप्ति का सत्यापन करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

गत बाढ़ राहत कार्यों हेतु जनपद बलिया की तहसील बिल्थरा रोड को रु० 79,40,000/– सिकन्दरपुर को रु० 90,59,525/–बांसडीह को रु० 45,40,234/–तथा बैरिया को रु० 61,48,036/–की धनराशि भेजी गई है ।

जी नहीं ।

वितरण व्यवस्था में धांधली या भ्रष्टाचार का कोई विशिष्ट प्रकरण शासन के संज्ञान में नहीं है ।

जनपद शाहजहांपुर तहसील तिलहर के किसानों के तीन एकड़ भूमि पर लगान सम्बन्धी शिकायत का जांचोपरान्त असत्य पाया जाना

24–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 18-8-98 या इसके आसपास जो तहसील तिलहर, जिला शाहजहांपुर के प्रशासन द्वारा किसानों को तीन एकड़ की भूमि पर लगान लगाये जाने के संबंध में है, उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि जिला अधिकारी, शाहजहांपुर को जांच के लिये आदेशित किया गया था ? यदि हां, तो क्या जिला अधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा जांच की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जी हां ।

शिकायत के सम्बन्ध में जांच तहसीलदार तिलहर द्वारा करायी गयी । 31/8 एकड़ से कम भूमि के भूमि-धारकों पर लगान नहीं लिया जा रहा है । नदी से कटी हुई भूमि पर लगान वसूल करने की बात निराधार पायी गयी । पत्र में कोई विशेष तथ्य संदर्भित नहीं किया गया । बाढ़ के समय परिउना नाले पर नाव की व्यवस्था की गयी ।

शिकायत की जांच की गयी जो निराधार पायी गयी ।

जनपद शाहजहांपुर, तहसील तिलहर मण्डी परिषद् के प्रस्ताव में स्वीकृत नल लगवाये जाने हेतु प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

25–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 3-7-98 को या इसके आसपास जो मण्डी परिषद्, तिलहर, जिला शाहजहांपुर के प्रस्ताव सं०–28. दिनांक 24-2-96 में स्वीकृत नल लगवाये जाने के संबंध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मण्डी समिति तिलहर जिला–शाहजहांपुर के प्रस्ताव संख्या–28 दिनांक 24-2-96 में स्वीकृत नल लगवाये जाने से संबंधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 3-7-98 प्राप्त नहीं हुआ है अपितु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 21-6-98, जो खराब नलों की जांच के संबंध में था, प्राप्त हुआ है ।

पत्र दिनांक 21-6-98 के क्रम में प्रकरण संभागीय उप निदेशक (प्रशासन) को जांच हेतु संदर्भित किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई, तहसील सण्डीला में अवैध रूप से शराब की दुकानें खोले जाने का प्रकरण

26–श्री रामपाल वर्मा–

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई की तहसील सण्डीला के अन्तर्गत ग्राम कोयावां व कल्यानमल तथा मल्हेरा में देशी शराब की दुकानों हेतु लाइसेंस निर्गत किये गये हैं ? यदि नहीं, तो अवैध रूप से शराब की दुकान खोलने वाले के खिलाफ सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आबकारी मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

जनपद हरदोई की तहसील सण्डीला के अन्तर्गत ग्राम कोकावां, कल्यानपुर तथा मल्हेरा में देशी शराब की दुकानों हेतु लाइसेन्स निर्गत नहीं किये गये हैं ।

उपलब्ध सूचना के अनुसार इन ग्रामों में शराब की कोई अवैध दुकान नहीं चल रही है ।

जनपद मथुरा, वृन्दावन शोध संस्थान के सभापति द्वारा प्राचीन पाण्डुलिपियों की माइक्रो फिल्में विदेशों को भेजने की जानकारी

27–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या संस्कृति मंत्री को जानकारी है कि मथुरा जनपद वृन्दावन स्थित वृन्दावन शोध संस्थान के संस्थापक सभापति द्वारा राष्ट्र की धरोहर एवं पुरातात्विक महत्व की प्राचीन पाण्डुलिपियों की माइक्रो फिल्में विदेशों को भेज दी गयी हैं ? यदि हां, तो इस संबंध में उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संस्कृति एवं पूर्त धर्मस्व मंत्री (श्री फागू चौहान)–

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद हरदोई, अहिरोरी में 50 हैण्ड पम्प स्थापित न करने की जानकारी

28–श्री श्याम प्रकाश–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 8-5-97 को मा० मुख्य मंत्री द्वारा वि० सभा क्षेत्र अहिरोरी, हरदोई में 50 हैण्ड पम्प स्थापित करने के आदेश के तहत लगभग 7 लाख 25 हजार रुपया निर्माण खण्ड को रिलीज करने तथा कार्यालय कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हरदोई के पत्र संख्या–हैण्डपम्प 5082/96-97, दिनांक 16-6-97 को चयनित स्थानों की सूची उपलब्ध कराने के बाद क्षेत्र में कितने हैण्ड पम्प स्थापित किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त हैण्ड पम्प कब तक स्थापित किये जायेंगे ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

धन उपलब्ध के सापेक्ष अधिक उत्तरदायित्व सृजित हो जाने के कारण ऐसे अनारम्भ कार्य जिन पर कोई धन व्यय नहीं किया गया था, उनकी स्वीकृति धनाभाव के कारण निरस्त कर दी गयी थी । फलतः 50 नग हैण्ड पम्प की स्वीकृति निरस्त कर दी गयी । जिसके कारण हैण्ड पम्प की स्थापना नहीं की गयी है ।

धनाभाव के परिप्रेक्ष्य में स्वीकृति निरस्त होने के कारण ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निदेशक, मण्डी परिषद् के आदेशानुसार रिक्त पदों पर अवर अभियन्ताओं की नियुक्ति संबंधी पत्रावली गायब करने में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

29–श्री समरपाल सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मण्डी परिषद् में दिनांक 26-9-94 एवं 24-12-94 को निदेशक, मण्डी परिषद् के आदेशानुसार रिक्त पदों के विरुद्ध कुछ अवर अभियन्ताओं की नियुक्ति चयन समिति के माध्यम से हुई थी ? क्या उक्त 9 अवर अभियन्ता नियमित वेतनमान में रु० 1400–2300 पर कार्यरत हैं ? क्या उक्त अवर अभियन्ता की सेवा समाप्ति हेतु मण्डी परिषद् की 83वीं बैठक में नियमित वेतनमान को नियत वेतन दिखाकर गलत तथ्य प्रस्तुत किये गये थे ? क्या उक्त अभियन्ताओं की नियुक्ति संबंधी मूल पत्रावली तलाशने हेतु अप्रैल, 1996 में निदेशक, मण्डी परिषद् एवं 21-8-98 को उप निदेशक (प्रशासन) द्वारा तलाशने एवं न मिलने पर एफ० आई०आर० दर्ज कराने के आदेश निर्गत किये गये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त पत्रावली गायब करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई एफ०आई० आर० दर्ज कराई गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

नियुक्ति सम्बन्धी मूल पत्रावली खो जाने के कारण प्रश्नगत अवर अभियन्ताओं की नियुक्ति चयन समिति के आधार पर होने की पुष्टि किया जाना संभव नहीं है ।

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं । गोमतीनगर थाने में पत्रावली की गुमशुदगी की एफ०आई०आर० दर्ज कराने का प्रयास किया गया किन्तु थाने में एफ०आई०आर० दर्ज नहीं की गयी, अतः एफ०आई०आर० दर्ज करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को पत्र भेजा गया है ।

जनपद हरदोई, मल्लावां के गांवों/मजरे में बाढ़ पीड़ित परिवारों को देय धनराशि के अवशेष का भुगतान कराने की मांग

30—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91—मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम मोहब्बतपुर व उसके मजरे गढ़ी रसूलपुर ग्राम करवा व उसके मजरे–गढ़िया, दुर्गापुरवा, लोनार, ग्राम दसराइचमऊ, ग्राम ठठिया–जाहिदपुर व उसके मजरे–जियालाल पुरवा, फतेपुरवा, नरानमऊ, ग्राम कुतुबपुर उसके मजरे–पाठक पुरवा, गड़रियन पुरवा, रत्तेपुरवा, एकधरा, महिमापुर, राम सिंह पुरवा के बाढ़ पीड़ित पात्र व्यक्तियों को बाढ़ के समय तात्कालिक सहायता के रूप में मात्र एक सौ रुपया ही प्रदान किया गया था ? क्या सामग्री के लिये पांच सौ रुपया और नकद एक हजार रुपया दिया जाना प्रस्तावित था ? यदि हां, तो क्या सरकार शेष एक हजार चार सौ रुपया का भुगतान उक्त बाढ़ पीड़ितों को करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जनपद हरदोई के 91—मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम मोहब्बतपुर व उसके मजरे–गढ़ी रसूलपुर ग्राम करवा व उसके मजरे–गढ़िया, दुर्गापुरवा, तोनार, ग्राम दसराइचमऊ ग्राम ठठियाजाहिदपुर व उसके मजरे जियालालपुरवा फतेपुरवा, नरायनमऊ ग्राम कुतुबपुर व उसके मजरे–पाठकपुरवा, गडरियनपुरवा, रत्तेपुरवा, एकधरा, महिमापुर, रामसिंह पुरवा के बाढ़ पीड़ित पात्र व्यक्तियों को चिन्हांकित कर तत्कालिक आवश्यकतानुसार पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न आदि सामग्री वितरित की गयी । शासनादेश सं०–2152/I-11-98–राजस्व–11दिनांक 31-8-98 के मानकों के अनुरूप जहां दैवी आपदा एक माह से अधिक रही हो वहां द्वितीय किश्त के रूप में एक हजार रुपया नकद व 500 रु० वस्तुओं के रूप में देने का प्राविधान है । उक्त ग्रामों/मजरों में बाढ़ का प्रभाव एक माह से कम ही रहने के कारण प्रस्तर–1 में वर्णित सहायता ही प्रदान की गई अब अहेतुक सहायता की आवश्यकता नहीं है ।

ग्राम समाज की भूमि के सम्बन्ध में कार्यवाही विषयक जिलाधिकारी बस्ती के पत्र पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

31—श्री सीताराम निषाद–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी, बस्ती का पत्रांक 649/नि०स०/दिनांक 2-6-97, उप संचालक, चकबन्दी, बस्ती एवं जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) बस्ती को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो ग्राम समाज की भूमि के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी एवं संबंधित दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 2-6-97 उपलब्ध नहीं हो पा रहा है । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जिलाधिकारी बस्ती द्वारा मुख्य राजस्व अधिकारी को दिए पत्र पर चकबन्दी अधिकारी के विरुद्ध जांच/कार्यवाही की जानकारी

32—श्री सीताराम निषाद–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी, बस्ती का पत्रांक 449/नि०स० दिनांक 6-5-1997 एवं पत्रांक 14/नि०स० दिनांक 20-5-97 मुख्य राजस्व अधिकारी/अपर जिला मैजिस्ट्रेट (राजस्व) को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी है ? दोषी चकबन्दी अधिकारियों के विरुद्ध जांचोपरान्त क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 6-5-97 एवं 20-5-97 उपलब्ध नहीं हो पा रहा है । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बस्ती में सोनहा भानपुर तहसील भवन के निर्माण की मांग

33—श्री राम ललित चौधरी –

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में सोनहा भानपुर तहसील का सृजन कब किया गया है ? क्या तहसील भवन का निर्माण अब तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या प्राथमिकता के आधार पर इसका निर्माण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जनपद बस्ती में सोनहा भानपुर तहसील का सृजन दिनांक 30 सितम्बर, 1989 को किया गया है ।

जी हां ।

राजस्व परिषद् से आगणन/प्रस्ताव मांगा गया है । प्रस्ताव प्राप्त होने पर उचित कार्यवाही यथा समय की जायेगी ।

उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के किसानों को खाद/बीज उपलब्ध कराने की मांग

34—श्री राम जग–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि उ० प्र० के पूर्वी जिलों में रबी की बुआई के समय किसानों को उर्वरक, खाद तथा बीज उपलब्ध नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ? दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव के सेवा निवृत्त नाजिर जिला पंचायत देयकों के भुगतान की जानकारी

35—श्री कृपा शंकर सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री के संज्ञान में है कि सेवानिवृत्त नाजिर, जिला पंचायत, उन्नाव के देयकों के भुगतान कराये जाने हेतु प्रार्थना-पत्र दिनांक 24-12-1998 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उनके द्वारा भुगतान हेतु आवश्यक निर्देश सचिव, पंचायती राज एवं अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उन्नाव को दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या सेवानिवृत्त नाजिर के देयकों का भुगतान करा दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

सम्बन्धित नाजिर को देय धनराशि में से आंशिक भुगतान रु० 5000/-दि० 15-10-98 को और रु० 10,000/- दिनांक 4-1-99 को किया जा चुका है । शेष भुगतान के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद हरदोई, मल्लावां के बाढ़ पीड़ित परिवारों को शेष देय धनराशि के भुगतान की मांग

36–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91—मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत हरैयापुर तथा ग्राम मानीमऊ व उसके मजरे मझिया, जाफरपुर, लच्छीपुर, दयालपुर के बाढ़ पीड़ित पात्र व्यक्तियों को बाढ़ के समय तात्कालिक सहायता के रूप में मात्र एक सौ रुपया ही

प्रदान किया गया था ? क्या सामग्री के लिये पांच सौ रुपया तथा नगद एक हजार रुपया प्रदान किया जाना प्रस्तावित था ? यदि हां, तो क्या सरकार शेष एक हजार चार सौ रुपया का भुगतान करावायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जनपद–हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत हरैयापुर तथा ग्राम–मानीमऊ व उसके मजरे–मझिया, जाफरपुर, लच्छीपुर, दयालपुर के बाढ़ पीड़ित परिवारों को चिन्हांकित कर तत्कालिक आवश्यकतानुसार पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न आदि सामग्री वितरित की गयी ।

शासनादेश सं०–2152/1-11-98/राजस्व–11, दिनांक 31-8-98 के अनुसार मानकों के अनुरूप जहां दैवी आपदा एक माह से अधिक रही हो वहां द्वितीय किश्त के रूप में एक हजार रुपया नकद व 500 रु० वस्तुओं के रूप में देने का प्राविधान किया गया था । उक्त ग्रामों/मजरों में बाढ़ का प्रभाव एक माह से कम हो रहा है ।

अब अहैतुक सहायता की आवश्यता नहीं है ।

37–श्री लाखीराम जोशी–

[4थे सोमवार में अता० प्र० सं०–96 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

जनपद आजमगढ़ तहसील लालगंज के ग्राम–कंजहित में चकबन्दी कार्य पूर्ण कर धारा 52 के प्रकाशन की मांग

38–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की तहसील लालगंज के ग्राम कंजहित में चकबंदी का कार्य पूर्ण होकर धारा–52 का प्रकाशन हो चुका है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो ग्राम कंजहित तहसील लालगंज, जिला आजमगढ़ में धारा–52 का प्रकाशन कब तक हो जायेगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

ग्राम कंजहित, तहसील लालगंज, जिला आजमगढ़ का अन्तिम अभिलेख तैयार किया जा रहा है । धारा–52 का प्रकाशन मार्च, 2000 तक पूर्ण होने की सम्भावना है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर द्वारा कलेक्टर उन्नाव को मेसर्स प्रताप इन्डस्ट्रीज तहसील सनगंज में वसूली हेतु दिये पत्र पर कार्यवाही

39–श्री नेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश लोकधन (देयों की वसूली) अधिनियम, 1972 की धारा–3 के अन्तर्गत पत्र संख्या–974/वि०नि० वसूली दिनांक 1-7-97 प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम 14/88 सिविल लाइन, कानपुर द्वारा कलेक्टर उन्नाव को मेसर्स प्रताप इन्डस्ट्रीज, ग्राम मखदूमपुर, तहसील-सनगंज, जिला उन्नाव के नाम रु० 28,14,735.10 की वसूली हेतु लिखा गया था ? यदि हां, तो कलेक्टर उन्नाव ने कितनी धनराशि की वसूली की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

कोई वसूली नहीं हुई ।

दीवानी वाद संख्या–404/99 अवधेश प्रताप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश वित्त निग्रम आदि में पारित आदेश दिनांक 25-3-98 द्वारा वसूली प्रमाण-पत्र विधि अनुसार जारी न होने के कारण ।

जनपद सुल्तानपुर, तहसील मुसाफिरखाना ग्राम गढ़ा में कब्रिस्तान से अवैध कब्जा हटाने की जानकारी

40–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या दिनांक 1-12-98 को जनपद–सुल्तानपुर के मुसाफिरखाना की तहसील दिवस पर श्री रंग बहादुर सिंह निवासी-गढ़ा ब्लाक जगदीशपुर का प्रार्थना-पत्र जो ग्राम गढ़ा के नाली, चकरोड, कब्रिस्तान पर अवैध कब्जा करने की शिकायत विषयक था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस अवैध कब्जा की जांच कब और किस अधिकारी द्वारा की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त अवैध कब्जे को हटा दिया गया है ? यदि हां, तो कब ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

राजस्व निरीक्षक जगदीशपुर द्वारा दिनांक 10-12-98 को जांच की गयी ।

जी हां ।

दिनांक 10-12-98 को जांच करके कब्जा हटाया गया था पुनः कब्जा होने के कारण पुलिस बल के साथ दिनांक 26-2-99 को कब्जा हटा दिया गया है ।

जनपद खुर्जा, ग्राम डांबर से स्टेशन तक अधूरे मार्ग को पूर्ण कराने की मांग

41–श्री हरपाल सिंह–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-खुर्जा के ग्राम डांबर से स्टेशन तक जो सम्पर्क मार्ग खुर्जा मण्डी द्वारा स्वीकृत है और उस पर गिट्टी बिछी हुई है कई वर्षों से उक्त मार्ग का निर्माण पूर्ण न होने का कारण क्या है ? क्या उक्त अधूरे मार्ग को पूर्ण रूप से निर्मित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां, मात्र 600 मीटर में गिट्टी बिछी हुयी है ।

धनाभाव के कारण ।

जी हां ।

धन उपलब्ध होने पर ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मण्डी खुर्जा व शिकारपुर द्वारा स्वीकृत मार्गों के निर्माण की मांग

42–श्री हरपाल सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्षों में मण्डी खुर्जा व शिकारपुर द्वारा सम्पर्क मार्ग ग्वारौली तथा वेदरामपुर ग्राम हेतु स्वीकृति हुये थे ? यदि हां, तो क्या उनका निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

जी हां, निरस्त हुए कार्यों को छोड़कर शेष कार्य पूरा किया जायेगा ।

धन की उपलब्धता के आधार पर ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद खुर्जा (बुलन्द शहर) मण्डी स्थल पर निर्माण कराने की मांग

43–श्री हरपाल सिंह

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला–खुर्जा (बुलन्दशहर) का मण्डी स्थल जो आज तक निर्मित नहीं हुआ है और वर्षों से व्यक्तिगत दुकानों में चल रहा है, का निर्माण सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां तो कब तक उसका निर्माण हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

भूमि का चयन कर लिया गया है । भू अधिग्रहण हेतु कार्यवाही की जा रही है । अधिग्रहण से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही पूर्ण हो जाने के पश्चात् निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1998 में जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्डों में आयी बाढ़ से पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता का विवरण

44–चौ० रवीन्द्र प्रताप–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1998 में पूर्वी उ० प्र० में आयी भीषण बाढ़ के समय मुख्य मंत्री जी द्वारा घोषणा की गयी थी कि बाढ़ पीड़ित परिवार को एक हजार का चेक तथा बुआई हेतु बीज उपलब्ध कराया जायेगा ? यदि हां, तो क्या उक्त घोषणा का अनुपालन सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड बढ़नी, विकास खण्ड जोगिया, विकास खण्ड शोहरतगढ़, विकास काण्ड नौगढ़ के सभी बाढ़ग्रस्त (मैसन्ड गांवों) मे किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

पात्रता के अनुसार जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड बढ़नी के 29 गांवों में एक हजार रुपये प्रति परिवार की दर से नगद धनराशि चेक के माध्यम से तथा 33 गांवों में 1663.35 कुन्तल निःशुल्क बीज वितरण, विकास खण्ड जोगिया के 97 गांवों मे एक हजार रुपये प्रति परिवार की दर से नकद धनराशि चेक के माध्यम से तथा 31 गांवों में 1941.80 कुन्तल निःशुल्क बीज वितरण विकास खण्ड शोहरतगढ़ के 14 ग्रामों में एक हजार रुपये प्रति परिवार की दर से नकद धन राशि चेक के माध्यम से तथा 16 ग्रामों मे 1140.00 कुन्तल निःशुल्क बीज वितरण तथा विकास खण्ड नौगढ़ के पांच ग्रामों में एक हजार रुपये प्रति परिवार की दर से नकद धनराशि चेक के माध्यम से एवं 17 ग्रामों में कुल 1596 कुन्तल निःशुल्क बीज का वितरण किया गया है ।

जनपद गोरखपुर, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत ताल लिखिया, क्षेत्र पंचायत जंगल कौड़िया, को प्रधान पद से पदच्युत करने की जानकारी

45–श्रीमती गौरी देवी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत ताल लिखिया, क्षेत्र पंचायत जंगल कौड़िया, जिला–गोरखपुर के विरुद्ध दिनांक 1-1-98 को गांव के नागरिकों को शिकायती-पत्र जिला अधिकारी, गोरखपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां ।

जांच कार्यवाही सम्पन्न कराई गई तथा ग्राम प्रधान को आरोपित किया गया । संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने तथा प्रस्तुत साक्ष्य प्रमाणित न होने के कारण ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत ताल लिखिया, क्षेत्र पंचायत जंगल कौड़िया, जनपद–गोरखपुर को प्रधान पद से पदच्युत कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद इटावा के श्रीराम प्रकाश लवानिया को शासनादेश के अनुसार कृषि लोक केन्द्र में अन्य कर्मचारियों की भांति समायोजित करने की मांग

46–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि शासनादेश संख्या 3/20–92–का०–2/93, नवम्बर, 1993 के तहत लोक केन्द्र के समस्त कर्मचारियों को समायोजित करने के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो शासनादेश के तहत श्री राम प्रकाश लवानिया पुत्र देवी राम लवानिया जो कृषि लोक केन्द्र इटावा में प्रभारी पद पर कार्यरत थे और जिन्हें निगम बन्द होने के कारण 23-3-87 को पदच्युत किया गया था, को समायोजित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या इनको समायोजित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

संदर्भित शासनादेश द्वारा मण्डलीय विकास निगमों को बन्द किये जाने के फलस्वरूप उनके कर्मचारियों/अधिकारियों को सरकारी सेवा हेतु कतिपय शर्तों के अधीन अर्हता एवं अनुमन्यता प्रदान किया गया था प्रन्तु लोक केन्द्र के समस्त कर्मचारियों को सेवायोजित किये जाने के आदेश नहीं दिये गये थे ।

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नगत शासनादेश के बिन्दु-8 में यह निर्देश दिये गये थे कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में कतिपय तैनात मण्डलीय विकास निगम के समूह "ग" तथा "घ" के जिन कर्मचारियों की सेवायें समाप्त की जायेंगी उन सभी के नाम सम्बन्धित सेवायोजन कार्यालयों में एक अलग पूल में, निगम में उनकी वरिष्ठता क्रम में व्यवस्थित किये जायेंगे और सेवायोजकों से मांग प्राप्त होने पर तदनुसार नाम प्रेषित किये जायेंगे । चूंकि श्री लवानिया लोक केन्द्र में रु० 240 के संकलित वेतन पर कार्यरत थे और कृषि विभाग में किसान सहायक के पद की शैक्षिक योग्यता न रखने तथा मृत कैडर घोषित किये जाने के कारण एवं संदर्भित शासनादेश की व्यवस्था के अनुसार उनके नियुक्ति का औचित्य न पाये जाने के कारण उनके समायोजन का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया में सर्दी से बचाव हेतु शासन द्वारा की गयी कार्यवाही

47–श्री योगेन्द्र सिंह सेंगर–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष देवरिया जनपद में ठण्डक से कितने लोगों की मृत्यु हुई है ? जनपद देवरिया में ठण्डक से बचाने के लिये क्या-क्या उपाय किये गये ? इस पर कितना धन खर्च किया गया है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

इस वर्ष देवरिया जनपद में ठण्डक से किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है ।

ठण्ड से बचाने हेतु सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाये गये तथा 150 कम्बल असहायों को वितरित किये गये । कुल मुल्य 39,812-00 रु० की धनराशि खर्च की गई । इसके अतिरिक्त रेडक्रास सोसाइटी द्वारा भी कुल 2800 कम्बल वितरित किये गये ।

जनपद प्रतापगढ़ जिला पंचायत द्वारा स्थानीय विकास योजना में ऋण वितरण का प्रकरण

48–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला पंचायत प्रतापगढ़ द्वारा स्थानीय विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1987-88 में ऋण बांटा गया था ? यदि हां, तो प्रत्येक व्यक्ति को दिये गये ऋण का विवरण क्या है और उसे वसूल करने की दिशा में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री धर्मपाल सिंह–

वर्ष 1987-88 में जिला पंचायत प्रतापगढ़ द्वारा स्थानीय विकास योजना के अन्तर्गत ऋण नहीं बांटा गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई, मल्लावां के गांवों/मजरों में बाढ़ पीड़ित परिवारों को देय शेष धनराशि के भुगतान की मांग

49–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम–तेजोपुर के मजरे असरेपुर, कबीरपुर, सातेहिया, मढ़िया गड़रियन पुरवा, सोनासी गढ़िया, सुमेरपुर तथा ग्राम मुस्तफाबाद के बाढ़ पीड़ित पात्र व्यक्तियों को बाढ़ के समय तात्कालिक सहायता के रूप में मात्र एक सौ रुपये का भुगतान किया गया था ? क्या इस हेतु सामग्री के लिए पांच सौ रुपया तथा नगद एक हजार रुपया दिया जाना प्रस्तावित था ? यदि हां, तो क्या सरकार शेष एक हजार चार सौ रुपयों का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निवाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम–तेजोपुर के मजरे असरेपुर, कबीरपुर, सहतेहिया, मढ़िया गड़रियन पुरवा, सोनासी गढ़िया, सुमेरपुर तथा ग्राम मुस्तफाबाद के बाढ़ पीड़ित पात्र व्यक्तियों को चिन्हांकित कर तत्कालिक आवश्यकतानुसार पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न आदि सामग्री वितरित की गयी ।

शासनादेश सं०–2152/1-11-98–राजस्व–11, दिनांक 31-8-98 के अनुसार मानकों के अनुरूप जहां दैवी आपदा एक माह से अधिक रही हो वहां द्वितीय किश्त के रूप में एक हजार रुपया नकद व 500 रु० वस्तुओं के रूप में देने का प्राविधान किया गया था । उक्त ग्रामों/मजरों में बाढ़ का प्रभाव एक माह से कम रहा है । इस लिए प्रस्तर–1 में वर्णित सामग्री का ही वितरण किया गया है । अब अहेतुक सहायता की आवश्यकता नहीं है ।

सिफ्सा योजना सेन्ट्रल (सेक्टर योजना) में कार्यरत कर्मचारियों को नियमित न किये जाने का औचित्य

50–श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

क्या दुग्ध विकास मंत्री को जानकारी है कि सेन्ट्रल सेक्टर योजना में कार्यरत क्षेत्र पर्यवेक्षकों से वर्तमान में सिफ्सा योजना के अन्तर्गत कार्य लिया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त कर्मचारियों को कब तक नियमित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयपाल सिंह–

जी हां ।

ग्रामीण परिवार कल्याण परियोजना भी सेंट्रल सेक्टर योजना की भांति साठ माह की समयबद्ध योजना है । इसलिए उक्त कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जा सकता ।

जनपद बलिया के वेटनरी फार्मासिस्टों को प्रोन्नत वेतनमान के एरियर के भुगतान हेतु निर्गत निर्देश

51–श्री अम्बिका चौधरी–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बलिया में कौन-कौन ऐसे वेटनरी फार्मासिस्ट हैं जिनका प्रोन्नत वेतनमान में निर्धारण तो हुआ है किन्तु उसका भुगतान सम्बन्धित कर्मियों को अब तक नहीं किया गया है ? क्या सम्बन्धित कर्मियों के एरियर का भुगतान किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राधेश्याम गुप्ता–

(1) श्री राम जन्म यादव

(2) श्री बलिराम पाण्डेय

(3) श्री विजय शंकर राय

जी हां । एरियर भुगतान के सम्बन्ध में मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, बलिया को दिनांक 4-3-99 को अवशेष भुगतान शीघ्र करने के निर्देश जारी किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया के वेटनरी फार्मासिस्टों को नकदीकरण की सुविधा की जानकारी

52–श्री अम्बिका चौधरी–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में कौन-कौन से ऐसे वेटनरी फार्मासिस्ट हैं जिनको वर्ष 1996 एवं वर्ष 1997 में राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त नकदीकरण की सुविधा से वंचित किया गया है और क्यों ?

श्री राधेश्याम गुप्ता–

वर्ष 1996 एवं वर्ष 1997 में जनपद बलिया में किसी वेटनरी फार्मासिस्टों, जिसने आवेदन पत्र दिया था, नगदीकरण की सुविधा से वंचित नहीं किया गया है ।

जनपद मथुरा, तहसील माठ, गांव मीरपुर में अवैध कब्जा/निर्माण सम्बन्धी शिकायती पत्र पर कार्यवाही की मांग

53–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व विधायक, श्री कुशल पाल सिंह ने गांव मीरपुर तहसील माठ, जिला मथुरा में भू-माफियाओं द्वारा मीरपुर तिराहे पर सार्वजनिक (पी०डब्लू०डी०), जिला परिषद् व गांव सभा की जमीन पर अवैध निर्माण कर कब्जा करने के बारे में कोई शिकायती-पत्र दिनांक 7-11-98 को दिया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरौही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद कुशीनगर दीवानी न्यायालय कसया में आयशा/रहीमा भूमि सम्बन्धी योजित वाद में धारा–14 जा० फौ० की कार्यवाही स्थगित करने की मांग

54—श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती रहीमा खातून पत्नी श्री समीउल्लाह ग्राम–भटवलिया, तप्पा भलुआ, परगना–सिधुवा जोबना, तहसील कसया, जनपद–कुशीनगर के आराजी नम्बरान 185 एवं 202 के सम्बन्ध में क्या दीवानी–न्यायालय कसया में वाद सं० 1883/94 (आयशा/रहीमा) के तहत टाइटिल निर्धारण हेतु प्रकरण विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त भूमि से सम्बन्धित उक्त न्यायालय में वाद विचाराधीन होने के उपरान्त भी चार वर्षों बाद वर्ष 1998 में तत्कालीन परगनाधिकारी कसया द्वारा अन्तर्गत धारा 145 जा०फौ० अपने न्यायालय में वाद योजित तथा उसमें आदेश दिनांक 31-10-98 पारित करने का औचित्य क्या है ? क्या न्याय हित में उक्त भूमि पर दीवानी न्यायालय का फैसला आने तक परगनाधिकारी कसया द्वारा योजित वाद अन्तर्गत धारा–14 जा०फौ० (अयशा/रहीमा) की कार्यवाही स्थगित की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

दीवानी न्यायालय में उक्त वाद चलने की जानकारी परगनाधिकारी न्यायालय को नहीं थी इस कारण शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु जा० फौ० की धारा–145 लागू करके दिनांक 31-10-98 को आदेश पारित किया गया ।

जी नहीं ।

परगनाधिकारी न्यायालय के उक्त वर्णित आदेश के विरुद्ध सत्र न्यायालय में रिवीजन विचाराधीन होने के कारण परगनाधिकारी न्यायालय द्वारा फिलहाल कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है ।

जनपद सुल्तानपुर, तहसील सदर ग्राम पड़रे में अनधिकृत काबिज व्यक्ति से भूमि खाली कराने की जानकारी

55—श्री राम चन्दर यादव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के सदर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पड़रे में अनु० जाति आबादी हेतु सुरक्षित एवं आवास हेतु अनु० जाति को अवंटित भूमि पर किसी सामान्य जाति के व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो अनधिकृत काबिज व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

अनधिकृत कब्जा हटा दिया गया और भूमि खाली करा दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद, तहसील मिल्कीपुर ग्राम सभा रेवना में पात्र व्यक्तियों को ग्राम समाज की भूमि का आवंटन किये जाने की जानकारी

56—श्री राम चन्दर यादव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–फैजाबाद की तहसील मिल्कीपुर के अन्तर्गत ग्राम रेवना में गाटा संख्या–1310/1625 में आवंटियों को तथा गांव के अन्य पट्टेदारों को क्या आवंटित भूमि पर कब्जा दिला दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? गांव सभा में ग्राम

समाज की आवंटन योग्य कितनी भूमि उपलब्ध है ? आवंटन योग्य भूमि को अब तक आवंटन न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

गाटा संख्या–1341 के आवंटियों को मौके पर सड़क होने के कारण कब्जा नहीं दिलाया जा सका। शेष सभी आवंटी अपनी-अपनी आवंटित भूमि पर कब्जे में पाये गये हैं। ग्राम सभा रेवना में आवंटन योग्य पाई गई कुल 16-0-9 भूमि का आवंटन दिनांक 10-7-98 को 41 पात्र व्यक्तियों में कर दिया गया है। आवंटन हेतु अब भूमि उपलब्ध नहीं है।

जनपद हरदोई, मल्लावां के ग्रामों/मजरों में बाढ़ पीड़ित परिवारों को देय धनराशि के अवशेष का भुगतान

57—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत मुर्तजा कुल्लीपुर व इसके मजरे कटरा, कुसरियापुर, पढ़िया ग्राम बेरियानजीरपुर व उसके मजरे करियन पुरवा, बेच्चा पुरवा, प्यारेपुर, धनसिंहपुरवा, सिवालापुरवा, बेरिया, साहिगुपुर पूरन मऊ, झस्सियन पुरवा, नेकवापुर, हीरालाल पुरवा, ग्राम–कोडर मऊ व उसका मजरा कछियन पुरवा ग्राम कोकटमऊ व इसके मजरे अयियापुर, नेवाज्योपुरवा ग्राम–मंसूरपुर व उसके मजरे रामपुर, जयपुरवा, डम्पर पुरल, महमूद पुरवा तथा लकड़हा के बाढ़ पीड़ित पात्र व्यक्तियों को बाढ़ के समय तात्कालिक सहायता के रूप में मात्र एक सौ रुपये ही प्रदान किये गये थे ? क्या सामग्री के लिए पांच सौ रुपया तथा नगद एक हजार रुपये दिया जाना प्रस्तावित था ? यदि हां, तो क्या सरकार शेष एक हजार चार सौ रुपये का भुगतान उन्हें करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत मुर्तजा कुल्लीपुर व इसके मजरे गटरा, कुसरियापुर, मढ़िया ग्राम बेरिया नजीरपुर व उसके मजरे-बेच्चापुरवा, प्यारेपुर, धनसिंहपुरवा, सिवालापुरवा, बेरिया, साहिनपुर, पूरनमऊ, झस्सियनपुरवा नेकवापुर, हीरालालपुरवा ग्राम कोडरमऊ व उसका मजरा-कछियनपुरवा, ग्राम कोकटमऊ व इसके मजरे-अलियापुर नेवाज्योपुरवा ग्राम मंसूरपुर व उसके मजरे-रामपुर जयपुरवा झम्परपुरवा, महपुरवा तथा लकड़हा के बाढ़ पीड़ित तत्समय के चिन्हांकित पात्र व्यक्तियों को तात्कालिक आवश्यकतानुसार पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न आदि सामग्री वितरित की गयी। शासनादेश सं०–2152/1-11-98-राजस्व–11, दिनांक 31-8-98 के अनुसार मानकों के अनुरूप जहां दैवी आपदा एक माह से अधिक रही हो द्वितीय किश्त के रूप में नकद 1000 रु० व 500 रु० वस्तुओं के रूप में देने का प्राविधान है। उक्त ग्रामों/मजरों में बाढ़ का प्रभाव एक माह से कम रहने के कारण प्रस्तर–1 में वर्णित सहायता ही दी गई।

अब अहेतुक सहायता की आवश्यकता नहीं है।

जनपद हरदोई में कृषि उत्पादन मण्डी समिति माधोगंज, स्वीकृत धनराशि से सहिजना–कुरसठ मार्ग के निर्माण की मांग

58—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जनपद के माधौगंज विकास खण्ड में कृषि उत्पादन मण्डी समिति माधौगंज द्वारा वर्ष 1995-96 में पांच कि०मी० लम्बे सहिजना–कुरसठ मार्ग का लेपन स्तर तक के निर्माण हेतु रुपये साढ़े बाइस लाख स्वीकृत किये गये थे ? यदि हां, तो क्या यह कार्य पूर्ण कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक इस कार्य को पुनः प्रारम्भ किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

धनाभाव के कारण ।

धन की उपलब्धता के आधार पर ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई, मल्लावां के मीरनगर व मजरे महनेपुर में बाढ़ पीड़ित परिवारों को अवशेष सहायता धनराशि का भुगतान

59—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत मीरनगर व इसके मजरे महनेपुर के बाढ़ पीड़ित पात्र व्यक्तियों को बाढ़ के समय तात्कालिक सहायता के रूप में मात्र एक सौ रु० ही प्रदान किया गया था ? क्या सामग्री के लिए पांच सौ रुपये तथा नगद एक हजार रुपये दिया जाना प्रस्तावित था ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त को शेष एक हजार चार सौ रुपये का भुगतान करवाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जनपद–हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत मीरनगर व इसके मजरे-महनेपुर के बाढ़ पीड़ित तत्समय के चिन्हांकित पात्र व्यक्तियों को तात्कालिक आवश्यकतानुसार सम्भावित भुखमरी की स्थिति से निपटने के लिये पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न आदि सामग्री वितरित की गयी ।

शासनादेश सं०–2152/1-11-98-राजस्व–11, दिनांक 31-8-98 के अनुसार मानकों के अनुरूप जहां दैवी आपदा के एक माह से अधिक रही हो वहां द्वितीय किश्त के रूप में 1000 रु० नकद व 500 रु० वस्तुओं के रूप में देने का प्राविधान है । उक्त ग्रामों/मजरों में बाढ़ का प्रभाव एक माह से कम ही रहने के कारण प्रस्तर–1 में वर्णित सहायता ही दी गयी ।

अब अहेतुक सहायता की आवश्यकता नहीं है ।

60–श्री हरपाल सिंह–

[दिनांक 10-3-99 को अता० प्र० सं० 185 द्वारा उत्तरित]

जनपद हरदोई, ग्राम हबीबपुर में नवसृजित सड़क के नामकरण हेतु प्राप्त पत्र पर प्रस्तावित कार्यवाही

61—श्री हरपाल सिंह–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि श्री राजकुमार अग्रवाल, सदस्य, विधान परिषद् उ० प्र० के पत्र के साथ अगस्त, 1998 में कोई प्रार्थना-पत्र जनपद हरदोई के ग्राम हबीबपुर के ग्रामवासियों की ओर से ग्राम में नवसृजित डामर सड़क का नामकरण गांव के ही समाज सेवी स्व० लक्ष्मी नाथ वाजपेयी के नाम से कराने हेतु पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सरकार उक्त डामर सड़क का नामकरण "स्व० लक्ष्मी नाथ बाजपेयी मार्ग" कब तक करेगी ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां । पत्र दिनांक 19-8-98 को प्राप्त हुआ ।

उक्त डामर सड़क के नामकरण के संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त यथासमय नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद बलरामपुर उतरौला जिला पंचायत क्षेत्र टेढ़वा तप्पा बांक में विकास कार्यों की जानकारी

62—श्री उबैदुर्रहमान–

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र 157–उतरौला जनपद बलरामपुर के जिला पंचायत क्षेत्र संख्या 71 टेढ़वा तप्पा बांक में जिला पंचायत द्वारा वर्ष 1995-96 से आज तक कोई विकास कार्य नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

विधान सभा क्षेत्र 157 उतरौला जनपद बलरामपुर के जिला पंचायत क्षेत्र संख्या 71 टेढ़वा तप्पा बांक में केवल उतरौला डुमरिया डीह मार्ग से चिचुड़ी सहनिया मार्ग पर वर्ष 1996-97 में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत डी० आर० डी० ए० से जिला पंचायत गोण्डा को प्राप्त प्रथम किश्त की धनराशि से मिट्टी भराई का कार्य कराया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद, तहसील मिल्कीपुर की ग्राम सभाओं में ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा हटवाने की मांग

63—श्री अक्षयवर लाल–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद, परगना खण्डासा तहसील–मिल्कीपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा–गद्दौपुर, ग्राम सभा जगदीशपुर एवं ग्राम सभा–इब्राहिमपुर में कतिपय व्यक्तियों द्वारा ग्राम सभा की जमीनों पर अवैध रूप में कब्जा कर लिया गया है जिससे कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को अभी तक जमीनों का आवंटन नहीं किया जा सका है ? क्या सरकार अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध कार्यवाही करके ग्राम समाज की जमीनों से अवैध कब्जे हटवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां, किन्तु अवैध कब्जे की भूमि को छोड़कर शेष आवंटन योग्य भूमि के आवंटन की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है ।

जी हां, अवैध कब्जा हटवाने हेतु अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–122 बी की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मुरादाबाद, तहसील सम्भल गांव ठाकरहीद में पाकिस्तानी निवासियों के नाम अंकित जमीनों की जांच

64—मेजर जगतपाल सिंह–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद मुरादाबाद में गांव ठाकरहीद, तहसील सम्भल में पाकिस्तानी निवासियों के नाम जमीनों में अभी तक अंकित हैं ? क्या सरकार ने इसकी कोई जांच कराई है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त की जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

प्रश्नगत प्रकरण की जांच कराई जा रही है ।

जनपद गोरखपुर तहसील चौरी-चौरा ग्राम बिशुनपुर मटियरा में गाटों पर अंकित नामों के प्रमाणिक स्थितियों की जांच/कार्यवाही की जानकारी

65—श्रीमती गौरी देवी–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1998 के तीसरे गुरुवार, हेतु निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 13 के उत्तर के क्रम में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम–बिशुनपुर मटियरा तहसील चौरी-चौरा, जि० गोरखपुर के मतरूक या बेनाम के बताए गए 35 गाटों पर अंकित

नामों का अभिलेखागार आदि प्रमाणिक स्थितियों में परीक्षण कराने के बाद सत्यापन में कौन-कौन लोग दोषी पाए गए तथा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

ग्राम विशुनपुर मटियरा तहसील चौरी-चौरा जिला गोरखपुर में मतरूक गाटों के संबंध में जनपद से जांच कराई गई उसका परीक्षण निदेशालय स्तर पर किया गया जिसमें जनपद से प्राप्त आख्या संतोषजनक नहीं पाई गई इसलिये उक्त प्रकरण पर पुनः अभिलेख एवं पत्रावलियों से परीक्षण कराया जा रहा है । परीक्षणोपरान्त स्थिति स्पष्ट हो सकती है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी के ग्रामीण क्षेत्रों में लगाये गये हैण्डपम्पों के प्लेट फार्म बनवाने की मांग

66—श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद मैनपुरी के ग्रामीण क्षेत्रों में 1 अगस्त, 1998 के बाद अब तक कितने हैण्डपम्प कृषि मण्डी समितियों द्वारा लगवाये गये और जनपद में कितना धन इस हेतु दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सच है कि उक्त अवधि से पूर्व जनपद में कई ऐसे हैण्डपम्प हैं जो मण्डी समिति मैनपुरी/बेवर द्वारा लगवाये गये ? क्या उनके प्लेट फार्म अब तक नहीं बने हैं ? यदि हां, तो क्यों ? उनके प्लेट फार्म कब तक बनवा दिये जायेंगे ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जनपद मैनपुरी के ग्रामीण क्षेत्रों में 1 अगस्त, 1998 के पश्चात कोई हैण्डपम्प नहीं लगाया गया है । हैण्डपम्पों की स्थापना का कार्य चयन अनुबन्ध के अन्तर्गत कराया जा रहा था इसलिये नीतिगत निर्णय के अन्तर्गत उल्लिखित अवधि दिनांक 1 अगस्त, 1998 के पश्चात् धन अवमुक्त नहीं किया गया ।

जी हां ।

हैण्डपम्पों की स्थापना का कार्य चयन अनुबन्ध के अन्तर्गत स्वीकृत हुआ था । बाद में नीतिगत निर्णय के तहत चयन अनुबन्ध के कार्यों पर धन अवमुक्त नहीं किया गया । धन अवमुक्त न होने के कारण शेष बचे हुए कार्य, जिसमें प्लेट फार्म का कार्य सम्मिलित है, पूर्ण नहीं हो सके हैं ।

चयन अनुबन्ध के कार्यों को पूर्ण करने हेतु परिषद् की बैठक दि० 10-12-98 में लिये गये निर्णयानुसार हैण्डपम्पों की स्थापना का कार्य यथा स्थिति के आधार पर अंतिम किया जाना है तथा शेष बचे हुए कार्य जैसे प्लेट फार्म का कार्य भी निविदा आमंत्रित करके पूर्ण कराया जाना है, निविदा आमंत्रण एवं उनको स्वीकार करने की प्रक्रिया में लगने वाले समय के दृष्टिगत समय सीमा का निर्धारण सम्भव नहीं है ।

जनपद मैनपुरी, यू० पी० एग्रो द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित हैण्डपम्पों की ब्लाकवार व्यवस्था का विवरण

67—श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद मैनपुरी में यू०पी० एग्रो द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लाक वाइज 1 अगस्त, 1998 के बाद अब तक कितने इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प लगवाये गये ? उनमें से कितने प्राथमिक/जूनियर हाई स्कूलों में और कितने अन्य स्थलों पर लगे हैं ? क्या यह सच है कि जनपद में कई हैण्डपम्प तकनीकी कमी के कारण पानी नहीं दे रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे खराब पड़े हैण्डपम्पों को ठीक करवाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जनपद मैनपुरी में यू० पी० एग्रो द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के 09 विकास खण्डों में दिनांक 1-8-98 से 31-1-99 तक लगाये गये हैण्डपम्पों की ब्लाक-वार संख्या निम्नवत् है :–

विकास खण्ड का नाम	स्थापित हैण्डपम्प
1–मैनपुरी	37
2–सुल्तानगंज	37
3–बेवर	11
4–कुरावली	05
5–जागीर	15
6–घिरौर	01
7–बरनाहल	08
8–करहल	09
9–किशनी	13
योग	136

प्राथमिक विद्यालयों में 126 एवं जूनियर हाईस्कूल में 10 हैण्डपम्प स्थापित कराये गये हैं। इसके अतिरिक्त अन्य स्थलों पर यू० पी० एग्रो, मैनपुरी द्वारा कोई हैण्डपम्प नहीं लगाये गये हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

क्योंकि तकनीकी कमी के कारण कोई भी हैण्डपम्प खराब नहीं है, सभी पानी दे रहे हैं।

जनपद लखनऊ, ब्लाक सरोजनी नगर ग्राम हरिहरपुर की ग्राम सभा की भूमि पर अवैध निर्माण का न्यायालय में लम्बित प्रकरण

68—श्री अजय भट्ट–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के ब्लाक सरोजनीनगर के अन्तर्गत ग्राम–हरिहरपुर की ग्राम सभा की भूमि पर अब तक कुल कितने निर्माण हो चुके हैं ? क्या उक्त समस्त निर्माण कार्य विधिसम्मत हैं ? यदि नहीं, तो संबंधित उत्तरदायी लोक सेवकों/ग्राम प्रधान द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

ग्राम हरिहरपुर ब्लाक सरोजनीनगर की ग्राम सभा भूमि पर अब तक 15 व्यक्तियों द्वारा निर्माण कार्य किया गया है। इन सभी के द्वारा किया गया निर्माण कार्य विधि सम्मत नहीं है। क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा इन व्यक्तियों के विरुद्ध उ०प्र०ज० विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 122 ख के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है। इन सभी के बाद तहसीलदार सदर लखनऊ के न्यायालय में लम्बित है जिनमें आगामी सुनवाई की तिथि 22-3-99 व 26-3-99 नियत है।

सांसद एवं विधायकों के समतुल्य ग्राम प्रधानों, बी० डी० सी०, जिला पंचायत व ग्राम सभा सदस्यों को भी वेतन भत्ते दिये जाने की मांग

69—श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा० संसद सदस्यों, विधान सभा एवं विधान परिषद् के सदस्यों की भांति ग्राम-प्रधानों, बी० डी० सी० सदस्यों, जिला पंचायत एवं ग्राम सभा सदस्यों को भी वेतन भत्तों के भुगतान की कोई योजना सरकार बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? क्या इस सम्बन्ध में भारतीय मजदूर संघ जौनपुर के जिला मंत्री का पत्रांक 1163/दिनांक 21-11-96 व पत्रांक

370/दिनांक 15-3-96, पत्रांक 1006/दिनांक 2-10-96, पत्रांक 980/दिनांक 26-9-98 तथा पत्रांक 979/दिनांक 26-9-98 मा० मुख्य मंत्री जी एवं जिलाधिकारी जौनपुर के प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री धर्मपाल सिंह–

सम्प्रति ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं पाया गया ।

जनपद मैनपुरी, ग्राम सभा ओछा के ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध प्रेषित शिकायती पत्र पर कार्यवाही की मांग

70—श्री राम औतार शाक्य–

क्या पंचायती राज मंत्री को ज्ञात है कि प्रधान गांव सभा ओछा ब्लाक बेवर जनपद मैनपुरी द्वारा वहां के ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध एक शिकायती-पत्र दिनांक 9-11-98 अथवा इसके आस-पास तत्कालीन जिलाधिकारी मैनपुरी को दिया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जनपद मैनपुरी के विकास खण्ड–बेवर में ग्राम सभा–ओछा नाम की कोई ग्राम सभा नहीं है ।

जनपद मथुरा, शोध संस्थान वृन्दावन, के अधिग्रहण की मांग

71—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या संस्कृति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा स्थित वृन्दावन शोध संस्थान, वृन्दावन दिनांक 9-11-96 से अनिश्चितकाल के लिये बन्द किया गया है ? यदि हां, तो उसमें कार्यरत 20 से अधिक कर्मचारियों को गत 7 माह से वेतन दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासन द्वारा संस्थान के अधिग्रहण की कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

जी नहीं ।

संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों का वेतन दिया जा रहा है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

यह संस्थान एक स्वायत्तशासी संस्था द्वारा संचालित है ।

जनपद हरदोई, मल्लावां के गांवों/मजरों में बाढ़ पीड़ित परिवारों को अवशेष धनराशि के भुगतान की मांग

72—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम हजरतपुर व इसके मजरे औसानपुर, दसराइचमऊ ग्राम हरैया तथा उसके मजरे–मढ़िया, सिरखइया, महल्ला सढ़ियनपुरवा तथा साहिमपुर, ग्राम–बलेहरा कमाल नगर व उसके मजरे गौसापुर, टढ़वा, कनारे खेड़ा तथा सुल्तानपुरवा, ग्राम-हरपुरा, ग्राम-शाहपुर पनार तथा इसके मजरे–चांदीपुरवा, बहादुरपुरवा, नोनार, बीचपुरवा, नेवाजपुर हरीगंज, हीरापुरवा लोकइया पुरवा तथा बाजार पुरवा के बाढ़ पीड़ित पात्र व्यक्तियों को बाढ़ के समय तात्कालिक सहायता के रूप में मात्र एक सौ रुपया ही प्रदान

किया गया था ? क्या सामग्री के लिये पांच सौ रुपये तथा नगद एक हजार रुपया प्रदान किया जाना प्रस्तावित था ? यदि हां, तो क्या सरकर उक्त को शेष एक हजार चार सौ रुपये का भुगतान कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जनपद हरदोई के 91–मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम हजरतपुर व इसके मजरे औसानपुर, दसराइचमऊ, ग्राम–हरैया तथा उसके मजरे-मढ़िया, सिरखइया, महल्ला, सढ़ियनपुरवा, तथा साहिमपुर, ग्राम बलेहरा कमालनगर व उसके मजरे-गौसापुर, टड़वा कनारेखेड़ा तथा सुल्तानपुरवा, ग्राम हरपुरा, ग्राम–शाहपुरवा तथा इसके मजरे-चांदीपुरवा, बहादुरपुरवा, नोनार, बीचपुरवा, नेवाजपुर, हरीगंज हीरापुरवा, लोकंइयापुरवा तथा बाजारपुरवा के चिन्हांकित पात्र व्यक्तियों को तात्कालिक आवश्यकतानुसार पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न आदि सामग्री वितरित की गयी ।

शासनादेश संख्या–2152/1-11-98-राजस्व–11 दिनांक 31-8-98 के अनुसार मानकों के अनुरूप जहां दैवी आपदा एक माह से अधिक रही हो द्वितीय किश्त के रूप में एक हजार रूपया नकद व 500 रु० वस्तुओं के रूप में देने का प्राविधान है, उक्त ग्रामों/मजरों में बाढ़ का प्रभाव एक माह से कम ही रहा है । अब अहेतुक सहायता की आवश्यकता नहीं है ।

जनपद आजमगढ़, तहसील सगड़ी के राजस्व गांवों में चकबन्दी प्रक्रिया की धारा–52 के प्रकाशन की मांग

73—श्री राम प्यारे सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील सगड़ी, जनपद–आजमगढ़ के अन्तर्गत आराजी देवारा नैनीजोर, जमीन हरखोरी तथा आराजी देवारा करकिया रूस्तम सरांय राजस्व गांवों में चकबन्दी की प्रक्रिया कब से चल रही है ? क्या इन राजस्व गांवों में चकबन्दी की प्रक्रिया कब से चल रही है ? क्या इन राजस्व गांवों में चकबन्दी की प्रक्रिया के धारा–52 के प्रकाशन में अपेक्षा से अधिक विलम्ब किया गया है ? यदि हां, तो धारा–52 का प्रकाशन कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

प्रश्नगत ग्रामों में धारा–4(2) जोत चकबंदी अधिनियम के अन्तर्गत क्रमशः ग्राम आराजी देवारा नैनीजोर का दिनांक 1–8–85 को ग्राम जमीन हरखोरी का दिनांक 13-2-71 को तथा ग्राम आराजी देवारा करखिया रूस्तम सराय का दिनांक 21-8-71 को प्रकाशन होने के उपरान्त चकबन्दी प्रक्रिया प्रारम्भ हुई ।

जी हां ।

ग्राम आराजी देवारा करखिया रूस्तम सराय का धारा–52 का प्रकाशन दिनांक 13-2-82 को हो चुका है । शेष दो ग्रामों का धारा–52 का कार्य वर्ष 2001 तक पूर्ण होगा ।

जनपद आजमगढ़, सगड़ी में वर्ष 1998 की बाढ़ से पीड़ितों को अहेतुक सहायता की मांग

74—श्री राम प्यारे सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सगड़ी विधान सभा क्षेत्र जनपद–आजमगढ़ के अन्तर्गत वर्ष 1998 की बाढ़ विभिषिका से प्रभावित कुछ व्यक्ति 1500.00 रुपये अहेतुक सहायता से वंचित रह गये थे ? यदि हां, तो क्या ऐसे वंचित बाढ़ पीड़ितों को अहेतुक सहायता की सरकार व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़, तहसील सगड़ी वर्ष 1998 की बाढ़ में लगायी गयी नावों के भुगतान की जानकारी

75—श्री राम प्यारे सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील-सगड़ी, जनपद–आजमगढ़ के बाढ़ पीड़ितों की सहायतार्थ वर्ष 1998 की बाढ़ में कितनी नावें लगायी गयी थीं ? इसमें से कितनी नावों को देय धनराशि का भुगतान किया गया है तथा कितनी नावें इस देय धनराशि से वंचित ? क्या सरकार इन वंचित नावों को देय धनराशि का भुगतान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

तहसील–सगड़ी जनपद आजमगढ़ में बाढ़ पीड़ितों की सहायतार्थ वर्ष 1998 में कुल 480 नावें लगायी गयी थीं ।

बाढ़ राहत कार्य हेतु लगायी गयी 480 नावों के बावत नाव मालिकों एवं नाविकों को रुपया 22,89,400/- नाव देनदारी का भुगतान किया जा चुका है । किसी भी नाव के देनदारी का मामला शेष नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई, मल्लावां के गांवों/मजरों में बाढ़ से पीड़ित परिवारों को अवशेष धनराशि के भुगतान की मांग

76—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पन्चोड़ा व उसके मजरे सुल्तानपुरवा, चपरतला, गुलाब पुरवा तथा ग्राम रशरापुर व उसके मंजरे–तरेवा कुल्ली, तेरवा, देवी पुरवा एवं छोहन पुरवा ग्राम पंचायतें सड़ियापुर व उसके मजरे जरेला, तिकानवा चमरौधा गुड्डन पुरवा कहरौधा आदि बाढ़ पीड़ित पात्र व्यक्तियों को बाढ़ के समय तात्कालिक सहायता के रूप में मात्र एक सौ रुपयों का ही भुगतान किया गया था ? क्या सामग्री के लिये पांच सौ रुपये और नगद एक हजार रुपयों का भुगतान किया जाना प्रस्तावित था ? यदि हां, तो क्या सरकार शेष एक हजार चार सौ रुपयों का भुगतान करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पन्चोड़ा व उसके मजरे सुलतान पुरवा, चपरतला, गुलाबपुरवा तथा ग्राम रसरपुर व उसके मजरे–तेरवा कुल्ली, तेरवा, देवीपुरवा एवं छोहनपुरवा, ग्राम पंचायत सढ़ियापुर व उसके मजरा जरेरा, तिकोनवा, चमरोधा कुड्डनपुरवा, कहरौंधा आदि बाढ़ पीड़ित परिवारों को चिन्हांकित कर तत्कालिक आवश्यकतानुसार पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न आदि सामग्री वितरित की गई ।

शासनादेश सं०–2152/1-11-98-राजस्व–11 दिनांक 31-8-98 के अनुसार मानकों के अनुरूप जहां दैवी आपदा एक माह से अधिक रही हो वहां द्वितीय किश्त के रूप में एक हजार रु० नकद व 500 रु० वस्तुओं के रूप में देने का प्राविधान किया गया था । उक्त ग्रामों/ मजरों में बाढ़ का प्रभाव एक माह से कम ही रहा है । इसलिए एक हजार रु० नकद व 500 रु० वस्तुओं के रूप में देने की आवश्यकता नहीं है ।

अब अहेतुक सहायता की आवश्यकता नहीं है ।

प्रदेश में युवा शक्ति के विकास हेतु युवक मंगल दल एक्ट, प्रस्ताव पारित करने की मांग

77—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कुल कितने "युवक मंगल दल" वर्तमान में सक्रिय हैं ? कुल कितने निष्क्रिय पड़े हैं ? क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्र में युवा शक्ति का विकास में भागीदारी दिये जाने हेतु ग्राम पंचायतों की भांति अनिवार्य गठन एवं आवश्यक धन आवंटन हेतु "युवक मंगल दल एक्ट" पारित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

प्रदेश में लगभग 70,000 युवक मंगल दल गठित हैं, जिनमें से लगभग 40,000 सक्रिय हैं और शेष लगभग 30,000 निष्क्रिय हैं ।

जी नहीं । विभाग स्तर पर ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

जनपद सिद्धार्थनगर, तहसील डुमरियागंज ग्राम परसा में 12 वर्ष पूर्व हुई चकबन्दी के अभिलेख आदि जमा करने की जानकारी

78—श्री उबैदुर्रहमान–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम परसा तहसील डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थ नगर में लगभग 12 वर्ष पूर्व में चकबन्दी हुई थी ? क्या ग्राम परसा तहसील डुमरियागंज का चक तराशी नक्शा, चिट्ठा परताल 2(ए) जिसका चकबन्दी बस्ता संख्या 30 है चकबन्दी अभिलेखागार–सिद्धार्थ नगर व बस्ती में दाखिल नहीं किये गये हैं ? यदि हा, तो दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

ग्राम परसा तहसील डुमरियागंज का बस्ता संख्या–30 अभिलेखों सहित माल अभिलेखागार बस्ती में 28-9-90 को जमा किया गया है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलरामपुर उतरौला के विकास खण्ड गैण्डास बुजुर्ग के ग्राम सभा पिरैला के रामटहल पुत्र भोनू प्रसाद को पट्टे की भूमि का आवंटन

79–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र 157–उतरौला जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड गैण्डास बुजुर्ग के ग्राम सभा पिरैला निवासी रामटहल पुत्र भोनू प्रसाद को दिनांक 5-2-90 में गाटा की खसरा संख्या 271 रकबा 0.022 आवासीय पट्टा दिया गया था ? यदि हां, तो क्या पट्टे की भूमि का कब्जा मिल गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार पट्टे की भूमि पर कब्जा दिला कर न्याय दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

विधान सभा क्षेत्र 157 उतरौला के विकास खण्ड गैण्डास बुजुर्ग, जनपद–बलरामपुर के गांव सभा पिरैला माफी में रामटहल पुत्र भोनू प्रसाद के नाम दिनांक 5-2-90 में गाटा सं० 271–0.022 डि० आबादी स्थल आवंटन नहीं हुआ है । उक्त गाटा सं०–271 आबादी वर्ग 6 की भूमि है । इसे नियमानुसार आवंटित नहीं किया जा सकता है ।

जनपद बाराबंकी के चकबन्दी अधिकारी व बन्दोबस्त अधिकारी लखनऊ के विरुद्ध श्री प्रकाश नारायण श्रीवास्तव प्रवर वर्ग सहायक सिंचाई विभाग सचिवालय उ० प्र० के पत्र पर जांच/कार्यवाही

80–श्री अकबर हुसैन–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री प्रकाश नारायण श्रीवास्तव, अवकाश प्राप्त प्रवर वर्ग सहायक, सिंचाई विभाग, उ० प्र० सचिवालय का जनपद बाराबंकी के चकबन्दी अधिकारीगण व बन्दोबस्त अधिकारी, लखनऊ के विरुद्ध शिकायती-पत्र दिनांक 5-6-1998 एवं दिनांक 18-11-1998 प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त बन्दोबस्त अधिकारी को किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरण कर उनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच किसी उच्च अधिकारी से कराकर अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

शिकायती-पत्रों को जांच हेतु चकबंन्दी आयुक्त को भेजा गया है । प्रकरण की जांच चकबन्दी आयुक्त द्वारा कराई जा रही है । शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद गोरखपुर, तहसील चौरी-चौरा, ग्राम परसौनी-मठिया की फर्जी संस्था द्वारा महिला को गलत लाभ देकर प्लाट नामित करने का शिकायती-पत्र

81–श्रीमती गौरी देवी–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के दूसरे गुरुवार के अता० प्र० सं० 72 के उत्तर के संबंध में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम परसौनी-मठिया, तहसील चौरी-चौरा, गोरखपुर की एक बेनामी, अस्तित्वहीन संस्था से संबंधित एक महिला के नाम धारा 122बी 4(एफ) उ० प्र० भूमि व्यवस्था अधिनियम में गलत लाभ देकर पुनः खारिज किया गया है ? क्या यह सत्य है कि संबंधित प्लाट में पुनः नाम अंकित कराने हेतु प्रयास किया जा रहा है ? इस संबंध में पूर्व विधायक व सांसद श्री फिरंगी प्रसाद विशारद के डी० एम० गोरखपुर व अपर आयुक्त (न्याय) व आयुक्त मण्डल गोरखपुर को दिनांक 1-7-98 ई० से अब तक कितने पत्र प्राप्त हुए हैं ? उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गोरखपुर, सहायक चकबन्दी अधिकारी शिवपुर के विरुद्ध प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

82–श्रीमती गौरी देवी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में सहायक चकबन्दी अधिकारी शिवपुर (निकट मोतीराम अड्डा) गोरखपुर के विरुद्ध माह सितम्बर, 1998 से जनवरी, 1999 तक उप संचालक चकबन्दी (प्रशासन व न्याय) गोरखपुर, एस० ओ० सी०, गोरखपुर, डी० एम० गोरखपुर, चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ व राजस्व मंत्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अलग-अलग कुल कितने पत्र प्राप्त हुए हैं ? क्या इस संबंध में पूर्व विधायक व सांसद श्री फिरंगी प्रसाद विशारद का पत्र दिनांक 27-10-98 भी चकबन्दी आयुक्त, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सहायक चकबन्दी अधिकारी शिवपुर के द्वारा किये गये दुर्व्यवहार से सम्बन्धित एक पत्र तथा कब्जा परिवर्तन सम्बन्धी तीन पत्र प्राप्त हुए हैं ।

जी हां ।

जांच की गई । शिकायत बलहीन पाई गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई, मण्डी परिषद् (गल्ला मण्डी) आवागमन समस्या निराकरण हेतु मण्डी के पीछे से मार्ग बनबाने की मांग

83–श्री श्याम प्रकाश–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई में मण्डी परिषद् (गल्ला मण्डी) में फसलों के सीजन के समय 2-2 माह तक जनपद का मुख्य मार्ग सरकुलर रोड ट्रैक्टरों तथा ट्रकों के जाम के कारण बन्द रहता है ? क्या इस कारण मण्डी परिषद् से आवास विकास कालोनी तथा अन्य मार्गों का आवागमन बन्द हो जाता है ? यदि हां,तो क्या सरकार इस समस्या के समाधान हेतु वाहनों के निकास हेतु मण्डी के पीछे से लखनऊ रोड तक कोई मार्ग बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं ।

अत्यधिक आवागमन के कारण आंशिक व्यवधान रहता है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

धनाभाव के कारण नवीन कार्यों के सृजन पर आन्तरिक प्रतिबन्ध लगा हुआ है ।

जनपद हरदोई, ग्राम सारीपुर छछेटा विकास खण्ड टड़ियावां में चकबन्दी कार्य पूर्ण कराकर कब्जा देने की कार्यवाही की जानकारी

84–श्री श्याम प्रकाश–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के ग्राम सारीपुर छछेटा विकास खण्ड टड़ियावां में क्या चकबन्दी का कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि हां, तो क्या किसानों को प्राप्त नये चकों की मेड़ बंधवाकर उन्हें कब्जा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो मौके पर कब्जा देने की कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

कार्य प्रगति पर है । सेक्टर 10 व 11 में फसल खड़ी होने के कारण चकदारों को कब्जा नहीं दिलाया गया । शेष चकदारों को उनके नये चकों में कब्जा दिला दिया गया है । फसल कटने के बाद सेक्टर 10 व 11 के चकदारों को कब्जा दिला दिया जायेगा । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई मण्डी परिषद् द्वारा अहिरोरी से बरखेरवा मार्ग के निर्माण/मरम्मत की मांग

85–श्री श्याम प्रकाश–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि अहिरोरी से बरखेरवा मार्ग जनपद हरदोई का निर्माण किस वर्ष में मंडी परिषद् द्वारा कराया गया था? क्या निर्माण के बाद कभी टूटी-फूटी, जर्जर सड़क की मरम्मत करायी गयी है ? यदि हां, तो कब और कितनी लागत से ? यदि नहीं, तो क्या उक्त सड़क की मरम्मत करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत निर्माण कार्य वर्ष 1994-95 में कराया गया था ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मण्डी परिषद् द्वारा सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराए जाने का कोई प्राविधान नहीं है ।

86–श्री अफजाल अहमद–

[4थे मंलवार में अता० प्र० सं० 188 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद गाजीपुर, तहसील सैदपुर ग्राम मौधा में चकबन्दी कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

87–श्री श्रीराम यादव–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम मौधा, तहसील सैदपुर जनपद गाजीपुर में नवम्बर, 1983 में चकबन्दी कार्य प्रारम्भ हुआ था ? क्या 15 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक चकबन्दी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या चकबन्दी कार्य शीघ्र पूर्ण किये जाने की कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां । ग्राम मौधा में चकबन्दी क्रिया आरम्भ करने हेतु धारा 4 (क) 2 की विज्ञप्ति राजकीय गजट में दिनांक 12-11-83 को प्रकाशित हुई तद्नुसार ग्राम में प्रकाशन दिनांक 25-12-83 को हुआ है ।

ग्राम अत्यधिक समस्या प्रधान है इसके अतिरिक्त जनपद में बहुत अधिक संख्या में ग्रामों की चकबन्दी पुनः प्रारम्भ करने के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित कर दी गई थी । कार्य की अधिकता के कारण चकबन्दी कार्य पूरा नहीं हुआ है ।

चकबन्दी कार्य पूर्ण करने के लिए समयबद्ध नियोजित कार्यक्रम बनाया गया है । माह जनवरी, 2000 तक धारा–52 के प्रकाशन की संभावना है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

88–श्री जय प्रकाश निषाद–

[दो विभागों से संबंधित होने के कारण निरस्त]

जनपद गोरखपुर, तहसील चौरी-चौरा, ग्राम विशुनपुर मटियरा में प्लाट सं० 405 चकबन्दी प्रक्रिया में डबल होने से उत्पन्न स्थिति के समाधान की मांग

89–श्री तौफीक अहमद–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में वर्ष 1994 ई० में अदालत चकबन्दी अधिकारी चौरी-चौरा गोरखपुर में कितने मुकदमें निर्णीत हुए हैं ? क्या इसमें कोई मुकदमा फिरंगी प्रसाद विशारद बनाम सरकार भी है जिसमें प्लाट नम्बर 405, रकबा 0.016 हे० व प्लाट नं० 406, रकबा 0.101 हे० ग्राम विशुनपुर मटियरा, तप्पा-राजधानी, परगना हवेली, तहसील चौरी-चौरा गोरखपुर से संबंधित धोबी घाट व कपड़ा सुखाने संबंधी कार्य हेतु कुल रकबा 0.116 हे० सुरक्षित हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त नं० 405/0.016 को जो पहले हड़वारी रहा और वर्तमान में हड़वारी हेतु चकबन्दी प्रक्रिया में दूसरी जगह दे दी गयी पूर्व का नम्बर 405 डबल हो गया है ? यदि हां, तो इस डबल को हड़वारी से खारिज कर उक्त प्रयोजन हेतु ही अंकित रहेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

90—क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर में तहसील चौरी-चौरा के ग्राम विशुनपुर मटियरा में चक कब्जा व परिवर्तन का काम इस समय चल रहा है जिसमें दो ग्रामों विशुनपुर मटियरा व सिलहटा की सीमा पर ग्राम-सिलहटा (चकबन्दी से बाहर) की सीमा में श्री राम सुभग पासी का चक, जो ग्राम विशुनपुर मटियरा के हैं ग्राम सिलहटा में भगाकर चककर्ता द्वारा विवाद उत्पन्न कर श्री फिरंगी प्रसाद विशारद पूर्व विधायक व सांसद की पत्नी श्रीमती सिमीरता देवी के खेत सिलहटा में बढ़ाकर गम्भीर विवाद उत्पन्न कर दिये हैं ? यदि हां, तो क्या पुनः इस सेक्टर को नाप कराकर विवाद को समाप्त करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

चकबन्दी अधिकारी चौरी-चौरा के न्यायालय में वर्ष 1994 में कुल 3267 मुकदमें निर्णीत हुए हैं।

जी हां। ग्राम विशुनपुर मटियरा तप्पा राजधानी, परगना हवेली चौरी-चौरा जिला गोरखपुर के वाद संख्या–861 के अन्तर्गत धारा–9 में आदेश दिनांक 30-1-94 फिरंगी प्रसाद विशारद बनाम सरकार से गाटा संख्या–405 क्षेत्रफल 0-016 हे० व गाटा संख्या–406 क्षेत्रफल 0–101 कुल रकबा क्षेत्रफल 0–117 हे० भूमि धोबी घाट व कपड़ा सुखाने हेतु आरक्षित किया गया है।

जी हां।

उक्त गाटा में डबल क्षेत्रफल के सम्बन्ध में कार्यवाही न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत की जा रही है। प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम में कब्जा परिवर्तन का कार्य समाप्त हो गया है और रामसुभग पासी के चक की पैमाइश ग्राम विशुनपुर मटियरा के सीमा के अन्दर ही की गई है मौके पर कोई विवाद नहीं है। प्रश्नगत ग्राम में नियमानुसार सीमांकन एवं कब्जा परिवर्तन की कार्यवाही पूर्ण कर दी गई तथा अब इस ग्राम में श्री फिरंगी प्रसाद विशारद पूर्व विधायक व सांसद की पत्नी श्रीमती सिमीरता देवी की भूमि पर कोई विवाद नहीं है। अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ, मोहनलालगंज में थर्मोकोट फैक्ट्री हेतु अधिग्रहीत भूमि की चेक तरासी जांच/कार्यवाही की जानकारी

91–श्री शिव सिंह चक–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के तीसरे गुरुवार के अता० प्र० सं० 124 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब फैक्ट्री द्वारा अधिग्रहीत भूमि का रकबा वर्तमान वर्ष 1998 में अधिग्रहीत भूमि से अधिक नहीं है, तो क्या सरकार उक्त की पुनः पैमाइश मुख्य राजस्व अधिकारी लखनऊ से चेक तरासी जांच कराने के आदेश देने के साथ जांच रिपोर्ट के आधर पर पूर्व में शासन को गलत सूचना देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं।

पूर्व में क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक से पैमाइश कराई गई थी जिसमें मौके पर रकबा कम, अधिक अथवा अतिक्रमण नहीं पाया गया। अतः पुनः पैमाइश/कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती, मण्डी परिषद् द्वारा ग्राम नगहरा एवं पोखर भिट्टी मार्ग के निर्माण को पूर्ण कराने की मांग

92–श्री राम ललित चौधरी–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में मण्डी परिषद् द्वारा विकास खण्ड साऊंघाट में ग्राम नगहरा एवं ग्राम पोखर भिट्टी परसा लालशाही में लेपन स्तर तक का मार्ग स्वीकृत है ? यदि हां, तो लगभग सात वर्ष बीत जाने के बाद भी इन मार्गों के निर्माण को पूरा न कराये जाने

का क्या कारण है ? क्या सरकार नगहरा और पोखर भिट्टी मार्ग का 500 मीटर का अवशेष निर्माण कार्य करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

मण्डी की ऋणात्मक स्थिति तथा निर्माण कार्य चयनित अनुबन्ध में होने के कारण ।

इस मार्ग का निर्माण चयनित अनुबन्ध में है । चयनित अनुबन्ध के कार्यों को पूर्ण करने हेतु मण्डी परिषद् की बैठक दिनांक 10-12-98 में लिये गये निर्णयानुसार शेष बचे कार्य को निविदा आमंत्रित करके पूर्ण कराया जाना है । मण्डी परिषद् के उक्त निर्णयानुसार कार्यवाही प्रगति पर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अलीगढ़ मण्डी परिषद् द्वारा हाथरस के मार्गों के अवरुद्ध निर्माण कार्य को पूर्ण करने की प्रचलित प्रक्रिया

93–श्री रामवीर उपाध्याय–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र हाथरस की चंदपा से महमूदपुर ब्राह्माणान, अर्जुनपुर होते हुए लुहेटा तक सड़क पर मण्डी परिषद् द्वारा सन् 1997 में कार्य शुरू कराया गया था जिसका निर्माण कार्य बन्द करा दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? उपरोक्त सड़क का कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

जी नहीं । नीतिगत निर्णय के तहत चयन अनुबन्ध के कार्यों पर धन अवमुक्त नहीं किया गया है, फलस्वरूप कार्य बन्द नहीं अपितु अवरुद्ध है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चयन अनुबन्ध के कार्यों को पूर्ण करने हेतु माननीय परिषद् की बैठक दिनांक 10-12-98 में लिये गये निर्णयानुसार इस सम्पर्क मार्ग का कार्य यथास्थिति के आधार पर अन्तिम किया जाना है तथा अवशेष कार्य को नियमित टेण्डर की प्रक्रिया के अन्तर्गत पूरा कराया जाना है, तद्नुसार कार्यवाही प्रचलित है, ऐसी स्थिति में समय सीमा निर्धारित किया जाना संभव नहीं है ।

जनपद बलिया, सीयर के बाढ़ प्रभावित ग्रामों में पीड़ित परिवारों को वितरित सामग्री की जानकारी

94–श्री हरदेव सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर अन्तर्गत ग्राम सभा भदौसरा तरछापार के कितने किसान विगत वर्ष 1998 की बाढ़ से प्रभावित हुए ? कितने हेक्टेयर किसानों की फसलें बाढ़ से प्रभावित हुई ? क्या उक्त प्रभावित किसानों को शासन व जिला स्तर से कोई राहत, छूट, दवा, बीज, लगान माफी आदि दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इसमें शिथिलता बरतने वालों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए तत्काल राहत सामग्री आदि की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जनपद बलिया के विकास खंड सीयर अन्तर्गत ग्राम भदौरा तरछापार के कुल 292 परिवार (किसान) एवं 147 हेक्टेयर खरीफ की फसल बाढ़ से प्रभावित हुई ।

बाढ़ से प्रभावित किसानों को राहत के रूप में निःशुल्क गेहूं, नमक, दियासलाई, मोमबत्ती, चना, मूरी, चिउड़ा आदि सामग्री का वितरण किया गया। अहेतुक सहायता के रूप में रु० 1000/–प्रति परिवार की दर से चेक के माध्यम से वितरण किया गया। किसानों का लगान माफ किया गया।

बाढ़ प्रभावित किसानों को नियमों के अन्तर्गत सहायता दी गई है।

राजस्व परिषद् में कार्यरत सदस्यों एवं लम्बित वादों की संख्या का विवरण

95–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजस्व परिषद् में कुल कितने सदस्य कार्यरत हैं ? परिषद् में माह दिसम्बर, 1998 तक कुल कितने वाद लम्बित थे ? क्या यह सच है कि राज्य सरकार का एक प्रमुख निकाय जिसका संबंध सीधे राज्य के राजस्व से है, के सदस्य के रूप में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति दण्ड स्वरूप की जाती है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों है ? राजस्व परिषद् को जनोपयोगी दायित्व सौंपे जाने हेतु क्या सरकार के पास कोई योजना है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

राजस्व परिषद् में कुल 12 सदस्य हैं, जिसमें 3 प्रशासनिक सदस्य (अध्यक्ष को सम्मिलित करते हुए) तथा 9 न्यायिक सदस्य हैं।

माह दिसम्बर, 1998 तक कुल लम्बित वादों की संख्या 23,549 थी।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश वित्त निगम, मण्डली उद्योग बन्धु द्वारा जनपद गाजियाबाद में बीमार घोषित इकाइयों के पुनर्स्थापना की संख्या की जानकारी

96–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या लघु उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० वित्त निगम द्वारा मण्डली उद्योग बन्धु द्वारा घोषित लघु उद्योग में बीमार इकाई की पुनर्स्थापना के लिए कोई सुविधा दी जा रही है ? यदि हां, तो गाजियाबाद जिले में कितनी इकाईयों को बीमार घोषित किया गया तथा उनमें से कितनी इकाईयों की पुनर्स्थापना की गयी है ? वर्ष 1997-98 एवं 1998-99 में गाजियाबाद में कितनी इकाईयों द्वारा ओ०टी०एस० मांगा गया तथा वित्त निगम द्वारा उनके प्रस्ताव के निस्तारण के लिए क्या प्रयास किये गये ?

श्री बाबूराम एम०काम०–

(क) जी हां।

(ख) जनपद गाजियाबाद में 3 इकाईयों को बीमार घोषित किया गया जिनमें से अब तक किसी भी इकाई को पुनर्स्थापित नहीं किया जा सका है।

(ग) वर्ष 1997-98 में 32 इकाईयों तथा 1998-99 में 16 इकाईयों द्वारा ओ०टी०एस० मांगा गया ।

(घ) वित्त निगम द्वारा वर्ष 1997-98 में 20 इकाइयों तथा वर्ष 1998-99 में 5 इकाईयों को ओ०टी०एस० की सुविधा प्रदान की गई ।

जनपद बांदा, आदर्श करघा उद्योग सहकारी समिति लि० तिंन्दवारी के विवादास्पद गाटा सं०–985 को बेचने की जांच/कार्यवाही की मांग

97–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा में आदर्श करघा उद्योग सह० समिति लि० तिन्दवारी, बांदा व श्री लक्ष्मी नरायन गुप्ता के बीच समिति की भूमि गाटा सं० 985 रकबा 18 डिस्मिल को लेकर विवाद चल रहा है ? यदि हां, तो क्या विवादास्पद गाटा सं० 985 को श्री गुप्ता द्वारा अवैध ढंग से बेच कर समिति को हानि पहुंचाई जा रही है ? क्या उक्त प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा आदर्श करघा उद्योग सहकारी समिति लि० तिन्दवारी की भूमि की पैमाइश 'सीमांकन' कराने की जानकारी

98–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा के नगर क्षेत्र तिन्दवारी में आदर्श करघा उद्योग सहकारी समिति लि०, तिन्दवारी, बांदा के नाम कितनी भूमि दर्ज है ? कितनी भूमि पर मौके पर समिति का कब्जा है ? क्या यह सही है कि समिति की जमीन पर अवैध निर्माण करने की साजिश की जा रही है ? यदि हां, तो क्या पैमाइश कराकर समिति की भूमि का सीमांकन कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जनपद बांदा के नगर क्षेत्र तिन्दवारी में आदर्श करघा उद्योग सहकारी समिति लि० तिन्दवारी के अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण गुप्ता पुत्र इच्छाराम के नाम गाटा संख्या–985 रकबा 0–18 एकड़ भूमि दर्ज है ।

उक्त सम्पूर्ण भूमि पर समिति के अध्यक्ष का कब्जा है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्, उत्तर प्रदेश लखनऊ में पिछड़े वर्ग के आरक्षण कोटे के अन्तर्गत अवर अभियन्ताओं की नियुक्ति

99–श्री लालजी वर्मा–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि राजकीय कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् उ० प्र० लखनऊ में निदेशक, मण्डी परिषद् द्वारा दिनांक 26-9-94 को चयन समिति गठित कर पिछड़े वर्ग के आरक्षित कोटे के अन्तर्गत कुछ अवर अभियन्ताओं की नियुक्ति नियमित वेतनमान पर की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त अवर अभियन्ता नियुक्ति से लगातार नियमित वेतनमान में कार्यरत थे ? यदि हां, तो क्या अब उक्त अवर अभियन्ताओं की सेवा समाप्ति का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी पिछड़े वर्ग के आरक्षित कोटे को ध्यान में रखते हुए उनकी सेवायें बहाल करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

प्रकरण से संबंधित मूल पत्रावली खो जाने के कारण प्रश्नगत नियुक्तियों की प्रक्रिया तथा उनके हेतु दर्शायी गयी रिक्तियों की प्रकृति की पुष्टि किया जाना संभव नहीं है ।

जी हां ।

जी हां ।

क्योंकि प्रश्नगत अवर अभियन्ताओं के नियुक्ति पत्र सक्षम प्राधिकारी के स्तर से निर्गत नहीं किये गये थे ।

जी नहीं ।

क्योंकि उक्त नियुक्तियां सक्षम स्तर से नहीं की गयी थीं ।

100–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

[मा० सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

अल्मोड़ा मण्डल मध्य की भूमि संरक्षण इकाइयों में धन दुरुपयोग की आडिट आपत्तियों की जांच/कार्यवाही की जानकारी

101–डा० धर्मेश मिश्र–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1991 से 1995 के मध्य अल्मोड़ा मण्डल में कुल कितनी भूमि संरक्षण इकाइयों के कार्यों के वित्तीय और तकनीकी आडिट हुए ? इन आडिट आपत्तियों में कितने धन के दुरुपयोग का मामला प्रकाश में आया ? उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

वर्ष 1991 से 1995 के मध्य अल्मोड़ा मण्डल के अन्तर्गत 8 भूमि संरक्षण इकाईयों यथा–अल्मोड़ा, बागेश्वर, ताड़ीखेत, रानीखेत, नैनीताल, हल्द्वानी, पिथौरागढ़ एवं डीडीहाट के वित्तीय आडिट कृषि विभाग के मुख्यालय स्थित सम्प्रेक्षण अनुभाग तथा 7 भूमि संरक्षण इकाईयों यथा–अल्मोड़ा, बागेश्वर,

ताड़ीखेत, रानीखेत, नैनीताल, हल्द्वानी तथा डीडीहाट के वित्तीय आडिट महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद के स्तर से हुए ।

भूमि संरक्षण इकाई, रानीखेत तथा ताड़ीखेत के वर्ष 1994-95 के कार्यों के तकनीकी आडिट वर्ष 96-97 में हुए ।

वित्तीय आडिटों में मुख्यालय स्थित वित्तीय सम्प्रेक्षण अनुभाग तथा महालेखाकार, उ० प्र० इलाहाबाद द्वारा उक्त इकाईयों में धन के उपयोग पर आपत्तियां उठाई गयी । जिस पर सम्बन्धित भूमि संरक्षण अधिकारी/उप कृषि निदेशक (भू०सं०)/ विभाग द्वारा इन वित्तीय आडिट आपत्तियों पर अनुपालन आख्या वित्तीय सम्प्रेक्षण अनुभाग कृषि निदेशालय तथा महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित की गयी । जिसके परिप्रेक्ष्य में उनके द्वारा सन्तुष्ट होते हुए अधिकांश प्रस्तरों को निरस्त किया जा चुका है तथापि कतिपय प्रस्तर कृषि निदेशालय/महालेखाकार के स्तर पर लम्बित है । इन लम्बित प्रस्तरों के निस्तारणोपरान्त ही धन दुरुपयोग की स्थिति स्पष्ट हो सकती है । इन लम्बित प्रस्तरों की सूची मेरे कार्यालय कक्ष में देखी जा सकती है ।

तकनीकी आडिटों एवं तत्सम्बन्धी प्रारम्भिक जांच रिपोर्टों के आधार पर भूमि संरक्षण इकाई रानीखेत में रु० 7908334.00 तथा भूमि संरक्षण इकाई, ताड़ीखेत में रु० 4290969.28 के सम्भावित दुरुपयोग के मामले प्रकाश में आये ।

तकनीकी आडिट से संबंधित दोनों प्रकरणों में तत्कालीन भूमि संरक्षण अधिकारियों के विरुद्ध सी०सी०ए० नियमों के अन्तर्गत जांच की कार्यवाही चल रही है ।

वित्तीय आडिट आपत्ति प्रस्तर जो कृषि निदेशालय एवं महालेखाकार के स्तर पर लम्बित है, में यदि कोई धन के दुरुपयोग का मामला प्रकाश में आता है तो उस पर अवश्य ही कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद कुशीनगर, तहसील कसया श्री तुफैल अहमद निवासी भुलही मदरापट्टी चक सं० 1006 (नया नम्बर 919) पार्ट बैनामा की भूमि राज्य सरकार में निहित करने का निर्गत आदेश

102–श्री जय प्रकाश निषाद–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1998 के तीसरे गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–46 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि, तुफैल अहमद पुत्र श्री इफ्तिखार अहमद निवासी–भुलही मदरापट्टी, तप्पा–मैनपुर, परगना–सि० जोबाना, तह० कसया, जनपद कुशीनगर द्वारा सुन्दर पुत्र मोसरफ के चक संख्या 1006 (नया नम्बर–919) कुल रकबा दो एकड़ अट्ठावन डिसमिल में से अंश रकबा एक एकड़ दो डिसमिल का चकबन्दी के दौरान लिये गये पार्ट बैनामा दि० 8-6-88 पंजीकृत दिनांकित 26-12-88 वाले प्रकरण में पत्रावली में मौजूद राज्य सरकार की ओर से दाखिल प्रश्नोत्तर दिनांकित 16-3-98 के मद्देनजर क्या यह सही है कि सुन्दर पुत्र मोसरफ ने 5 सी परमीशन के लिये कोई प्रार्थना-पत्र दिया ही नहीं था ? यदि हां, तो क्या राजस्व परिषद् के आर० डी० 1970 के पेज 311 (वी० आर०) नियमन के परिपेक्ष्य में उक्त भूमि को राज्य सरकार में निहित करने हेतु शासन स्तर से आदेश निर्गत किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जिला स्तर पर वांछित अभिलेखों की तलाश करायी जा रही है ।

दिनांक 1-12-98 को उपरोक्त पार्ट बैनामा की भूमि को 168 ए से बाधित मानते हुए राज्य सरकार में निहित करने का आदेश दिया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों में सेवारत सेन्ट्रल सेक्टर योजनान्तर्गत समायोजित स्टाफ को पदानुसार ग्रेड की मांग

103–श्री लवकुश कुमार–

क्या दुग्ध विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों में सेवारत सेन्ट्रल सेक्टर योजनान्तर्गत स्टाफ का पुनः समायोजन कर लिया गया है ? क्या उन्हें पदानुसार ग्रेड नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी पुनः समायोजित स्टाफ को पदानुसार ग्रेड दिलायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयपाल सिंह–

जी नहीं ।

जी हां ।

पद उपलब्ध न होने के कारण ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चूंकि भारत सरकार की वित्त पोषित समयबद्ध सेन्ट्रल सेक्टर योजना दिनांक 31-3-1998 तक चालू रही इसलिए योजना समाप्त होने के बाद संविदा पर परियोजना कार्यकाल तक के लिए रखे गये कर्मचारियों की सेवायें परियोजना के साथ ही समाप्त हो गयीं । मा० उच्च न्यायालय के आदेश का समादर करते हुए याचीगण को संविदा पर रखा गया है ।

जनपद उन्नाव तहसील हसनगंज, प्रताप इण्डस्ट्रीज मखदूमपुर पर बकाया धनराशि के संबंध में कार्यवाही की जानकारी

104–श्री तेजभान सिंह–

क्या लघु उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव में तहसील हसनगंज के सबसे बड़े कर्जदार प्रताप इण्डस्ट्रीज मखदूमपुर पर रु० 28,14,735.10 की आर०सी० जिलाधिकारी, उन्नाव के पास है ? यदि हां, तो क्या इस पर दीवानी न्यायालय की वाद संख्या–404/99 विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या न्यायालय का स्थगन आदेश पारित है ? यदि नहीं, तो उसमें क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बाबूराम एम० काम०–

जी नहीं ।

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता ।

विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री आबिद अली अंसारी, डा० तारादेवी, श्री राजा कृष्णपाल सिंह तथा हाजी मोहम्मद वसीम अंसारी के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष–

अब निधन के निर्देश लेने जा रहे हैं ।

(सदस्यों के आपस में बातचीत करने पर ।)

कम से कम शोक प्रस्ताव के समय तो शांत रहें ।

* संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, अत्यन्त खेद के साथ सदन को सूचित करना पड़ रहा है कि सत्र के दौरान इस सदन के 4 भूतपूर्व सदस्य जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में व सदन के माध्यम से देश व प्रदेश की सेवा की थी उनका निधन हो गया । यह चारों ऐसी विभूतियां थीं जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी । इनमें से भूतपूर्व सदस्य श्री आबिद अली अंसारी जी का निधन 30 जनवरी, 1999 को हो गया । वह 81 वर्ष की आयु के थे । उनका जन्म 13 जुलाई, 1918 को ग्राम अटारी जिला सीतापुर में हुआ था । 1979 के मध्यावधि चुनाव में लहरपुर से वह निर्वाचित हुये और तत्पश्चात् कांग्रेस के टिकट पर 1994 में दोबारा निर्वाचित हुए ।

[12 बजकर 25 मिनट ।

1997 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट से निर्वाचित हुए, चौधरी चरण सिंह और कमलापति त्रिपाठी जी के मंत्रिमण्डल में उपमंत्री रहे और उसके बाद श्री राम नरेश यादव तथा बनारसी दास मंत्रिमण्डल में मंत्री रहे । आबिद अली अंसारी के स्वर्गवास से सीतापुर में ही नहीं बल्कि प्रदेश में एक रिक्तता हुई हैं । मेरा आग्रह है कि मेरी ओर से और हमारे दल की ओर से उनके शोक-संतप्त परिवार को हमारी श्रद्धांजलि भेजने का कष्ट करें ।

मान्यवर, इसी प्रकार डा० तारादेवी का 9 फरवरी, 1999 को निधन हो गया, उनका जन्म 10 जून, 1999 को जिला गोरखपुर में हुआ था । 1957 में वह निर्वाचित हुई । 1940 की आजादी की लड़ाई में उसके बाद 1942 में दो बार देश की आजादी के लिए जेल गयीं । मान्यवर, डा० तारा देवी का जीवन एक आदर्श जीवन था, उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी । इस सदन के माध्यम से प्रदेश की व अपने क्षेत्र की सेवा की । उनके निधन से एक रिक्तता हुई है । मेरा निवेदन है कि मेरी ओर से तथा मेरे दल की ओर से उनके शोक-संतप्त परिवार तक हमारी श्रद्धांजलि भेजने का कष्ट करें ।

विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य राजा कृष्णपाल सिंह का 80 वर्ष की आयु में 20 फरवरी, 1999 को निधन हो गया है । राजा कृष्णपाल सिंह 1962 के निर्वाचन में जिला रायबरेली से जनसंघ के टिकट पर निर्वाचित हुए थे वह एक कर्मठ तथा मेधावी पुरूष थे । मान्यवर, मेरा आग्रह है कि हमारी ओर से तथा इस सदन की ओर से उनके शोक-संतप्त परिवार को हमारी श्रद्धांजलि भेजने का कष्ट करें ।

श्री हाजी मोहम्मद वसीम अंसारी का निधन 5 मार्च, 1999 को हो गया । वह 69 वर्ष की आयु के थे । मान्यवर, 12 फरवरी, 1930 को जायस जिला रायबरेली इनका जन्म हुआ था । 1980 में सर्वप्रथम निर्वाचित हुए उसके बाद 1985, 1989 तथा 1991 में विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए । वसीम अंसारी एक कर्मठ कार्यकर्ता थे । उन्होंने अपने क्षेत्र तथा जनपद की सेवा की उनके निधन से रायबरेली

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ने एक साहसी योद्धा खो दिया है जिससे सामाजिक जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रिक्त हो गया है। मेरा आग्रह है कि हमारी ओर से तथा इस सदन की ओर से उनके शोक-संतप्त परिवार को श्रद्धांजलि भेजने का कष्ट करें।

*श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, इस आदरणीय सदन में आज चार-चार भूतपूर्व सदस्यों के निधन के बारे में माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो शोक-संवेदना व्यक्त की है उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। श्रीमन्, 4 भूतपूर्व सदस्य स्वर्गीय आबिद अली अंसारी जिनके साथ वर्ष 1977 में जनता पार्टी के राज्य में मुझे भी काम करने का मौका मिला था। श्रीमन्, आबिद अली अंसारी बहुत ही सरल स्वभाव के थे। वह बी०एस०सी० पास थे। वह पहली बार कमलापति त्रिपाठी जी के मंत्रिमण्डल में उपमंत्री के रूप में, आदरणीय चौधरी चरण सिंह के मंत्रिमण्डल में उपमंत्री के रूप में, 1977 में जब जनता पार्टी का राज्य बना तो उस शासन में परिवहन मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया। वह कई कमेटियों के सदस्य भी रह चुके हैं। विशेषकर परिवहन और समाज कल्याण के और मोमिन अंसार कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं। उनका जन्म सीतापुर के लहरपुर में हुआ था उनके निधन से न केवल सीतापुर जनपद के और उनके क्षेत्र की हानि हुई है। मैं समझता हूं उनके निधन से पूरे प्रदेश की क्षति हुई। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी ओर से और हमारी पार्टी की ओर से व उनके समर्थकों को शोक संवेदना पहुंचाने की कृपा करें।

डा० तारा देवी जिनका निधन गोरखपुर में हुआ था लेकिन उनका कार्य क्षेत्र जनपद जौनपुर था। डा० तारा देवी ने हमारे देश का गौरव बढ़ाने का काम किया था। देश की आजादी में उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था और इसी का नतीजा हुआ कि हम स्वतंत्र हुए वह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर आई थीं और उनके क्षेत्र में जो व्यवहार था उस व्यवहार से हम उनको अपने परिवार के सदस्य के रूप में मानते हैं। उनके निधन से न केवल जौनपुर बल्कि सारे देश में एक रिक्तता आई है क्योंकि देश की आजादी की लड़ाई मे उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। उनके निधन के सम्बन्ध में निवेदन है कि मेरी और मेरी पार्टी की ओर से उनके परिवार जनों तक और समूचे देश को शोक संवेदना भेजने की कृपा करें।

राजा कृष्णपाल सिंह जनसंघ के टिकट पर चुनाव जीते थे रायबरेली जनपद उनकी कर्म स्थली थी उनके चुनाव की भी वह स्थली थी। अपने क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर उन्होंने काम किया। उनके निधन से केवल उस पार्टी की ही नहीं क्षति हुई है, रायबरेली जनपद की ही क्षति नहीं हुई है बल्कि मैं समझता हूं कि प्रदेश को उससे रिक्तता आई है मेरा निवेदन है कि हमारी शोक संवेदनाएं उनके परिवार और उनके समर्थकों को पहुंचाने की कृपा करें। श्री हाजी वसीम अंसारी रायबरेली जनपद में जिनका जन्म हुआ था उन्होंने दो बार हज किया था उन्होंने इस देश में भाई चारा, हिन्दू मुस्लिम एकता का संदेश दिया जिसे आज भी उनके जनपद के लोग याद करते हैं। उनके निधन से केवल रायबरेली ही नहीं बल्कि समूचे प्रदेश में रिक्तता आई है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारी और हमारी पार्टी की शोक संवेदनाएं उनके शोक संतप्त परिवार और उनके समर्थकों तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, अभी संसदीय कार्य मंत्री एवं नेता समाजवादी पार्टी ने इस सदन के पूर्व माननीय सदस्यों श्री आबिद अली अंसारी, डा० तारा देवी, श्री कृष्णपाल सिंह, श्री हाजी मोहम्मद अंसारी के निधन पर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शोक संवेदना रखी, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं। आबिद अली अंसारी इस सदन के तीन बार सदस्य रह चुके हैं। 1969, 74, 77 में वह सदस्य रहे। श्री कमलापति त्रिपाठी, चौधरी चरण सिंह और राम नरेश यादव, बनारसी दास के मुख्यमंत्रित्व काल में मंत्री रहकर प्रदेश की सेवा की। विशेष रूप से अंसारी बिरादरी में पैदा होने के नाते बुनकरों में उनकी गहरी पैठ थी। उनके रहने से केवल बुनकर समाज ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में उसका अभाव है। उनके निधन से हम सब लोग दुखी हैं। मैं अपनी ओर से और बहुजन समाज पार्टी की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन हैं कि उनके परिवारजन तक हमारे संवेदना के भाव पहुंचाने का कष्ट करें।

मान्यवर, डा० तारा देवी जी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रही हैं। अनेक आन्दोलनों में अपने देश की शान के लिये वह जेल भी गयी हैं। साथ ही साथ इस विधान सभा में 1957 के उप चुनाव में वह यहां पर आयीं थीं। उनके निधन से आज जौनपुर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में लोगों में एक संवेदना है मैं उनके निधन के प्रति शोक-संवेदना व्यक्त करता हूं और आप से अनुरोध करता हूं कि हमारी ओर से और हमारी पार्टी की ओर से शोक संवेदना के यह भाव उनके परिवार जन तक पहुंचाने का कष्ट करें।

मान्यवर, स्वर्गीय श्री राजा कृष्णपाल सिंह रायबरेली जनपद के रहने वाले थे। 1962 में इस माननीय सदन में चुनकर आये थे वह लम्बी उम्र तक रायबरेली जनपद की सेवा करते रहे। उच्च कुलीन परिवार के होने के बावजूद भी छोटे लोगों के प्रति उनकी हमदर्दी थी। उनके निधन से रायबरेली में एक शोक की लहर है। उनके निधन से हम सभी लोग दुःखी हैं। मैं अपनी ओर से तथा बहुजन समाज पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी यह संवेदना के भाव उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

मान्यवर, हाजी मोहम्मद वसीम अंसारी रायबरेली जनपद के रहने वाले थे तिलोई विधान सभा क्षेत्र से 1980, 85, 89 और 1991 में लगातार चार बार जीतकर वह इस विधान सभा में आये। अपनी लम्बी बीमारी के कारण उनका निधन 5-3-1999 को हो गया। उनके निधन से आज रायबरेली में घोर शोक है उनके निधन पर मैं अपनी ओर से एवं बहुजन समाज पार्टी की ओर से शोक संवेदना अर्पित करता हूं और आप से निवेदन है कि संवेदना के यह भाव उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

* लघु सिंचाई, ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री (श्री मारकण्डेय चन्द)–

मान्यवर, इस सम्मानित सदन के भूतपूर्व सदस्य स्वर्गीय आबिद अली अंसारी, डा० तारा देवी, राजा कृष्णपाल सिंह तथा हाजी मोहम्मद अंसारी के निधन के प्रति माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी ने जो शोक संवेदना व्यक्त की है उससे मैं अपने को तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और ईश्वर तथा अल्लाह से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को शान्ति प्रदान करें तथा उनके दुखी परिवार को इस दुःख को सहन करने की शक्ति दे और आपसे अनुरोध है की हमारे दल की यह संवदनाएं उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

(उ०प्र० लोकतांत्रिक कांग्रेस के नेता को पुकारे जाने और उनके सदन में अनुपस्थित होने पर नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पुकारे जाने पर)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, निधन के निर्देश पर तो कम से कम बोलना चाहिए था। दो-दो मंत्री बैठे हैं कोई भी बोल सकता था।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हुकुम सिंह–

हर चीज में निन्दा करना अच्छा नहीं है । इस अवसर पर भी ।

श्री प्रमोद कुमार–

क्या इस समय प्रशंसा करूं ?

श्री अध्यक्ष–

आप अपनी बात कहें ।

*श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी आज यह सदन दुःखी मन से अपने 4 भूतपूर्व सदस्यों के प्रति शोक सम्वेदना अर्पित कर रहा है । इन सदस्यों के प्रति जो विचार संसदीय कार्य मंत्री, अवधेश जी, माननीय श्री मारकण्डेय चन्द जी, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने रखे हैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं । श्री आबिद अली साहब आदरणीय राम नरेश यादव और बनारसी दास जी के मुख्य मंत्री काल में कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में रहे । उन्होंने अंसारी समुदाय के हित के लिये महत्वपूर्ण भूमिका अपनाई । इन्होंने सदैव अपना जीवन गरीबों के हितों के लिये, संघर्ष के लिये जिया । माननीया डा० तारादेवी उन हस्तियों में से थीं जो आजादी के दौरान देश की आजादी के लिये लड़ी और जेल गईं उसके बाद जब महिलाएं बहुत कम सक्रिय राजनीति में आती थीं जौनपुर से कांग्रेस के टिकट पर प्रतिनिधित्व किया और निर्वाचित हुईं । राजा कृष्ण पाल जी ने रायबरेली का प्रतिनिधित्व किया । मुझे उनके बारे में कहते हुए व्यक्तिगत रूप से हार्दिक कष्ट हो रहा है । वे 80, 85 89 और 91 में 4 बार लगातार विधान सभा के सदस्य रहे और मुझे उनके साथ बैठने का मौका मिला । वे बड़े सहृदय, सरल, मृदुभाषी थे । हाजी मोहम्मद वसीम अंसारी साहब के निधन से एक शून्य उत्पन्न हो गया है । वे मोमिन कान्फ्रेंस के अध्यक्ष थे । स्वर्गीय इन्दिरा गांधी, संजय जी, राजीव जी के साथ और बाद में आदरणीया सोनिया जी के साथ सदैव क्षेत्र में विकास में लगे रहे । रायबरेली और सुल्तानपुर के लिये अपने को समर्पित किये रहे । उनकी बीमारी के अन्तिम समय में सोनिया जी ने विशेष वायुयान द्वारा दिल्ली बुलाया उसके बाद भी ऐसे अति मूल्यवान जीवन को बचाया नहीं जा सका । जनपद रायबरेली के कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उनके निधन से कांग्रेस पार्टी को रायबरेली और सुल्तानपुर में ऐसी क्षति हुई है जिसका भर पाना मुश्किल है । सारी मानवता पीड़ित हुई है । सभी को दुःख है । इन चार भूतपूर्व सदस्यों के प्रति मैं अपने व अपने दल की तरफ से शोक सम्वेदनाएं अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन है कि उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

* श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, आबिद अली अंसारी, डा० तारादेवी, राजा कृष्णपाल सिंह और हाजी मोहम्मद वसीम अंसारी यह चारों लोग इस माननीय सदन के मेम्बरान रहे हैं । इनके न रहने से एक कमी हमेशा पब्लिक लाइफ में रह जायेगी और मैं चाहूंगा कि मेरी तरफ से और मेरे दल की तरफ से आप हमारी शोक सम्वेदनाएं उनके परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

उद्यान मंत्री (चौधरी लक्ष्मी नारायण) (लोकतांत्रिक कांग्रेस)–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने आज जो निधन के शोक प्रस्ताव पेश किया है मैं अपने को और अपने दल को उससे सम्बद्ध करते हुए आपसे अनुरोध करूंगा कि श्री आबिद अली अंसारी,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

डा० तारादेवी, राजा कृष्णपाल सिंह और हाजी मोहम्मद वसीम अंसारी इन चारों भूतपूर्व विधान सभा के सदस्यों के परिवारों तक मेरे व मेरे दल की तरफ से शोक सम्वेदनाएं पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज अत्यन्त दुख की घड़ी है जब यह सदन अपने चार भूतपूर्व सदस्यों के दिवंगत होने पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर माननीय संसदीय कार्यमंत्री, नेता समाजवादी पार्टी, नेता बहुजन पार्टी, नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नेता भारतीय किसान कामगार पार्टी ने जो विचार व्यक्त किया है उनसे मैं अपने आप को सम्बद्ध करता हूं।

मान्यवर, स्व० आबिद अली अंसारी साहब इस सम्मानित सदन के 1969, 1974, 1977 में सदस्य रहे वह स्व० चौधरी चरण सिंह व स्व० कमलापति त्रिपाठी और स्व० बनारसीदास जी के मंत्रिमण्डल में मंत्री रहे, उनके निधन से सीतापुर जनपद की ही नहीं पूरे प्रदेश की अपूरणीय क्षति हुई है।

मान्यवर, डा० तारादेवी जी जिनकी भूमिका स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ी रही है, वह आज हमारे बीच में नहीं हैं। डा० तारा देवी जी 1957 में एक बार इस सम्मानित सदन की सदस्य रहीं उनके निधन से जौनपुर और उत्तर प्रदेश की अपूरणीय क्षति हुई है।

इसी तरह से मान्यवर, राजा कृष्णपाल सिंह जी 1962 में इस माननीय सदन के सदस्य रहे उनके निधन से हम सभी बेहद दुखी हैं।

मान्यवर, हाजी मोहम्मद वसीम अंसारी साहब चार बार इस विधान सभा के सदस्य रहे हैं 1980, 1985, 1989 एवं 1991 में यह विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं। मैं अपने तथा अपने दल की ओर से इन महान विभूतियों के निधन पर श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरी तथा मेरे दल की शोक संवेदनायें उनके परिवारजनों तब पहुंचाने की कृपा करें।

* श्री रामजग–

मान्यवर, इस सदन के चार सम्मानित सदस्य श्री आबिद अली अंसारी, डा० तारा देवी, राजा कृष्ण पाल सिंह, हाजी मोहम्मद वसीम अंसारी का निधन हो गया। इसमें आबिद अली अंसारी साहब तीन बार चुनकर आए थे। मंत्रिमण्डल में भी कुछ पदों पर रहकर उन्होंने सेवा की। डा० तारादेवी इस सम्मानित सदन की एक बार सदस्य रहीं उन्होंने देश के लिए आजादी के आन्दोलन में अग्रणी भूमिका अदा की। इनके निधन से अपूरणीय क्षति हुई है। इस संबंध में माननीय संसदीय कार्य मंत्री, नेता समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, नेता जनता दल, नेता जन बसपा, नेता लोकतांत्रिक कांग्रेस ने जो विचार प्रकट किए हैं उससे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। इन चारों नेताओं के निधन से अपूर्णनीय क्षति हुई है इससे हम सभी दुखी हैं। मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि आप हमारी और हमारे दल की शोक संवेदनायें उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

वन मंत्री (श्री रघुवर दयाल वर्मा)–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी और अन्य नेताओं ने जो शोकोद्गार भूतपूर्व स्वर्गीय सदस्य श्री आबिद अली अंसारी, डा० तारा देवी, राजा कृष्णपाल सिंह, हाजी मोहम्मद वसीम अंसारी साहब के बारे में व्यक्त किए हैं उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। इन चारों महानुभावों ने अपने-अपने क्षेत्र की सराहनीय सेवा की है। मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि हमारी और हमारे दल की शोक संवदनायें उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

विगत दो माह में इस सदन के चार पूर्व सदस्यों का निधन हो गया । इस सदन में विभिन्न माननीय सदस्यों के द्वारा उनके प्रति जो शोकोद्‌गार प्रकट किये गये हैं मैं अपने को उनसे सम्बद्ध करता हूं । श्री आबिद अली अंसारी का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया । वे इस सदन के तीन बार सदस्य रह चुके हैं । एक बार उप मंत्री और एक बार कैबिनेट स्तर के मंत्री रहे । 1977 में रामनरेश यादव जी के मंत्रि-परिषद् में मेरे साथी थे । वे बहुत ही सरल और सहृदय स्वभाव के व्यक्ति थे और अपने विभाग में रुचि लेते थे । उन्होंने विधान सभा की कुछ समितियों के सदस्य के रूप में सक्रिय भूमिका निभायी । उनके निधन से सीतापुर जनपद में जो सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में क्षति हुई है, उसको पूरा करना आसान नहीं है ।

डा० तारा देवी जौनपुर से निर्वाचित सदेस्या थीं । उनका निधन 80 वर्ष की आयु में हो गया । वे एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी । वे अपने समय में कांग्रेस के टिकट पर चुनी गयी थीं और एक सक्रिय सदस्या थीं । वे सामाजिक भावना में रुचि रखती थी । महिला कल्याण समिति की अध्यक्षा रहीं तथा जिला रेड क्रास समिति में रहकर समाज की सेवा करती रहीं । उनके निधन से जौनपुर में अपूर्णनीय क्षति हुई है । राजा कृष्णपाल सिंह रायबरेली से सदस्य थे । वे 62 में सदस्य होकर आये थे । वे केवल राजा ही नहीं बल्कि समाज सेवी व्यक्ति थे । यद्यपि वह राजा कहलाते थे लेकिन जनसेवा में उनकी रुचि थी और जन से अपने को जोड़ रखा था । उनके निधन से रायबरेली में अपूरणीय क्षति हुई है । हाजी मोहम्मद वसीम अंसारी का निधन 69 वर्ष की आयु में हो गया । वे चार बार इस विधान सभा के सदस्य रहे और दो बार इस विधान सभा की समितियों में सक्रिय सदस्य रहे । वे धार्मिक विचारों के थे । इन चारों पूर्व सदस्यों के निधन से हम सब दुखी हैं । मैं आप सबके शोकोद्‌गार उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचा दूंगा । अब हम सब उनकी आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखेंगे ।

(दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए सभी सदस्य दो मिनट मौन खड़े हुए ।)

श्री चन्द्रपाल सिंह यादव आदि की गिरफ्तारी की सूचना सदन को न दिये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, इस आदरणीय सदन के सम्मानित सदस्य श्री चन्द्रपाल जी इस सदन में नहीं है । पुलिस जुल्म और ज्यादती के और पुलिस के नंगे नाच की सारी कहानी बता कर न्याय मांगने की मांग की थी । आज उन्हीं की बातों को लेकर समाजवादी पार्टी ने बुन्देलखण्ड बन्द का आवाह्न किया था । माननीय चन्द्रपाल यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के द्वारा जो बन्द का आह्वान था उसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस जुल्म हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

इसमें व्यवस्था का प्रश्न कहां है ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, हमारा पूर्णरूप से शान्तिमय कार्यक्रम था । आज वहां 5-7 जिले पूरी तरह से बन्द हैं तो जब सत्याग्रह चल रहा था चन्द्रपाल जी को उठाकर कोतवाली में बन्द कर दिया गया वहां के पार्टी के अध्यक्ष हरगोविन्द कुशवाहा जी को और बहुत से कार्यकर्ताओं को बन्द कर दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष–

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, विधान सभा चल रही है । मान्यवर, यह जो सिलसिला है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कुचलने का, यह कब तक चलता रहेगा ?

मान्यवर, चन्द्रपाल जी सरकार की कृपा से जीतकर नहीं आये समाजवादी पार्टी कोई बख्शीश की बात नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

इसके आगे नहीं लिखा जायेगा । कृपया अपना स्थान ग्रहण करें । सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यह बात उठाये ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 11 मार्च, 1999 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 19 सूचनाएं प्राप्त हुई । प्राप्त सूचनाओं में से अलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गई :

(श्री राम अचल राजभर, डा० सरजीत सिंह डंग, श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद, श्री लालजी वर्मा, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री जगदीश नारायण राय, श्री राम नक्षत्र के नाम पुकारे गये । श्री राम अचल राजभर को छोड़कर शेष सभी माननीय सदस्य उपस्थित थे । श्री राम अचल राजभर की अनुपस्थिति में प्रतीक्षा सूची से श्री रणधीर सिंह की सूचना ली गयी)

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

मिर्जापुर निर्वाचन क्षेत्र के कतिपय स्थानों पर जल भराव की समस्या के निदान हेतु नाला बनवाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० सरजीत सिंह डंग–

[मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थित ग्राम बरौंधा, भरउना, पीलीकोठी से होते हुये स्टेशन रोड, रोडवेज बस स्टैण्ड, आवास विकास कालोनी एवं कतवारूपुर क्षेत्र में समुचित नाला का प्रबन्ध न होने के कारण वर्षा के दिनों में इस क्षेत्र में पानी भर जाता है । पीलीकोठी से लेकर रोडवेज बस स्टैण्ड तक पिछले पांच वर्षों में दो बार नई सड़क का निर्माण कराने के बावजूद बारम्बार पानी भर जाने के कारण शासन द्वारा व्यय किया गया लाखों रुपया नष्ट हो गया है और सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गयी है । कुछ वर्षों पहले तक यह वर्षा का जल 2-3 स्थानों पर गहरे तालाबों के होने के कारण उन तालाबों में एकत्र हो जाता था किन्तु सभी तालाब निजी स्वामित्व में होने के कारण अब पाट दिये गये हैं और उनके ऊपर लोगों ने अपने घर बना लिये हैं ऐसी परिस्थिति में वर्षा का जल नाली न होने के कारण सड़क पर इकट्ठा होता है और लोगों के घर में घुस जाता है जिससे किसी भी दिन बड़ी दुर्घटना होने की भी आशंका है ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

मैं इस सूचना के माध्यम से आपसे अनुरोध करता हूं कि उत्तर प्रदेश शासन का इस ओर ध्यान आकृष्ट करते हुये इस समस्या का त्वरित समाधान हेतु कार्य योजना बनाकर धनावंटन कराया जाय ।]

हरकोट बटलर प्रौद्योगिक संस्थान कानपुर में चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी पदों पर की गयी पदोन्नति में हुई धांधली की जांच कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना है कि हरकोट वटलर प्रौद्योगिक संस्थान, कानपुर में जनहित के विरुद्ध शासनादेशों की धज्जियां उड़ाते हुये चतुर्थ श्रेणी पद पर प्रोन्नति कर ली गयी है कनिष्ठ लिपिक के 6 रिक्त पद थे जिनकी शासनादेश सं० 37/1-1969 का–2 दिनांक 31/8/1982 के तहत 15 प्रतिशत कोटा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का निर्धारित है जब कि निदेशक महोदय ने 3 पदों पर पदोन्नति के लिये विज्ञप्ति की है तथा दो ऐसे कर्मचारियों की पदोन्नति की है जो वरीयता क्रम में बहुत ही पीछे हैं व उनके विरुद्ध आरोप भी सिद्ध हुये हैं उक्त की पदोन्नति से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है ।

अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि सम्पूर्ण प्रकरण की जांच कराकर कार्यवाही के आदेश हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने की कृपा करें ।]

जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड बसखारी में राजकीय कन्या इण्टर कालेज खोले जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लालजी वर्मा–

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र टाण्डा, जनपद अम्बेडकर नगर के अन्तर्गत विकास खण्ड बसखारी में एक भी कन्या इण्टर कालेज न होने के कारण छात्राओं की पढ़ाई नहीं हो पा रही है । उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिये काफी दूर जाना पड़ता है । कन्या इण्टर कालेज न होने के कारण आम जनता में आक्रोश व्याप्त है ।

अस्तु इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए बसखारी जनपद अम्बेडकर नगर में राजकीय कन्या इण्टर कालेज खोले जाने की मांग करता हूं ।]

प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों के अतिथि संकाय में कार्यरत अतिथि प्रवक्ताओं का जनहित में रिक्त पदों के सापेक्ष स्थायी समायोजन करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[मान्यवर, प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में शिक्षकों के व्याप्त भारी अभाव को पूरा किये जाने हेतु इन कालेजों में अतिथि संकाय गठित कर रिक्त पदों के सापेक्ष अतिथि प्रवक्ताओं को आमंत्रित किये जाने का निर्णय उच्च स्तर पर लिया गया । शासन से चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4 द्वारा वांछित शासनादेश निर्गत किये गये । शासनादेशों के अनुपालन में प्राचार्यों द्वारा अतिथि संकाय का गठन कर अतिथि प्रवक्ताओं को आमंत्रित किया गया, जो बखूबी अपने कर्तव्यों/दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं । इन अतिथि प्रवक्ताओं के बलबूते पर ही इन कालेजों में उत्तर ढंग से पठन-पाठन कार्य प्रचलित है । अतिथि प्रवक्ताओं की व्यवस्था प्रदेश में अनुभवधारी/डिप्लोमा/डिग्रीधारी होम्योपैथिक चिकित्सकों के अभाव के चलते किया गया, क्योंकि आयोग पद बार-बार विज्ञापित किये जाते हैं व पुनः पात्र आवेदकों

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

के अभाव में विज्ञापन निरस्त किया जाता है । पुनः आयोग द्वारा प्रवक्ताओं के रिक्त पदों को विज्ञापित किया गया है । मेरिट पर पुनः विज्ञापन निरस्त होगा अथवा फर्जी अनुभवधारी आयोग से चयनित होकर आयेंगे व शिक्षण कार्यों की हंसी उड़ेगी । अतिथि संकाय के गठन व अतिथि प्रवक्ताओं के आमंत्रण के बाद इन्हीं पदों को विज्ञापित किये जाने अथवा चयन प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं हो रहा है । यह आपस में ही परस्पर विरोधी निर्णय है । शासन द्वारा पूर्व में पर्वतीय/मैदानी जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों के दैनिक वेतन भोगी अंशकालिक एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों को तदर्थ/नियमित नियुक्त प्रदान किया गया है । इसी प्रकार अतिथि प्रवक्ताओं का भी रिक्त पदों के सापेक्ष स्थायी रूप से समायोजित किये जाने में कोई विधिक, व्यवहारिक अथवा प्रशासनिक कठिनाई नहीं है, क्योंकि प्रवक्ता व चिकित्साधिकारी दोनों राजपत्रित एवं लोक सेवा आयोग के परिधि अन्तर्गत पद हैं ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के इस मामले को आपकी अनुज्ञा से सदन के संज्ञान में लाते हुए अंशकालिक चिकित्साधिकारियों की भांति ही जनहित में अतिथि प्रवक्ताओं के समायोजन की भी मांग करता हूं । ।

जौनपुर के बयालसी क्षेत्रान्तर्गत पेयजल की समस्या के निदान हेतु अधिकाधिक इण्डिया मार्क–II हैण्डपम्प लगवाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगदीश नारायण राय–

। मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र बयालसी जनपद जौनपुर में दो नदी पड़ती है सई और गोमती । नदी के किनारे बसें ग्रामों में जल स्तर अत्यन्त नीचे रहता है जिससे कुएं साधारण हैण्डपम्प से पानी पीने में कठिनाई होती है व सूख जाता है । जिससे लगभग 100 ग्रामों में गंभीर पेयजल संकट उत्पन्न हो जाता है ।

अस्तु इस लोक महत्व के प्रश्न पर आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये उक्त समस्या को दूर करने हेतु सर्वेक्षण कराकर जिला योजना से अधिक से अधिक इंडिया मार्का–II हैण्डपम्प लगाने की मांग करता हूं । ।

उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट निगम संयुक्त संघर्ष समिति डाला, चुर्क, चुनार के मजदूरों की समस्याओं का समाधान किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम नक्षत्र–

। मान्यवर, आपका ध्यान उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट निगम संयुक्त संघर्ष समिति डाला, चुर्क, चुनार के मजदूरों के प्रति उत्तर प्रदेश सरकार के मजदूर विरोधी नीति के तरफ आकर्षित करना चाहूंगा । सीमेन्ट निगम के कर्मचारियों को 10 माह का वेतन भुगतान न किये जाने के संबंध में माननीय मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश का ध्यान आकृष्ट किया गया तथा जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया गया सरकार द्वारा मजदूरों के निवारण न करके हमेंशा गरीबों के लिये दमनकारी कदम उठाया गया । सरकार द्वारा 1991 में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज गोली काण्ड का फर्जी मुकदमा चलाया गया तथा श्रमिक निदेश चौबे के मौत का मुआवजा 10.00 लाख रुपया नहीं दिया गया तो श्रमिक इस सरकार को उखाड़ कर फेंकने में कोई कमी नहीं लायेंगे ।

नोट :– । । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

उत्तर प्रदेश सरकार ने इन आन्दोलनकारी कर्मचारियों को अपने दमनकारी, विनाशक चक्र के जरिये डाला से लखनऊ तक ट्रेन के सफर में पुलिस द्वारा काफी प्रताड़ना दिया गया । आन्दोलनकारी, लूसा, चुनार, मिर्जापुर, चोपन व इलाहाबाद से करीब 4 हजार कर्मचारी अपनी मांग लेकर चले थे जिन्हें शासन के रहमोकरम पर प्रशासन द्वारा संबंधित थानों पर 1000 कर्मचारियों को डण्डा, लाठी का प्रयोग करके बन्धक बना लिया । दिलकुशा, लखनऊ जनपद में माननीय कल्याण सिंह जी के कृपा के पात्र, प्रशासन द्वारा त्रिवेणी एक्सप्रेस रोककर कर्मचारियों को ट्रेन से खींचकर पीटा गया तथा 265 व्यक्तियों को जेल में डाल दिया गया । इस घटना के शिकार में कर्मदेव की मौत हो गयी, प्रशासन द्वारा लाश सिविल चिकित्सालय में लाकर रख दिया किसी कर्मचारी तथा उसके परिवार को लाश तक फटकने नहीं दिया गया ।

रिक्शा चालकों के फर्जी हस्ताक्षर से लाश का पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम हेतु मेडिकल कालेज लाश रवाना कर दिया गया । उत्तर प्रदेश सरकार के इस काले कारनामें से कर्मचारियों का पूरा परिवार डरा व सहमा है तथा भूख से उनके बच्चे तड़प-तड़प कर मौत की नींद में समा जा रहे हैं ।]

लखनऊ के चौक स्थित हिरन पार्क में स्थित अवैध कारखाने को गैर आबादी वाले क्षेत्र में स्थापित किये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रणधीर सिंह–

[मान्यवर, आपके माध्यम से अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय सदन के संज्ञान में ला रहा हूं । राजधानी, लखनऊ में बढ़ते हुये प्रदूषण से जन जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है । यही नहीं घनी आबादी तथा मुहल्लों में अवैध रूप से बिना प्रदूषण मुक्त प्रमाण पत्र के इस प्रकार के कुटीर उद्योग लगाये जा रहे हैं जो अत्यन्त प्रदूषण युक्त हैं । साथ ही ध्वनि प्रदूषण के कारण इस क्षेत्र के निवासियों में अनेक घातक रोग जैसे हृदयरोग, हाइपरटेंशन, डेपरेशन आदि की बीमारियां फैलती हैं । लखनऊ के चौक स्थित हिरन पार्क में श्री आर० के० जैन के एक खाली सिनेमा हाल में हरिश्चन्द्र एण्ड कम्पनी नामक कारखाना अवैध रूप से स्थापित हुआ है । यह कारखाना अत्यन्त घनी आबादी में शासन से बिना प्रदूषण मुक्त प्रमाण-पत्र प्राप्त कर अवैधानिक रूप से स्थापित किया गया है । रात दिन निरन्तर मशीन चलती रहती है जिससे एक ओर तो वहां का वातावरण प्रदूषित हो गया है, दूसरे मशीनों की तेज आवाज से ध्वनि प्रदूषण होने के कारण वहां के निवासी दिन रात टेंशन में रह रहे हैं । जिसके कारण उनमें हृदय रोग, हाइपरटेंशन, डेपरेशन आदि रोग पनप रहे हैं और साथ ही मशीनों की तेज आवाज से विद्यार्थियों की पढ़ाई में प्रत्यक्ष रूप से व्यवधान उत्पन्न हो रहा है जिससे वहां के निवासियों में आक्रोश व्याप्त है ।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के उक्त प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुये उक्त कारखाने को तत्काल बन्द करने एवं इसे गैर आबादी वाले क्षेत्र में स्थानान्तरित किये जाने की मांग करता हूं ।]

श्री चन्द्रपाल सिंह यादव आदि की गिरफ्तारी की सूचना सदन को न दिये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास (क्रमागत)

(डा० धर्मज्ञ मिश्र, श्री रामऔतार शाक्य के खड़े होने पर घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें ।

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

मान्यवर, माननीय विधायकों को गिरफ्तार किया जा रहा है हम लोगों को सुन लें ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अभी माननीय अवधेश जी ने बात कही। हमीरपुर के माननीय सदस्य को भी गिरफ्तार किया गया है। माननीय रामाधार सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें। मुझे सूचना मिल गई है।

श्री अध्यक्ष–

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। इसके संबंध में नियमों के अन्तर्गत आप लिखकर दे सकते हैं।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 11-3-99 को नियम 300 के अन्तर्गत दो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी और दूसरी सूचना श्री राम औतार शाक्य की है जिनमें माननीय सदस्यों को सुना जायेगा।

प्रक्रिया नियमावली के नियम 29 (1) एवं 30 (1) के अनुसार प्रश्नों के उत्तर शासन द्वारा समय से प्राप्त न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

डा० लक्ष्मीकन्त बाजपेयी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस औचित्य के प्रश्न के माध्यम से इस सदन की कार्यवाही के संबंध में औचित्य के रूप में कहना चाहता हूं। मान्यवर, नियमावली के नियम 29 (1) और नियम 30 (1) में अल्पसूचित प्रश्न पूछने का अधिकार माननीय सदस्यों को होता है। उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 1958 के नियम 29 (1) में यह प्राविधान है कि कोई सदस्य यदि अल्पसूचित प्रश्न पूछना चाहे तो ऐसे प्रश्न के पूरे तीन दिन की सूचना सचिव को दें और नियम 30 (1) के अनुसार सूचना 20 दिन पूर्व दिये जाने का प्राविधान है और 5 दिन के भीतर उन्हें माननीय अध्यक्ष के आदेशोपरान्त शासन को भेजा जाना आवश्यक है परन्तु यह देखने में आ रहा है कि उक्त नियमों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है और यह बात विधान सभा की किसी भी दिन की कार्यसूची को देखने से स्पष्ट हो जायेगा।

मान्यवर, आज की कार्य सूची में देखें तो नत्थी–"क" का तारांकित प्रश्न सं०–2 जो 23-1-99 का प्रश्न शासन को 6-2-99 को भेजा गया था। इसी तरह नत्थी–"ख" का तारांकित प्रश्न सं०–1 जो 21-1-99 का प्रश्न शासन को 9-2-99 को भेजा गया था लेकिन किन्हीं अपरिहार्य कारणों से नियमावली के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। मान्यवर, इस प्रश्न को हमने यहां उठाया था और आपने व्यवस्था दिया था कि मैं इस प्रकरण पर संसदीय कार्य मंत्री से वार्ता कर लूंगा। परन्तु परिस्थिति आज तक ज्यों की त्यों बनी हुई है। मान्यवर, दिनांक 16 जुलाई, 1998 के उपवेशन में इस संबंध में उठाये गये औचित्य के प्रश्न पर जो कि विधान सभा सचिवालय में स्टाफ की कमी के संबंध में था जिसमें आप देखें तो 8 माह बाद भी यह प्रश्न विचाराधीन है। प्रमुख सचिव के 16 पद हैं लेकिन 32 प्रमुख सचिव रोजमर्रा के काम में लगे हुये हैं। मुझे आप अनुमति दें तो मैं प्रस्ताव करना चाहता हूं कि यह सदन आपको

अधिकृत करता है कि जनहित के कार्यों के निष्पादन हेतु जितने पदों की आवश्यकता हो उसे यह सदन सृजित करे । इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

दिनांक 16 जुलाई, 1998 के उपवेशन में इस संबंध में उठाये गये औचित्य के प्रश्न पर निर्णय देते हुए मैंने कहा था कि विधान सभा सचिवालय में स्टाफ की कमी के कारण उक्त नियमों में निर्धारित अवधि का अनुपालन नहीं हो पा रहा है । मैं इस संबंध में माननीय संसदीय कार्य मंत्री से विचार-विमर्श कर आवश्यक कार्यवाही करूंगा । कुछ चीजें प्रक्रिया में हैं जिससे समस्या का निराकरण शीघ्र हो जायेगा । संसदीय कार्य मंत्री जी से इस संबंध में आगे विचार की आवश्यकता होगी तो विचार कर लेंगे । कुछ चीजें प्रक्रिया में हैं इसलिए इसके साथ ही आपकी सूचना का निस्तारण हो रहा है ।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, जो प्रश्न विधान सभा सचिवालय से संबंधित हों उनको लेकर यहां सदन में औचित्य के प्रश्न के रूप में नहीं उठाना चाहिए बल्कि आपके कक्ष में हम और माननीय सदस्य आकर विचार कर सकते हैं । इसलिए यहां उठाने की परम्परा न डाली जाय ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, ऐसी परम्परा नहीं होनी चाहिए ।

दिनांक 9 मार्च, 1999 को सदन में कोरम के अभाव से नियम–51 की सूचनाओं तथा वक्तव्यों के व्यपगत होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

दूसरी सूचना श्री राम औतार शाक्य की है ।

* श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, दिनांक 9 मार्च, 1999 को कोरम के अभाव के कारण नियम 51 के अन्तर्गत ली जाने वाली सूचनाओं तथा वक्तव्यों के व्यपगत हो जाने के बारे में मैंने सूचना दिया है । मान्यवर, आपकी कृपा से आपने दुबारा टेकअप कर लिया है और मैं आपका संरक्षण चाहता हूं और आपकी कृपा होगी तो चूंकि उत्तर सरकार का तैयार है, आपके अधिकार असीमित हैं इसलिए ऐसी व्यवस्था आप दे दें कि दुबारा उत्तरित हो जायं ।

श्री अध्यक्ष–

सदन में कोरम बनाये रखना सत्ता पक्ष एवं प्रतिपक्ष दोनों का उत्तरदायित्व है । यदि माननीय सदस्य दोनों पक्षों के जागरूक हैं तो कठिनाई नहीं होगी किन्तु यदि माननीय सदस्य जागरूक नहीं होंगे तो सदन में कोरम की समस्या उत्पन्न होती रहेगी । जहां तक दिनांक 9 मार्च, 1999 को नियम 51 के अन्तर्गत

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

लिये जाने वाले वक्तव्यों और सूचनाओं को पुनः निर्धारित किये जाने का प्रश्न है, वे व्यपगत हो चुके हैं लेकिन यदि आप दुबारा प्रश्न सूचना देंगे तो विचार किया जा सकता है।

तीसरी सूचना जो माननीय प्रमोद तिवारी और सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव की है, उसको नहीं सुनूंगा। इसे निरस्त कर देता हूं।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, यह सदन की कार्यवाही से संबंधित है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय तिवारी जी ने कहा है कि उन्होंने ऐसी कोई सूचना नहीं दी है।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, यह हमारी सूचना है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय तिवारी जी के हस्ताक्षर इस पर कहां से आ गये। उन्होंने मुझसे स्वयं कहा कि मैंने हस्ताक्षर नहीं किया, इस मंच पर आकर उन्होंने इस बात की सूचना मुझे दी, वह तो प्रतापगढ़ में थे, कहिये तो विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द कर दूं। यह तीसरा अवसर है, जब गलत हस्ताक्षर से सूचना दी गई है।

मद संख्या–4 में कुछ नहीं है।

विधान सभा की प्रश्न एवं संदर्भ समिति का बारहवां प्रतिवेदन †

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, प्रश्न एवं संदर्भ समिति, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति का बारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

जनपद मथुरा में ''ब्रजभाषा अकादमी'' की स्थापना विषयक श्री देवकीनन्दन कुम्हेरिया द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ††

श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद मथुरा में प्राचीन ब्रजभाषा को विलुप्त होने से बचाने के उद्देश्य से ''ब्रजभाषा अकादमी'' की स्थापना किये जाने के संबंध में श्री देवकीनन्दन कुमहेरिया निवासी जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद मथुरा के ब्लाक फरह ग्राम ओल में व्यवसायिक शिक्षा संस्थान (आई०टी०आई०) की स्थापना विषयक श्री अशोक कुमार गोयल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ††

श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद मथुरा के ब्लाक फरह के ग्राम ओल में व्यवसायिक शिक्षा संस्थान (आई०टी०आई०) की स्थापना कराये जाने के संबंध में श्री अशोक कुमार गोयल निवासी जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

†† छापी नहीं गयी।

जनपद मथुरा एवं आगरा के मध्य स्थल ब्लाक फरह में पर्यटक विश्राम गृह की स्थापना विषयक श्री बृजेन्द्र द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ††

श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, जनपद मथुरा एवं आगरा के मध्य ब्लाक फरह में पर्यटक विश्राम गृह की स्थापना कराये जाने के संबंध में श्री बृजेन्द्र निवासी जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद मथुरा में स्थित ''गोविन्द नगर'' क्षेत्र को पुरातत्व विभाग के नियंत्रण में लिये जाने के संबंध में श्री जगदीश प्रसाद मौर्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, जनपद मथुरा में स्थित ''गोविन्दनगर'' क्षेत्र को पुरातत्व विभाग के नियंत्रण में लिये जाने के संबंध में श्री जगदीश प्रसाद मौर्य, निवासी जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद मथुरा में ''राष्ट्रीय पुरुष पं० दीनदयाल उपाध्याय'' के नाम से नयी तहसील बनवाये जाने विषयक श्री हरिशंकर पाठक द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ††

श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद मथुरा में ''राष्ट्रीय पुरुष पण्डित दीन दयाल उपाध्याय'' के नाम से नई तहसील बनवाये जाने के संबंध में श्री हरी शंकर पाठक, निवासी जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

मेरठ के प्रमुख नालों की सफाई कराये जाने विषयक श्री नरेन्द्र कुमार आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ††

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, मेरठ के प्रमुख नालों की सफाई कराये जाने के संबंध में श्री नरेन्द्र कुमार तथा श्री राकेश कुमार गर्ग निवासीगण जनपद मेरठ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–8, 9 व 10 में कुछ नहीं है।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1999 †

उच्च शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

---

†† छापी नहीं गयी।

† दिनांक 26-3-99 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करता हूं ।

नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित व चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 11-3-99 को नियम–311 में प्राप्त सूचनाओं को नियम–56 में परिवर्तित कर दिया गया है । इस प्रकार नियम–56 के अन्तर्गत कुल 19 सूचनायें प्राप्त हुई, जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गयीं । प्रथम 5 सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा । शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है ।

पहली सूचना कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री अम्बरीष कुमार, श्री मुन्ना चौहान, श्री अवधेश प्रसाद तथा श्री उदय राज यादव की है, इस पर कोई दो माननीय सदस्य विचार रख लें ।

* कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो सूचना आपके माध्यम से दी है, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है, लोक महत्व की है और तात्कालिक भी है । मान्यवर, उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में, जूनियर हाई स्कूलों में इतनी दुर्दशा है कि किसी विद्यालय में एक, किसी में दो अध्यापक हैं और 200-250 बच्चों को पढ़ाने के लिये एक अध्यापक, दो अध्यापक अपर्याप्त हैं । मान्यवर, इस सरकार ने विगत डेढ़ साल से इस मामले को लम्बित रखा है और उसके बाद इस सरकार ने एक ऐसा काम किया है और बार-बार यह सरकार कहती है कि यह पारदर्शी सरकार है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 27000 अध्यापकों के पद रिक्त हैं,उनको भरने के लिये आवेदन-पत्र मांगे गये, लेकिन जो आवेदन-पत्र जमा किये गये वह इन्दिरा नगर में कोई प्राइवेट संस्था है, उसमें जमा कराये गये ।

मान्यवर, इन आवेदन-पत्रों का जो शुल्क जमा किया गया, वह सरकारी राजकोष में नहीं जमा किया गया, बल्कि उसी प्राइवेट संस्था में जमा कराया गया और मान्यवर, एक और खास बात यह है कि जिन लोगों ने आवेदन-पत्र भी नहीं जमा किया था, उनका चयन हो गया, तो मान्यवर इतना घपला हुआ है, लाखों की संख्या में बेरोजगार नवजवानों ने आवेदन-पत्र दिये और उनका चयन नहीं हो पाया । मान्यवर, कौन सा कारण था कि एन०सी०आर०टी०सी० निदेशालय द्वारा परीक्षा नहीं करायी गयी । मान्यवर, इसके अतिरिक्त हर मण्डल में एक संयुक्त निदेशक होता है, उससे भी परीक्षा नहीं करायी गयी, इस

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्राइवेट संस्था को कोई रिकगनिशन नहीं है, फिर भी इससे परीक्षा करायी गयी, इसका क्या कारण है। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इस पूरे प्रकरण की जांच सी०बी०सी०आई०डी० से करायी जाये और इस सदन में चर्चा करायी जावे।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, यह जो प्रकरण आज सदन में उपस्थित किया गया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान्यवर, जो विज्ञापन निकाला गया, उसमें किसी भी अधिकारी का नाम नहीं था, और जो परीक्षा शुल्क जमा कराया गया, चाहे वह बैंक ड्राफ्ट हो चाहे पोस्टल आर्डर रहा हो वह इसी प्राइवेट संस्था के नाम से जारी किये गये और वहां पर जमा कराये गये। जिन लोगों की शैक्षिक गुणवत्ता इस प्रकार की थी कि उनका नाम पहली सूची में आना चाहिये था, परन्तु जब उनका नाम नहीं आया तो उन्होंने जानकारी करनी चाही तो पता चला कि उनका आवेदन-पत्र ही वहां पर नहीं है। विधिवत फार्म नहीं सौंपे न ही यह मालूम है कितने फार्म प्राप्त हुए और किनके प्राप्त नहीं हुए इसके साथ ही यह बात भी है कि फार्म से कितनी फीस जमा हुई उसका कोई भी अता-पता नहीं है। कितना सरकारी खजाने में जमा हुआ और कितना नहीं जमा हुआ यह एक बड़ा भारी षड्यंत्र है इससे सरकार की नीयत पर प्रश्न चिन्ह लगता। जब सरकारी विभाग इस काम के लिए था तो उसको न देकर निजी संस्था को क्यों सौंपा गया बी०एड० और सी०पी०एड० यह बी०टी०सी० से बड़ा प्रशिक्षण है। पोस्टग्रेजुएट स्तर का है उच्च शिक्षा को पढ़ाने के लिये यह प्रशिक्षण है अतएव इन्हें बी०टी०सी० वालों को प्रशिक्षण दुबारा ट्रेनिंग प्राप्त करने की बात कहते हैं यह एक तरह से तुगलकी सामन्ती बात है।

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात आ गई।

श्री अम्बरीष कुमार–

जब हमारी बेसिक शिक्षा की नींव ही खराब होगी तो बच्चों का भविष्य क्या होगा। इस मामले में बड़ा घपला हुआ है जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी ने मण्डी परिषद् के घपले में कहा था कि दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। तो यह पारदर्शी होने का दावा करने वाली सरकार एक के बाद एक घपला कर रही है यह गंभीर विषय है और अविलम्बनीय लोकमहत्व का है और पूरे उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है इसलिए इस पर चर्चा कराई जाये और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में घपले की बात पहले ही हो गयी है जो अर्ह थे वह नहीं लिये गये तो एक के बाद एक घपला हो रहा है तो इसको सरकार कैसे बर्दास्त करेगी।

श्री अध्यक्ष–

(श्री मुन्ना चौहान के खड़े होने पर) मैंने इस विषय पर माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह और माननीय अम्बरीष जी को बुला लिया है दो व्यक्तियों को सुन चुका हूं। दो माननीय सदस्यों को मैंने कहा सुना जायेगा।

* श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, मैं, जो बातें कहीं, उनको नहीं दुहराऊंगा । कुछ अलग से भिन्न तथ्य रखूंगा जो पर्वतीय क्षेत्र से संबंधित है । प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में तमाम तरह की धांधलियां हुई हैं और जल्दबाजी में यह काम हुआ है इसमें अनियमितता के कारण ही गढ़वाल मण्डल में शिक्षा अधिकारी को गिरफ्तार करना पड़ा क्योंकि सैकड़ों अध्यापकों को फर्जी प्रमाण-पत्रों के आधार पर रंख लिया गया था जैसे माननीय अम्बरीष और माननीय रेवती रमण सिंह जी ने कहा जो पहले दिशा-निर्देश थे उनका पालन नहीं हुआ । यह जिला कैडर की पोस्टें हैं और जिला स्तर पर ही इसकी प्रक्रिया चलती थी उसको बदलकर प्रदेश स्तर से आवेदन-पत्र मंगाकर नियुक्तियां की गईं अगर जिला स्तर पर यह होता तो उसमें गड़बड़ी नहीं होती दूरस्थ जिलों के होने के नाते इसमें गड़बड़ियां हुई हैं ।

लखनऊ में एक ही सेन्टर है एन०सी०आर०टी०सी० वहां पर आवेदन-पत्र मांग लिए गये उससे क्या हुआ कि इसका सत्यापन नहीं हो पाया कि डीपीसी का छात्र है या किस जिले का छात्र है या प्रमाण-पत्र सही है या फर्जी है । सीपीए, डीपीए को डाइंग कैडर डिक्लेयर कर दिया गया । उस समय एक परिपाटी लागू हुई कि जो उ० प्र० के सीपीए सर्टीफिकेट होल्डर हैं उनको डिरिकग्नाइज कर दिया जाये और जो उ० प्र० के रजिस्ट्रार आफ एक्जामिनेशन का सर्टिफिकेट प्राप्त लोग थे उनको मान्य रखा । इस तरह से दोहरी व्यवस्था चल पड़ी और बार-बार बेसिक शिक्षा विभाग ने आदेश देकर उनको कभी मान्य कर दिया, कभी उनको अमान्य कर दिया । इससे स्थिति यह बनती चली गई कि फर्जी नियुक्तियों का सिलसिला शुरू हो गया । आज सरकार यदि अंकुश लगाना चाहे तो दिक्कत होगी । बेसिक शिक्षा अधिकारी को नियत प्राधिकारी बनाया गया । यह जो चयन की प्रक्रिया आरम्भ की गई उस पर रोक लगाने की व्यवस्था सरकार करे ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें ।

श्री मुन्ना चौहान–

यदि अनावश्यक रूप से रिक्रूटमेन्ट का प्रोसेस सेन्ट्रलाइज किया गया तो निश्चित रूप से जिले स्तर पर सत्यापन करना नामुमकिन होगा कि किसका सर्टीफिकेट जाली है या किसका वाजिब है लिहाजा मैं आपके माध्यम से शासन से आग्रह करूंगा कि शासन गंभीरता से सोचे और जो रिक्रूटमेन्ट का प्रोसेस हुआ है उसको रोक दे और पूर्व की भांति सीपीए, डीपीए, बीएड, और एलटी की नियुक्तियों को जिला स्तर पर आरम्भ करे ।

(इस समय 1 बजकर 20 मिनट पर अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, इससे ज्यादा गंभीर कोई विषय नहीं हो सकता यह पूरे प्रदेश का सवाल है । इसे कार्य स्थगन के रूप में स्वीकार करके चर्चा कराने का कष्ट करें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, प्रदेश के शिक्षकों की भर्ती में बड़े पैमाने पर घपला और समूह "ग" श्रेणी की भर्ती में बड़े पैमाने पर घपला हुआ है । यह किसी एक जनपद का मामला नहीं है और न किसी एक पार्टी का सवाल है न किसी एक क्षेत्र का । मैं समझता हूं कि यह सवाल समूचे प्रदेश के उन बेरोजगार नौजवानों का है जो बड़ी-बड़ी डिग्रियां लेकर पढ़कर निकले जिनका मन टूट गया । श्रीमान जी भर्ती के लिये 27 हजार रिक्तियों के अगेंस्ट में विज्ञापन प्रकाशित किया गया जिसके आधार पर इस प्रदेश के बेरोजगार नौजवान जो बी० ए० की डिग्री लिये हैं उन्होंने एप्लाई किया । एप्लाई करने के बाद मेरिट लिस्ट का प्रकाशन हुआ जो सरकार ने अपनी सफाई देते हुए प्रदर्शित किया । इस प्रकार सरकार द्वारा बनाई गई मेरिट लिस्ट में उन लोगों का नाम भी आ गया जिन्होंने एप्लाई नहीं किया था ।

फर्जी हाई स्कूल प्रमाण-पत्र और फर्जी स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण-पत्र लगाये गये । श्रीमान यह तो और गम्भीर है कि तमाम मेधावी छात्रों और हजारों अभ्यर्थियों ने एप्लाई किया, पर उनके आवेदन पत्रों का वहां पता नहीं लगा । आज हजारों की भीड़ इन्दिरा नगर में देखी जा सकती है निवेदन है कि इस मामले को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाये इससे महत्वपूर्ण सवाल कोई हो ही नहीं सकता । मेरा निवेदन है कि इस संबंध में एक जांच बैठा दी जाये और जब तक कि जांच पूरी न हो जाये किसी प्रकार की लिस्ट का प्रकाशन न किया जाये और इस जांच का कार्य एक माह के अन्दर पूरा किया जाये ।

[समय । बजकर 25 मिनट]

श्री अधिष्ठाता–

आपकी सूचना सीमित थी ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, हमारी नोटिस देख लें उसमें समूह "ग" का जिक्र है । तो श्रीमन समूह–ग की परीक्षा ली गयी उसमें सबसे बड़ी गलती यह की गयी कि उसमें अभ्यर्थियों से जो आवेदन पत्र मांगे गये तो उन्होंने 4-4 विभाग के लिये आवेदन किया और किसी ने समाज कल्याण विभाग, किसी ने पंचायत विभाग और किसी ने दूसरे विभाग के लिये आवेदन किया । लेकिन यह सारे इम्तहान एक ही दिन लिये गये जिससे आवेदनकर्ताओं को केवल एक ही इम्तहान में भाग लेने का अवसर मिला । पैसा उनसे 4 का लिया गया इस तरह से बेरोजगार नौजवानों के पैसे पर डाका डालने का काम किया गया । इसलिये मेरा निवेदन है कि उनसे अन्य ही विभागों का पैसा जो लिया गया है उसको वापस किया जाय । जिन अधिकारियों ने यह काम किया है उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय और इस विषय पर चर्चा करायी जाय ।

* श्री उदय राज यादव–

अधिष्ठाता महोदय, आज प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में घपले का जो सवाल उठाया गया है तो निश्चित रूप से एक साजिश के तहत योजना बनाकर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का आदेश जारी किया गया । 27 हजार शिक्षकों की वैकेंसी निकाली गयी । इससे पहले बी० टी० सी० का चयन जिला स्तर पर हुआ करता था और प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों की नियुक्ति भी जिला स्तर पर हुआ करती थी । लेकिन आज 27 हजार शिक्षकों की नियुक्ति का आदेश निकालकर लाखों प्रार्थना-पत्र लिये गये । लोगों ने इस उम्मीद के साथ आवेदन किये कि ईमानदारी के साथ उनका चयन होगा । चयन के लिये एक आयोग बनाया गया । लोगों ने आवेदन पत्रों में पोस्टल आर्डर लगाये थे लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि कई हजार छात्र ऐसे पाये गये जिनके आवेदन पत्र जमा नहीं हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि इसमें बड़े पैमाने पर घपला हुआ है । केवल शिक्षकों की ही नियुक्ति में नहीं बल्कि समूह–ग की जो भर्ती

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

हुयी है उसमें बड़े पैमाने पर घपला हुआ है । मऊ में तो समूह–ग की जो भर्ती हुयी है उसको वहां के जिलाधिकारी ने घपले के कारण उन नियुक्तियों को निरस्त कर दिया है । सरकार के निर्देश जाने चाहिये कि इसकी जांच की जाय । चाहे शिक्षा विभाग हो या दूसरा विभाग हो नियुक्तियों में बड़े पैमाने पर बेईमानी करके नियुक्तियों में गड़बड़ियां की जा रही हैं । इसको रोकने का काम करना चाहिये था । बेरोजगारों के सामने बड़ी संकट की स्थिति उत्पन्न हो गयी है । जहां वहां प्रार्थना-पत्र लिये गये थे वहां पर हजारों की संख्या में आवेदन पत्रों का पता नहीं लग रहा है । इस संबंध में जिन अधिकारियों ने लापरवाही की है उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय और जब तक छात्रों के आवेदन पत्रों का पता न लगे तब तक इन नियुक्तियों को रोकने का काम करें ।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय अधिष्ठाता जी, राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर गांव-गांव शिक्षा पहुंचाने का कार्यक्रम शुरू किया गया है और जब पाठशालायें बनेंगी तो शिक्षकों की आवश्यकता होगी । यह पहली सरकार है जिसने 1974 तक जो बी० टी० सी० कर चुके छात्र थे और जो बेरोजगार थे, गांवों में टहल रहे थे उनको रोजगार तक नहीं मिला था ।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा आपस में बात करने पर)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अधिष्ठाता जी, संसदीय कार्य मंत्री जी को सत्ता पक्ष के विधायक नहीं सुनना चाहते हैं । मंत्रीगण कानाफूसी कर रहे हैं ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मेरी सहायता कर रहे थे । आज पूरे प्रदेश में एक भी बी० टी० सी० प्रशिक्षित नहीं है जिसको रोजगार न मिल गया हो यह रोजगार इसी सरकार ने दिया । जब कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर चला तो और अध्यापकों की आवश्यकता हुई । यह आंकलन किया गया कि 27,000 शिक्षक और चाहिये । तो उन शिक्षकों की चयन प्रक्रिया कुछ न कुछ होनी चाहिये थी ।

चयन प्रक्रिया, जिस पर दोष मढ़ा जा रहा है । इससे ज्यादा पारदर्शिता क्या होगी कि प्रदेश भर से प्रार्थना-पत्र मांगे गये । 27,000 पद के लिये 1 लाख, 96 हजार आवेदन पत्र प्राप्त हुये । क्वालीफिकेशन दी हुई थी, बी० एड०, एल० टी०, सी० पी० एड०, बी० पी० एड० जो उच्च शिक्षा के लिये निर्धारित है । उच्च शिक्षा को पढ़ाना एक अलग कला है । एम० ए० को पढ़ाने वाला प्रोफेसर 4-5 क्लास को नहीं पढ़ा पायेगा । हमने यह किया कि इन चयनित अध्यापकों को हम अल्प अवधि की बी० टी० सी० का प्रशिक्षण देंगे । इसमें कौन सी शिकायत की बात है ? दूसरी शिकायत आपने यह रखी कि पारदर्शिता नहीं है । मुन्ना जी ने कहा कि जिला स्तर पर इनका चयन होना चाहिये । हमने चयन में विवेक को शामिल नहीं किया, अगर चयन करने में विवेक रखा जाता तो बेईमानी करने की बात आयी । जब हमने इस चयन में विवेक को कोई स्थान नहीं दिया तो बेईमानी की बात नहीं आती है । जो मेरिट है, बी० ए०, इण्टरमीडियट, हाईस्कूल और जो प्रशिक्षण पाया है उन सारे का आंकलन करने के बाद एक-एक का नम्बर निर्धारित किया गया है । एक भी नम्बर ऐसा नहीं रखा जो विवेक से दिया जा सके । अगर बेईमानी करने की बात होती तो दो-तीन आदमियों की कमेटी बना देते और लिस्ट यहां से भेज देते । लेकिन नहीं, हमने मानक निर्धारित कर दिया जो पास होगा उसे रखा जायेगा । हमारे पास केवल प्रार्थना-पत्र है हमें यह नहीं पता कि वह कहां के रहने वाले हैं, किस जाति, किस वर्ग के हैं । कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रार्थना-पत्र दिया परन्तु प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुये । मान्यवर, एक समय सीमा प्रार्थना-पत्र प्राप्त करने की निर्धारित की गयी थी वह थी 31 मार्च, 1998 । उसके बाद जो प्रार्थना-पत्र आये उसकी

प्राप्ति स्वीकार नहीं की गयी । हो सकता है कि वह लोग मेरिट में ऊपर हों लेकिन निश्चित अवधि के बाद प्रार्थना-पत्र आयेंगे तो वह कैसे स्वीकार किये जायेंगे ? वह कह रहे हैं कि पोस्टल आर्डर की रसीद है, निर्धारित समय के अन्दर प्रार्थना-पत्र भेजा है, लेकिन सवाल यहां प्राप्ति का है । यह आज से नहीं है यह पहले से है । हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि कितना भी आप प्रयास कर लें कहीं न कहीं कमी रहने की आशंका होती है । आई० सी० सी० एम० आर० आई० से सूची बनवायी गयी । कुछ शिकायतें आयीं । इसमें राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् से कहा गया है कि एक बार आप भी मूल्यांकन कर लें । इसमें एक सूची प्रकाशित की गई दूसरी सूची इसलिये रोक ली गई है कि कहीं कोई खामी अगर रह गई हो । शक को गुंजाइश न रहे इसीलिये यह किया गया है । इस प्रदेश में पूर्व में ऐसे अवसर भी आये हैं जब फर्जी मार्कशीट के आधार पर नौकरी दे दी जाती थी । विद्यार्थियों से कहा जाता था कि आओ और नकल करो । जो लोग नकल विरोधी थे उनकी आलोचना की जाती थी । समूह ''ग'' की और अध्यापकों की चयन प्रक्रिया में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई बेईमानी नहीं की जाएगी पूरी पारदर्शिता के साथ सारा काम किया जाएगा और किया जा रहा है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं मंत्री जी ने बड़े लच्छेदार बातों में सफाई दी है । आप कहते हैं कि नकल बन्द करायेंगे लेकिन प्राइमरी अध्यापकों की नियुक्ति में इतनी बड़ी धांधली कर रहे हैं । साइंस के टीचर नहीं हैं, भूगोल के टीचर नहीं हैं, मैथ के टीचर नहीं हैं हाई स्कूल और इण्टरमीडियेट कालेज में । आप उम्मीद करते हैं कि लड़के पढ़ लिखकर काबिल हो जायेंगे । आप कहते हैं कि बजट नहीं है, संसाधन की कमी है । इसमें डेढ़ साल से चयन की प्रक्रिया चल रही है । एक बार लिस्ट बनी फिर गड़बड़ी पाये जाने पर कौंसिल कर दी गई जो निजी संस्था इंस्टीट्यूट आफ क्वापरेटिव एण्ड क्वापरेटिव मैनेजमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट 21/367 इंदिरा नगर लखनऊ में है उसके यहां फार्म क्यों जामा कराया गया । आपका इतना बड़ा निदेशालय है, इतना बड़ा शिक्षा विभाग है वहां फार्म क्यों नहीं जमा कराया गया । राजकीय कोषागार में पैसा नहीं जमा किया गया । प्राइवेट संस्था जिसका मैंने उल्लेख किया है वहां पैसा जमा कराया गया । सबसे बड़ी संदेह में बात यह आती है कि प्राइवेट संस्था से यह काम कराने का क्या औचित्य था । मंत्री जी ने एक बात कही कि एक लिस्ट प्रकाशित की है । मेरा कहना है कि आप इसको रोक दें और उच्चस्तरीय जांच कराकर दिखवा लें । इसमें धांधली हुई है कि नहीं । अगर धांधली नहीं हुई हो तो फिर दूसरी लिस्ट प्रकाशित करवा दें ।

(कई सदस्यों द्वारा खड़े होकर अपनी बात कहने पर)

श्री अधिष्ठाता–

अब इस पर स्पष्टीकरण के लिये किसी को अनुमति नहीं दूंगा । ग्राह्यता पर बोल चुके हैं इसमें स्पष्टीकरण की परम्परा नहीं है ।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से दो बातों की जानकारी चाहता हूं । पहला तो माननीय मंत्री जी ने यह स्वयं स्वीकार किया है कि इतनी बड़ी चयन प्रक्रिया में कहीं न कहीं कुछ कमी की गुंजाइश रह जाती है । आई० सी० सी० एम० आर० टी० सी० को जो कार्य दिया गया था और उसके बाद राज्य प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान को जो काम दिया गया । इसका मतलब यह हुआ कि शासन की जो मान्यता है कि राज्य शिक्षण अनुसंधान परिषद् आई० सी० सी० एम० आर० टी० सी० के मुकाबले ज्यादा कम्पीटेंट है तो पहले ही राज्य शिक्षण अनुसंधान परिषद् को यह काम क्यों नहीं दिया गया और इसके लिये जिम्मेदार कौन है ।

जब एक लिस्ट प्रकाशित हो गई तो उसके बाद यह बात संज्ञान में आई, जो डाइरेक्ट है राज्य शिक्षा अनुसंधान परिषद् में उन्होंने कहा है कि हमें आई० सी० सी० एम० आर० टी० सी० ने कोई लिस्ट नहीं सौंपी है कि कितने फार्म आये थे इसके बारे में सरकार बताने का कष्ट करे।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, कुंवर साहब ने यह कहा कि प्राइवेट संस्था को क्यों सौंपा, क्यों नहीं शिक्षा विभाग को दिया गया। मान्यवर, मैं बताना चहाता हूं कि यह कोई प्राइवेट संस्था नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश को-आपरेटिव विभाग की एक संस्था है। को-आपरेटिव विभाग के बारे में आप चर्चा करते रहते हैं कि वह कितनी दक्षता से काम कर रहा है।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय मंत्री जी, क्या आप संतुष्ट हैं कि को-आपरेटिव विभाग दक्षता से काम कर रहा है।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, दो संस्थाओं के बीच में कोई तुलना की बात नहीं है। एक संस्था को काम सौंपा गया, कहीं कोई कमी न रह जाय तो दूसरी संस्था से उसकी पुनर्समीक्षा कराई गयी। यदि राज्य शिक्षण अनुसंधान परिषद् से भी यह काम पहले कराया गया होता तो फिर भी कहीं न कहीं कमी की गुंजाइश होती और उसकी पुनर्समीक्षा के लिये किसी और संस्था को देना पड़ता। जहां तक यह कहना कि डाइरेक्टर ने यह कहा है कि हमे सारी की सारी सूची नहीं मिली। सारी सूची मिलने का प्रश्न नहीं है। जो मेरिट लिस्ट बनाई गयी थी उस मेरिट लिस्ट को वहां पर रिव्यू के लिये भेजा गया कि कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं है, कहीं उसमें जो मानक शासन ने निर्धारित किये थे उन्हें तो नजरंदाज नहीं किया गया है। कोई तुलनात्मक अध्ययन की बात तो है ही नहीं। इसलिये मान्यवर, यह कार्य स्थगन के अन्तर्गत नहीं आता।

श्री अधिष्ठाता–

कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री मुन्ना चौहान, श्री अवधेश प्रसाद जी को तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करते हुए निरस्त करता हूं।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, यह सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। इसलिये मैं अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री अवधेश प्रसाद अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, जब नियम 311 को आप नियम 56 में कनवर्ट करते हैं तो प्राथमिकता के आधार पर आप उसे पहले सुनते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

ऐसा कोई नियम नहीं है। आपकी जानकारी के लिये बता दूं कि कनवर्ट किये जाने के बाद शलाका होती है जिस नम्बर पर आती है उसके अनुसार सुनी जाती है।

(श्री राम बिशुन आजाद का नाम पुकारे जाने पर)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, जब यह 311 में उठाया गया था तो अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी थी कि नियम–56 लिया जायेगा उसके पहले इसको ले लिया जायेगा। मैं इसी के तहत आपका संरक्षण चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

क्या निर्देश हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। आप बिना अनुमति के बोल रहे हैं, यह लिखा नहीं जायेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

यह अंकित नहीं किया जा रहा है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय मौर्य जी, राम ललित जी, सदन नियम और परम्पराओं से चलेगा। आप लोग इस तरह से बुलडं करने की कोशिश न करें। आपकी यह सूचना इसी सूची में 7 नम्बर पर आने वाली थी। आप इस पर बो चुके हैं मेरे मना करने पर भी कि यह अंकित नहीं किया जायेगा क्योंकि आप मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं। जो उद्देश्य होता है ग्राह्यता पर बोलने का कि आप सदन में उस बात को रखना चाहते हैं ताकि वह प्रदेश की जनता के सामने जाय। आपका यह उद्देश्य इस तरह से पूरा हो सकता है ? आप जैसे आदरणीय अनुभवी और इतने अच्छे व्यक्ति से मैं अपेक्षा करता था कि जब आपका समय आयेगा तब बोलेंगे। 7वें नम्बर पर आपकी सूचना है जबकि 5 तक ही सुनी जाती है। मैं सोच रहा था कि आपके दल से किसी एक व्यक्ति को अनुमति दे दूंगा लेकिन इस तरह से बीच में व्यवधान डालना उचित नहीं है।

श्री रामजग–

मान्यवर, सीमेन्ट मजदूरों को 10 महीने से वेतन नहीं मिला है।

श्री अधिष्ठाता–

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। कृपया बैठ जायं।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता–

क्या व्यवस्था का प्रश्न है ? बतायें।

श्री प्रमोद कुमार–

अभी मान्यवर, मौर्या जी ने 311 के संदर्भ में कुछ विचार व्यक्त किये। नियमावली दख लें 311 के लिये न तो समय सीमा निर्धारित है। आप अपने विवेक से जो महत्वपूर्ण लगे ले सकते है। आप भी स्वयं महसूस करेंगे कि हजारों श्रमिकों का प्रश्न है, उनके जीवन का प्रश्न है।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अधिष्ठाता–

आपका व्यवस्था का क्या प्रश्न है ?

श्री प्रमोद कुमार–

311 को किसी भी समय लिया जा सकता है अगर उसमें महत्व है तो । मौर्या जी ने प्रश्न उठाया, आज उचित न समझें तो कल लेने की कृपा करेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रमोद जी आप सदन में उपस्थित नहीं थे । 311 की 56 में परिवर्तित कर दी गई है ।

श्री प्रमोद कुमार–

यह परिवर्तन क्यों किया जा रहा है ?

श्री अधिष्ठाता–

आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें । मैं नियमों पर व्यवस्था दे रहा हूं, मुझे खेद है आप जैसे विद्वान अनुभवी सदस्य इस तरह बोल रहे हैं नियम 311 में अध्यक्ष की सम्मति आवश्यक है उन्होंने सम्मति नहीं दी है ।

(व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

अंकित नहीं किया जायेगा । मैं अगली सूचना पर भी क्या आपको बोलने से मना कर दूं ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

अंकित नहीं किया जा रहा है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[x x x]

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खड़े होकर बोलते रहने पर)

श्री अधिष्ठाता–

अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

यह अंकित नहीं किया जायेगा ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

लगता है आपने मेरा निवेदन नहीं सुना है । मैंने प्रारम्भ में ही कहा था कि आपकी सूचना क्रमांक–7 पर है । मैं इस पर आपको अवसर दे दूंगा । मगर क्यों इतनी जल्दी पड़ गयी है । समय से

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

जैसे-जैसे बुला रहा था, जब शलाका ली है तो उसके अनुसार बुला रहा था, तब आती । मैं आपकी विद्वता पर कोई संदेह नहीं कर रहा हूं । लेकिन आप इसे गलत समय पर क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं । उस समय कहते जब मैं आपको अवसर देता । आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें । यह अंकित भी नहीं हुआ ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

मैंने आपको अनुमति नहीं दी है । अब आप स्थान ग्रहण करें ।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता–

व्यवस्था के प्रश्न के नाम पर अव्यवस्था न फैलायें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, सुन तो लें । आप नियम–311 को नियम–56 में कैसे तब्दील कर सकते हैं ?

श्री अधिष्ठाता–

यह अध्यक्ष पीठ की इनहरेन्ट पावर है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, पूरा सम्मान करते हुए कहना चाहूंगा कि आप नियमावली से चलेंगे । मान्यवर, नियम 311 में है कोई सदस्य अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव कर सकेंगे कि किसी नियम का सदन के समक्ष किसी विशेष प्रस्ताव का लागू होना निलम्बित कर दिया जाय और यदि प्रस्ताव स्वीकृति हो जाये तो वह नियम उस समय के लिये निलम्बित कर दिया जायेगा । ऐसी अवस्था में जिस प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा वह अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित की जायेगी ।

मान्यवर, इसमें कोई विकल्प नहीं दिया गया है कि आप 56 की सूचना को इसमें ले जायेंगे । मान्यवर, यह तो आपकी सहमति से और सहयोग से कर लेते हैं । यह महत्वपूर्ण विषय है आप जिस दिन अपने विवेक से उचित समझें उसको ले लें ।

श्री अधिष्ठाता–

311 में अध्यक्ष की सहमति चाहिये उन्होंने सम्मति नहीं दी 56 में कनवर्ट करने के बाद इसमें शलाका हुई शलाका होने के पश्चात् यह क्रमांक 7 पर आया क्रमांक 7 का जब नम्बर आयेगा तब कह लीजियेगा ।

यह अध्यक्ष पीठ की इनहरेन्ट पावर है वे चाहें तो इसको सुन सकते हैं ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, आप नियम 314 देख लें इसमें है–किसी संकल्प या प्रश्न के अनुज्ञा के बारे में यह किसी अन्य किसी विषय में अध्यक्ष का जो विनिश्चिय हो, उस पर कोई आपत्ति नहीं की जायेगी ।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री प्रमोद कुमार–

उसमें सदन की कार्यवाही स्थगित होने की बात होती है और इसमें सदन से आया प्रस्ताव निलम्बित होता है दोनों में फर्क है ।

श्री अधिष्ठाता–

इसमें है कि अध्यक्ष के विनिश्चिय पर आपत्ति नहीं की जायेगी ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इस संकल्प को आप किस रूप में लेंगे । 311 को 56 में किस नियम में आप तब्दील करेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

जो अध्यक्ष ने विनिश्चय किया है । इसमें है कि किसी विनिश्चय पर आपत्ति नहीं की जायेगी । यह इतना व्यापक है ।

श्री प्रमोद कुमार–

अगर व्यापक है तो वापस लेता हूं । जिस दिन आपकी सुविधा आपकी इच्छा हो आप इसे ले लें ।

श्री अधिष्ठाता–

क्रमांक 7 पर सुन लूंगा । आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री राम विशुन आजाद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, देश को आजाद कराने के लिए जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना बलिदान दिया और जिससे देश आजाद हुआ जिससे आज हम लोग इस सदन में बैठकर प्रदेश की समस्याओं पर विचार कर रहे हैं । इस उत्तर प्रदेश सरकार ने, जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने देश को आजाद कराने हेतु आन्दोलन किया, उन महापुरुषों ने अपने को देश की आजादी के लिए समर्पित कर दिया, उनकी याद में इस सरकार ने कोई भी योजना नहीं चलायी है ।

मान्यवर, वर्ष 1857 में गोण्डा के महाराजा देवी बख्श सिंह हिन्दू और मुसलमानों की एकता के जो प्रतीक थे देश को आजाद कराने के लिये अंग्रेजों से लड़ते हुये शहीद हुए उनकी कर्मस्थली गोण्डा को इस सरकार द्वारा उपेक्षित रखा गया है । मान्यवर, इसी तरह तुलसीपुर की महारानी जो गोण्डा जनपद में दूसरी झांसी की रानी कही जाती हैं, जिनकी रियासत को अंग्रेजों ने जब्त कर मिला लिया था और तुलसीपुर की लड़ाई में पीछे से सर होपग्रान्ट ने तुलसीपुर महारानी का सिर काट दिया था उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की याद में इस सरकार ने गोण्डा और तुलसीपुर में कोई मूर्ति नहीं लगवाया है ।

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की याद में पुरस्कार देने में एवं महापुरुषों की याद में मूर्ति लगाने की योजना बनायी जायेगी लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने आज तक महाराजा देवी बख्श सिंह और तुलसीपुर की महारानी की याद में न तो गोण्डा जनपद में और न ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इन महापुरुषों की याद में न तो कोई मूर्ति लगायी गयी है और न उनके नाम से पुरस्कार ही दिया गया है । इसलिए मैं मांग करता हूं कि राजधानी लखनऊ में महाराजा देवी बख्श सिंह और तुलसीपुर की महारानी की मूर्ति यहां लगायी जाय । मान्यवर, मैं इस अविलम्बनीय महत्वपूर्ण प्रश्न के माध्यम से आपसे मांग करता हूं कि इस पर एक घण्टे की चर्चा करा दी जाय ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, विद्वान सदस्य श्री राम विशुन आजाद एक तरफ चर्चा की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ मूर्ति लगाने की तरफ ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पाया । मैं आपकी जानकारी के लिये बता दूं, प्रदेश में उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण संस्थान है, जिसका दायित्व यह है कि जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, उनके बारे में सारी जानकारी प्राप्त करे और जानकारी प्राप्त करने के बाद जो भी आवश्यक कार्यवाही हो, वह की जाय । मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूं कि जहां

तक महाराजा देवी बख्श सिंह की स्मृति का मामला है, वर्ष 1998-99 में इसी सरकार ने 1.07 लाख रुपया उनके स्मारक के निर्माण हेतु स्वीकृत कर दिये हैं, यदि आप इसमें रुचि ले रहे हैं तो यह अच्छी बात है, एक अच्छा स्मारक बनना चाहिये। पैसा स्वीकृत कर, उपलब्ध भी करा दिया गया है।

जहां तक महारानी तुलसीपुर के स्मारक का प्रश्न है, यह प्रकरण विचाराधीन है और यह जो संस्थान बना हुआ है, उसको इस संबंध में कई अनुस्मारक भेजे गये हैं, जैसे ही उनसे आवश्यक जानकारी प्राप्त हो जायेगी, तुरन्त कार्यवाही की जायेगी।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, वह तो देवी बख्श सिंह पुस्तकालय के लिये दिया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि जैसे राजधानी लखनऊ में महाराणा प्रताप और ऊदा देवी की आदमकद प्रतिमा लगाई गयी है, उसी प्रकार राजधानी में देवी बख्श सिंह जी की आदमकद प्रतिमा लगायी जाय, उन्होंने बड़े प्रभावशाली तरीके से अंग्रेजों से लड़ा था, उन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था।

श्री अधिष्ठाता–

संसदीय कार्य मंत्री जी, कुछ कहना चाहेंगे।

श्री हुकुम सिंह–

मैंने बता दिया कि मूर्ति के बारे में 1.07 की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय राम विशुन आजाद और संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त मै इस सूचना को निरस्त करता हूं।

(श्री राम विशुन आजाद द्वारा पुनः अपनी बात कहने का प्रयास किये जाने पर–व्यवधान)

यह आपका अंकित नहीं किया जायेगा। आप अपना स्थान ग्रहण करें तथा अपनी शक्ति व समय को बरबाद न करें। मैं दूसरे सदस्य का नाम पुकार चुका हूं।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मै आपका ध्यान एक गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। हमारे आजमगढ़ में इस समय बिजली की कटौती चरम सीमा पर हो रही है। इस समय रबी की फसल की सिंचाई हो रही है और किसान का गेहूं सूख रहा है। हमारे विधान सभा क्षेत्र सदर आजमगढ़ में बनकट फीडर है जो हमारे क्षेत्र तथा गोपालपुर के क्षेत्र दोनों को आपस में जोड़ता है। इस बनकट फीडर पर लोड बहुत अधिक है, इसलिये फाल्ट हो जाता है और फाल्ट हो जाने पर बिजली विभाग के कर्मचारी महीनों तक बनाने नहीं जाते हैं। किसान इस समय भारी संकट से गुजर रहा है.....

मान्यवर, इसी तरह से हमारे क्षेत्र में सोफीपुर सब स्टेशन पर बिजली की कटौती हो रही है। मान्यवर, इसी प्रकार से पूरे जिले में बिजली की कटौती हो रही है। मान्यवर, आपको विदित ही होगा कि 23-24 मार्च से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षायें प्रारंभ होने जा रही है। लेकिन आजमगढ़ शहर में 6 बजे से बिजली की कटौती हो जाती है और फिर दुबारा रात में 11 बजे बिजली आती है। इसलिये मान्यवर विद्यार्थियों की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बिजली की कटौती को समाप्त किया जाय।

मान्यवर, इस प्रकार से आजमगढ़ में अभी भयंकर बाढ़ आई थी और उससे किसानों की सारी फसल नष्ट हो गयी थी और अब उनकी फसल बिजली न मिलने के कारण नष्ट हो रही है। किसानों को अपने गेहूं की फसल में अंतिम सिंचाई की बहुत बड़ी आवश्यकता है। लेकिन बिजली कटौती के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा है। मान्यवर, भवर नाथ और जाफरपुर विद्युत सब स्टेशन बनाने का आदेश हो गया है लेकिन अभी तक उनका निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है अगर यह सब स्टेशन

बन जाय तो बिजली का लोड कम हो जायेगा । सरकार कहती है कि 10 घंटे बिजली दे रहे हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 10 घंटे की बात आप छोड़ दीजिये । दो घंटे बिजली सही ढंग से नहीं जा रही है अगर बिजली रहती भी है तो किसान जब ट्यूबेल चलाता है तो खेत में पानी जाते-जाते बिजली चली जाती है । इसलिये मान्यवर, किसानों और छात्रों के हितों के लिए तत्काल ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे बिजली की कटौती न हो । मान्यवर, एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो ट्रांसफारमर लगाये जाते हैं, अगर वह जल जाते हैं तो किसानों को अपना पैसा खर्च करके उनको लगवाना पड़ता है और फिर एक दो घंटे में वह जल जाता है । यह गंभीर विषय है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि इस विषय की ओर वह ध्यान दें और बिजली की जो कटौती हो रही है उसको रोकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस पर आप चर्चा करा दें ।

श्री हुकुम सिंह–

माननीय सदस्य दुर्गा प्रसाद यादव जी ने अपने क्षेत्र की समस्याओं का उल्लेख किया है । इस संबंध में जो काम हम कर रहे हैं उसको बता दें चन्द्रपुर फीडर की लम्बाई अधिक है । इसलिए बीच में सार्ट सर्किट हो जाता है । इसलिए 33 के०वी० का सब स्टेशन बनाया जा रहा है । 15 एम०बी०ए० का ट्रान्सफारमर रखा जा रहा है । दूसरा जाफरपुर में 33/11 का सब स्टेशन निर्मित हो रहा है, इससे ओवर लोडिंग की समस्या समाप्त हो जायेगी । आपकी सूचना मिलने के बाद भी अधीक्षण अभियन्ता को निर्देशित किया गया है इसमें वह विशेष रुचि लें ताकि किसानों को दिक्कत न हो ।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

मैं जानना चाहता हूं कि जब फाल्ट हो जाता है तो महीनों तक बिजली नहीं आती है इसके लिए क्या कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

मैंने कहा तात्कालिक रूप से ओवर लोडिंग की समस्या को हल करने के लिए अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण को कड़े निर्देश दिये हैं जब तक इसका निर्माण न हो जाए उचित व्यवस्था करें ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय दुर्गा प्रसाद यादव एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् मैं इसे अग्राह्य करता हूं और निरस्त करता हूं ।

अगली सूचना माननीय समर पाल सिंह की है । कृपया संक्षेप में अपनी बात रख दें ।

* श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, मेरी जो सूचना है इस पर लम्बा चौड़ा भाषण देने की जरूरत नहीं है । यह बहुत ही लोक महत्व का विषय है जो नियम 56 के अन्तर्गत आपने लिया है । मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि लोक सेवा आयोग द्वारा प्रयोगात्मक परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं पी०सी०एस० परीक्षाओं के लिए पहले 3 केन्द्र थे मेरठ, इलाहाबाद और लखनऊ लेकिन सरकार ने मेरठ परीक्षा केन्द्र को निरस्त कर दिया है ।

अब उत्तर प्रदेश में मात्र 2 केन्द्र लखनऊ और इलाहाबाद ही रह गये हैं । 280 किलोमीटर में दो परीक्षा केन्द्र हैं सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश जिसमें मध्य और पश्चिम उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड आदि के परीक्षार्थी एक-एक हजार किलो मीटर चलकर लखनऊ या इलाहाबाद आते हैं उनके अभिभावकों को हजारों रुपया व्यय करना पड़ता है । मै कहना चाहता हूं कि जहां 280 किलोमीटर में लखनऊ और इलाहाबाद परीक्षा केन्द्र हैं वहां दूसरी ओर अन्य हिस्सों में कोई परीक्षा केन्द्र न होने से परीक्षार्थियों को तरह-तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं और खर्च भी बहुत अधिक करना पड़ता है लखनऊ और इलाहाबाद में रहने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है एक ही कमरे में 10-10 परीक्षार्थी रहते हैं और ऐसे मुहल्लों में रहते हैं

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

जहां पर पढ़ाई का कोई माहौल नहीं है और बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है ऐसी जगहों में रहकर पी०सी०एस० के परीक्षार्थियों को परीक्षा देनी पड़ती है यह हजारों लाखों परीक्षार्थियों से जुड़ा हुआ मामला है । इस कठिनाई को देखते हुए वहां के विद्यार्थी आन्दोलित हैं मेरठ और गढ़वाल विश्वविद्यालयों के छात्र आन्दोलन कर रहे हैं उनकी मांग हैं कि पी०सी०एस० आदि की परीक्षाओं के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में परीक्षा केन्द्र होना चाहिए । इस सरकार की जो नीति है इससे पश्चिम और उत्तराखण्ड के छात्र प्रताड़ित किये जा रहे हैं ।

[समय 2 बजकर 25 मिनट]

उनके नौकरी में आने की सम्भावना समाप्त हो रही है । उसके पहले भी सरकार से आग्रह कर चुके हैं कि पश्चिमी उ० प्र० जहां से आप आते हैं वहां से हम और आप आते हैं । आपका दायित्व है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार न करें इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियो की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए वहां पर एक पी०सी०एस० का परीक्षा केन्द्र स्थापित करने की कृपा करें ।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, पिछले बजट सेशन में इससे पहले भी यह बात उठाई जा चुकी है कि यह सरकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल से इतनी नाराज क्यों है । मान्यवर, आबादी बढ़ रही है, परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या बढ़ रही है । यह बात तो समझ में आती है कि परीक्षा केन्द्रों की संख्या तीन से चार कर दी जाये लेकिन यह समझ में नहीं आता कि तीन से दो की जाये । दूसरे मान्यवर, परीक्षा केन्द्रों में एक इलाहाबाद व एक लखनऊ है और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश व पूरे उत्तरांचल में एक भी परीक्षा केन्द्र नहीं है ।

मान्यवर, यह सोचने की बत है कि माननीय मुख्यमंत्री जी व माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी दोनों स्वयं भी उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं । आप पता नहीं क्या सोचते हैं परन्तु हम तो अपने घरों के बारे में ज्यादा व पहले सोचते हैं । जो आदमी देहरादून से लखनऊ आयेगा उसे लम्बी यात्रा करनी पड़ेगी तथा जो आदमी प्रतापगढ़ से इलाहाबाद जायेगा उसे 250 किलोमीटर की ही यात्रा करनी पड़ेगी । मान्यवर इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के छात्रों का क्या कसूर है, उन्हें इन परीक्षा केन्द्रों पर रहने की भी दिक्कत होती है । क्या वजह है कि सरकार इस क्षेत्र से इतना भेदभाव करती है । बहुत कुछ हमनें कहा, बहुत कुछ औरों ने कहा पर सरकार की कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है । यह महत्वपूर्ण सवाल है, सवाल यह नहीं है कि आपने केन्द्र हटाये या पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिसे आप नहीं चला पा रहे हैं । मान्यवर, हम तो कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग कर दिया जाये, हम केन्द्र भी बना लेंगे और वहां अपने तरीके से काम भी कर लेंगे । वह सब कर लेंगे जो यह सरकार नहीं कर पा रही है । सरकार इस प्रश्न पर सोचे और यह घोषणा करे कि जो वर्ष 1996 के पहले मुख्य केन्द्र थे उन्हें फिर से स्थापित करें जैसे मेरठ और देहरादून ।

* श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

आपने मुझे इस सदन में अपनी बात कहने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर वहां के लोग गरीब है । छात्रों के भविष्य का सवाल है । मान्यवर जब वहां के छात्रों को पी०सी०एस० की परीक्षा देने के लिए लखनऊ या इलाहाबाद आना पड़ता है तो जरा सोचें कि कितना खर्चा करना पड़ता है । मान्यवर यदि मेरठ में केन्द्र रहता तो वहां के आस-पास के छात्रों को एक्जाम देने में कोई दिक्कत न होती । लेकिन सभी को पूर्वांचल में आना पड़ता है । आखिरकार सरकार का यह सौतेला व्यवहार क्यों है ? वहां जब कोई बात होती है या वहां के लिए कोई सवाल उठाया जाता है तो सरकार का ध्यान बिल्कुल नहीं जाता है विकास निधि या कोई और समस्या उठाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को यह एक बात कहकर अपना मन साफ कर देती है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश सक्षम है । वहां पर भी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ाब किसान के लड़के हैं जिनको एक्जाम देने इतनी दूर आना पड़ता है । मान्यवर, मैं चाहता हूं कि मे ठ पी०सी०एस० परीक्षा केन्द्र को बहाल किया जाये ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, परीक्षा केन्द्र की स्थापना ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि उसमें मुख्य बात, मुख्य दृ कोण यह रखा जाता है कि जहां पर वह स्थापित किया जा रहा है वह स्थान उपयुक्त है, वहां पर प्र ध सही होगा । परीक्षा केन्द्र स्थापित करने के पहले यह भी देखा जाता है कि परीक्षा केन्द्र ऐसी जगह पह हो जहां पर लोगों को गलत तरीके से किसी चीज के इस्तेमाल का अवसर न मिले । जितने ही प ीक्षा केन्द्र बढ़ायेंगे उतनी ही शिकायतें बढ़ेगी ।

अभी कार्यस्थगन के माध्यम से शिकायत की जा रही थी कि चयन की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चा ए, चयन की प्रक्रिया ठीक नहीं हुयी है । हमारे पास 2 ही स्थान उपलब्ध हैं और ऐतिहासिक रूप से उपलब्ध हैं, इसीलिये लखनऊ और इलाहाबाद को केन्द्र रखा जा रहा है । जहां तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ेत्रों का प्रश्न है, यह सही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश सबसे अधिक राजस्व देता है और सारे प्रदेश का विकास उस पर निर्भर करता है । अगर इतना अधिक राजस्व वहां से न आये तो प्रदेश के विकास में बा ा होगी । मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि एक विशेष पैकेज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिये तैयार किया जा रहा है । शीघ्र ही उसकी घोषणा इसी सदन में की जायगी । उसमें केवल सेंटर की ही बा नहीं है ..... (शोर)

श्री कौकब हमीद–

मंत्री जी गोलमोल जवाब दे रहे हैं । (बिजली चली जाने पर)

श्री प्रमोद कुमार–

यह ऊर्जा विभाग की हालत है कि जब विधान सभा में बिजली जा रही है तो इसी से अंदाजा लगा लें कि बाहर क्या हालत होगी ? इस समय जनरेटर से बिजली चल रही है ।

श्री कौकब हमीद–

पश्चिमी उत्तर प्रदेश का विकास किस प्रकार होगा, सरकार गंभीर नहीं है ।

श्री हुकुम सिंह–

हम यह आश्वस्त करते हैं कि पूरी गंभीरतापूर्वक विचार चल रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वि स के लिये किस प्रकार से योजनाओं को लागू करें । वहां के कृषि उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाय, कैस सु धायें दी जायं ? आप जो सुविधायें चाहते हैं उनको कैसे दिया जाय इस संबंध में पैकेज पर विच र चल रहा है सारी बातें आपके सामने जल्दी आ जायेगी ।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इस प्रश्न को हम लोगों ने उठाया था और वेल में आये थे । ने कहा था कि हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग चाहिये । माननीय अध्यक्ष जी ने आदेश दिया था और उसके बाद मीटिंग हुयी थी माननीय समरपाल जी ने भी प्वाइंट उठाये थे पैकेज का जिक्र हमने उठाया था और बताया भी हमने था । हम तो अलग प्रदेश चाहते थे । सेंटर का मामला नियम 56 में आया । हम जानना चाहते हैं कि क्या मेरठ में जो सेंटर खत्म किया है उसको दोबारा स्थापित करेंगे या नहीं करेंगे और क्या वहां एक और सेंटर बनाने जा रहे हैं ताकि वहां के लोगों को सुविधा हो जाय ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, केन्द्र के बारे में जो बात कही गयी है तो जो स्थान केन्द्र के लिये चयन होता है उसका नि क्षण प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से होता है, उसी के विवेक से केन्द्र की स्थापना होती है । प्रदेश सरकार का प्रस्ताव गया था । लोक सेवा आयोग ने कहा कि 2 ही केन्द्र रहेंगे । यह प्रदेश सरकार

के अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है । अगर लोक सेवा आयोग सहमत होगा तो वहां स्थापित कर देंगे।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा कि केवल दो ही जगह उपयुक्त है जहां पी०सी०एस० की परीक्षायें हो सकती हैं । मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मेरठ के अन्दर कौन चीज की कमी है । मेरठ में कमिश्नरी है, माध्यमिक शिक्षा परिषद् का मुख्यालय है । वहां भवनों की कमी नहीं है । पी०सी०एस० की अनेक वर्षों तक सुचार रूप से परीक्षायें संचालित होती रही हैं । उसे आपने निरस्त करवा दिया । आपने कहा कि वहां स्थापित होगा जहां उपयुक्त माहौल बनेगा । लखनऊ और इलाहाबाद दो ही उपयुक्त स्थान हैं । दूसरी बात आप पैकेज की बात कर रहे हैं इस पीठ का निर्देश हुआ था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विधायकों के साथ मुख्यमंत्री जी उनकी समस्याओं पर विचार करें और जो सम्भव हो सकता है, उसको करें तो उस निर्देश के बाद बाध्यतावश मीटिंग बुलायी गयी थी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सारे विधायकों ने एक स्वर से मांग की थी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट का बेंच, रेवेन्यु बोर्ड की बेंच, आई०ए०एस०, पी०सी०एस० का सेण्टर होना चाहिए ।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्दर लोगों को प्रशासनिक सुविधा देने के लिए मिनी सचिवालय की स्थापना होनी चाहिए । सभी लोगों ने एक स्वर से कहा था कि पश्चिम के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वांचल, बुन्देलखण्ड और उत्तराखण्ड विकास निधि की भांति पश्चिमांचल विकास निधि होनी चाहिए थी । माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस समय घोषणा की थी कि मैं मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर रहा हूं जो इस पर विचार करेगी और 30 नवम्बर तक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी । मान्यवर, दिसम्बर, जनवरी, और फरवरी बीत गयी लेकिन रिपोर्ट नहीं आयी । इससे सरकार की मंशा का पता चलता है कि सरकार कितना संवेदनशील है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं जानकारी देना चाहता हूं बार-बार आरोप लगा रहे हैं । वस्तुस्थिति यह है कि जो लोक सेवा आयोग ने सूचित किया है कि 1996 में मात्र 1500 अभ्यर्थी बैठे, 1997 में मात्र 3000 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए । इतनी छोटी संख्या के लिए 3-4 केन्द्र बनायें यह उपयुक्त नहीं है । दो ही स्थान उपयुक्त हैं ।

(श्री समरपाल सिंह, श्री कौकब हमीद एवं श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना एक साथ बोलने लगे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

श्री समरपाल सिह–

मान्यवर, लखनऊ का क्यों नहीं निरस्त किया, मेरठ का क्यों निरस्त कर दिया । इलाहाबाद का क्यों नहीं निरस्त किया ?

श्री अधिष्ठाता–

संसदीय कार्यमंत्री जी, माननीय सदस्यों का यह कहना है कि छात्रों की संख्या कम थी और केन्द्र सीमित होने चाहिए थे तो आपकी यह शंका है कि मेरठ का ही क्यों निरस्त किया ? इलाहाबाद और लखनऊ का क्यों नहीं निरस्त किया ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, लखनऊ और इलाहाबाद दोनों ही जगह लोक सेवा आयोग के कार्यालय हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

श्री समरपाल सिंह, श्री कौकब हमीद एवं श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना तथा संसदीय कार्यमंत्री जी को सुनने के पश्चात् इस सूचना को ग्राह्य नहीं करता हूं । अतः इसे निरस्त करता हूं ।

(श्री समरपाल सिंह, श्री कौकब हमीद एवं श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना एक साथ बोलते रहे, जिससे व्यवधान बना रहा ।)

श्री कौकब हमीद–

आप तारीख बता दें ?

श्री समरपाल सिंह–

आपने लोक सेवा आयोग को मेरठ परीक्षा केन्द्र होना चाहिए इसके बारे में पत्र कब भेजा है ?

श्री हुकुम सिंह–

तारीख मैं देख कर बता दूंगा । इस समय तारीख उपलब्ध नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री समर पाल सिंह–

मेरा आरोप है कि इन्होंने कोई पत्र नहीं भेजा है । इन्होंने पत्र भेजा है कि मेरठ से पी०सी०एस० परीक्षा केन्द्र को निरस्त किया जाए ।

श्री हुकुम सिंह–

कौकब साहब विद्वान सदस्य हैं, वरिष्ठ हैं लेकिन इनकी चाभी कहीं और है ।

श्री समर पाल सिंह–

पश्चिम के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है संसदीय कार्यमंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं । सरकार की इस नीति के विरोध में मैं और हमारे साथी सदन का बर्हिगमन कर रहे हैं ।

(श्री समर पाल सिंह अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गए ।)

श्री अधिष्ठाता–

इस सूचना पर माननीय सदस्यों एवं संसदीय कार्यमंत्री को सुनने के उपरान्त मैं इसे निरस्त करता हूं । अगली सूचना श्री प्रमोद कुमार, श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव की है ।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सदियों से भारत की सभ्यता के साथ गंगा का भारत से एक आत्मीय रिश्ता है । भारत की पहचान गंगा से होती है । इसके साथ करोड़ों लोगों की श्रद्धा, करोड़ों लोगों के विश्वास इससे जुड़े हुए हैं वहीं करोड़ों लोगों की रोजी रोटी का सवाल गंगा से जुड़ा है । सिंचाई की व्यवस्था गंगा से जुड़ी है । इसी के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने और प्रदेश सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना चलाई थी कि गंगा की सफाई अभियान के लिए गंगा प्रदूषण बोर्ड का गठन किया गया था । उद्देश्य यही था, जिससे हमारी पहचान थी, जिससे हमारी आत्मीयता थी और जो हमारी जीविका से जुड़ा हुआ है । गंगा को तो भारत की जीवन रेखा कहा जाता है । सच्चाई तो यह है कि गंगा नदी को प्रदूषित करने में सरकार बराबर की जिम्मेदार है । गंगा प्रदूषण बोर्ड ने यह निर्धारित किया था कि गंगा के किनारे जो फैक्ट्रियां और कारखाने स्थापित हैं वह शोध यंत्र लगायें और पानी के शोधित होने के बाद ही उसे गंगा में प्रवाहित करें । वह शोध यंत्र जिस प्रकार की वह फैक्ट्री होती है उसके अनुसार होता है । किसी फैक्ट्री में यह 5 से 10 लाख और किसी फैक्ट्री में एक दो और 4 करोड़ में लगती है । इस यंत्र को लगाने से फैक्ट्री के मालिकों को कोई रिर्टन तो मिलता नहीं है, वह तो एक, दो

करोड़ का 20 से 40 लाख रुपये के फायदे का ब्याज देखते हैं। इस प्रकार जानबूझकर 4-5 लाख रुपया इधर-उधर देकर अपना लाइसेंस रखे हुए है। विधान सभा का रिकार्ड इसका साक्षी है।

मैंने प्रश्न उठाया था तो उस समय श्री बी० आर० वर्मा जी ने यह जवाब दिया था कि जो लोग समय सीमा के अन्तर्गत शोध यंत्र नहीं लगायेंगे उनके लाइसेंस रिन्यू नहीं किये जायेंगे। मान्यवर, सई नदी उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और जौनपुर से होकर जाती है। आज भी बहुत से लोग गंगा और सई नदी के किनारे रहते हैं और उसका पानी पीते हैं। परन्तु मान्यवर, एक, दो महीने से संपूर्ण गंगा का पानी दूषित हो गया है, रंगीन हो गया है। सिचाई मंत्री जी इस बात को जानते होंगे सिचाई के लिए अपर गंगा कैनाल और लोवर गंगा कैनाल तथा उससे निकली हुई नहरों से सिंचाई के लिए पानी लिया जाता है। परन्तु पानी गंगा में कम है और डिस्चार्ज ज्यादा है। मान्यवर, कानपुर में तो चौकाने वाले आंकड़े हैं यदि गंगा के पानी को पिया गया तो उससे मृत्यु भी हो सकती है और लोग विकलांग भी हो सकते हैं।

मान्यवर, यदि यह कोई दैवीय आपदा होती तो हम मान लेते। परन्तु यह तो सरकार द्वारा प्रदत्त आपदा है। ऐसी फैक्ट्रियों के लाइसेंस क्यों रिन्यू किये जा रहे हैं। जब तक कि वह शोध यंत्र न लगा लें। इससे अधिक गंभीर विषय और कोई हो नहीं सकता। यह अविलम्बनीय है, लोकमहत्व का है। इसलिए सारी सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाय। सरकार इस बात का पक्का आश्वासन इस सदन में दें कि एक, दो या तीन महीने की समय सीमा के अन्तर्गत यदि कोई शोध यंत्र नहीं लगायेगा तो उसका कारखाना बन्द करने के लिए सरकार को कड़ी कार्यवाही करनी पड़ेगी। यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो यह मान कर चला जायेगा कि प्रदेश की जनता के जीवन के साथ सरकार, कारखानें के मालिकों के साथ मिलकर गंगा के पानी को प्रदूषित कर रही है और करोड़ों लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है। मान्यवर, यह सरकार धर्म के नाम पर सत्ता में बैठी है परन्तु इतना बड़ा अधर्म कर रही है इसलिए मैं इस अधर्मी सरकार से कहना चाहता हूं कि फैक्ट्रियों में शोध यंत्र लगाने के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार करे अन्यथा त्याग-पत्र दें।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना के माध्यम से मैं आपका ध्यान इस अहम् और ज्वलंत समस्या की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, माननीय प्रमोद जी ने ठीक कहा कि गंगा नदी का बहुत बड़ा महत्व हमारे जीवन में है। गंगा नदी के तट पर ही सम्पूर्ण देश की और खासकर उत्तर भारत की मानव की सभ्यता का विकास हुआ है गंगा की गोद और यमुना की गोद में ही मानव सभ्यता व संस्कृति विकसित हुई है। यह देश की सबसे बड़ी लम्बी नदी है जिसकी लम्बाई दो हजार पांच सौ पच्चीस किलोमीटर है और गंगोत्री से शुरू होकर बंगाल की खाड़ी तक पहुंचती है।

श्री अधिष्ठाता–

आप इतिहास और भूगोल की बात न करें ग्राह्यता पर बोलें।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

आज जिस तेजी से गंगा नदी का जल प्रदूषित हो रहा है मैं आपका ध्यान इधर आकृष्ट करना चाहता हूं कि गंगा की सफाई की जो योजना भारत सरकार चला रही है और जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार का भी योगदान है उसके आंकड़े चौकाने वाले हैं। गंगा कार्य योजना की एक रिपोर्ट के मुताबिक गंगा नदी के जल का शुद्धता मापने का दो पैमाना है जिसमें बी० ओ० डी० और डी० ओ० दो महत्वपूर्ण पैमाने हैं। गंगा एक्शन प्लान आंकड़े प्रदर्शित करते हैं कि गंगा के किनारे चाहे कानपुर हो, इलाहाबाद हो, वाराणसी हो वहां एक्शन प्लान की रिपोर्ट यह है कि यह जो दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, आवश्यक है गंगा के जल में गुणवत्ता को बनाये रखने के लिये यह या तो अनुपात से ज्यादा बढ़ रही हैं या कम हो रही

हैं । गंगा के जल में जहां बी०ओ०डी० अधिकतम 3 मिलीग्राम प्रति मिलीलीटर में और डी० ओ० 5 मिलीग्राम होना चाहिए वहां कानपुर में बी०ओ०डी० बढ़कर इससे ज्यादा हो गया है ।

इलाहाबाद में बढ़ गया है । वाराणसी में बढ़ गया है और डी०ओ० कानपुर के निकट गंगा नदी के पानी में 6.4 हो गया है, 8.5, 7.7 हो गया है जिसे न्यूनतम 5 मिलीग्राम होना चाहिए । मान्यवर, आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं कि जल जिस तेजी से प्रदूषित हो रहा है यह सरकार की सम्वेदनहीनता का दुष्परिणाम है कि इतने बड़े महत्वपूर्ण कार्य को सरकार प्राथमिकता नहीं दे रही है । सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश का जन जीवन प्रभावित हो रहा है । मान्यवर, आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं कि लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है जहां गोमती नदी बहती है उसके सम्बन्ध में जो सबसे ज्यादा चिन्ताजनक रिपोर्ट आयी है । गोमती नदी का जो वर्तमान में जल है वह डी० ई० श्रेणी का हो गया है जबकि होना चाहिए सी० श्रेणी का । मान्यवर, आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं कि वैज्ञानिकों के अनुसार गोमती का 70 प्रतिशत जल प्रदूषित हो गया है । कालीफार्म बैक्टीरिया की संख्या गोमती नदी में इतनी हो गई है कि गोमती बैराज के निकट विश्लेषण के बाद वैज्ञानिकों ने माना है कि कालीफार्म बैक्टीरिया बेपनाह बढ़ रही हैं । श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वो नदियां जो इन्सान के जीवन की स्रोत हैं आज उनका जल जहर हो गया है ।

श्रीमन्, आप इस बात से अवगत हैं कि इन्सान के शरीर की संरचना में, श्रीमन्, आप डाक्टर हैं, मेडिकल साइंस के आदमी हैं । आप जानते है इन्सान के शरीर की संरचना में पानी का कितना योगदान है आदमी के वजन में 60 प्रतिशत का योगदान पानी का है । आज उत्तर प्रदेश की सरकार प्रदेश की जनता को गंगा और अन्य नदियों को प्रदूषित पानी को पिलाकर उनको मौत के घाट उतारने का प्रयास कर रही हैं । मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इससे ज्यादा लोकमहत्व का और कोई प्रश्न नहीं होगा । आपकी अनुपति से कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश की सरकार इस बात पर गौर नहीं कर रही है कि नदियों के जल के प्रदूषण के जो कारक हैं उन पर ध्यान दें । चाहे शुगर फैक्ट्रीज हों या कानपुर की टेनरीज हों यह सारे कल कारखाने जिनके लिए ट्रीटमेंट प्लान्ट लगाने की अनिवार्यता है ।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें पुनरावृति हो रही है ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

एक-दो बातें कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा ।

श्री अधिष्ठाता–

नहीं, समाप्त करें ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

यह तात्कालिक लोकमहत्व का प्रश्न है । उत्तर प्रदेश की करोड़ों जनता के जीवन से जुड़ा हुआ सवाल है । आज उत्तर प्रदेश की सरकार इस मामले पर संवेदनहीन हो गई है । मैं आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार.....

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें, पुनरावृत्ति कर रहे हैं ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

उन कल कारखानों के लाइसेंस जब्त करने चाहिए जो नदी के किनारे लगे हुए हैं तथा जिन्होंने शोध यंत्र नहीं लगाए हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

आप बोलते रहें अंकित नहीं किया जाएगा ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

प्रदेश की जो नदियां हैं उनमें जल प्रदूषण को दूर करने की तत्काल व्यवस्था की जाए ।

श्री हुकुम सिंह–

आप ग्राह्यता पर बोल रहे हैं आपने कहा तात्कालिक है तो क्या नदियों का प्रदूषण कल या परसों से शुरू हुआ है । मान्यवर, प्रदूषण की बीमारी और पानी की समस्या भयानक समस्या है । प्रश्न यह है कि समस्या का समाधान करने के लिए किस नियम में किस बात को उठाया जाए । नियम–56 में चर्चा नहीं होती है ग्राह्यता पर बोलेंगे । किसी नियम में बोलते समय उसके विषय को ध्यान में रखना चाहिए । (एक सदस्य के कुछ बोलने पर) देखिए दूसरों को नहीं बोलने देंगे, यह बीमारी है, यह प्रदूषण है तुरन्त खड़े हो जायेंगे दूसरे को नहीं बोलने देते हैं । मैं आग्रह करना चाहता हूं गंगा के प्रदूषण का जहां तक मामला है एक दो सरकार की बात नहीं कोई भी सरकार अतिरिक्त धन व्यय कर ले लेकिन इसमें जनता की सीधी-सीधी भागीदारी है, जनता की भागीदारी होनी चाहिए वातावरण बनना चाहिए । हम सब मिलकर ही इसको दूर कर सकते हैं ।

उद्योगों के बारे में कहा गया तो कोई उद्योग 10 दिन पहले स्थापित हुआ हो ऐसा नहीं है । सब यहां बैठे हैं मैं बता दूं कि कब लाइसेंस दिया गया, कौन दोषी है, हमारे सामने बैठे हैं । इनके पास फिर उत्तर नहीं रहेगा । मान्यवर, गंगा जी का उद्गम, जहां से गंगा निकली हैं, गंगा एक्ट प्लान है, जो भी हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं, उसमें कार्य चल रहा है । यह पार्टी विशेष का मामला नहीं है यह जनता के जन जीवन से जुड़ा है जो संसाधन उपलब्ध हैं उनका सदुपयोग करें । यह बात कहकर मैं बात समाप्त करता हूं लेकिन यह ध्यान रखा जाना चाहिए समय किस विषय के लिए है आज महत्वपूर्ण विषय लगे हैं और 10 बजे यह सदन खाली हो जाएगा । 10.00 बजे खाली मिलेगा और कोरम पूरा करने की जिम्मेदारी भी मेरी है । जो महत्वपूर्ण विषय है जिसकी जनता प्रतीक्षा कर रही है उसको आने नहीं देंगे ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी लम्बा चौड़ा भाषण दिया । कहा गम्भीरता नहीं है । गम्भीर इधर नहीं है या उधर नहीं है । मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने सीधा सादा कार्य स्थगन प्रस्ताव रखा था । यह आश्वासन चाहा था कि सरकार यह बता दे कि जो प्रदूषण फैक्टरियों से हो रहा है, तो एक समय सीमा निर्धारित कर दे, एक महीना, दो महीना, तीन महीना या चार महीना कि शोध यंत्र लगा दें । अगर नहीं लगायेंगे तो लाइसेंस समाप्त हो जायेगा । तात्कालिकता की बात कही गयी । मान्यवर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक पिटीशन दाखिल हुई प्रदूषण के बारे में और उसने एक वकीलों की समिति बना दी । उस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी तो चौकाने वाले तथ्य सामने आये । उसके बाद मैं इसको यहां पर लाया हूं । मान्यवर, मैं प्रश्न करूंगा तो मौजूदा सरकार से ही करूंगा ।

अब मैं कहां से मुलायम सिंह जी को, मायावती जी को, नारायण दत्त तिवारी जी को ढूंढने जाऊंगा । मैंने सीधा सादा माननीय मंत्री जी से जानना चाहा है कि छः महीने की समय सीमा निर्धारित कर दें । दूसरा उन्होंने कहा कि यहां प्रदूषण हो गया है । मान्यवर, इनको कोई अधिकार नहीं है विपक्ष के प्रति टिप्पणी करने का । मुझे लगता है कि इनकी पार्टी में जो दल टूटकर चले गये हैं उनको यह प्रदूषण कह रहे हैं । इन्हें तो उनका सम्मान करना चाहिएं । एक दल ने अपना ईमान और सम्मान छोड़ा और पार्टी में शामिल हुए आज नरेश अग्रवाल जी को आप प्रदूषण में शामिल कर रहे हैं तो यह उचित नहीं है । जिन्होंने आपकी सरकार को बचाया वह प्रदूषण नहीं है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मेरे पास तो सूची है जिसमें हमने जानकारी [illegible] की । मैं समय नहीं खोना चाहता हूं । यह समस्या बहुत सीमित नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है । इसमें समय सीमा बांध दें तो उसका पालन नहीं हो सकेगा । यह ठीक नहीं होगा । इस समस्या का समाधान बिना जनता की भागीदारी के नहीं हो सकता है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह फैक्ट्री मालिक और इनके बीच का झगड़ा है यह समय सीमा निर्धारित नहीं करेंगे और बार-बार जनता का आवाहन करेंगे । फैक्ट्री मालिकों को लाईसेंस देने का अधिकार इनको है ।

श्री हुकुम सिंह–

किसी भी ऐसे उद्योग को चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी जिसने पर्यावरण के नियमों के अन्तर्गत अपने यहां संयंत्र नहीं लगायें हैं । मेरे पास सूची है जिसमें उद्योगों की निरीक्षण की कार्यवाही की गई है ।

मान्यवर, हम लोग मिलकर कितना प्रदूषित कर रहे हैं गन्दे नाले बनते जा रहे हैं सफाई नहीं हो रही है । हम लोग नदियों में मुर्दा डालते हैं यह जो कुएं आदते हैं उसको ठीक करना पड़ेगा मान्यवर, आप तो ऐसे मुल्को को देख चुके हैं जहां पूरी नदी देश में बहती है और एक कतरा भी पानी में नहीं दिखता है । मान्यवर, इसमें कार्यस्थगन का प्रस्ताव नहीं बनता है ।

श्री अधिष्ठाता–

श्री प्रमोद कुमार, श्री सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य पाते हुए निरस्त करता हूं ।

यह पांच सूचनाएं शलाका के आधार पर आई थीं उन पर ग्राह्यता पर माननीय सदस्यों को सुना जो आगे 5 सूचनाएं हैं इस बात का स्मरण रखते हुए कि आज दो महत्वपूर्ण विभागों के बजट भी आने हैं दो-दो मिनट में अपनी बात माननीय सदस्य करेंगे ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, समय सीमा तो माननीय मंत्री जी दता दें कि तीन महीने या 6 महीने के अन्दर वह संयंत्र लग जायेंगे और अगर नहीं लगेंगे तो उनके लाइसेंस निरस्त कर दिये जायेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

जो उन्होंने कहा वह यही कहा कि जो हमारे नियम हैं पर्यावरण के, उनका पूरा प्रयोग करते हुए कठोर कार्यवाही करेंगे । आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, समय सीमा तो दता दें ।

श्री अधिष्ठाता–

अब अंकित नहीं किया जायेगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

[illegible]

(इसके पश्चात [illegible] दल के सदस्यों ने सदन त्याग कर चले गये ।)

[illegible] निकाल दिया गया ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय, एक मिनट आप सुन लें।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव द्वारा कही गई कोई बात अंकित नहीं की जायेगी।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

इनका [x x x] भी अंकित नहीं किया जायेगा।

श्री अवधेश प्रसाद–

[मान्यवर, बुन्देलखण्ड में समाजवादी पार्टी के सदस्यों के साथ–]

श्री अधिष्ठाता–

इस पर व्यवस्था दे चुके हैं अध्यक्ष जी। श्री अवधेश प्रसाद जी की कोई बात अंकित नहीं की जायेगी। आप संसंगत नियमों में लिखकर दे दीजिए।

श्री अवधेश प्रसाद–

[मान्यवर, सरकार से वक्तव्य दिलवा दें।]

श्री राम औतार शाक्य–

[मान्यवर, विधायक गिरफ्तार हो रहे हैं।]

श्री अधिष्ठाता–

श्री अवधेश प्रसाद और श्री राम औतार शाक्य की कोई बात अंकित नहीं की जायेगी।

(समाजवादी पार्टी के दो सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान)

माननीय सदस्य, आप लोग बैठ जायं, मैं आप लोगों को अनुमति नहीं देता हूं। मैंने श्रीमती गौरी देवी जी को बुला लिया है। आप लोग बैठ जायं।

* श्रीमती गौरी देवी–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान अविलम्बनीय लोकमहत्व की सूचना की ओर आकर्षित करते हुए कहना चाहती हूं कि हमारे विधान सभा क्षेत्र कौड़ीराम जनपद गोरखपुर में आई बाढ़ की विभीषिका से जानमाल और फसल को काफी नुकसान हुआ है। बाढ़ पीड़ितों को समुचित सहायता अभी तक नहीं दी गयी है। मान्यवर, जब बाढ़ गोरखपुर में आई थी तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी वहां गये थे तो उन्होंने घोषणा किया था कि प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को 1500 रुपये दिया जायेगा जिसमें एक हजार रुपया नकद और 500 रुपये का सामान दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी घोषणा किया था कि बाढ़ पीड़ित प्रत्येक व्यक्ति को जिसके आवास ध्वस्त हो गये हैं उन्हें 25 हजार रुपये दिया जायेगा लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे कौड़ीराम विधान सभा क्षेत्र में, श्री सूर्य प्रताप शाही जी यहां बैठे हैं जो जानते है कि वहां सबसे अधिक नुकसान हुआ है। मेरा दावा है वहां 50 गांव ऐसे हैं जो सड़क के किनारे और बन्धे पर थे जिन्हें 1500 रुपये की अहैतुक सहायता आज तक नहीं मिली है।

नोट :– [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तहसील में इन गांवों की सूची बनाकर जमा कर दी गयी है किन्तु अधिकारियों की मिली भगत से जो मकान ध्वस्त हो गये हैं उन्हें पैसा नहीं दिया जा रहा है जबकि बी०डी०ओ० के पास सूची जमा कर दी गयी है लेकिन बाढ़ पीड़ित लोगों को अभी तक पैसा नहीं मिला है। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि जैसा मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था उसके अनुसार बाढ़ से जो लोग घिरे थे और जिनके मकान ध्वस्त हो गये हैं, लोग बे-घरबार हो गये हैं और खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं उन्हें 25 हजार रुपये की सहायता तुरन्त दिलवायी जाय। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि जिन लोगों को चेक दिये गये हैं वे उनको लिये घूम रहे हैं और बैंक वाले उन्हें पैसा नहीं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि पैसा नहीं है।

मान्यवर, यह भी घोषणा की गयी थी कि किसानों की जो फसल नष्ट हुई है उन्हें राहत दी जायेगी लेकिन उन्हें कोई सहायता नहीं दी गयी है। मान्यवर, यह भी घोषणा की गयी थी कि किसानों को बीज दिया जायेगा लेकिन किसानों को बीज 15 दिसम्बर, तक नहीं मिला था और उसके बाद किसानों को जो बीज मिला वह रंगा हुआ था जिससे बोने पर वह खेतों में अंकुरित नहीं हुआ। इसलिए मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि 50 गांव जो बाढ़ से प्रभावित थे उनको समुचित सहायता दी जाय। मान्यवर, मैं चाहती हूं कि इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर एक घण्टे की चर्चा कराई जाय और संसदीय कार्य मंत्री जी घोषणा करें कि जो 50 गांव छूट गये हैं उन्हें समुचित सहायता देने की घोषणा करें।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें और संसदीय कार्य मंत्री जी को उत्तर देने दें।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, वैसे तो पूरे उत्तर प्रदेश में 55 जिले बाढ़ से प्रभावित हुये थे और पूरे उत्तर प्रदेश में तुरन्त 113 करोड़ 88 लाख की धनराशि आवंटित की गई थी। गोरखपुर जनपद में जो बाढ़ की स्थिति थी उसको देखते हुये अकेले 29 करोड़ 41 लाख रुपये आवंटित किये गये थे, इसके अतिरिक्त वहां बीज वितरित किया गया, दवाइयां वितरित की गईं और अन्य सहायता प्रदान की गई। माननीय मुख्य मंत्री जी भी वहां गये थे, बाढ़ मंत्री भी वहां मौजूद थे। माननीय गौरी जी, आपको तो सरकार की सराहना करनी चाहिये, कितना काम आपके गोरखपुर जनपद में किया गया। वहां काफी अच्छे प्रकार का बीज उपलब्ध कराया गया।

श्रीमती गौरी देवी–

तमाम काश्तकार वहां परेशान घूम रहे हैं। जो घोषणा की गई थी, वह पूरी नहीं की गई।

(सत्ता पक्ष की ओर से एक सदस्य द्वारा बीच में कुछ कहने का प्रयास करने पर–व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

जिन माननीय सदस्य ने बिना सूचना के बीच में बोला है, वह अंकित नहीं किया जायेगा।

(विपक्ष के कुछ अन्य सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर–व्यवधान)

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। किसी का कुछ भी अंकित नहीं किया जायेगा।

श्रीमती गौरी देवी तथा संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं, सातवीं सूचना के लिये पुनः कल नियम 56 में देने की सूचना आई है, इसलिये इसको निरस्त कर रहा हूं। आठवीं सूचना श्री सतीश जतारिया की है, वह उपस्थित नहीं है। अगली सूचना डा० धर्मज्ञ मिश्र की है।

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

जिस विषय को मैं उठाने जा रहा हूं वह महत्वपूर्ण अविलम्बनीय और लोक महत्व का है। आज पूरे प्रदेश में डकैतियां, चोरियां, कत्ल, अपहरण, लूटपाट, ट्रेनं डकैतियां, बैंक डकैतियां बड़े पैमाने पर हो रही है। पूरे प्रदेश की जनता आज परेशान हो रही है, चारों तरफ त्राहि-त्राहि मची हुई है। इस सरकार द्वारा अपनी सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर लाखों-करोड़ों रुपये खर्च किये जा रहे हैं लेकिन किसी भी

सामान्य आदमी की सुरक्षा नहीं हो रही है, बराबर राहजनी हो रही है, लूटपाट हो रही है । यह सरकार आम जनता की सुरक्षा करने में अक्षम है ।

श्री अधिष्ठाता–

श्री मिश्र जी, कृपया मेरी सदाशयता का गलत लाभ न उठावें, कृपया अब समाप्त करें ।

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

यह लिखा नहीं जायेगा ।

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

माननीय धर्मज्ञ मिश्र को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि यह सूचना नियम 300 में नहीं आती है, इसलिये इसको निरस्त किया जाता है ।

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से उत्तर तो दिलवा दें । यह मानव सुरक्षा का गंभीर सवाल है ।

श्री दद्दू प्रसाद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, खोंपा गांव में थाना रजपुर जिला चित्रकूट में एक निषाद की अबोध बालिका के साथ बलात्कार किया गया । वह लड़की रोती बिलखती थाने पर जाती है, तो वहां पर बलात्कार की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, बल्कि रिपोर्ट धारा 354 में लिखी गयी और उसे डरा धमका कर वापस कर दिया जाता है और फिर वह लड़की जिला हेड क्वार्टर पर पहुंचती है और जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक को लिखित प्रार्थना-पत्र देती है, तब कहीं जाकर उसकी रिपोर्ट लिखी जाती है, परन्तु फिर भी 376 में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है । यह बड़ा गम्भीर विषय है, आपका संरक्षण चाहता हूं इसलिये आप सदन की कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा करा दें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह घटना 7-10-1998 की है और इस घटना के बारे में एक पत्र प्रमुख सचिव को लिखा गया और मामला पंजीकृत किया गया । दो अभियुक्त पकड़े गये और उनको जेल में भेज दिया गया है । डाक्टरी मुआइना की रिपोर्ट मेरे पास है, लेकिन मैं उसको यहां पर पढ़ना नहीं चाहता हूं ।

श्री दद्दू प्रसाद–

गिरफ्तारी तो 354 में हुई है, बलात्कार की रिपोर्ट नहीं लिखी गई है ।

[समय 3 बजकर 25 मिनट]

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैंने बताया कि 376/511 में मुकदमा कायम किया है तो इसका मतलब साफ है कि क्या कार्यवाही की है बाकी मेडिकल रिपोर्ट आ गई है आप खुद ही अबोध बालिका की बात कह रहे हैं मैं उस पर सदन में खुलासा नहीं करना चाहता हूं अच्छा नहीं लगता है । (व्यवधान)

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय ददद्दू प्रसाद और संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद मैं उसे निरस्त करता हूं।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें जो चयनित नहीं की गईं, को अस्वीकार किया जाता है माननीय सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं :–

श्री राम औतार शाक्य, श्री राम नक्षत्र, श्री उदयराज यादव एवं श्री हरदेव सिंह, श्री इकबाल महमूद, श्री तौफीक अहमद, श्री आर०के० सिंह पटेल, श्री विजय कुमार।

श्री रामाधार सिंह, सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी की सूचना

श्री अधिष्ठाता–

एक सूचना सदन को देनी है जिलाधिकारी हमीरपुर ने अपने फैक्स सं० 1083/एल०टी० दिनांक 11 मार्च, 1999. जो इस सचिवालय में आज दिनांक 11–3–99 को अपराह्न 1.45 पर प्राप्त हुआ है, द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री रामाधार सिंह, सदस्य, विधान सभा को कस्बा राठ में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–151 के अन्तर्गत दिनांक 11 मार्च, 1999 को पूर्वाह्न 10.00 बजे गिरफ्तार किया गया है।

(व्यवधान)

(इस समय 3 बजकर 25 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बालचन्द्र मिश्र पीठासीन हुये।)

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

अत्याचार और अन्याय यह सरकार कर रही है। समाजवादी पार्टी के विधायकों कार्यकर्ताओं को मारापीटा जा रहा है। (व्यवधान)।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से लगातार समाजवादी पार्टी के लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता–

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अवधेश प्रसाद–

यह गम्भीर मामला है समाजवादी पार्टी के नेताओं को उसके कार्यकर्ताओं को दबाने का कार्य किया जा रहा है। (व्यवधान)

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

जब इस तरह से विधायकों को बन्द किया जायेगा तो यह सदन कैसे चलेगा ? (व्यवधान)

(समाजवादी पार्टी के श्री अवधेश प्रसाद, डा० धर्मज्ञ मिश्र, श्री राम औतार शाक्य श्री उदय राज यादव, श्री श्याम किशोर यादव, श्री राम विशुन आजाद, श्री अफजाल अहमद, श्री राम प्यारे सिंह, श्री सत्य प्रकाश सोनकर, श्री भीम प्रसाद सोनकर, श्री वसीम अहमद आदि अधिकांश सदस्य सदन के मध्य आकर नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग अपने-अपने स्थान पर जायें।

(सदन के वेल में उपस्थित माननीय सदस्यों ने नारे लगाये तथा सदन के वेल में बैठ गये।)

श्री अधिष्ठाता–

मेरा निवेदन है कि कृपया आप लोग अपने-अपने आसन पर जायें।

(सदन में निरन्तर नारे लगाये जाने से व्यवधान बना रहा।)

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, आप हमारी बात सुन लीजिये । हमारी बात का सरकार से उत्तर दिला दीजिये । हम चाहते हैं कि सदन चले लेकिन लगातार हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है । समाजवादी पार्टी को दबाया जा रहा है । अगर संख्या के बल पर यह सरकार है तो हम संघर्ष करेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग अपने आसन पर जायें ।

(सदन के फ्लोर पर आये हुये सदस्यों के अपने आसन पर न जानें पर ।)

श्री अधिष्ठाता–

मैं सदन की कार्यवाही 3.45 बजे तक के लिये स्थगित करता हूं ।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अधिष्ठाता ने 3 बजकर 32 मिनट पर सदन की कार्यवाही 3 बजकर 45 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी । 3 बजकर 45 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 4 बजे तक के लिये बढ़ा दिया है । 4 बजे अधिष्ठाता श्री बाल चन्द्र मिश्र के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दबाने, जेल भेजने तथा उनकी हत्या करने का सिलसिला जारी है । आज जिस समय में यह मामला उठा । बुन्देलखण्ड समाजवादी पार्टी के आह्वान पर समूचा बुन्देलखण्ड बन्द है । इस आदरणीय सदन के सदस्य श्री चन्द्रपाल सिंह यादव जी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, उन्हें पुन्छ थाने के अन्तर्गत आज सबेरे गिरफ्तार कर लिया गया है ।

जनपद उरई के कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा बर्बर लाठी चार्ज हो रहा है । चन्द्रपाल सिंह यादव के मामले में इस आदरणीय सदन में चर्चा हुई थी, जब उनके घर की कुर्की करके उनको अपमानित किया गया था और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दबाने का प्रयास किया गया था । शासन ने निर्देश दिया था कि झांसी के मण्डलायुक्त द्वारा इस मामले में जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाये लेकिन आज तक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं हुई, मामले में लीपापोती की गयी । समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न और बढ़ गया । जब से यह सरकार आयी है, 282 समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो गयी । समाजवादी पार्टी शिक्षकों, कर्मचारियों व आम जनता की समस्याओं को लेकर के लगातार संघर्ष कर रही है, जेल भरो आन्दोलन कर रही है । अभी महराजगंज में भी इसी प्रकार की घटना हुई ।

मान्यवर, आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तीन-तीन समाजवादी के सदस्य श्री सरवर अली खां, कमला प्रसाद रावत जी बाराबंकी से इस आदरणीय सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए आ रहे थे । वह जिलाधिकारी से मिलने गये, जिलाधिकारी ने दोनों माननीय सदस्यों को अपमानित किया, वह वहीं धरने पर बैठ गये और आज इस आदरणीय सदन में नहीं आये हैं । इसी तरह से आज बुन्देलखण्ड में चन्द्रपाल सिंह यादव जी और तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठी से बर्बर हमला किया गया जिससे वहां की जनता में भय एवं आक्रोश व्याप्त है । शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए आपसे निवेदन करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को यहां बुला ले या संसदीय कार्यमंत्री जी

से इस बात का बयान दिला दें कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस जुल्म और अत्याचार के खिलाफ शान्तिपूर्ण संघर्ष कर रहे हैं तो उनके ऊपर यह हमला क्यों किया गया और यह हमला, अत्याचार, जुल्म का सिलसिला, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दबाने का सिलसिला, यह नकारा सरकार कब तक जारी रखेगी, इसको बता दें ?

श्री राम औतार शाक्य–

अधिष्ठाता जी अभी अवधेश प्रसाद जी ने चन्द्रपाल सिंह यादव की गिरफ्तारी किए जाने के सम्बन्ध में व बाराबंकी के बारे में भी बताया । मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्य-मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । हमीरपुर जिले में भी रामाधार सिंह विधायक को गिरफ्तार कर लिया गया वह कोई असंवैधानिक कार्य नहीं कर रहे थे । संविधान में धरना प्रदर्शन का अधिकार अपनी बात कहने के लिए जो मिला है उसी के अनुरूप अपने प्रजातांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर रहे थे । इससे राठ की जनता, झांसी की जनता, हमीरपुर की जनता आन्दोलित है लेकिन शासन-प्रशासन से कोई न्याय नहीं मिल रहा है । यह कानून का राज नहीं है यह जंगल राज है । अगर जंगल राज हो जाएगा तो प्रजातंत्र जिन्दा नहीं रह सकता है । जिन पुलिस अधिकारियों ने यह गैर जिम्मेदाराना काम किया है उनको दंडित किया जाए । श्री चन्द्र पाल सिंह यादव का जो शोषण और उत्पीड़न किया गया है उस मामले की लीपापोती की गई है । मैं सरकार से मांग करता हूं कि इन बातों को देखते हुए सरकार इस्तीफा दे । क्योंकि सरकार विधायकों को न्याय देने के स्थिति में नहीं है । जनता के साथ वैसे ही न्याय नहीं हो रहा है । इस महत्वपूर्ण घटना पर सारी कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाए ।

डा० अशोक बाजपेयी–

श्री अधिष्ठाता महोदय, कल ही हम लोग यहां पर चर्चा कर रहे थे ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आपके दल के दो माननीय सदस्यों को सुन लिया है । अब संसदीय कार्य-मंत्री जी अपनी बात रखना चाहते हैं ।

* डा० अशोक बाजपेयी–

एक मिनट में अपनी बात रखता हूं । कल ही संसदीय कार्य-मंत्री जी ने एक पुस्तिका माननीय सदस्यों को दी है इसमें लिखा है । विधान सभा एवं विधान परिषद् के सदस्यों तथा प्रशासन के बीच सम्बन्ध सौजन्य एवं शिष्टाचार प्रदर्शन विभिन्न अवसरों पर समय-समय पर आदेश भी जारी किए गए हैं । लेकिन उसके बावजूद माननीय सदस्यों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किस तरह का आचरण किया जा रहा है यह सरकार के संज्ञान में हो रहा है । सरकारें चंचल होती हैं हम कभी इधर बैठते हैं कभी उधर । लेकिन माननीय सदस्यों के साथ प्रशासनिक अधिकारी इस तरह का आचरण करेंगे उनका अपमान करेंगे तो इससे जनतंत्र जिन्दा रहने वाला नहीं है । इस समय सत्र चल रहा है उसके बाद भी माननीय सदस्यों को कल बाराबंकी में अपमानित होना पड़ा । श्री चन्द्रपाल सिंह यादव ने यहां पर उपस्थित होकर घटना के बारे में काफी देर तक चर्चा की थी इस सम्बन्ध में पीठ से भी निर्देश हुए थे लेकिन उसके बाद भी उनके साथ न्याय नहीं हुआ । वह शांति पूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे उनके साथ कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज हुआ, यह निरन्तर घटनाएं हो रही हैं । इस पर मैं आपका निर्देश चाहूंगा । आखिर किस ओर यह लोकतंत्र को ले जाना चाहते हैं । क्या हमें अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है । सत्ता के मद में और प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से विपक्ष की आवाज को दबाने का काम करना

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कोई उचित बात नहीं है इसलिए मान्यवर, आप सरकार को निर्देशित करें कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और विपक्ष के साथ इस तरह का कोई अन्याय न हो ।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय अधिष्ठाता जी, दो-तीन बातों का उल्लेख करना चाहूंगा । मैं बाजपेयी जी की बातों को गौर से सुन रहा था और उन्होंने एक पुस्तिका का हवाला भी दिया, तथ्य तो उन्होंने कुछ नये नहीं रखे । कमिश्नर से जांच कराने के लिए माननीय विधायक समाजवादी पार्टी द्वारा की गयी थी । आयुक्त की जांच आ गयी, जांच की प्रति आपको उपलब्ध करा दी गयी और मान्यवर, आपको भी उपलब्ध करा दी गयी थी । जांच में कुछ नहीं पाया गया फिर यह हुआ कि परीक्षण कर लिया जाय, उसका परीक्षण भी कर लिया गया । राजनैतिक आह्वान किया गया था बुन्देलखण्ड को बन्द करने का । उसमें सरकार क्या करे कि अगर कोई व्यक्ति दुकान बन्द न करे और कोई व्यवसायी दुकान बन्द न करे तो क्या सरकार पुलिस-फोर्स भेज कर दुकानें बन्द करायेगी ।

मान्यवर, इनका आह्वान तो प्रभावी नहीं हुआ और चन्द्रपाल जी बाहुबली हैं, बाहुबल के आधार पर वहां जबरदस्ती दुकानों को बन्द करने का प्रयास किया गया । मान्यवर, सरकार तो ऐसे नहीं चलेगी और न ही प्रशासन ऐसे चलेगा । कानून को हाथ में लेकर दुकानों को बन्द कराना चाहते थे परन्तु सरकार ऐसा नहीं होने देगी । 107(16) में कार्यवाही की गयी और निरूद्ध किया गया । जब किसी भी प्रकार से बुन्देलखण्ड बन्द नहीं हुआ, आज पूरा बुन्देलखण्ड खुला हुआ है, ट्रांसपोर्ट चल रहा है, दुकानें खुली हुई हैं । वहां पर आपका काम नहीं चला तो आपने यहां पर अपना काम चलाया और थोड़ी देर के लिए सदन को स्थगित करने में आप कामयाब भी हो गये । मान्यवर, बाराबंकी का जिक्र किया गया । वहां एक महिला जिलाधिकारी हैं । मैं इस सदन का समय बरबाद नहीं करना चाहता हूं । शिष्टाचार की बात कही गयी और दूसरों से हम शिष्टाचार की अपेक्षा करते हैं । क्या हम शिष्टाचार के ऊपर हैं हमें यह भी देखना होगा कि हमारा अपना शिष्टाचार क्या है और व्यवहार क्या है ? वहां पर महिला जिलाधिकारी के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश भी की गयी और उन्हें डांटा और फटकारा गया तथा उनके कार्यों में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करने की कोशिश की गयी तब भी उन्होंने संयम से काम लिया । लोग बाहर बैठ गये फिर भी उन्होंने बन्द नहीं किया । मैं गारन्टी के साथ कहता हूं मुझे जानकारी है कि कहीं पर भी कोई लाठी चार्ज किसी भी प्रकार का नहीं किया गया है, यहां पर सारे तथ्य असत्य रखें गये हैं । मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि जो दायित्व आपको सौंपा गया था वह आपने पूरा कर लिया । महत्वपूर्ण बजट है, इधर भी कई माननीय सदस्य बैठे हैं उनको भी बोलने का अवसर दे दीजिए । एक-एक दो-दो मिनट वह भी अपने क्षेत्र की बातें कह लेंगे । आपकी दयादृष्टि पर वे लोग यहां बैठे हुये हैं ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, सरकार की तरफ से गलत बयानी की गयी है । बुन्देलखण्ड पूरी तरह से बन्द है इस सरकार ने क्षुब्ध होकर इनके इशारे से चन्द्रपाल जी को गिरफ्तार करने का काम किया है और इस बन्द को करने का काम किया है । श्रीमन्, समाजवादी पार्टी एक आन्दोलन है । आन्दोलन से निकली हुई पार्टी है । अत्याचार से दबेगी नहीं । सरकार की गलत नीतियों के विरोध में हमारा दल सदन का बहिष्कार करता है ।

(श्री अवधेश प्रसाद अपने दल के सदस्यों सहित नारे लगाते हुए सदन त्याग कर चले गये)

वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक के अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा एवं मतदान

अनुदान संख्या–23 गन्ना विकास विभाग (गन्ना), अनुदान संख्या–24 गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)

सिंचाई एवं गन्ना विकास बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–23 गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 38,74,70,000 से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–24 गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 26,05,30,000 से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

पहले गन्ने पर रखिये । दूसरे पर विचार बाद में रखियेगा ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बजट प्रस्तुत करने का अवसर दिया । मान्यवर, गन्ने के बारे में इस सदन में और सदन के बाहर काफी चर्चा हुई है और पिछले वर्षों में भी चर्चा होती थी । इसका कारण यह है कि जो नकदी फसल है और जिस फसल के ऊपर इस प्रदेश और प्रदेश की 32 लाख किसानों की आर्थिक स्थिति निर्भर करती है, वह गन्ने की फसल है । इसलिये सत्ता में आने के बाद इस विभाग में जो भ्रष्टाचार था, किसानों का हर स्तर पर शोषण था चाहे वह सर्वे हो, रेट हो, पर्ची हो, घटतौली हो या भुगतान के रूप में ऐसा कोई कार्य नहीं था जहां पर भ्रष्टाचार नहीं हुआ । हमारी सरकार ने सत्ता में आने के बाद से इस चुनौतीपूर्ण कार्य को करके इस विभाग को भ्रष्टाचार से मुक्त करके किसानों को शोषण से मुक्त किया है । फर्जी पर्चे, घोटाला समाप्त किया जो माफिया राज्य कायम हो गया था उसको दूर करने के लिए उसको पूरी तरह से समाप्त करने के लिए हमने कदम उठाए और उसको समाप्त किया । किसान सभी विषयों पर पूरी तरह से संतुष्ट है हमने कुछ वायदे किए थे इस प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त करने के लिये । मान्यवर, 52 ऐसी समितियां थीं जिन्होंने गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य दूसरी मदों में खर्चा कर दिया । उन पर हमने अंकुश लगाया है और दो हजार से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को, जिसमें दो दर्जन से अधिक राजपत्रित अधिकारी हैं को दण्डित किया गया है । ऐसी समितियां जिन्होंने गन्ना मूल्य का भुगतान न करके दूसरी मदों में पैसा खर्चा कर लिया उनसे गन्ना मूल्य के भुगतान का कार्य ले लिया गया है । मान्यवर, हमने कहा था कि बैंकों के माध्यम से भुगतान करायेंगे, कई सरकारें आईं, लेकिन बैंक से गन्ना मूल्य का भुगतान कार्य स्वार्थी तत्वों के कारण नहीं किया । यह हमारी ही सरकार की हिम्मत है जो बैंकों के माध्यम से शत-प्रतिशत गन्ना मूल्य का भुगतान हो रहा है ।

(मेजें थपथपाई गईं)

प्रथम बार खाता खोलने में कुछ दिक्कतें आईं लेकिन अब जो वर्ष चल रहा है इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है । मान्यवर, 1997-98 का वर्ष प्रशासनिक सुधार का वर्ष था अब 1998-99 का वर्ष विकास का वर्ष है । सभी इस बात को जानते हैं । भारत देश की प्रति हैक्टेयर गन्ने की उपज 67 टन हैक्टेयर है । उत्तर प्रदेश का गन्ना चीनी उद्योग जो है इसमें प्रदेश सरकार का 59-60 टन हैक्टेयर है ।

जहां गन्ना किसानों की आमदनी कम है उनके खेतों में उपज कम होती है उससे गन्ना किसान और चीनी उद्योग की आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है। यह सबसे बड़ा मुद्दा है। यह पहला वर्ष है जब हमने पहली बार घोषित किया कि हम उन प्रजातियों को बदल देंगे जिनकी उपज कम हो गई है जिन प्रजातियों का उत्पादन कम है उसको चार वर्ष में बदल देंगे अभी एक वर्ष पूरा नहीं हुआ है। चार वर्षीय गन्ना प्रजातीय बदलाव नीति, गुणवत्ता को देखते हुए बनाई जा रही है। मान्यवर, 20 साल से 67 प्रतिशत दो प्रजाति का गन्ना किसान बो रहे हैं, किसी को चिन्ता नहीं हुई कि किसान का उत्पादन घट रहा है। चीनी उद्योग संकट में आ रहा है। गन्ना किसान मेहनत करके कम उत्पादन पा रहे हैं। प्रदेश में कर्जा लेने के लिए गन्ना प्रजातियों को बदलने के लिए कार्यक्रम लागू किया है। चार साल में इस प्रदेश में गन्ना क्षेत्र में एक क्रान्ति दिखाई देगी।

(मेजें थपथपाई गई)

मान्यवर, हमने पाली बैग की योजना बनाई है यह क्रान्तिकारी कदम है। पालीपैक में डेढ़ महीने पहले थैले में बीज लगाकर बनाए जाते हैं।

[समय 4 बजकर 25 मिनट]

दूसरी यह नयी जानकारी आयी कि जहां भागीदारी बनायी थी वहां ग्रामीण स्तर पर पांच, से 10 पैसे प्रति पाली बैग लेकर मिट्टी और खाद मिलाकर भर रहे हैं और यह कुटीर उद्योग के रूप में पनप रहा है। इससे फायदा यह होगा कि पांच से दस प्रतिशत गन्ना उत्पादन बढ़ने की संभावना है क्योंकि खाद उपलब्ध होगी। इसके साथ ही साथ नयी चीनी मिलें स्थापित की गयीं। आज प्रदेश में 3.50 लाख टन प्रतिदिन की क्षमता से बढ़कर 4.10 लाख टन क्षमता बढ़ गयी है।

मान्यवर, इस प्रदेश में गन्ना किसानों की एक और समस्या है। प्रदेश में कुल किसानों का 85 प्रतिशत किसान लघु और सीमान्त कृषक की श्रेणी में आते हैं। जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और जिनके पास पैसा नहीं होता है खाद, बीज, कीट नाशक दवाएं खरीदकर डाल सकें। परिणाम यह होता है कि उपज कम होती है। इसका एक रास्ता निकाला गया और वह रास्ता एक बड़ा क्रान्तिकारी कदम होगा। अभी तक बैंक से कर्ज मिलता था। जो कर्ज लेने वाले थे। सम्पत्ति की गारन्टी देते थे। हमने चीनी मिल मालिकों के साथ तथा बैंक से मिल करके यह व्यवस्था कर दी है कि जो लघु सीमान्त 20 लाख कृषक हैं, उन किसानों को बैंक की गारन्टी पर ऋण दिया जायेगा जिससे वह कृषि में पूंजी निवेश कर सकें। खाद, बीज और पानी दे सकें और अपनी उपज बढ़ा सकें। यह नया कार्य किया है और यह ऐतिहासिक कार्य है।

दूसरा भी हमने किया। लघु और सीमान्त कृषकों के प्रति यह सरकार कितनी चिन्तित है विशेष रूप से गरीब किसानों के लिए कितनी चिन्तित है, इसके पहले भी सरकारें रही हैं लेकिन किसी ने नहीं किया इन लघु सीमान्त कृषकों का गन्ना उसी प्रतिशत में लिया जायेगा जिस प्रतिशत में बड़े किसानों का लिया जाता था। हमने व्यवस्था कर दी कि लघु और सीमान्त कृषकों का शत-प्रतिशत गन्ना सट्टा किया जायेगा और गन्ने की प्राप्ति प्रथम पाक्षिक में ले ली जाय। यह विकास का वायदा था और हमने उसे करके दिखाया है। यह शासन की नीति, नीयत और संकल्प का परिचायक है कि यह सरकार छोटे कृषकों को लाभ देना चाहती है। मान्यवर, इन विकास कार्य में कुछ भी आर्थिक भार नहीं पड़ा। जो किसानों को ऋण और पाली बैग दिये जा रहे हैं इससे कोई आर्थिक भार नहीं पड़ेगा। यह मिलों के सहयोग से, किसानों के सहयोग से और बैंकों के सहयोग से हो रहा है। इसमें वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।

मान्यवर, यही नहीं जो सहकारिता की और निगम की चीनी मिलें हैं उनकी प्रशासनिक प्रबन्ध और व्यवस्था को विस्तृत रूप दिया गया है। मान्यवर, पहले यह सहकारिता की मिलें 100 करोड़ रुपये घाटा देती थीं वह 60 करोड़ रुपया लाभ कमा रहीं हैं। निगम की 35 मिलें हैं जिनपर पहले के वर्ष में

137 करोड़ का घाटा था वह 60 करोड़ रह गया है दूसरे मितव्ययिता बरत कर लगभग 50 करोड़ रुपये की बचत किया है।

मान्यवर, आज भी 73 प्रतिशत भुगतान हो चुका है। हम प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करके शत-प्रतिशत मूल्य का भुगतान एक महीने में कराना चाहते थे, लेकिन प्रकृति के आगे सब लाचार हैं। मान्यवर, औसत चीनी परता 0.66 प्रतिशत कम था। मान्यवर, 1 प्रतिशत परता गिरता है तो 500 करोड़ रुपये का घाटा होता है। साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये का परोक्ष घाटा इन प्रकृति के कारणों से मिलों को रहा है। हमने कहा है कि जो मिलें समय सीमा के अन्दर मूल्य का भुगतान नहीं करेंगी उनको क्रय कर में छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा। पिछली बार 8-9 मिलों को नहीं दिया गया वह आज भी नहीं दिया जा रहा है। मान्यवर, जिन मिलों ने पैसे का भुगतान अपनी मिल चलाने के बाद इस सत्र की चीनी बेचकर नहीं दिया है उन सब में चीनी जिला अधिकारी के नियंत्रण में देंगे जिससे चीनी जो बेची जाय 85 प्रतिशत उस चीनी का दाम जो हो उससे भुगतान किसानों को किया जाय। ऐसा कुछ मिलों पर लागू भी किया गया है।

मान्यवर, अभी बात आयेगी कि सहकारी समितियों का कमीशन कम कर दिया है मान्यवर, किसी को भी जनता का पैसा लूटने की छूट नहीं दी जायेगी मान्यवर, 52 समितियों ने गन्ने मूल्य का भुगतान दूसरी मदों में कर दिया कहीं पर तो 33 कर्मचारी स्वीकृत हैं और 150 लोगों को भर दिया है उन्होंने खाद और बीज़ वितरण का काम बन्द कर दिया है। कई समितियों ने तो बीज निगम से पैसा लिया लेकिन किसानों को नहीं बांटा। कई समितियों की 10–10 साल से बैलेंसशीट नहीं बनी है। उन पर कठोर अंकुश लगाया है।

मान्यवर, कहीं भी यह दूसरे काम का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमने गन्ना भुगतान के लिए खाता अलग कर दिया और दो अधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर से भुगतान की व्यवस्था कर दी है। मान्यवर, 50 करोड़ रुपये का इनका खर्च है, 30 करोड़ रुपये कमीशन से आयेगा, जिस कार्य के लिए यह समितियां बनायी गयी थीं किसान की सेवा के लिए उसमें खाद और बीज का काम करके 20 करोड़ रुपये कमायें और उससे अपना खर्च चलायें। इसलिए इन समितियों को हम लाभकारी बनाना चाहते हैं, किसान के लिए हितकारी बनाना चाहते हैं और इन्हें हम समाप्त नहीं करना चाहते हैं जबकि दबाव है कि समाप्त कर दें किन्तु इन्हें हम समाप्त नहीं करेंगे।

श्री अधिष्ठाता–

श्री समर पाल सिंह जी आप दोनों विभागों की कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री समर पाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–23 गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सं०–24 गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, अभी मंत्री जी ने इतने महत्वपूर्ण विभाग के बजट रखते हुए 5–10 मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दिया और अपनी पीठ थपथपाते हुए कहा कि पिछले वर्ष गन्ना विभाग में प्रशासनिक

सुधार किया गया और इस वर्ष गन्ना विकास वर्ष था । मान्यवर, इस प्रकार प्रशासनिक सुधार वर्ष और गन्ना विकास वर्ष हो गया । मान्यवर, मंत्री जी ने यह भी स्वीकार किया कि यह महत्वपूर्ण विभाग है और इससे करोड़ों लोगों की रोजी-रोटी जुड़ी है । मान्यवर, यह देश और प्रदेश कृषि प्रधान है और इस प्रदेश के अन्दर गन्ना कैश क्राप के रूप में पैदा किया जाता है । यहां 36 लाख किसान सोसाइटियों के मेम्बर हैं । यहां 32 प्रतिशत गन्ना चीनी मिलों को सप्लाई होता है और 68 प्रतिशत गन्ना कोल्हू, क्रेसर के माध्यम से पेराई की जाती है । इसलिए गन्ने से इस प्रदेश के करोड़ों गन्ना किसान और उनके परिवार तथा खेतिहर मजदूरों के रूप में लोग काम कर रहे हैं और इससे उनकी रोजी-रोटी जुड़ी हुई है ।

मान्यवर, यहां 122 चीनी मिलें चल रही हैं जिनमें काफी लोग काम कर रहे हैं । इन सभी लोगों की रोजी-रोटी गन्ना खेती पर निर्भर है । मान्यवर, भारत वर्ष के अन्दर जितना गन्ना का क्षेत्रफल है उसका 50 प्रतिशत क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में है और 45 प्रतिशत गन्ना केवल उत्तर प्रदेश मैं पैदा होता है जो भारत वर्ष के पूरे गन्ने का है । मान्यवर, गन्ना चाहे पूर्वी, मध्य, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोने की बात हो तो मैं कहना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में किसान गन्ना बोते हैं और गन्ने की खेती पर उनकी रोजी-रोटी निर्भर रहती है ।

मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्दर देख लीजिये, चाहे गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया, बलिया हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चाहे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ हो और मध्य उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर, पीलीभीत हो, सब जगह गन्ना बोया जाता है । लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि जिस फसल के ऊपर इतने ज्यादा लोग निर्भर करते हैं, जिस फसल के ऊपर पूरे प्रदेश के किसानों की आर्थिक स्थिति निर्भर करती है और जिस चीज पर पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है, क्योंकि गन्ने से ही चीनी उद्योग चल रहा है और चीनी उद्योग इस प्रदेश का प्रमुख उद्योग है, लेकिन इस गन्ने के विषय को सरकार द्वारा बड़े हल्के रूप में लिया जा रहा है जिससे गन्ना किसानों के साथ अन्याय हो रहा है और गन्ना किसान आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा है और उसके बाद यह सरकार सारी बातों को जानते हुये किसानों की सहायता करने के लिये तैयार नहीं है ।

दुख की बात यह है कि सरकार को दया उन पूंजीपतियों और मिल मालिकों पर आ रही है जो करोड़पति हैं । जिनके पास बच्चों को पढ़ाने के लिये पैसा नहीं है,जिनके पास दो समय खाना खाने के लिये पैसा नहीं है, उन किसानों के प्रति इस सरकार का रवैया पूरी तरह उपेक्षापूर्ण है । मैं इस कटौती प्रस्ताव के माध्यम से माननीय मंत्री जी और इस सरकार का ध्यान गन्ना किसानों की कुछ समस्याओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । गन्ना किसानों की 3-4 प्रमुख समस्यायें हैं । सबसे पहली समस्या गन्ना भुगतान की है । यह एक परम्परा सी बन गई है कि गन्ने की भुगतान समय से नहीं होगा । गन्ने की फसल एक साल के अन्दर तैयार होती है । एक साल तक किसान और उसके बच्चे रात दिन एक करके अपनी फसल को तैयार करते हैं और उसके बाद उसे काटकर चीनी मिल मालिकों को दे देते हैं । इस आशा के साथ कि गन्ने का भुगतान मिलेगा । इस आशा के साथ कि हमारे गन्ने की पर्ची का भुगतान होगा जिससे हमारे बच्चों की पढ़ाई होगी, अगली फसल की तैयारी करेंगे । गन्ना किसान को अपनी लड़की के हाथ भी पीले करने होते हैं, उसकी अपनी अन्य आवश्यकतायें भी होती हैं, बच्चों की कापी-किताब तथा फीस की व्यवस्था करनी होती है लेकिन चीनी मिल मालिक कई-कई वर्ष तक गन्ने का भुगतान नहीं करते हैं । आपने आकंड़ा दे दिया कि 73 प्रतिशत भुगतान हो गया, मैं कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी आकंड़ों के भ्रमजाल में डालकर इस बात पर पर्दा डालने का प्रयास आप कर रहे हैं क्योंकि चीनी मिल मालिकों का आप इतना ज्यादा पक्ष लेते हैं ।

इसी सदन के अन्दर एक प्रश्न के उत्तर में आपने बताया कि 98-99 का लगभग 700 करोड़ रुपया बकाया है । पिछले सत्र का 36 करोड़ चीनी मिल मालिकों पर बकाया है । अभी 96-97 का 23 करोड़

बकाया है और इससे पहले 95-96, 94-95 और उससे पहले का भी करोड़ों करोड़ रुपया चीनी मिल मालिकों पर बकाया है। आप कहते हैं कि किसानों का भुगतान समय से करा रहे हैं, बहुत अच्छा भुगतान करा रहे हैं, यदि यह अच्छा भुगतान हो रहा है तो फिर कब भुगतान खराब होगा, इसका जवाब माननीय मंत्री जी अपने उत्तर भाषण में दे दें तो अच्छा होगा। मान्यवर, 1994-95 से किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ है। चार साल पहले जिसने अपना गन्ना मिल को दिया उसका भुगतान आज तक नहीं हुआ, इससे आप समझ सकते हैं कि किसान की क्या हालत होगी, कहां से वह खाना-पीना कर रहा होगा, कहां से वह अपना खर्च चल रहा होगा। यह बहुत बड़ी समस्या है, जिससे पूरे प्रदेश के किसान परेशान और प्रभावित हैं, आज गन्ना किसान भुखमरी के कगार पर है। यह सरकार उनकी परेशानी दूर करे, यह सरकार का कर्तव्य है, क्योंकि कल्याणकारी सरकार है....

मान्यवर, किसान परेशानी में हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि यह सरकार गन्ना मिल किसानों को प्रोत्साहन दे रही है कि गन्ने का भुगतान समय से न करें। मान्यवर, होना यह चाहिये था कि मिल मालिकों पर दबाव बनाया जाता कि वह किसानों के बकाये का भुगतान करें। अगर कोई चीज नहीं हो पाती है, तो उसके लिये कानून बनाया जाता है, लेकिन यहां पर तो मान्यवर, कानून बना हुआ है कि अगर कोई मिल मालिक गन्ने का भुगतान नहीं करेगा, तो उसको बकाये पर ब्याज देना पड़ेगा, लेकिन यह सरकार उस कानून को लागू नहीं करा पा रही है। कानून में है कि अगर 15 दिन के अन्दर भुगतान नहीं किया जाता है तो 15 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा।

मान्यवर, शुगर केन कन्ट्रोल आर्डर, 1966 में साफ दिया हुआ है कि अगर मिल मालिक गन्ना किसानों के रुपये का भुगतान नहीं करेंगे तो उनको 15 प्रतिशत की दर से ब्याज देना होगा। लेकिन यह सरकार उस कानून को लागू नहीं करा पा रही है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में सख्ती से पेश आये। अभी माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि ब्याज दिलाना सम्भव नहीं है। आपको क्या अधिकार है कि आप ब्याज को माफ कर दें, ब्याज तो किसानों का है। मिल मालिकों को ब्याज देना है और किसानों को लेना है, तो सरकार को कहां से अधिकार आ गया कि वह गन्ना किसानों के ब्याज को माफ कर दें। देनदारी मिल मालिकों की है और किसानों को लेना है, आपको क्या अधिकार है कि आप उनके पैसे को माफ कर दें। अगर आपको मिल मालिकों पर दया आ रही है, तो आप उनको अपने राजकोष से दे दें, उनको क्या अधिकार है कि किसानों के ब्याज को माफ कर दें, इस चीज को माननीय मंत्री जी बता दें, जब वह अपना उत्तर भाषण दें। यह बड़ा असंवैधानिक संकट है कि सरकार बने हुये कानून को लागू नहीं करा पा रही है, इसलिये इस सरकार को धारा 356 के तहत बरखास्त कर देना चाहिये। आपको क्या अधिकार है कि आप किसी को नाजायज फायदा पहुंचायें। पिछले साल 6 सौ करोड़ का भुगतान मिल मालिकों ने किया। आपने कहा था कि रिकार्ड भुगतान हुआ है। पिछले साल जो 3 सौ करोड़ का भुगतान किया गया था, वह दो साल पहले का था और अगर उस पर ब्याज दिलाते तो 90 करोड़ रुपया किसानों का बनता।

मान्यवर, करीब 400 करोड़ रुपया ब्याज का आपने माफ कर दिया है उससे चीनी मिल मालिकों को लाभ पहुंचा है। चीनी विकास मंत्री नाम न होकर आपका नाम चीनी मिल मालिक विकास मंत्री होना चाहिये तो ज्यादा अच्छा रहता। किसान आज पीड़ित है : 1994 से 99 तक उसको पैसा नहीं मिला, जब वह पीड़ित होगा तो प्रदर्शन करेगा। इस पर आप लाठीचार्ज कराते हैं, गोली चलाते हैं यह आपकी आदत बन गयी है। पिछली बार राम कोला के अन्दर चीनी मिल मालिकों के सामने किसान धरना दे रहे थे तो आपने गोली चलवा दी जिसमें 5 निहत्थे किसान मारे गये उनकी मांग थी कि उनका बकाया भुगतान किया जाये।

आज किसान फटे हाल है इस गोली काण्ड में पांच किसान मारे गये इसी तरह देवरिया में सिंहली चीनी मिल में 10 करोड़ रुपया किसानों का बाकी है। किसान भूखों मर रहे हैं उन्होंने जब मिल के

सामने धरना दिया तो आपने लाठी चार्ज करवा दिया और गोली चला दी इसी तरह मलियाना चीनी मिल में कई बार लाठीचार्ज किया है। किसान अपना भुगतान मांग रहा है उसे आप नहीं दे रहे हैं। चीनी मिल मालिकों के पक्ष में आप लाठी गोली चला देते हैं। यह सरकार किसान विरोधी है उनकी समर्थक नहीं है। किसानों का हजारों और करोड़ों रुपया मिल मालिकों पर बकाया है उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। अगर किसान के ऊपर 10-5 हजार बाकी होता है तो उस पर कोई रियायत नहीं की जाती है उसके खिलाफ आर० सी० काटी जाती है। उसे बेइज्जत किया जाता है उसको जेल में बंद किया जाता है। जब किसानों का करोड़ों रुपया बाकी हो तो मैं मांग करता हूं कि ऐसे किसानों के ऊपर आर० सी० न काटी जाये पहले मालूम कर लिया जाये कि किसानों का जिसके ऊपर आप आर० सी० काट रहे हैं उसका मिल मालिक को भुगतान तो देना नहीं है। अगर मिल मालिक पर उसके बकाया नहीं हैं तभी आर० सी० काटें।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया संक्षेप करें।

श्री समर पाल सिंह–

किसान आपसे आज सबसे ज्यादा परेशान है उसको वाजिब दाम भी नहीं मिलते हैं। मंत्री जी कहेंगे कि हमने गन्ने के दाम बढ़ा दिये कितना आपने बढ़ाया। पांच रुपया प्रति कुन्तल दाम बढ़ाया है आपने। यह पांच रुपया बढ़ाने से केवल 6 प्रतिशत यह आता है जिसके विपरीत दूसरी चीजों के दाम कितने बढ़े हैं क्योंकि किसान को भी बाजार से भी दूसरी चीजें खरीदने पड़ते हैं, बच्चों की फीस देनी होती है, बिजली के बिलों का भुगतान करना पड़ता है, बच्चों की फीस आपने पांच गुना बढ़ा दी है। इन्जीनियरिंग कालेज की फीस आपने स्वयं कहा कि 5 गुना बढ़ा दिये गये इसी तरह यूनिवर्सिटी और डिग्री कालेज में पढ़ने वाले बच्चों की फीस बढ़ा दी है लेकिन किसान की उपज का केवल 6 प्रतिशत बढ़ाया है। इस सरकार ने और केन्द्र सरकार ने अपने कर्मचारियों की और अधिकारियों की तनख्वाहें 25 से 30 प्रतिशत बढ़ा दी है इसके विपरीत किसान का मात्र 6 प्रतिशत बढ़ाया है और आप किसान का हितैषी होने का ढिढोरा पीट रहे हैं कि हम किसानों के बड़े हितैषी हैं।

मान्यवर, अगर आप किसान को राहत देना चाहते हैं तो उसे उसके उत्पादन का पूरा मूल्य दें। हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब जहां किसानों को 150 रुपये प्रतिकुन्टल दाम मिल रहा है और फिर सटा हुआ राज्य हरियाणा है जहां 95 रुपये मिल रहा है। हमारे प्रदेश के किसानों को चूंकि अपने ही प्रदेश में उचित मूल्य न मिलने पर पंजाब और हरियाणा में अपना गन्ना बेंच रहे हैं। जब हरियाणा के अन्दर और पंजाब के अन्दर किसानों को उनके गन्ने का उचित मूल्य मिल रहा है तो उत्तर प्रदेश में किसानों के साथ इतनी ज्यादती क्यों की जा रही है। आज उत्तर प्रदेश में मात्र 32 फीसदी को जा रहा है। यही कारण है कि हमारे यहां का किसान यमुना पार कर अपना गन्ना दूसरे प्रदेश में बेच रहा है।

श्री अधिष्ठाता–

बीस मिनट हो गया है। मा० समरपाल जी अब आप बैठ जायें।

श्री समर पाल सिंह–

मैं जल्दी खत्म कर रहा हूं। मैं कह रहा था कि उ० प्र० का किसान 68 प्रतिशत गन्ना क्रेसर और खाण्डसारी को मजबूर होकर देता है। मान्यवर, आप जानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान गेहूं बाद में बोता है पहले गन्ना बोता है और उसकी कटाई के बाद ही गेहूं बोता है। आपने चीनी मिलें चलाई एक महीने के लिए किसान का गन्ना तो खेत खाली करने के बाद क्रेसर से चला जाता है व खेत खाली होने पर वह गेहूं बोते हैं और यह उनकी मजबूरी है। किसानों को अपने गन्ने का मात्र 25-20 रुपये ही क्रेसर पर दाम मिल पाता है। क्या सरकार क्रेसर और खाण्डसारियों के ऊपर कोई नियंत्रण कर रही है। आज मात्र 32 प्रतिशत गन्ना जो सरकारी मिलों होता है या लाया जाता है उसी पर नियंत्रण किया जा रहा है 68 प्रतिशत जो कि क्रेसर व खाण्डसारी के यहां चला जाता है उस पर कोई नियंत्रण

नहीं हो रहा है । हरियाणा में 95 रुपये प्रति कुन्टल मूल्य नगद दिया जा रहा है । जब किसान समीपी प्रदेशों में अपना गन्ना उचित मूल्य पर देने जाने लगा तो डी० एम० के आदेश से प्रतिबन्ध लगा दिया गया और बैरियर लगा दिये गये व सख्त से सख्त कदम उठाये गये । मैं अपने नेता श्री अजीत सिंह जी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने किसान विरोधी सरकार का विरोध किया व शामली में 17 नवम्बर को घोषणा की कि अगर सरकार ने अपनी किसान विरोधी नीति वापस न ली तो आन्दोलन किया जायेगा । तुरन्त ही सरकार हरकत में आ गई और सरकार ने अपने आदेश वापस लिए व प्रतिबन्ध हटा लिए । किसानों को उनके गन्ने का वाजिब दाम नहीं मिल रहा है । तीसरी समस्या यह है जिससे कि आप कदाचित सहमत होंगे कि गन्ना विश्व के किसी देश में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि कोई उद्योगपति रा-मेटिरियल खरीदने जाये और उसके बाद खरीदने वाले से कहे कि हमारी फैक्ट्री तक आप इसको पहुंचा के आयें । हम बाजार में कोई चीज खरीदने जायं मान लीजिये कि 2 क्विंटल चीनी खरीदने जायें और खरीदें और बेचने वाले से कहें कि हमारे घर 50 किलोमीटर पर यह चीनी भिजवा दो तो क्या वह भिजवायेगा ? आज किसानों से उसका गन्ना चीनी मिल तक ले जाने के लिये भाड़ा लिया जा रहा है । यह किसान की जिम्मेदारी नहीं है कि वह मिल तक गन्ना ले जाय । उसकी जिम्मेदारी सेंटर तक गन्ना ले जाने की है ।

जब भाजपा की सरकार बनी तो 2 रुपया लिया जाता था और गन्ना विकास मंत्री जी जब चीनी मिल मालिक विकास मंत्री बने तो उन्होंने 3 रुपया कर दिया । यह कदम किसान विरोधी है । मंत्री जी को यह भाड़ा मिल मालिकों पर डालना चाहिये कि वह गन्ना अपनी कास्ट पर मिल ले जायं । मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आपने नयी चीनी मिलों की स्थापना की बात कही है । सरकार ने कहा कि नयी चीनी मिलें लगाने जा रहे हैं लेकिन मुझे तो एक मलंकपुर चीनी मिल चलती हुयी मिली । यह भी पिछले 5 साल से लटकी हुयी थी । जब आप सही नीति को नहीं लागू करेंगे तो नयी मिलें कैसे लगेंगी ?

हमारे प्रदेश का सबसे पुराना उद्योग चीनी उद्योग है लेकिन आज केवल 32 फीसदी गन्ना पेरते हैं । महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश अपने यहां 95 प्रतिशत गन्ना मिलों द्वारा पेरते हैं और वहां का किसान खुशहाल है । मान्यवर, मंत्री जी ने सट्टा नीति की बात कही । आपने बहुत घोषणायें की कि फ्लां तारीख तक सर्वे हो जायगा, कलेंडर बन जायेंगे लेकिन सत्र खत्म होने जा रहा है आपने जो घोषणा की थी उसका पालन नहीं हो रहा है । आपने जो घोषणा की थी उसको पूरा नहीं किया गया जिससे किसान परेशान घूम रहा है । आपको यह व्यवस्था करनी चाहिये थी कि यदि कोई चीनी मिल सट्टा नीति का पालन नहीं करती है तो उसको आर्थिक दंड देना पड़ेगा । सरकार ने चीनी मिलों पर कोई कार्यवाही नहीं की । 10 दिन में एक पर्ची आप किसान को देंगे और जब चीनी मिल बंद होने को होगी तो एक दिन में 20 पर्ची किसान के पास पहुंच जायेंगी । यह किसान के बूते की बात नहीं है कि वह एक दिन में इतना गन्ना मिल को उपलब्ध करा दे ।

चीनी मिलें कलेन्डर का पालन नहीं करती और एक मुश्त पर्चियां भेजती हैं । चूंकि सट्टा 3 साल के लिये होता है और औसत निकाला जाता है जिससे किसान का कोटा कम हो जाता है । मान्यवर, गांवों में सड़कें गन्ना विकास विभाग के द्वारा बनायी जाती थीं उसमें 50 प्रतिशत अंशदान गन्ना विकास विभाग का और 50 प्रतिशत अंशदान लाभान्वित संस्था को देना होता था । माननीय विधायकों से भी प्रस्ताव लिये जाते थे । पिछले साल भी प्रस्ताव लिये गये थे । ताकि मेरठ और बागपत में गन्ना विकास विभाग के माध्यम से सड़क बननी थी लेकिन वह बनी नहीं और वह योजना केवल कागज पर समाप्त हो गयी । हमारा जो डेवलपमेंट टैक्स काटा जाता है वह पहले सड़कों आदि के लिये 2.15 रुपये था । चीनी मिल मालिकों के दबाव में उसको 1.50 रुपये किया गया और फिर उसको एक रुपया कर दिया गया । होना यह चाहिये था कि जब 45 रुपये कुण्टल था तो 2.15 रुपये डेवलपमेंट टैक्स कमीशन था । अब जब गन्ने का दाम बढ़ गया है तो डेवलपमेंट टैक्स कमीशन एक रुपया कर दिया गया है जबकि इसे

कम से कम 4-5 रुपये होना चाहिए । बिना डेवलपमेंट कमीशन के किसानों के लिए सड़कों का निर्माण कैसे होगा ? गन्ना विकास विभाग का भगवान ही मालिक है । मान्यवर, सहकारी गन्ना समिति के भ्रष्टाचार के बारे में बताना चाहता हूं कि किस कदर भ्रष्टाचार है । इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हैं । लेकिन यह आपके कन्ट्रोल में नहीं है ।

गन्ना किसानों को सहायता देने के लिए सहकारी समिति बनायी गयी थी लेकिन यह किसानों की सहायता नहीं कर रही है, यह किसानों का शोषण कर रही है । आपने बैंक के माध्यम से गन्ने का भुगतान कर दिया, आपने ठीक किया । सोसायटी से मिल वाले मिले हुये हैं, बैंक वाले मिले हुये हैं । 15–20 दिन बाद जब मिल मालिक कह देगा कि चेक जमा कर दो पैसा आ गया है तब चेक जमा होता है और किसानों को गन्ने का भुगतान एक-एक महीने विलम्ब से होता है । एक और भ्रष्टाचार के बारे में माननीय मंत्री जी को बता दूं । आपने कुछ चीनी मिलें बन्द की हैं, लेकिन उन चीनी मिलों के बन्द होने से पहले चीनी मिलों के मरम्मत और सुदृढ़ीकरण के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च किया गया । कोई मरम्मत नहीं हुआ । इसकी जांच आप सी०बी०आई० से करा लें । इनकी मरम्मत के बाद यह चीनी मिलें कितने दिन चलीं, यह जांच करायें और दोषी लोगों को दण्डित करें । चीनी निगम की मिलें हैं वह आपके नियंत्रण में हैं, इनका भुगतान आपके द्वारा होना है लेकिन नहीं मिल पा रहा है । इसमें आपकी लापरवाही है, आप किसानों को देना नहीं चाहते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री समर पाल सिंह–

अब कन्क्लूड कर रहा हूं मान्यवर, गन्ना किसान पैदा करता है, गन्ने से चीनी बनती है उसे सारा देश खा रहा है लेकिन गरीब किसानों के बच्चे एक-एक दाने चीनी के लिए मोहताज हैं । जब चौधरी अजीत सिंह जी खाद्य मंत्री थे तो उन्होंने इस बात की व्यवस्था की थी कि चीनी मिलें किसानों को सस्ते दर पर उनकी सप्लाई के अनुपात में चीनी उपलब्ध करायें ताकि किसान भी चीनी खा सके और अपने मेहमान को भी खिला सके । मान्यवर, यह व्यवस्था खत्म कर दी गयी ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आपकी बात आ गयी, अब आप समाप्त करें ।

श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, अब खत्म कर रहा हूं । यह गलत बात है कि किसान के बच्चे चीनी नहीं खा पा रहे हैं, वह अपने मेहमान को चीनी नहीं खिला पा रहे हैं । आप उनकी सप्लाई के अनुपात में सस्ते दर से चीनी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें ।

मान्यवर, जैसे मलिहाबाद के अन्दर आम के बाग हैं, उसे मैंगो बेल्ट घोषित कर दिया गया, प्रतापगढ़ के अन्दर आंवला बहुत हैं तो उसे आंवला बेल्ट घोषित कर दिया गया । मान्यवर, उत्तर प्रदेश के जिन क्षेत्रों में 90 फीसदी जमीन पर गन्ना बोया जा रहा है तो उस क्षेत्र को गन्ना बेल्ट क्यों नहीं घोषित किया जा रहा है । उसे गन्ना बेल्ट घोषित करें तथा सिंचाई आदि की उत्तम व्यवस्था करें । किसान और किसान का सहयोगी खेतिहर मजदूर यह गन्ने पर निर्भर हैं उनकी आजीविका गन्ने पर चलती है लेकिन सरकार की किसान विरोधी नीति के कारण करोड़ों लोग भुखमरी के कगार पर हैं जो मेहनत करके गन्ना और चीनी पैदा कर रहे हैं, इस प्रदेश की खुशहाली और विकास में योगदान दे रहे हैं वह भूखमरी के कगार पर हैं और लाठी गोली खा रहे हैं । मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

* श्री राजधारी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे गन्ना एवं चीनी मिल के बजट पर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया मैं आपका आभारी हूं। मंत्री जी ने अपने बजट भाषण के दौरान गन्ना के विकास के लिए चीनी मिलों के संवर्धन के लिए जो इच्छा शक्ति और जो कार्यक्रम पेश किया है जिसके तहत आपने गन्ना किसानों को मूल्य दिलाने के लिए पांच रुपए प्रति कुं० की दर से रेट बढ़ाया, आपने नई चीनी मिलों की स्थापना के लिए घोषणा की है निश्चित रूप से यह सराहनीय कदम है। उत्तर प्रदेश किसानों का प्रदेश है यहां 70 प्रतिशत आबादी खेती के काम में लगी है। यह बात सही है कि आज गन्ना ऐसी उपज है जिससे किसानों को लाभकारी मूल्य मिल सकता है यह कैश क्राप है। यह किसानों की आमदनी का आधार है। हमें खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि पूर्व सरकारों से लेकर जो भी नियोजन रहा, जो सोच रही गन्ना विकास के लिए, चीनी मिलों के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए कहीं न कहीं कोई त्रुटि थी।

इस उद्योग में करोड़ों लोग खेती से लेकर मजदूरी के रूप में लगे हुए हैं। आज उनके सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हुआ है। एक तरफ तो हम नई चीनी मिलों के बारे में बात करते हैं लेकिन वहीं पर आज वर्षों से जो चीनी मिलें लगी हैं चाहे सहकारिता क्षेत्र में हों, चाहे निजी क्षेत्र में हों जब हम उनकी स्थिति पर विचार करते हैं तो अधिकांश चीनी मिलें रुग्णावस्था में हैं अधिकांश चीनी मिलें बन्द होने जा रही हैं। इनके बन्द होने का असर गांव के किसानों से है, मजदूरों से है। चीनी मिलें क्यों बन्द हो रही हैं इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए, मंत्री जी को सोचना चाहिए। मेरा सुझाव है कि हमारे जो अधिकारी इन मिलों में प्रबन्धक बन कर जाते हैं या दूसरे पदों पर जाते हैं उनकी कोई जवाबदेही नहीं होती है। यह साधन का दुरुपयोग करते हैं वहां के धन का दुरुपयोग करते हैं। जिसके कारण निरन्तर मिलें घाटे में जा रही हैं। सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए। जो भी अधिकारी हों उनको जवाबदेह होना चाहिए। मिलों का हित होगा तो किसानों का हित होगा तभी कर्मचारियों का हित होगा। इस पर निरपेक्ष दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। हमारा दृष्टिकोण अभी तक सीमित रहा है। एक बात हमारी जानकारी में है 20–20 साल से इन मिलों में कर्मचारी काम कर रहे हैं लेकिन उनकी सेवा को नियमति नहीं किया गया है। वह दैनिक मजदूर के रूप में कामकर रहे हैं। यह चिन्तनीय विषय है इस पर सोचना चाहिए। गन्ना किसानों के बकाए के बारे में इस सदन में काफी चर्चा हो चुकी है। यह बकाया पिछले कई वर्षों का है मंत्री जी ने काफी प्रयास करके किसानों को काफी पैसा दिलाया है।

हमारे जो आंकड़े हैं विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश के उसके अनुसार देवरिया, गोरखपुर की चीनी मिलें चाहे वह प्राइवेट चीनी मिलों की बात हो उनके आंकड़े देखने से किसान की समस्याएं बड़े भयावह रूप से सामने आती हैं। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि अगर किसी किसान का चीनी मिल मालिकों के ऊपर पैसा बकाया है तो उस किसान के ऊपर अगर कोई वसूली हो दूसरे विभाग की तो उसे स्थगित कर दिया जाए और उस वसूली का भुगतान उस पैसे के माध्यम से कराया जाए जो किसान का मिल मालिकों के ऊपर बकाया हो। जिससे किसान को राहत मिल सके उसका शोषण न हो सके। गन्ना विकास के बारे में कहना चाहता हूं। आज जनपदों में जो इतनी लम्बी फौज खड़ी है अधिकारियों और कर्मचारियों की, इनके पास कोई कार्य योजना नहीं है और न ही उन्नतशील बीज इनके पास है और न ही इनके पास कोई नर्सरी है, जिससे कि गन्ना के विकास में प्रभावी कार्य हो सके। इन्हीं सब चीजों के कारण गन्ना के अभाव में चीनी मिलों को बन्द कर देना पड़ता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस दिशा में प्रभाव कार्य किया जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, जहां तक सर्वे का सवाल है,जिसके माध्यम से किसानों को पर्ची मिलती है, यह सर्वे का काम ठीक तरह से नहीं होता है, जिसके कारण गन्ने की आपूर्ति में बाधा उत्पन्न होती है । इसके लिए किसानों को बार-बार जाना पड़ता है । इसलिए सर्वे सही हो । विशेषकर गन्ने के विकास हेतु खाद समय से उपलब्ध करायी जाय और जो अन्य सुविधायें हैं वह भी उसे दी जाय । यदि समय से खाद और बीज तथा अन्य सुविधायें किसान को समय से उपलब्ध हो जायं तो निश्चित रूप से गन्ने का विकास होगा । सहकारी समितियों में जो विभाग की तरफ से धन जाता है और जिस मद के लिये धन जाता है वह उस मद में खर्च न होकर दूसरे मद में खर्च होता है, इसलिये इस पर रोक लगनी चाहिये । मैं अपने जनपद बलिया के बारे में कहना चाहता हूं कि वहां पर एक रसड़ा चीनी मिल है । हमने चीनी मिल के अधिकारियों और कर्मचारियों से बात की है, उस चीनी मिल की क्षमता 1250 टन है, मेरी मांग है कि इसकी क्षमता 2500 टन कर दी जाय । इससे पेराई तो बढ़ेगी ही और क्रय शक्ति भी बढ़ेगी और आमदनी भी बढ़ेगी और साथ ही इस जनपद में गन्ने का विकास भी सम्भव हो सकेगा । इसके लिये गन्ना विभाग अभी से सचेष्ट हो । इससे बलिया ही नहीं पूरा पूर्वांचल लाभान्वित होगा । मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी तत्पर तो हैं ही और इसमें तत्परता दिखायेंगे । इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं ।

* श्री राधेश्याम सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । माननीय मंत्री जी ने कई क्रांतिकारी और ऐतिहासिक कदमों की बात यहां पर कही । मैं कहना चाहता हूं कि यह बजट पूर्ण रूप से किसान विरोधी है । मैं पूर्वांचल की तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । देश की आजादी के पहले और देश की आजादी के बाद पूर्वांचल के लोगों को उद्योग के नाम पर चीनी मिल ही मिली । जहां 90 प्रतिशत लोग गन्ने की खेती पर ही निर्भर हैं । 7 नई चीनी मिलों की स्थापना की बात मंत्री जी ने की । मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करना चाहता हूं, जिस विधान सभा क्षेत्र की बात श्री समर पाल सिंह जी ने कही, 1992 में जब मेरे नेतृत्व में आन्दोलन चल रहा था रामकोला में तो इसी सरकार ने रामकोला में किसानों पर गोलियां चलवायी थी । उसी राम कोला की धरती पर उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की मिल पेराई सत्र में 4 फरवरी को शासन से एक आदेश होता है कि चलती हुई चीनी मिल में तालाबन्दी कर दी जाय । 4 तारीख की रात में जब राम कोला के किसान और मजदूरों में इस बात की चर्चा होती है कि रामकोला चीनी मिल में सरकार ने ताला बन्दी करने का फैसला किया है तो फिर आन्दोलन होता है पांच तारीख को सुबह सब मिलकर आन्दोलन करते हैं और पांच फरवरी को ही उत्तर प्रदेश चीनी निगम के ज्वाइन्ट एम०डी० दौरे पर गये थे । हम लोगों ने उनका घेराव किया और उनको मजबूर किया कि रामकोला में चलिये और जब तक यह नहीं कहेंगे कि मिल में तालाबन्दी नहीं होगी हम आपको जाने नहीं देंगे ।

मान्यवर, सरकार को 6 तारीख को कैबिनेट की बैठक करनी पड़ी । मजदूरों और किसानों के आन्दोलन के सामने मिल बन्दी के आदेश को वापस लेना पड़ा । यह सरकार की इस बात को दर्शाता है कि सरकार किसान विरोधी है । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि गन्ना नकद फसल है । यह जरूर है कि गन्ना नकद फसल है लेकिन आज हम इसको उधारी के रूप में दे रहे हैं । 12 महीने गरीब किसान के बेटे गन्ना की बुवाई, जुताई करते हैं उसको उगाते हैं और उसके बाद उधारी पर चीनी मिलों पर ले जाते हैं । मंत्री जी ने कहा कि 94 से लेकर 97-98 तक कुल 63 करोड़ रुपये पुराना गन्ने का

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

बकाया है । हम कहना चाहते हैं कि मैं उस जिले से बिलांग करता हूं जहां हिन्दुस्तान में 9 चीनी मिलें हैं । पडरौना छोटा सा जिला है ।

मान्यवर, 63 करोड़ रुपये जो पिछला बकाया बताया है वह पूरे उत्तर प्रदेश का है । 11 करोड़ कप्तानगंज, 12 करोड़ पडरौना, 6 करोड़ कठपुइया, 22 करोड़ सरदारनगर का । इस तरहत से 63 करोड़ का पूरे प्रदेश में बकाया है तो 63 में से 51 करोड़ अकेले कुशीनगर का बकाया है । माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि चीनी मिलों से भुगतान की व्यवस्था हो रही है । लक्ष्मी चीनी मिल बन्द है, राम कोला बन्द करने जा रहे थे उसके बाद घुघली में हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम गन्ना किसानों के सवाल पर जीते हैं और तत्कालीन मंत्री जी को 32 हजार वोटों से हराया है । हमारे जनपद में अगर 51 करोड़ पुराना बकाया है 63 में से तो मामला गम्भीर है । माननीय मंत्री जी ने कहा कि किसानों को शोषण से मुक्त करने के लिये भुगतान उनको कर दिया जायेगा । इसके लिये आपने कहा कि हम कदम उठा रहे हैं । अच्छी बात है कि गन्ना माफियाओं पर अंकुश लगेगा लेकिन हम कहना चाहते हैं कि आप अपने अधिकारी को कुशीनगर जिले में भेजिये वहां पता चलेगा कि एडवांस बना है लेकिन बैंक के द्वारा भुगतान नहीं हो रहा है । बैंक के सामने समस्या है क्योंकि वहां दो लोगों का स्टाफ है । एक चपरासी है । 11 बजे दफ्तर खुलता है । 12 बजे चाय-पानी होता है और 2 बजे नोटिस लगा दी जाती है कि गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं होगा । पहले समितियों से जो भुगतान होता था उसके लिये सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक भुगतान होता था ।

अब आपने जो नियम बनाया है उसका पालन नहीं हो रहा है । आप जिलाधिकारी और गन्ना अधिकारी को कहें कि आदेशों का पालन हो । गन्ना समितियां घाटे में हैं करीब 8 करोड़ का घाटा है उसको दूर करने के लिये आपने क्या योजना बनाई है । जो दीमार चीनी मिलें हैं उनमें सुधार के लिये क्या करने जा रहे हैं । 32 की बनी हुई चीनी मिलें हैं आप उनकी क्षमता बढ़ायेंगे नहीं और नयी चीनी मिल खोलने की बात कर रहे हैं । 32 से जो चीनी मिलें बनी हुई हैं यदि उनकी क्षमता बढ़ा देंगे तो हमारे प्रदेश के गन्ना किसानों का कल्याण हो जायेगा ।

[समय 5 बजकर 25 मिनट]

हमारे यहां गन्ना समय से गिर जाए और गन्ना मूल्य का भुगतान समय से न हो तो हमारे यहां से किसानों की गरीबी दूर हो पायेगी ? अभी हमारे समर पाल जी ने गन्ना किसानों के ऊपर आर० सी० की बात कही । लेकिन गन्ना किसानों का करोड़ों रुपया पुराना बकाया है तो क्या मिल मालिकों के लिए आर० सी० जारी की । किसानों पर 5–10 हजार रुपया बकाया है तो आर० सी० लगा देते हैं मिल मालिकों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री राधेश्याम सिंह–

मान्यवर, मेरे क्षेत्र का मामला है 11 करोड़ का बकाया है इस साल का गन्ना मूल्य का बकाया है दस लाख रुपया [× × ×] जो अधिकारी हैं, उन्होंने लेकर बस्ती चीनी मिल का कप्तानगंज को आवंटित कर दिया....

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें नरेन्द्र सिंह जी को बुला लिया है ।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री हुकुम सिंह–

अधिकारी का नाम लेकर कहा गया है । उनको कार्यवाही से निकलवा दें ।

श्री अधिष्ठाता–

किसी अधिकारी का नाम लेकर आरोप लगाया गया है तो उसे कार्यवाही से निकलवा दिया जाएगा ।

* श्री नरेन्द्र सिंह–

मानयवर, आपने मुझे मंत्री जी द्वारा रखे गए बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, गन्ना विभाग में जो भ्रष्टाचार है उसको समाप्त करेंगे यह मंत्री जी ने संकेत दिया है । फर्जी घटतौली आदि के बारे में भी मंत्री जी ने कहा है । भ्रष्टाचार में कमी तो आई है लेकिन भ्रष्टाचार पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है सरकार द्वारा इसे नियंत्रित करने की कोशिश की है । माननीय मंत्री जी ने बताया 52 समितियों ने पिछले वर्षों में गन्ना मूल्य के भुगतान का पैसा दूसरी मदों में खर्चा कर दिया, उन पर अंकुश लगाया है भविष्य में ऐसा न हो इसकी संस्तुति की गई है । हमारी सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाए हैं । अन्य सरकारें आईं और सोचती रहीं गन्ना मूल्य का भुगतान बैंकों से करायेंगे वह वायदा पूरा नहीं किया । लेकिन हमारी सरकार ने अपने वायदे को पूरा किया है, गन्ना मूल्य का भुगतान बैंकों से हो रहा है जितना पैसा किसानों को मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाता था और बिचौलिये खा जाते थे । राधेश्याम जी जानते होंगे इनका क्षेत्र गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है गन्ना माफिया इनकी तरफ ज्यादा होते हैं देवरिया, कुशीनगर की तरफ ज्यादा हैं । मान्यवर, गन्ना प्रजातियों की बात मंत्री जी ने कही है अगले चार वर्षों में निश्चित रूप से इस प्रकार की प्रजातियां उत्तर प्रदेश में स्थापित करेंगे जिनमें शुगर सबसे अधिक हो । ऐसी प्रजातियां जो पहले शुगर कम निकाल रहीं थीं उनको बदलने का अभियान चलाया है । इसकी प्रशंसा मेरे ख्याल से विपक्ष की ओर से होनी चाहिए थी ।

(कई सदस्यों द्वारा आपस में बात करने पर)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य व्यवस्थित रहें ।

श्री नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं जितनी सरकारें रही हैं । विपक्ष की सरकारें ब्याज के संबंध में कोई कदम नहीं उठा पाईं ।

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग कृपया शान्त रहें ।

श्री नरेन्द्र सिंह–

हमने वास्तविकता को स्वीकार किया है विपक्ष की सरकारें ब्याज देने का अवसर देतीं तो यह कहते । हमारी सरकार ने सरैया चीनी मिल के खिलाफ कार्यवाही की । सरैया चीनी मिल के मालिक को जेल भेज दिया ।

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग शान्त रहें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री नरेन्द्र सिंह-

मान्यवर, आज वह कदम चीनी मिल समर्थक था या किसान समर्थक था इसकी विवेचना हमको करनी चाहिए । चीनी मिल में घाटा कैसे कम हो, माननीय मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि पचास करोड़ की बचत करके दिखायेंगे । उन्होंने घोषणा की है कि 73 प्रतिशत भुगतान करा दिया है इसकी तो उन लोगों को सराहना करनी चाहिए थी लेकिन नहीं की । जो अच्छे कदम उठा रहे हैं उसका स्वागत करना चाहिए । मान्यवर, अब मैं अपने जनपद आजमगढ़ की सठियाऊं चीनी मिल की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । पिछली दो तीन वर्षों में जो दुलाई की व्यवस्था रही है वह ठीक न होने के कारण गन्ना कृषक का आकर्षण घटा है । चार कांटा क्रय केन्द्र है पलहना, देवगांव, मेहनाजपुर तथा जीवली-इनमें दो तीन वर्षों से जितनी दुलाई होती थी उससे कम हुई है । माननीय मंत्री जी इस दिशा में संज्ञान लें और किसानों को प्रोत्साहित करें । किसान अच्छी मात्रा में गन्ना बोये । अगर गन्ना अच्छी मात्रा में बोयेंगे तो चीनी मिल का फायदा होगा अगर नही बोयेंगे तो चीनी मिल का घाटा होगा । मान्यवर, माननीय समर पाल सिंह जी ने कहा कि इस सरकार ने दो तीन वर्षों के बकाये का भुगतान किया है । तो अगर तीन वर्षों का किया है तो सराहनीय काम किया है इसकी उन्हें प्रशंसा करनी चाहिए थी । अंत में मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा कि आपने मुझे बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया । धन्यवाद ।

श्री राम ललित चौधरी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय समर पाल सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं उस पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, गन्ना किसानों की नकद फसल है । साल भर का खर्च वह इसी गन्ने से चलाता है लेकिन सरकार की मंशा गन्ना किसानों के प्रति साफ नहीं है । अगर साफ़ हो जाय तो और गन्ना किसानों की बुनियादी आवश्यकताएं है, उनका हल कर दें तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जलवायु और जमीन इतनी बढ़िया है कि गन्ना इतनी प्रचुर मात्रा में होगा कि वह केवल उत्तर प्रदेश को ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क को चीनी सप्लाई की क्षमता रखता है । लेकिन सरकार की मंशा नहीं है इसलिये किसान विरोधी नीतियों के कारण इनकी हालत जर्जर हो गयी है । सबसे ज्यादा समस्या गन्ना मूल्य की है । जिस अनुपात में अन्य चीजों के दाम बढ़े हैं-खाद के दाम, कृषि उपकरण के दाम, डीजल के दाम बढ़े हैं उस अनुपात में गन्ना का मूल्य नहीं बढ़ा है । अगर बढ़ता होता तो इस समय गन्ने का मूल्य 100 रुपया प्रति क्विण्टल होता । सरकार के पास कोई ठोस नीति नहीं है । अगर कोई ठोस फार्मूला हो जाय, जिस अनुपात में अन्य चीजों के दाम बढ़े हैं उसी अनुपात में दाम बढ़ जाय तो किसानों की समस्या हल हो जायेगी । ठोस फार्मूला है लेकिन किसानों के लिए नहीं है । जिस अनुपात में रेलवे शेयर बढ़ते हैं कूपन बढ़ते रहेंगे । किसानों का क्यों नहीं बढ़ेगा । जिस अनुपात में डीजल, खाद, कृषि उपकरण के दाम बढ़ेंगे, क्यों नहीं सरकार फार्मूला लागू करती । सरकारी कर्मचारियों के लिए फार्मूला है । जिस अनुपात में महंगाई बढ़ेगी वेतन में बढ़ोत्तरी होगी लेकिन यह फार्मूला किसानों के लिए नहीं है । कर्मचारियों के सामने घुटने टेक देते हैं इसलिए कि उनकी मजबूरी है । मान्यवर, यदि कर्मचारियों की बात यह सरकार न माने तो कर्मचारी हड़ताल कर देंगे जिससे सरकार की हालत खराब हो जायेगी इसलिए उनकी बात यह सरकार मान लेती है । लेकिन गन्ना किसानों की बात यह सरकार नहीं मानती है क्योंकि यदि गन्ना किसान गन्ना बोना छोड़ दे तो वह कहां से पैसा लायेगा और अपनी रोजी-रोटी कैसे चलायेगा इसलिए गन्ना किसानों की मजबूरी का फायदा यह सरकार उठा रही है ?

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जो सरकारी फार्म और विश्वविद्यालयों के जो फार्मस हैं उनकी लागत के अनुसार सरकार गन्ने का मूल्य किसानों को भुगतान कराये तो किसानों की हालत अच्छी हो

सकती है । मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सरकारी फार्मस और विश्वविद्यालयों के फार्मस की जो लागत आती है यदि उसमें कर्मचारियों के वेतन जोड़ दिये जायें तो गन्ने की कीमत डेढ़ सौ रुपये प्रति क्विंटल हो जायेगी लेकिन यह सरकार आज किसानों को 100 रुपये प्रति क्विंटल का रेट भी नहीं दे रही है । इसलिए सरकार की मंशा गन्ना किसानों के प्रति साफ नहीं है ।

मान्यवर, मैं सरकार की मंशा के बारे में बताना चाहता हूं कि वर्ष 1991-92 में जब इन्हीं की सरकार थी उस समय मिलें भुगतान नहीं करती थीं तो आर० सी० मिलों के विरुद्ध जारी हुई, मिलें देनदार थीं लेकिन आर० सी० देनदार के ऊपर न लागू करके किसानों से कलेक्शन चार्ज लिया गया और 80 लाख रुपया गन्ना किसानों के मूल्य से भुगतान कर दिया गया । मान्यवर, छः साल हो गये हैं आज तक किसानों को वह पैसा वापस नहीं किया गया है । लिखा-पढ़ी हुई तो सरकार ने गन्ना मिल मालिकों से भुगतान के लिए कहा तो मिल मालिकों ने दावा कर दिया । तो गन्ना किसानों को अब कलेक्शन चार्जेज वापस देना चाहिए । इस सम्बन्ध में सरकारी पत्र, श्री गजेन्द्र पाल, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, की ओर से जिलाधिकारी, बस्ती और सीतापुर को दिनांक 16 दिसम्बर, 97 को चीनी उद्योग अनुभाग–3 से भेजा गया जिसमें निर्देश दिये गये कि संग्रह व्यय के रूप में 80.79 लाख रुपये की कटौती गन्ना मूल्य की धनराशि से की गयी है अतः इस धनराशि को गन्ना मूल्य भुगतान हेतु सम्बन्धित गन्ना समितियों को तत्काल वापस कर दिया जाय तथा संग्रह व्यय की वसूली नियमानुसार सम्बन्धित चीनी मिलों से ली जाय । लेकिन यह धन अभी तक वापस नहीं हुआ और मिलों ने दावा उच्च न्यायालय में कर दिया । मिलें मुकदमा जीत गयीं और जो कलेक्शन चार्जेज 80 लाख रुपये किसानों का जमा है उसे सरकार तुरन्त वापस करे ।

मान्यवर, जहां तक गन्ना मूल्य भुगतान की बात है तो उत्तर प्रदेश गन्ना खरीद अधिनियम, 1953 की धारा 17 के अनुसार गन्ना मूल्य का भुगतान हो जाना चाहिए लेकिन 2-3 साल बाद भी नहीं होता । एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने जवाब दिया कि मिल की परिस्थिति को देखते हुए कार्यवाही यथा शीघ्र की जायेगी । यह जवाब भेजा गया है इसका साफ मतलब है बहाने बाजी और मिलों से सांठ-गांठ के अलावा कुछ नहीं है । मान्यवर, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि वर्ष 1994 से 1998 तक 587.45 करोड़ रुपया आज बकाया है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय चौधरी जी, अब समाप्त करें । दस मिनट हो चुके हैं ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, सरकार गन्ना किसानों के प्रति कितनी हमदर्द है, इसका मैं दूसरा उदाहरण देने जा रहा हूं । चीनी मिलों द्वारा गन्ना खरीद पर, जो क्रय कर सरकार को मिलता था, 1998-99 तथा 1999-2000 का क्रय कर सरकार ने एकदम माफ कर दिया और 1996-97 पेराई सत्र का बकाया क्रय कर जो 42 करोड़ था, उसमें से आधा 21 करोड़ भी माफ कर दिया । इस क्रय कर के माध्यम से जो राजस्व के रूप में सरकार के खजाने में पैसा आ रहा था, उसको इस सरकार ने मिल मालिकों के पक्ष में माफ करने का काम किया । मैं जानना चाहता हूं कि जो किसान कर्जा लिए हुए हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गयी है, क्या उन किसानों के कर्ज को माफ करने को सरकार काम करेगी ?

श्री अधिष्ठाता–

चौधरी जी, अब समाप्त करें, मैं अनिश्चित समय आपको नहीं दे सकता ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, अन्तिम बात कहकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मान्यवर, आज जिस तरीके से आर्थिक तंगी के बावजूद, वित्तीय संकट के बावजूद सरकार ने चीनी मिलों का क्रय कर का करोड़ों रुपया राजस्व माफ कर दिया है, उसकी स्वीकृति वित्त विभाग से भी इस सरकार ने नहीं ली। क्योंकि यदि वित्त विभाग से यह इतनी बड़ी रकम को माफ करने के लिए कहते तो आर्थिक तंगी को देखते हुए वह इसको कभी एलाऊ नहीं करता। अधिकारों का अतिक्रमण करते हुए, तमाम कायदे कानूनों को ताक पर रखकर इस सरकार ने क्रय कर माफ करने का काम किया है और इस प्रकार से 30 करोड़ रुपया थैलीशाहों की जेब में चला गया, यह सरकार पूरी तरह किसान विरोधी है। जो सरकार की तरफ से पुस्तिका दी गयी है, उसका टाइटल है, किसान उठेगा तो गांव उठेगा, लेकिन मैं तो कहना चाहता हूं कि जिसकी जेब में पैसा जायेगा, वह उठेगा। इन्हीं शब्दों के साथ, समरमाल जी, द्वारा रखे कटौती प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

* श्री ज्ञानेन्द्र सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय गन्ना मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का जो आपने अवसर प्रदान किया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मान्यवर, गन्ने का सम्बन्ध करोड़ों-करोड़ किसानों से होता है। यह पहली सरकार है जिसने गन्ना की सट्टा नीति तय किया है, उसके आधार पर किसानों को जो लाभ मिल रहा है, छोटे किसान, गरीब किसान, अशिक्षित किसान लाभान्वित हो रहे हैं। पूर्वांचल में देखने को मिलता था कि जो गन्ना माफिया हुआ करते थे, मात्र 50 डिस्मिल खेत जोतने वाला किसान। हजार क्विंटल गन्ना अपने नाम पर सप्लाई करवाया करते थे या किसान की पर्ची, दूसरे किसान का सट्टा अपने नाम से करवाकर सप्लाई करवाते थे, इस सरकार ने ऐसे गन्ना माफियाओं का आतंक समाप्त करने का काम किया है।

अब कोई भी किसान चाहे कितना, गन्ना माफिया छोटे गरीब किसान की पर्ची नहीं ले सकता। इसका कारण यह है कि गरीब किसान का, छोटे किसान का सीधा पैसा आज बैंक के खाते में जाता है और जो माफिया हैं, वह जानते हैं कि कितना भी गन्ना गिरा देंगे लेकिन हम पैसा नहीं पायेंगे, इसलिए गन्ना माफियाओं का आतंक समाप्त हुआ है और इससे छोटे किसान लाभान्वित हुए हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि छोटे किसानों की यह हुई है और कौन से ऐसे सदस्य हैं चाहे इधर के हों या उधर के हों, जो इस बात को नहीं जानते कि 1-2 टायर का किसान 20 से 40 क्विंटल गन्ना पैदा करता था और उसकी सप्लाई मार्च में करने के बाद पर्ची मिला करती थी, दूसरी जून में मिलती थी, तब तक आधा गन्ना जानवर खा लिया करते थे। आज सरकार ने इस सम्बन्ध में नीति बनायी है और छोटे किसानों का प्रथम पक्ष से ही सप्लाई लिया जायेगा, पर्ची आवंटित किया जायेगा। इसके अलावा 73 प्रतिशत का भुगतान पेराई सत्र में ही करवा देना अपने आप में एक मिसाल है। यह पहली सरकार है जिसने इतने अल्प समय में 73 प्रतिशत का भुगतान किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मान्यवर, मेरे कुछ सुझाव हैं। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि पूर्वांचल में बहुत छोटे-छोटे किसान हैं, जो नीति तय की गयी है, वह छोटे किसानों पर लागू नहीं हो रही है, जिससे उनके गन्ने का भुगतान नहीं हो पा रहा है। किसान पर्ची लेकर मिल में जाता है, लेकिन उसको पैसा नहीं मिल पाता है और उनको भुगतान नहीं मिल पाता है। किसानों को उनके गन्ने के मूल्य का भुगतान होना चाहिए चाहे वह समिति के माध्यम से हो या और किसी तरीके से हो।

(लाल बत्ती होने पर)

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, जो नये सदस्य हैं और कभी-कभी बोलने के लिए खड़े होते हैं, उनको तो कुछ समय दे दिया जाया करे । जो लोग बराबर बोलते रहते हैं उनको समय मिल जाता है । मैं तो कभी बोलता नहीं हूं । मान्यवर, कप्तानगंज चीनी मिल की स्थिति बड़ी दयनीय हो गयी है और माननीय मंत्री जी से कहा जाता है तो वह कहते हैं कि वह निजी क्षेत्र की चीनी मिल है। मान्यवर, चीनी मिल चाहे प्राइवेट हो या आपकी हो, किसानों को भुगतान होना चाहिए । जब आपके आदेश से गन्ना सप्लाई किया जाता है, तो आपका दायित्व बनता है कि आप उनके गन्ने का भुगतान करायें । मान्यवर, अन्तिम बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । हुगली चीनी मिल है, वह बड़ी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में चल रही है, उसका नवीनीकरण कराया जाये । हमारे यहां पर 90 प्रतिशत किसान गन्ने पर आधारित हैं । सरकार इस मिल को बन्द करने पर विचार कर रही है, इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको बन्द न किया जाये नहीं तो वहां के गन्ना किसान भुखमरी की कगार पर आ जायेंगे । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री महेन्द्र कुमार सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे गन्ना विभाग के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, मैं माननीय समर पाल सिंह द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं । मैं कुछ सुझाव देकर अपनी बात को समाप्त कर दूंगा । मेरे क्षेत्र महमूदाबाद में अवध शुगर मिल है, उसके क्रय केन्द्र रेउसा और मांझीपुर में चल रहे हैं, वहां पर अक्सर गन्ना देने के मामलों में मारपीट हो जाती है । इसका कारण यह है कि इनकी क्षमता कम है और गन्ना अधिक पहुंच जाता है । मैं कई बार पहले भी मांग कर चुका हूं कि इन दो केन्द्रों से आधा-आधा काट कर एक और क्रय केन्द्र खोल दिया जाय ताकि इनका जो झगड़ा है वह मिट जाय । इससे गन्ने की सप्लाई भी सुचारु रूप से हो सकेगी और मारपीट से भी निजात मिल जायेगी । रेउसा और मासूवेहड के बीच में भी क्रय केन्द्र खोला जाय । इसी तरह मानीपुर और अजयपुर में क्रय केन्द्र खोलने की मांग बहुत समय से किसान कर रहे हैं । मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि दो नये क्रय केन्द्र हमारे क्षेत्र में खोले जायं जिससे गन्ने की सप्लाई ठीक से हो । इन शब्दों के साथ मैं माननीय समर पाल जी के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री जय प्रकाश निषाद–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर अपनी बात रखना चाहता हूं इसके लिए आपने मुझे समय दिया मैं आपको धन्यवाद देता हूं । माननीय मंत्री जी द्वारा गन्ने की सप्लाई में प्रदेश के किसानों के साथ पहले जितनी धांधली होती थी एक आदमी की पर्ची, दूसरा आदमी ले लेता था, पेमेन्ट भी वह ले जाता था सही किसान का गन्ना नहीं गिर पाता था माननीय मंत्री जी ने इसमें बहुत भारी सुधार किया है । इससे पहले हर किसान परेशान रहता था जब से इस सरकार ने वर्तमान मंत्री जी ने अपने हाथ में इस विभाग को लिया और एक नीति बनायी गयी कि किस तरह से सट्टा तैयार किया जायेगा और किसानों के गन्ने की सही पड़ताल करके उसका कोटा निर्धारित होगा और तब कम्प्यूटर से पर्ची बांटी जायेगी । इस प्रथा से काफी फायदा किसान को हुआ और चेक से पेमेन्ट होने के बाद जो पहले एक आदमी दूसरे आदमी की पर्ची लेकर गन्ना गिरा लेता था और नकद भुगतान ले लेता था वह एकदम बन्द हो गया जिसकी पर्ची है वही अब पेमेन्ट लेगा इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं । वर्तमान में पेराई सत्र समय से हो गयी है. पूर्वांचल में करीब-करीब सभी मिलें बन्द हो गयी हैं एकाध मिल चल रही हैं लोगों का गन्ना सारा गिर गया है । पहले जो धांधली होती थी असली आदमी का गन्ना गिर नहीं पाता था और बाद में उसे अपने गन्ने को फूंकने के लिए विवश होना पड़ता था उसमें इस सिस्टम से काफी फायदा हुआ है और किसान के गन्ने की समय पर पेराई हो जाती है । छोटे किसानों को कुछ परेशानियां हुई हैं जिसके पास एक गाड़ी, दो गाड़ी या पांच गाड़ी गन्ना होता है उसको

चेक से पेमेन्ट करने में बैंक वाले परेशान करते हैं इसके लिए सरकार द्वारा निर्देश जाना चाहिए कि जिन किसानों की पर्ची कटी है उनका खाता खोलने में शीघ्रता की जाय और समय से पर्ची का चैक जमा कराया जाय और 15-20 दिन के अन्दर उसका पेमेन्ट कर दिया जाय ताकि छोटे किसान को जो कठिनाई हो रही है वह दूर हो सके ।

देवरिया और पडरौना में जब एक ही जिला था तो 14 मिलें थीं । पश्चिमांचल में बरहल और रूद्रपुर में वर्तमान में एक भी मिल नहीं है पहले बरहल और रूद्रपुर का गन्ना प्रतापुर में गौरी बाजार मिल में जाता था लेकिन वह कई वर्षों से बन्द पड़ी है तो उस क्षेत्र के किसानों का गन्ना गिराने में काफी कठिनाई हो रही है और दूर ले जाने के लिए उनको विवश होना पड़ रहा है । मान्यवर, इस साल क्रय केन्द्र में समय से गन्ना गिर गया क्योंकि गन्ना भी कम था लेकिन आगे के लिए मैं चाहता हूं कि अगर सरकारी क्षेत्र में न सही प्राइवेट क्षेत्र में ही बरहल, रूद्रपुर के बीच एक चीनी मिल स्थापित की जाय ताकि वहां के किसानों का गन्ना समय से गिर सके चाहे वह निजी क्षेत्र में ही सही । किसी उद्योगपति को लाइसेंस देकर गन्ना मिल खुलवायी जाय । गौरी बाजार चीनी मिल भी बन्द पड़ी है कई बार उसके बिकने की बात आयी लेकिन वह नहीं बिकी अगर उसको बेंच दिया जाता है तो उसके स्थान पर नई मिल लगायी जाय या उसका पुनर्निर्माण किया जाय ताकि किसानों का गन्ना समय से गिर सके इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे गन्ना विकास विभाग के बजट पर बोलने की अनुमति प्रदान की । मैं कुछ कहूं इसके पहले माननीय समर पाल सिंह द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और आपकी अनुमति से संक्षेप में दो-तीन बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा । अभी माननीय मंत्री जी ने बहुत जोरदार शब्दों में यह बात कही है कि यह पहली सरकार है जिसने उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का 80/- तथा 85/- प्रति कुन्टल का दाम दिया है । क्षमा चाहता हूं मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि आज प्रदेश सरकार में जिस विभाग के आप मंत्री हैं वह सर्वाधिक गरीब इंसानियत से जुड़ा है । श्रीमान आज इस प्रदेश में ग्रामीण अंचल की हालत अत्यन्त खराब है । जब इस देश के प्रधान मंत्री स्व० जवाहर लाल नेहरू जी थे तो मो० रफी अहमद किदवई उनके मंत्रिमण्डल में मंत्री थे उन्होंने गन्ना मूल्य निर्धारण समिति बनायी स्व० रफी अहमद किदवई के काल में उस समिति की सिफारिशों को केन्द्र और राज्य सरकार को भेजा । उनके नाम से एक फार्मूला लागू हुआ जिसको रफी अहमद किदवई फार्मूला कहते हैं । रफी अहमद किदवई साहब ने अपने अध्ययन के बाद अपने सुझाव दिये कि जितने रुपये मन चीनी उतने आने मन गन्ना का मूल्य निर्धारित होना चाहिए । श्रीमान् इसके मुताबिक किसी भी तरह प्रदेश की यह लोकप्रिय सरकार जो अपने आपको जनहित के प्रति वचनबद्ध है ऐसा कहती है उसे विगत पेराई सत्र में कम से कम 100 रुपये गन्ने की कीमत निर्धारित करनी चाहिए थी ।

श्रीमान, मैं कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में प्रदेश की सरकार ने जो दाम निर्धारित किया है वह न्यायोचित नहीं है । सबसे बुरी स्थिति पूर्वांचल की है जहां चीनी मिलें ठप्प होती जा रही हैं । मैं जिस जनपद से आया हूं वहां स्वतन्त्रता के पूर्व बर्तानी हुकूमत के दौरान 1922 से 1933 के दौरान चीनी मिलें स्थापित हुई । मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं कि देवरिया में जो चीनी मिलें स्थापित हुई थीं 1937 में उनकी क्षमता 965 टी०सी०डी० है । भटनी मिल जो स्वाधीनता के पूर्व में स्थापित हुई उसकी क्षमता 1016 टी०सी०डी० है । बैतालपुर 1933 में स्थापित हुई जिसकी क्षमता 914 टी०सी०डी० है रामकोला जहां पिछली बार गोली चली थी पेराई क्षमता 791.05 टी०सी०डी० है । मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के किसानों की अर्थव्यवस्था सुधारने के

लिए 1999-2000 के आय-व्ययक में मजबूत संकल्प की आवश्यकता है । उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था अत्यन्त खराब है वहां की बर्तानी हुकूमत की मिलें जो कि जर्जर हो गयी है आप उनसे मुनाफा नहीं ले सकते । बिना आधुनिकीकरण एवं विस्तारीकरण के पूर्वांचल की चीनी मिलों को लाभकारी नहीं बनाया जा सकता है । आपने जो यह बजट प्रस्तुत किया है उसमें यह मजबूती के साथ परिलक्षित होना चाहिए था कि जो पूर्वांचल रूग्ण मिलें हैं उनका विस्तारीकरण व आधुनिकीकरण करने जा रहे हैं । मा० मंत्री जी जब आप अपना जवाब देने के लिए खड़े हों तो कृपया इस बात को बताने का कष्ट करेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की खस्ताहाल चीनी मिलों का कोई पुरसानहाल है कि नहीं । मा० मंत्री जी इस बात पर पुनर्विचार करें ।

मा० मंत्री जी चुस्त-दुरुस्त प्रशासन की बात करते हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो गन्ना क्रय अधिनियम है उसमें इस बात की व्यवस्था की गयी है कि प्रदेश में जो चीनी मिलें हैं यदि वह समय पर गन्ने मूल्य का भुगतान नहीं करती हैं तो सरकार 14 दिन के अन्दर गन्ने का मूल्य का भुगतान करायेगी । किसानों को जो उन पर बकाया है उसके लिए वह सताये जा रहे हैं कहीं बिजली बकाये के नाम पर कहीं अन्य बकायों के नाम पर । आज उ० प्र० में उन बकायेदारों, जो मिलों के मालिक हैं उनके लिए रिकवरी सर्टिफिकेट जारी नहीं किये जाते हैं बल्कि उन्हें आप छूट देते हैं उनसे गन्ना मूल्य का भुगतान ब्याज सहित लिया जाना चाहिए । लेकिन उ० प्र० सरकार इस दिशा में बिल्कुल निष्क्रिय है । मा० अधिष्ठाता जी मैं आपके आदेश का आदर करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं और कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

*श्री बेचन राम–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने गन्ना विकास और चीनी उद्योग के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं । मैं ऐसे पूर्वांचल क्षेत्र से आता हूं जो गन्ना उत्पादन की दृष्टि से पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक स्थान रखता है ।

मान्यवर, जब मैंने माननीय गन्ना मंत्री जी का भाषण सुना तो मुझे यह अनुभव हुआ कि जहां पर सरकार की चीनी मिलें हैं वहां पर गन्ना किसानों के 90 प्रतिशत तक मूल्य का भुगतान हो चुका है । लेकिन मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र के गन्ना किसानों के बारे में कहना चाहता हूं कि हमारे यहां सरैया चीनी मिल जो प्राइवेट चीनी मिल है उसके बन्द हो जाने के कारण हमारे क्षेत्र का गन्ना किसान कठिनाई में है । उसको अपना गन्ना बस्ती और धुरिया पार चीनी मिल को देना पड़ता है जिसमें उसका समय लगता है और कठिनाई भी होती है । मान्यवर, 23 करोड़ रुपया गन्ने के मूल्य का बाकी है । मैं गन्ना मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के किसानों का जो गन्ना मूल्य बाकी है उसका भुगतान किया जाय । जहां हमारे क्षेत्र का किसान गन्ने की खेती पर विशेष ध्यान देता था और वहां आज यह स्थिति हो गयी है कि हमारे क्षेत्रों में गन्ने की बुआई कम हो गयी है । वहां पर 10 प्रतिशत भी बुवाई नहीं हो पायेगी अगर गन्ने के मूल्य का भुगतान न किया गया इसीलिए मैं मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि हमारे यहां की चीनी मिलों पर जो गन्ने का मूल्य बकाया है उसको दिलवा दिया जाय ।

* श्री विश्वनाथ–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि इतनी जद्दो जहद के बाद आपने मेरे आग्रह को स्वीकार किया और माननीय समर पाल जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा उस पर मुझे अपने विचार रखने का मौका दिया । मान्यवर, मंत्री जी ने आत्म प्रशंसा अपनी बहुत की, उन्होंने जो काम किये वह किसी ने

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

नहीं किया । मंत्री जी की कृपा से पूर्वांचल की तमाम चीनी मिलें बन्द हो गयीं और हमारे यहां का पेराई का काम बन्द हो गया । मिलों में काम करने वाले कर्मचारी भुखमरी के कगार पर हैं और वहां के जो किसान हैं उनकी आज निराशा में बदल गयी है कि उनको जो गन्ना मूल्य 4 साल से बाकी है वह उनको मिलेगा या नहीं । मैं आपको इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि बर्तानिया हुकूमत द्वारा जो मिलें लगायी गयी थीं उनको आपने बन्द कराने का काम किया । पूर्वांचल की कैश क्राप गन्ना है लेकिन मेरा कहना है कि यह पूर्वांचल की मेन क्राप भी है वहां का जनजीवन गन्ने से जुड़ा हुआ है ।

अभी हमारे मित्रों ने यह कहा कि 14 दिन के बाद में भुगतान होने पर 15 फीसदी की दर से किसानों को ब्याज मिलना चाहिए । कुछ बैंक 5 वर्ष में धन दुगुना करने की स्कीम चलाते हैं, हमको लगता है कि उसी स्कीम में माननीय मंत्री जी ने किसानों का बकाया पैसा रखा हुआ है और उनको दोगुना वापस देंगे । माननीय मंत्री जी आपकी जहां-जहां सरकारें हैं वहां पर गन्ना मूल्य कम है, वहां महंगाई है । अगर मैं कहूं कि कभी आपने किसानों पर गोली चलवाने का काम किया था आज आप मिलों को बन्द कराकर किसानों के रोजी-रोटी के लिए मोहताज कर रहे हैं । मैं सरैया मिल की बात कर रहा हूं, बी०आई०सी० मिलों का बहाना है, आप बी०आई०सी० मिलों को ले सकते थे । उत्तर प्रदेश की सरकार के पास अगर 100 मंत्रियों पर खर्च करने के लिए धन है तो आप इन मिलों को भी ले सकते थे । आपके राज्य में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मिलों को ले रहे हैं, कोई पूंजीपति मिलों को नहीं खरीद रहा है । आपके मंत्रीगण ले रहे हैं । कुछ मंत्री जो सरकार में हैं, मेरी निजी जानकारी है कि मिलें बन्द कराकर मिलों को लेने का काम कर रहे हैं । किसानों पर आपने करारी चोट की है ।

आप किसान हैं मैं आपको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं रिश्ते-नातों से भी जानता हूं, अगर किसानों के दर्द का ध्यान है तो आपको पूरब की बर्तानिया हुकूमत में चालू हुई मिलों को सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए, उनका संचालन सरकार को करना चाहिए, उसे औने-पौने दाम में अपने मंत्रिमण्डल के सदस्यों को न दें । आपके पूंजीपतियों, मिल मालिकों से क्या रिश्ते हैं इसको सिद्ध करने के लिए एक बात कह रहा हूं । पिछले साल प्राइवेट मिलों ने 70 रुपये दिये और आपने 72 रुपये दिये, क्या आपका नाता था कि आपने दो रुपये का लाभ कराया । कहीं न कहीं दाल में काला जरूर है । अगर उत्तर प्रदेश का भला चाहते हैं, उ० प्र० सरकार की आमदनी कराना चाहते हैं । उत्तर प्रदेश सरकार छाती ऊंची करके कह सके कि हमने किसान का काम किया । किसानों के गन्ने मूल्य का भुगतान कर यश लीजिये तब धन्यवाद लीजिये नहीं तो आपका नाम डूबेगा । इसी के साथ मैं समर पाल सिंह के कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय समरपाल सिंह जी, अब आप उत्तर भाषण दें ।

(डा० कौशल किशोर, डा० धर्मज्ञ मिश्र तथा श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना द्वारा गन्ना बजट पर बोलने के लिए आग्रह करने पर)

श्री अधिष्ठाता–

आपके दल से जो नाम आया है; वह सिंचाई के लिए है । आप लोग बैठ जायं । समरपाल सिंह जी उत्तर भाषण करें । अब मैं किसी अन्य माननीय सदस्य को अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री समरपाल सिंह–

अधिष्ठाता महोदय, मैंने पूर्व में बताया था कि गन्ना हमारे प्रदेश की कैश क्राप है यह किसानों की रोजी-रोटी और जीवन यापन का साधन है। यह सरकार गन्ना किसानों और गन्ना उत्पादकों की विरोधी सरकार साबित हो रही है। किसानों के गन्ना भुगतान का विलम्ब होने पर ब्याज यह सरकार नहीं दिलवा रही है। किसानों को गन्ना मिल तक ले जाने का भाड़ा देना पड़ रहा है। डेवलपमेंट कमीशन गन्ना ले जाने के लिये सड़क मार्ग बनता उसकी धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी गई है। इस तरह से अरबों रुपये का फायदा किसानों का पेट काटकर यह सरकार मिल मालिकों को पहुंचा रही है। 14 दिन तक गन्ने के मूल्य का भुगतान न होने पर 15 प्रतिशत सालाना ब्याज किसानों को मिलना चाहिए लेकिन यह सरकार सोची समझी रणनीति के तहत मिल मालिकों से साठ-गांठ करके उस ब्याज को नहीं दिला रही है। वर्ष 1997 का एक पत्र है 9 जुलाई का जो प्रदेश के गन्ना आयुक्त ने प्रदेश के सभी जिला गन्ना अधिकारियों को लिखा है। केन कमिश्नर ने पत्र भेजा है।

सुगर केन कन्ट्रोल आर्डर 1966 के अनुसार किसी भी चीनी मिल मालिक को 14 दिन के अन्दर गन्ने के मूल्य का भुगतान करना पड़ता है यदि इसमें असफल होने पर 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने के लिए चीनी मिल मालिक बाध्य हैं। इस नियम के अनुसार आपके अधीनस्थ अधिकांश चीनी मिल के द्वारा वर्तमान सत्र में गन्ने के मूल्य का भुगतान 14 दिन के अन्दर नहीं किया गया है और चीनी मिलों पर अभी भी गन्ना मूल्य के रूप में काफी धनराशि अवशेष है। इस ब्याज का भुगतान चीनी मिलों के द्वारा किया जाना चाहिए था। परन्तु अब तक धनराशि अवशेष रहने के कारण इस पर 15 प्रतिशत की दर से ब्याज की राशि देय हो गई है। जब तक सम्पूर्ण गन्ना मूल्य का भुगतान चीनी मिलों द्वारा नहीं कर दिया जाता है तब तक विलम्बित अवधि के लिए 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज की देनदारी नियमानुसार मिल की है। आगे कहा गया है एतद्द्वारा आपको निर्देश दिए जाते हैं कि यदि आपके अधीनस्थ चीनी मिल मालिकों द्वारा विलम्बित भुगतान आपके अधीनस्थ सहकारी समितियों के द्वारा विलम्बित भुगतान के बिल मिलों को प्रेषित नहीं किए गये हैं तो उन्हें तुरन्त प्रेषित कर दें कितना भुगतान बनता है उसको अधोहस्ताक्षरी को सूचित कर दें। यह पत्र जानबूझ कर प्रेषित करवाया गया ताकि यह मिल मालिकों को दबाव में ले सकें। उसके बाद वार्तालाप हुआ क्या वार्तालाप हुआ इसका मैं खुलासा चाहता हूं। यह पत्र ब्लैकमेल करने के लिए लिखवाया गया। क्योंकि मिल मालिकों पर 200 करोड़ की देनदारी बनती थी। उसके बाद शासन स्तर पर वार्तालाप हुआ और यह 200 करोड़ रुपये माफ कर दिए गए। इस तरह से प्रतिवर्ष कई अरब रुपये का फायदा मिल मालिकों को किसान का पेट काटकर करा रहे हैं और कहते हैं कि हम किसान समर्थक हैं हम किसान की उन्नति चाहते हैं, गन्ना की उन्नति चाहते हैं। आपके ऐसे कदमों से किसान खुशहाल नहीं होगा। यह सरकार गन्ना किसानों की विरोधी सरकार है यह उनका लगातार पेट काटने का काम कर रही है। यह पूंजीपतियों की पोषक सरकार है। मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, मुझे 1974 का सदन याद आता है जब परम आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी प्रतिपक्ष के नेता थे और माधो प्रसाद त्रिपाठी जी हमारे दल के नेता थे और आदरणीय बहुगुणा जी मुख्य मंत्री थे और आदरणीय श्री नारायण दत्त तिवारी जी बगल में उपनेता थे और वित्त मंत्री थे। उस समय विपक्ष विपक्ष की तरह कार्य करता था, केवल संकीर्ण सोच के साथ काम नहीं करता था, सही बात के लिये बधाई भी देते थे। स्व० श्री चौधरी चरण सिंह जी तथा श्री बहुगुणा जी दोनों के बीच चर्चा होती थी और एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष भी करते थे, सन्त-वचन भी होते थे। बापू ने भी कहा था कि जो स्वयं नहीं कर सकता उसे दूसरों से अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। "पर उपदेश सकल बहुतेरे।" बार-बार यह

कहा गया कि कई वर्षों से यह है । इस बात को स्वीकार किया गया कि कई वर्षों से यह दुर्व्यवस्था है । 15 प्रतिशत ब्याज की बात कही गयी । कई बिन्दुओं पर और प्रश्नों के माध्यम से मैं जवाब भी दे चुका हूं लेकिन जब राजनैतिक भाषण और सदन का भाषण एक हो जाता है तो उसमें समय बरबाद होगा ही ।

मुझे 1974 से संसदीय परम्पराओं को उन महान लोगों के साथ देखने का मौका मिला । इस सदन में सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए । केवल आलोचना नहीं । हमसे कहा गया कि आप किसान विरोधी हैं और वह लोग किसान हितैषी हैं जिनके कार्यकाल में समितियों में भ्रष्टाचार किया गया, घटतौली चरम सीमा पर पहुंच गयी, माफिया राज और बिचौलिये लोग खुलेआम किसानों का शोषण कर रहे थे, फर्जी पर्चियां काटी जा रही थीं । ऐसे लोग तो किसान हितैषी हो गये और हमने इसे बन्द किया तो हम किसान विरोधी हो गये । ऐसी बात को कहने वाले लोगों से यह सिद्ध होता है कि वह दुर्व्यवस्था के समर्थक हैं, वह सुव्यवस्था के समर्थक नहीं हैं और उनको यह नहीं भा रहा है आज किसान का शोषण बन्द हो गया और हमारे पुराने मित्र जिन्होंने समितियों में भ्रष्टाचार को समर्थन दिया आज उन पर हमने अंकुश लगाया है । कुछ जगहों पर जहां नियंत्रण नहीं हुआ है उनकी सामत आयी होगी तभी वहां पर नियंत्रण नहीं हुआ होगा । भुगतान की बात आयी सही है छः-सात मिलों ने तीन साल से भुगतान नहीं किया । सबके विरुद्ध आर०सी० जारी हुई केवल सेन्ट्रल गर्वनमेन्ट की मिलों को छोड़ कर सबने कोर्ट से स्टे ले लिया । जिसने घटतौली की उन 8 मिलों के खिलाफ हमने 3/7 का मुकदमा किया उन्हें हाईकोर्ट से जमानत करानी पड़ी और हम किसान विरोधी हो गये । बाहर भी किसानों को बहुत वर्षों तक गुमराह किया गया । आज सदन को गुमराह किया जा रहा है । जो किसान नेता कल थे आज वह अपनी पार्टी बन्द करने की घोषणा कर रहे हैं इसके मतलब यह है कि कहीं न कहीं कोई आधार है । वह लोग किसान हितैषी हैं जिनको किसान ने आज सत्ता में बैठाया है ।

[समय 6 बजकर 25 मिनट]

किसी भी सरकार का मूल्यांकन यह सदन भी करता है लेकिन सही मायने में जनता के बीच में हो सकता है । जब से यह सरकार आई है गन्ना किसान लोग किसी के बहकावे में नहीं आ रहे हैं, गुमराह नहीं हो रहे हैं । लोगों ने बहुत सालों तक गुमराह किया है । मंच से मिलों को गाली दी है और रात को उनके होटलों में दावत काटी है । हम मिलों के भी हितैषी हैं, विरोधी नहीं हैं क्योंकि उनका योगदान है इस प्रदेश के चीनी उद्योग को बढ़ाने में इसलिये उनको भी संरक्षण मिलना चाहिए लेकिन इस बात का मौका उनको नहीं दिया जायेगा कि वे किसानों का शोषण करें । हम मजदूरों के, किसानों के और मिल मालिकों, सबके हितैषी हैं, मिल चलाना प्रदेश के हित में है । हम उन लोगों में से नहीं है जिनकी कथनी और करनी में अन्तर हो । वह दिन गये जब दुनियां में राजनीति में मजदूर एक थे और पूंजीपति एक थे । मजदूर के ऊपर शासक थे । वह सिद्धान्त अब इस धरती से उठ गया । जहां से वह सिद्धान्त लागू हुआ था आज वहां पूंजीवाद पहुंच गया है । प्रदेश के योगदान में विकास में जिस-जिस का योगदान है उसको संरक्षण मिलेगा । यहां पर किसी को किसी का शोषण नहीं करने दिया जायेगा और इसी नीति पर यह सरकार चल रही है ।

(मेजें थपथपाई गई)

मान्यवर, कुछ बातें कही गई । सरदार नगर, पडरौना, कठपुइया, गौरी बाजार, खलीलाबाद, कुशीनगर पर बाकी है लेकिन क्या यह बाकी केवल मेरी सरकार के आने के बाद है ? हमने तो कार्यवाही की है । सरदार नगर के बारे में बी०आई०एफ०आर० में आर०सी० जारी हुई और उन्होंने स्टे ले लिया । पडरौना के यह सेन्ट्रल गर्वनमेन्ट के कपड़ा मंत्रालय के हैं । बी०आई०एफ०आर० का रुग्ण मिलों पर कब्जा है उन्होंने कह दिया कि 6 इन्स्टालमेन्ट में बकायों का भुगतान करें क्योंकि उसकी अपील

भी वहीं होती है । यह पहली सरकार है जिसने खलीलाबाद के मिल मालिक को दीपावली जेल में मनवा दी । किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया था । हमने वसूली के लिये उनको दीपावली के पहले जेल में बन्द कर दिया था । कप्तानगंज की बात राधेश्याम जी ने कही, मैं भी इससे सहमत हूं उनका विस्तारीकरण में बकाया था । पिछले वर्ष उन्होंने 4 करोड़ रुपया दिया है 8 करोड़ के करीब अभी बाकी है और उसके लिये उनका कहना है कि दो इन्स्टालमेन्ट में 4 इस साल और 4 अगले साल दे देंगे और किसानों के साथ उनका समझौता भी हुआ । यह स्थिति है मान्यवर, बकायों की । बाकी जो सामान्य निगम की हैं वो देती है । निगम की मिलों को बाढ़ के समय शत-प्रतिशत भुगतान कराया गया । मान्यवर, कुछ और बातें कहीं गई । पूर्वी उत्तर प्रदेश की ।

मैं पूरे सदन की भावनाओं से अवगत हूं । पूर्वी उत्तर प्रदेश की स्थिति दयनीय है । मिलें रुग्ण हैं, गन्ना किसान गरीब है । बाढ़ प्रायः आती है । गन्ने का उत्पादन कम है । ऐसी परिस्थिति में सबको मिलकर काम करना चाहिए । हम किसी की भावना से असहमत नहीं हैं । हम सब मिलकर बैठकर सुझाव दें ताकि कार्य ठीक से हो सके और उसमें सुधार हो । आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि सभी मिलों का विस्तारीकरण कर सकें । बी०आइ०एफ०आर० का कहना है कि हम किसी भी कारपोरेशन की मिल के लिये कर्ज लेने की अनुमति नहीं देंगे । आप उसको बेच दीजिये । बेचने के लिये फिर टेण्डर निकलवाने की कार्यवाही हो रही है । हम चिन्तित हैं । जो गन्ने और चीनी का संकट है समस्या है उसको मिलकर उबारने की आवश्यकता है । 91-92, 92-93 के कलेक्शन चार्ज है । उसकी आलोचना मेरे ऊपर डाली जा रही है । एक सप्ताह पहले ही राजस्व विभाग, वित्त विभाग, गन्ना विभाग सबकी सहमति से आदेश चले गये । राजस्व की इसलिए आवश्यकता थी क्योंकि वह पैसा राजस्व में जमा हो गया, आदेश एक सप्ताह पहले ही चले गये । आपकी जब चर्चा थी उससे पहले ही चले गये हैं कि किसानों का भुगतान कर दिया जाय ।

मान्यवर, राधेश्याम जी ठीक बोले लेकिन लगता है कहीं न कहीं कुछ चिढ़ हैं जो लाखा पर बरस पड़े, लाखा एक कर्मठ, ईमानदार व्यक्ति है यह मैं नहीं कहता किसान कहते हैं तो इस तरह से गलत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए । इस तरह से गुमराह नहीं करना चाहिए लेकिन गुमराह करने की जिनकी आदत होती है वह कहां मानते हैं । सात मिलों के बारे में कहा कि कहां लगी अगर पता नहीं था तो पूछ लेते लेकिन यह कहना कि गलत बयानी है यह सही नहीं है । मैं बता दूं सात मिलें कहां लगी हैं । पहली मिल जनपद मेरठ में लगी है, भगवानपुर जनपद मुरादाबाद, टिकौल मुजफ्फरनगर में, कमलापुर सीतापुर में, नयांबांस जनपद सहारनपुर, नगलामद मेरठ में, निचलौल महाराजगंज में । तो इनको पूछ लेना चाहिए था । हरियाणा में गन्ना बिचौलिये ले जा रहे हैं बिचौलियों की तो आदत है तो क्या करें । गन्ना कहीं भी ले जाने की छूट है । मिलों में छोटे किसानों की संख्या ज्यादा है ।

एक-एक मिल में किसानों की संख्या–12-13 हजार है । पश्चिमी उत्तर प्रदेश में । पूर्वी उत्तर प्रदेश में 30-32 हजार है । किसानों को सुविधा कैसे मिले और त्वरित भुगतान हो उस पर विचार करेंगे । मूल्य के भुगतान पर किसानों से बात करेंगे । मैं फिर 1974 की बात कह रहा हूं, नेताओं को याद दिला रहा हूं । मैं सिद्धान्तः इस बात के लिए अनेक बार सहमत हो चुका हूं कि किसानों को उत्पाद का लाभकारी मूल्य दिया जाए । केन्द्र में भी कई बार सत्ता में कई पार्टी बैठी है, विभिन्न प्रदेशों में बैठी है । जबसे सिद्धान्तः मानती है कि किसानों को गन्ना उत्पाद का लाभ दिया जाए । अपने दिल से पूछें कि यह देश में लागू क्यों नहीं हुआ–"पर उपदेश कुशल बहुतेरे"–ऐसा नहीं होना चाहिए ।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

शान्त रहें ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, मैं चाहता था कोई सरकार घोषित करती जो घोषित किया वह क्या लाभकारी मूल्य की नीयत से घोषित किया किसी मानक के आधार पर घोषित किया । जब यही परम्परा है तो हमारे ऊपर कोई क्यों कहता है–जब अपने मकान शीशे के हों तो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए ।

लेकिन मान्यवर, वह कहावत है । यह सदन जनता के हित के लिए प्रदेश की परिस्थितियों को समन्वित विचार करके रास्ता तथा नीति तय करने का फोरम है । यह जनता को गुमराह करने का फोरम नहीं है । मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जिस दिन सारे देश की पार्टियां या इस प्रदेश की पार्टियां एक मानक निश्चित कर दें तो मैं उसी के अनुसार चलूंगा । किसान को लाभकारी दाम मिलना चाहिए यह मैं भी स्वीकार करता हूं लेकिन आज ऐसी विषम परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से हम नहीं दे पा रहे हैं ।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, यह माननीय मंत्री जी ने कहा कि क्या किसी पार्टी ने लाभकारी मूल्य दिलाया है, देश भर में किसी पार्टी ने लाभकारी मूल्य दिलाया है । इन्होंने स्वीकार किया है कि किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है । 1967 में जब माननीय चौधरी चरण सिंह जी मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने गन्ना किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाया था यह मैं कहना चाहता हूं । आप देख लीजियेगा । आज पंजाब में 105/–रुपया प्रति क्विंटल मिल रहा है, हरियाणा में भी अच्छा मूल्य मिल रहा है तो फिर कौन सी मजबूरी है कि यह नहीं दिला पा रहे हैं ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, मैंने कहा कि प्रदेश के सामने, गन्ना विभाग के सामने उससे भी विकट मजबूरियां थी जो उन सरकारों के सामने थीं और 1956 के बाद से गन्ना किसानों का जो बकाया था उस पर 15 प्रतिशत ब्याज नहीं दिला पाये वही परिस्थितियां आज भी सरकार के सामने हैं और निश्चित रूप से यदि प्राकृतिक आपदा न होती तो वह भी दिखा देते तो सोच थी उसको भी क्रियान्वित करके दिखा देते । इसी के साथ मैं आप सभी का आभारी हूं । आपने जो मूल्यवान सुझाव दिये हैं उनका मैं परीक्षण करूंगा और उसमें जो किसानों के हित के सुझाव है उनको क्रियान्वित करने का प्रयास करूंगा और सभी सदस्यों से मैं आग्रह करता हू कि इस प्रदेश के हित में, गन्ना किसानों के हित में बजट का समर्थन करें ।

श्री अधिष्ठाता–

आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ।

श्री समरपाल सिंह –

मान्यवर, मैं वापस लेने को तैयार हो सकता था जब यह गन्ने के मूल्य का भुगतान समय से करने की बात करते, कानून का पालन करने की बात करते, जो विलम्बतम ब्याज है उसको देने की बात करते, जो फैक्टिरयों में भाड़ा काटा जा रहा है उसको माफ करने की बात करते, जो करोड़ों रुपयों का बकाया धनराशि किसानों की है, उसको देखते हुये वसूली स्थगित करते हरियाणा और पंजाब जहां गन्ने का मूल्य ज्यादा है उसके बराबर देने की बातें करतें और जो उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सुधार वर्ष मना रहे हैं । अगर वह यह कहते कि हम भुगतान वर्ष मना रहे हैं, इस बात को मानते तो मैं निश्चित रूप से वापस ले सकता था । यह किसानों को उचित दाम नहीं दिला पा रहे हैं और किसानों का शोषण कर रहे हैं इसलिए मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–23 गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–23 गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 38,74,70,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–24 गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–24 गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 26,05,30,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा और मतदान

अनुदान संख्या–93 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या–94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)

सिंचाई एवं गन्ना विकास तथा बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–93 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 6,57,53,28,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 14,15,92,11,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सिंचाई मंत्री जी मद संख्या–14 (3), 14 (4) पर अपने विचार रखें ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, सिंचाई विभाग निश्चित रूप से प्रदेश के वर्तमान और भविष्य दोनों से जुड़ा हुआ विभाग है । मान्यवर, आज जो सिंचाई की जरूरत है, खाद्यान्न उत्पादन के लिए सिंचाई की सुविधा की जरूरत है, हमें आगे भविष्य को ध्यान में रखते हुए सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाना है । जिसमें जहां एक फसल हो रही है वहां दो फसल और जहां 2 फसल हो रही है वहां तीन फसल के लिए पानी की सुविधा उपलब्ध करानी होगी । मान्यवर, प्रदेश में कृषि योग्य क्षेत्र 203.20 लाख हेक्टेयर है बोये जाने वाले क्षेत्र

174 लाख हेक्टेयर है । इस 174 लाख हे० क्षेत्र में 2 फसली 84 लाख हे० है कुल निजी और सरकारी से सिंचाई सुविधा है वह 110 लाख हे० है जो कुल कृषि क्षेत्र का 71.65 प्रतिशत है । मान्यवर, आंकड़े से देखा जाये तो बोने वाला क्षेत्र है वह 71.65 प्रतिशत सिंचित है । मान्यवर, जो स्थिति है उसमें सिंचाई सुविधाओं को साधनों को बहुत तेजी बढ़ाने की आवश्यकता है । इस साल एक लाख 30 हजार हे० क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा सृजित करने का लक्ष्य है । मान्यवर, इसी लक्ष्य को प्राप्त करने लिए विभाग ने कुछ कार्यक्रम और प्राथमिकतायें तय की हैं और कुछ नीतियां तय की हैं । मान्यवर, इस प्रदेश में कोई समग्र जल नीति नहीं थी जो उपलब्ध जल है उसका उपयोग कितना सिंचाई के लिए, कितना बिजली के लिए, कितनी कृषि के लिए होगा, कितना सुरक्षित होगा, कितना उपयोग के लिए होगा, कितना अन्य कार्यों के लिए होगा और उसी के अनुसार कार्यक्रम बनाया जाय इसकी एक समग्र नीति नहीं थी । मान्यवर, हम नियोजित विकास चाहें, सिंचाई सुविधाओं का नियोजित विस्तार चाहते हैं इसलिए एक जल नीति बना रहे हैं वह लगभग तैयार है केवल अंतिम परीक्षण में है परीक्षण के बाद मंत्रि-परिषद् उसे स्वीकार करेगा ।

लेकिन जो 6 हमने कार्यक्रमों की प्राथमिकतायें तय किया है उसमें मैं बताना चाहता हूं कि पहली प्राथमिकता जल संसाधनों का उपयोग करते हुए अतिरिक्त जल सिंचन क्षमता का सृजन करना, दूसरा सिंचन क्षमता का सृजन करके क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना, तीसरा निर्माणाधीन योजनाओं को पूर्ण करना, चौथा-सिंचाई साधनों की व्यवस्था करके सृजित सिंचन क्षमता का सृजन करना, पांचवां–सिंचाई योजनाओं का आधुनिकीकरण करना और छठी प्राथमिकता–जल भराव की समस्या का निदान और बाढ़ सुरक्षा कार्यक्रमों की है । यह हमारी छः प्राथमिकतायें हैं ।

मान्यवर, हम आगे बात करें इसके पहले हम सदन का विश्वास प्राप्त करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि पिछले बजट में हमने क्या घोषित किया था और एक साल में कितना उसे पूरा किया है । हम चाहते हैं कि जो हमने कहा था उसे कर दिखाया है जिसे मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं ।

मान्यवर, सबसे पहले हमने कहा था कि हम पांचवीं पंचवर्षीय योजना से जो 29 परियोजनायें अभी तक चली आ रही हैं जिनकी समय सीमा समाप्त हो गयी और उन्हें पूर्ण हो जाना चाहिए था किन्तु पूर्ण नहीं हुई उनमें से 20 परियोजनाओं को हम नवीं पंचवर्षीय योजना में पूर्ण करेंगे । इन योजनाओं में सुधार का कार्यक्रम भी बनाया था जिसके अन्तर्गत 4 परियोजनायें हम पूर्ण करेंगे । दो परियोजनाओं को हमने पूर्ण कर लिया है और इस साल दो परियोजनाओं को पूर्ण करेंगे । मान्यवर, जिन पिछली सरकारों ने अपने समय सीमा में कार्य को पूरा नहीं किया जिससे 7 हजार करोड़ रुपये की 29 परियोजनाओं की लागत बढ़ गयी । इनमें से 20 परियोजनाओं को पूर्ण करके प्रदेश में 10 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित करने की बात पिछले बजट में हमने कहा था उसमें केवल चार को ही पूरा नहीं किया बल्कि उससे ज्यादा पूरा किया है ।

मान्यवर, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि बेवर योजना का उद्घाटन किया गया है, मौदहा बांध तैयार है, गुन्टा नाला बन गया होता लेकिन वर्ष 1999 तक हम उसे पूरा कर लेंगे, गोला पम्प नहर तैयार है और चम्बल डाल नहर में पहले कुछ नहीं था लेकिन 6 महीने के अन्दर हमने वह कार्य कराये हैं जिसकी हमें कल्पना नहीं थी और इस प्रकार चम्बल नहर जून, 99 में हम पूरी करने जा रहे हैं । मान्यवर, इसी तरह से 1.30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचन क्षमता सृजित करने की हमने घोषणा किया था तो उसके विरुद्ध 1.50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचन क्षमता हमने सृजित किया है । मान्यवर, इस प्रकार परियोजनाओं को पूरा करने का हमने जो वायदा किया था उसे पूरा किया है । मान्यवर, इसी तरह से हिण्डन योजना पहले से बनती चली आ रही थी जिसे हमने प्रारम्भ कर दिया है और तीन सालों का

काम हम दो सालों में पूरा करने जा रहे हैं और मैं सदन को बताना चाहता हूं कि जून तक यह कार्य पूरा हो जायेगा ।

मान्यवर, मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि नहरों की सफाई करके टेल तक पानी पहुंचाने का काम हमने किया है इस प्रकार नहरों की सफाई का जो हमने वायदा किया था वह पूरा किया है जिसे सभी ने स्वीकार किया है ।

कुछ नहरे हैं जिनकी अभी सफाई नहीं हुई है, उनके लिये धन की व्यवस्था कर रहे हैं । इस साल में हम 23 हजार कि० मी० नहरों की सफाई करा सके हैं तथा 10,400 टेलों तक पानी पहुंचा सके हैं, इसका परिणाम प्रत्यक्ष रूप से परिलक्षित होता है कि पिछले वर्ष 28 फरवरी, 1998 को 14 लाख हेक्टेयर में रबी की सिंचाई हुई थी, वहीं इस वर्ष नहरों की सफाई होने तथा टेल तक पानी पहुंचाने के कारण 28 फरवरी, 1999 तक 24 लाख हेक्टेयर सिंचाई की जा चुकी है ।

मान्यवर, हमने ड्रेनों की सफाई का वायदा किया था, अभी एक हजार किमी० ड्रेनों की सफाई करा चुके हैं, अप्रैल–मई इसका समय होता है, तब फिर काम होगा । मान्यवर, हमने प्रशासनिक सुधार का भी वायदा पिछले बजट में किया था और मैं बताना चाहूंगा कि 485 जांचें निस्तारित हुई हैं । दस-दस साल से फाइलें पड़ी हुई थीं, कोई पूछने वाला नहीं था, हमने अभियान चलाकर इनको निस्तारित किया है, आगे जब अगला बजट आयेगा, तब तक कोई फाइल बाकी नहीं रह जायेगी, यह मेरा वादा है । इन 485 जांचों में 412 अधिकारी दोषी पाये गये हैं, उन्हें दण्डित किया गया है । इस वर्ष 266 नई जांचों के लिये आदेशित किया है, इस डेढ़ साल के अन्दर और जांच निस्तारण की गति की हालत यह है कि 200 में से 166 निस्तारित की जा चुकी है, शेष अन्तिम चरण में है ।

मान्यवर, हमने माफिया जाल से भी इस विभाग को बचाने की बात कही थी, सबसे ज्यादा माफिया आतंक टेण्डर के काम में हुआ करता था । हमने टेण्डर के लिये पहली बार नई व्यवस्था को लागू किया । अब तीन जगह टेण्डर डाले जाते हैं । पहले एक जगह टेण्डर डाले जाते थे और होता यह था कि धमका कर माफिया लोग दूसरे को नहीं डालने देते थे या धमका कर वही रेट देते थे जो वह चाहते हैं । हमने यह व्यवस्था की है कि अब तीन जगह टेण्डर पड़ेगा । पहला जहां कार्य होना है, दूसरा जिला हेड क्वार्टर पर और तीसरा कमिश्नरी हेड क्वार्टर पर और अगर दोनों हेड क्वार्टर एक हैं तो दूसरे जिले में डाला जायेगा ! अब यह भी व्यवस्था कर दी है कि टेण्डर बाई पोस्ट भी मंगाये जा सकते हैं, बाई पोस्ट भेजे भी जा सकते हैं, अब कोई माफिया दबाव देकर कोई टेण्डर नहीं डाल सकता, और न माफिया दबाव देकर कम टेण्डर डलवा सकता है इतना ही नहीं, अब टेण्डर रिसीव करने वाली कमेटी अलग होगी, जिसमें बाहर के अधिकारी होंगे । खोलने वाली कमेटी अलग होगी और टेण्डर स्वीकार करने वाली कमेटी बिल्कुल बाहर की होगी, एक ही अधिकारी के हाथ में अब सब कुछ नहीं रहेगा । जहां से माफिया राज, गुण्डागर्दी शुरू होती थी, उसी को छिन्न-भिन्न कर दिया है ।

मान्यवर, हमने बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सिंचाई का वायदा किया था । बुन्देलखण्ड में हमने छोटे-छोटे चेक डैम बनाकर एक रेगुलेटर लगाकर डेढ़ किमी० की नहरें निकालकर बुन्देलखण्ड की सिंचाई कराने का तय किया है, इसके लिये 11 स्थानों का परीक्षण कर लिया गया है और टेक्निकल समिति के समक्ष मामला है। इस प्रकार प्रारम्भिक कार्यवाही जो थी, वह पूरी कर ली गई है । मुझे पूरा विश्वास है कि 1999-2000 तक हम कार्य प्रारम्भ करा देंगे और पूरा भी करा देंगे । मान्यवर, इस बार नहर की घटती केवल एक हजार किमी० बन पाई । एक काम जो हम नहीं करा पाये, वह है पैदल पुलिया का निर्माण, जिसका हमने वायदा किया था, वह इसलिये नहीं करा पाये क्योंकि माननीय सदस्यों का यह दबाव था कि पैदल पुलिया की जगह ऐसी पुलिया बनवाई जाये जिससे ट्रैक्टर आदि भी निकल सके, इसलिये धन की कमी होने के कारण यह प्रस्ताव फिलहाल ड्राप करना पड़ा । अधिकांश जगह से यह मांग आई कि

ट्रैक्टर निकलने लायक पुलिया बनवाई जाय । पैदल पुलिया तो 20 से 25 हजार में बन जाती, लेकिन ट्रैक्टर लायक पुलिया के लिये डेढ़ लाख रुपये की आवश्यकता थी, इसलिये वित्तीय संसाधन की कमी के कारण अभी इसको ड्राप कर दिया है ।

मान्यवर, इसी तरह से मैं यह बताना चाहता हूं कि वर्ष 1998-99 का बजट पेश करते समय कहा था कि इन कामों को पूरा करेंगे, जो वादा किया था, उसको हमने पूरा किया है और यह हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो वादा हम इस वर्ष करने जा रहे हैं, उसको पूरा करेंगे ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारी सिंचन क्षमता इस वर्ष बढ़ी है और हम उसके लिये कार्यक्रम तय कर रहे हैं । त्रिपाठी जी बड़े अनुभवी हैं, वह जानते हैं कि जो पुराने सिस्टम हैं, उनकी क्षमता कम हो गयी है और उसमें पानी नहीं पहुंच पाता है, इसलिये हमने निर्णय लिया है कि इन नहरों का आधुनिकीकरण करेंगे । जो हमने चयनित किया है और रिपोर्ट भी मंगा ली है और उसका परीक्षण कराकर नाबार्ड को भेजकर धनराशि मंगायेंगे । शारदा नहर है, उसकी हरदोई शाखा कानपुर शाखा और फतेहपुर शाखा का सुधार करायेंगे । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि बेलन नहर है, वह पुरानी है । मान्यवर, इलाहाबाद ज्ञान का केन्द्र रहा है और यहां पर भी इलाहाबाद की हस्तियां हैं, लेकिन इस नहर की हालत को देखकर मुझे बड़ी दया आयी और तरस आया, उसमें सड़क के किनारे एक इतना बड़ा गड्ढा था, जिसमें 2-3 हाथी चले जायें, मैंने पूछा तो बताया गया कि यह नहरे हैं, तो उसकी इस तरह की दुर्दशा है, मैंने उसका भी प्राक्कलन बनवाकर तैयार करा लिया है, उसका भी सुधार हो जायेगा । मान्यवर, मैंने यह उचित समझा है कि इन नहरों को ठीक करने के लिये टुकड़ों में पैसा न देकर एक मुश्त पैसा दिया जाये । इस प्रकार से इन पर 40 करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान है, जिसमें पुरानी प्रणाली को ठीक करना है । इनमें पानी इसलिये नहीं पहुंच रहा था क्योंकि यह टूट गयी थी और इनको दुरुस्त कराने का इस वर्ष हमने निर्णय लिया है और कार्य प्रगति पर भी है । निर्माणाधीन योजनायें 29 में से 20 का लक्ष्य रखा गया है । हम 5 परियोजनाओं को इस साल पूरा करेंगे । गंगा नहर, हिण्डन नहर, जरौली पम्प नहर को पूरा करेंगे । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि 2000 में बलिया क्षेत्र को पानी पहुंचा देंगे ।

मान्यवर, जो पम्प नहरों के आधुनिकीकरण की योजना है उस पर कार्य किया जा रहा है । उसके अन्तर्गत मौदहा बांध पूर्ण हो गया है और पुण्टा बांध जून तक पूर्ण हो जायेगा । इसी तरह से पथरई बांध भी पूर्ण कराया जा रहा है । पंचेश्वर बांध के संबंध में सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट एक्टिव हो गई है । उम्मीद है कि नई पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कार्य शुरू हो जायेगा । मान्यवर, हमने 14 परियोजना घोषित की थी जिनका कार्य आरम्भ हो गया है । इसमें लगभग दो साल का समय लग जायेगा क्योंकि जो योजनायें बनाई जाती है उनका परीक्षण किया जाता है । इनका टेक्निकल परीक्षण होगा फिर उसके बाद जल आयोग के पास जायेगी और उसके बाद स्वीकृत होने पर उन पर काम आरम्भ हो जायेगा ।

मान्यवर, ड्रेनें पानी बहाने का काम करती हैं । हमने सोचा है यह जो पानी बह कर बरबाद हो जाता है उसका संग्रह करना चाहिए । हम ड्रेनों का चयन कर रहे हैं । इन ड्रेनों में रेगुलेटर लगाकर पानी यदि स्टोर कर दें तो उस पानी को किसान पम्प सेट लगाकर उपयोग कर सकेंगे । इस संबंध में निरीक्षण शुरू कर दिया है यह परियोजना हम उत्तर प्रदेश में शुरू करने जा रहे हैं इससे यह फायदा होगा कि जो भूमि का जल स्तर गिर जाता है उसका गिरना भी रुकेगा । अगर यह कार्य पहले शुरू कर दिया होता तो जल स्तर बढ़ गया होता । मान्यवर, सिंचन व्यवस्था में क्षेत्रीय असन्तुलन को कम करने के संबंध में सरकार जागरूक है । पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचन व्यवस्था 32 प्रतिशत बुन्देलखण्ड में, 36 प्रतिशत पूर्वी तथा मध्य क्षेत्र में 62 प्रतिशत, पश्चिमी क्षेत्र में 83 प्रतिशत ।

मान्यवर, यहां पर सिंचाई की सुविधायें ज्यादा है वहां पर किसान सम्पन्न हैं और जहां कम है वहां किसान विपन्न है । इसलिए हम यह जो क्षेत्रीय असंतुलन है इसे समाप्त करेंगे । मान्यवर, बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कुछ योजनायें जैसे कि मौदहा बांध, गुण्टा नाला, राजघाट, पथरई बांध का कार्य नवीं पंचवर्षीय योजना के अन्दर पूरा करने की योजना है । बुन्देलखण्ड में सात नई परियोजनायें शुरू की जा रही है । मान्यवर, बुन्देलखण्ड में 11 नालों पर मीडियम साइज के चेक ड्रेन बनाने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है । मान्यवर, इसी तरह से पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिंचाई सुविधा देने के लिए शारदा सहायक परियोजना को जून, 2000 तक पूरा करने की परियोजना है जिससे बलिया तक पानी पहुंच सकेगा । इसी तरह से सरयू कनहर परियोजना को भी शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करने की योजना है । मान्यवर, कनहर परियोजना को पुनः आरम्भ किया जायेगा इस संबंध में बिहार सरकार से विवाद है । इस संबंध में हम बिहार सरकार से वार्ता कर रहे हैं । कल ही बिहार के अधिकारियों के साथ उत्तर प्रदेश के अधिकारी लखनऊ में एक बैठक कर रहे हैं जिस पर कनहर परियोजना के बारे में विचार होगा ।

मान्यवर, इसी तरह से 9 वृहद और मध्यम परियोजनाओं का आधुनिकीकरण किया जा रहा है । पूर्वी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में बेलन नहर द्वारा सिंचाई सुविधा देने की व्यवस्था कर रहे हैं । मान्यवर, मध्य क्षेत्र जिसमें कानपुर शाखा, हरदोई शाखा फतेहपुर शाखा आती है वहां के लिये भी व्यवस्था की जा रही है । मान्यवर, जरौल पम्प नहर और शारदा सहायक नहर यह मध्य क्षेत्र की नहरें हैं इनकी तरफ भी ध्यान दिया गया है । मान्यवर, पश्चिमी क्षेत्र का भी हम ध्यान रख रहे हैं । पश्चिम में हिण्डन ब्रांच, माट ब्रांच, हाथरस ब्रांच को पूरा करेंगे । इसी तरह से वहां पर दो नयी परियोजनायें मध्य गंगा नहर (द्वितीय चरण) तथा बदायूं सिंचाई परियोजना को शुरू किया जा रहा है । मान्यवर, माट ब्रांच का आधुनिकीकरण किया जा रहा है जिससे पश्चिमी क्षेत्र में सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हो सकेगी । पर्वतीय क्षेत्र में लखवाड़ व्यासी, रिसाऊ बांध परियोजना तथा जमरानी बांध परियोजना को पूरा करेंगे ।

मान्यवर, इसी तरह से नहरों के सुधार के बारे में भी मैं कहना चाहता हूं । नहरों में सिल्ट की समस्या है, सिल्ट सफाई करने के लिये 3 वर्षों के लिये एक स्थायी योजना बना रहे हैं । मान्यवर, नहरों में गेट न होने से जब पानी की जरूरत भी नहीं होती है पानी चला करता है और फालतू नष्ट होता रहता है । मान्यवर, यह व्यवस्था की जा रही है कि जितनी माइनर्स हैं जिनमें पानी के रेगुलेशन की आवश्यकता है और गेट नहीं लगे हैं उनमें सरकार गेट लगायेगी । मान्यवर, 700 ऐसी माइनर्स हैं जिनका निरीक्षण हो रहा है और सब पर गेट लगाकर पानी की बरबादी को रोकने का प्रयास करेंगे ताकि किसानों की फसलें नष्ट न हो । मान्यवर, किसान को जो पर्ची मिलती है उसके वितरण को अनिवार्य कर दिया है किसानों को पिछले वर्षों में पर्ची नहीं मिलती थी । हमने यह भी कहा है कि मैं और राज्य मंत्री सड़क से गुजरेंगे और इसको कहीं पर रुककर इग्जामिन करेंगे कि किसानों को पर्ची मिली है या नहीं । यदि नहीं मिली होगी तो जिलेदार और अधीक्षण अभियन्ता को जिम्मेदार माना जायेगा । पर्ची वितरण को अनिवार्य कर दिया गया है ताकि सरकार की पारदर्शिता की जो नीति है वह बनी रहे । किसानों को भी सिंचाई में भागीदार बनाया जा रहा है इसके लिये उन्हें प्रशिक्षण देने की योजना है कि वह नहर न काटें और पानी का संचालन स्वयं करें । साथ ही साथ कुलाबा समितियां बनाने का कार्यक्रम शुरू किया है । किसान स्वयं पानी का वितरण करें और नियंत्रण करें । कुलाबा समितियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा और उन्हें बताया जायेगा कि टेल क्षेत्र के किसान भी आपके भाई हैं नहर काट कर उनका अहित न करें और टेल तक पानी पहुंचाने में सहयोग करें ।

मान्यवर, बाढ़ सुरक्षा के बारे में यदि जिक्र नहीं करूंगा तो चर्चा पूरी नहीं होगी । 73.40 लाख हेक्टेयर भूमि बाढ़ से प्रभावित होती है जिसमें से 58.72 लाख हेक्टेयर भूमि ऐसी है जिसकी सुरक्षा की जा सकती है । लेकिन 50 वर्षों से केवल 15.4 लाख हेक्टेयर अर्थात कुल क्षेत्र का मात्र 26 प्रतिशत ही सुरक्षित किया जा सका है यह भारत वर्ष में सभी प्रदेशों के मुकाबले बहुत कम है । बिहार में भी

55 प्रतिशत क्षेत्र सुरक्षित किया जा चुका है । लेकिन यह एक ही सरकार के कार्यों का परिणाम नहीं है वर्षों के दोषपूर्ण नियोजन का यह परिणाम है जिससे ऐसा हुआ है । हम चाहते हैं कि बाढ़ की समस्या का स्थायी हल निकले । हमने धन की कमी को पूरा करने के लिये भारत सरकार से 597 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया है । नाबार्ड से 100 करोड़ रुपये और ग्यारहवें वित्त आयोग से 597 करोड़ रुपये तथा 738 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया है । इसी तरह से जो 56 बंधे कट गये हैं उनको मई तक पूरा करेंगे । इस पर 53 करोड़ रुपया खर्च करेंगे । यदि पैसा मिला तो निश्चित रूप से बाढ़ का स्थायी समाधान करने का प्रयास करेंगे और हमें इसमें पैसा मिले इसके लिये प्रदेश के सभी माननीय सांसदों, चाहे जिस दल के हों, सभी को लिखा है और सभी लोगों ने इसको पसन्द किया है । हमने पत्र लिखा कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के ऊपर दबाव बना करके पैसा दिलवाइये । उत्तर प्रदेश में बाढ़ की समस्या अन्य प्रदेशों से बिल्कुल भिन्न है । इस कारण से उत्तर प्रदेश से बाढ़ की समस्या को राष्ट्रीय समस्या ट्रीट किया जाये और इसकी योजनायें वहां से बने । हमने कहा कि केन्द्रीय विशेषज्ञ दल भेजिये । भारत सरकार ने विशेषज्ञ दल गठित कर दिया । उसकी 15-2-99 को पटना में बैठक हो चुकी, 19-20 मार्च, 99 को गोरखपुर में बैठक होने जा रही है । उनका सुझाव प्राप्त करके और धन प्राप्त करके निश्चित रूप से बाढ़ की समस्या का हल कर लेंगे । उत्तर प्रदेश की बहुत सी सिंचाई परियोजनाओं का अन्तर्राज्यीय विवाद है । काफी विवाद उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में है । मैंने वहां के सिंचाई मंत्री से कई बार बात की लेकिन समय नहीं मिल पाया । इस बार के सरकार के मंत्री सहमत हो गये हैं इसलिए तेज गति से अधिकारी स्तर की वार्ता कराकर काम शुरू किया है । बिहार के साथ हमारी बैठक हो रही है, मध्य प्रदेश के साथ भी करेंगे । 8-10 परियोजनाओं पर विवाद है । जितने भी प्रश्न हो सकते हैं, प्रश्न सिंचाई सुविधा को बढ़ाने के लिए परियोजनायें समय से पूरा करने के लिए है । पुरानी परियोजनाओं की सिंचन क्षमता को पुनर्स्थापित करने, पुरानी नहर प्रणाली को सुदृढ़ करने, सफाई करने तथा जल जमाव को दूर करने के लिए किसानों की भागीदारी बढ़ाने के लिए जो कुछ भी सम्भावित कदम हो सकते हैं, उठाने का प्रयास किया है । जैसे पिछले साल के वचन को पूरा किया, इस साल भी पूरा करेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

डा० अशोक बाजपेयी जी, कटौती का प्रस्ताव रखें ।

(डा० अशोक बाजपेयी के कटौती प्रस्ताव के लिए खड़े होने पर विपक्ष के सदस्यों ने मेंजे थपथपाई)

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–93 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के बजट भाषण को बड़ी गंभीरता से सुन रहा था । पिछले वर्ष भी मुझे माननीय मंत्री जी के बजट भाषण को सुनने का अवसर मिला, वही दावे, वही वायदे, अगर आप देखें तो पिछले बजट भाषण में कहीं-कहीं शब्दों का हेर-फेर होगा, लगता है कि पूरा भाषण माननीय मंत्री जी ने दोहराने का काम किया है और सुनहला सपना उत्तर प्रदेश की जनता को दिखाने का काम किया । जो आश्वासन आपने दिये हैं अगर इनको साकार रूप दे देते, प्रदेश की जनता को सुविधायें मुहैया करा

देते तो आज शायद कटौती का प्रस्ताव रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती । आप विद्वान सदस्य हैं, वरिष्ठ हैं, मंत्रि-परिषद् में लम्बे समय से रहने का अवसर भी मिला है । आप शब्द जाल को बुनना जानते हैं, मीठी चासनी लगाकर परोसने का काम जिस तरह से किया है इसके लिए आपकी सराहना करता हूं और बधाई देता हूं । लेकिन न कहीं प्रदेश की सिंचन क्षमता बढ़ पायी है, जितनी परियोजनायें थीं आज भी वह लम्बित पड़ी हुई हैं । 1968 से लेकर 1974 तक 29 परियोजनायें प्रारम्भ की गयी । धनाभाव के कारण 29 में से कोई भी परियोजना कार्य रूप में नहीं आ सकी । पिछले वर्ष भी यह आश्वासन दिया गया था कि 20 परियोजनायें नवीं पंचवर्षीय योजना में पूरा कर लिया जायेगा । दो वर्ष पूरे हो गये हैं उसकी प्रगति को देखते हुये यह नहीं लगता कि 2010 तक इन्हें पूरा कर लिया जायेगा । अरबों रुपया व्यय किया जा चुका है । जिन परियोजनाओं को 8 हजार करोड़ में पूरी होनी चाहिए । आज जहां 10 हजार करोड़ से ज्यादा मूल्य में पूरी होंगी अगर अभी बना ली जाएं तो जिस तरह से बीरबल की खिचड़ी पक रही है । अगर यही स्थिति रही तो भगवान मालिक है । तुम आसमान की बुलन्दी से पहले लौट आना हमें जमी के मसायलों पर बात करनी है । उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल 294.32 लाख हेक्टेयर है जो देश के टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल का 8.94 प्रतिशत है । हमारा क्षेत्रफल देश में चौथे स्थान पर है । इसी प्रकार जनसंख्या के हिसाब से हमारी आबादी देश की 16.5 प्रतिशत है । जनसंख्या घनत्व के मामले में उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल, केरल, बिहार के बाद आता है । यहां 473 व्यक्ति प्रति किलोमीटर पर रहते हैं । हमारे प्रदेश में कृषि योग्य क्षेत्रफल 202.84 लाख हेक्टेयर है । इसको सिंचित बनाने के लिए विगत 50 वर्षों से प्रयास हो रहे हैं । मंत्री जी तीसरी बार बजट प्रस्तुत कर रहे हैं लेकिन कुल मिलाकर सिंचित क्षेत्र का विस्तार आंकड़ों में भले ही हुआ हो लेकिन वास्तव में नए सिंचित क्षेत्र हम आगे नहीं बढ़ा सके हैं । हमारे यहां कुल सिंचित क्षेत्र 117.47 लाख हेक्टेयर है जो कुल बोए गए क्षेत्र का 65 प्रतिशत है । जिसमें अंक–8 सिंचित क्षेत्र और व्यक्तिगत सिंचित क्षेत्र दोनों शामिल हैं । इन पचास, बावन वर्षों में हमने 3.94 गुना सिंचित क्षेत्र में वृद्धि की है । इन वर्षों में यह वृद्धि बहुत कम है और धीमी गति से हुई है ।

जिस तरह से हमारे प्रदेश की आबादी बढ़ रही है खाद्यान्न पर निर्भरता बढ़ रही है । उत्तर प्रदेश की इकोनामी कृषि पर अधिक है, कृषि हमारी मुख्य उपज है उस कृषि को हम पानी नहीं दे सकेंगे तो किसान की स्थिति क्या होगी और उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति क्या होगी । मंत्री जी ने केवल आंकड़ों के शब्द जाल में पूरे प्रदेश की जनता को संदेश दिया है । केवल अखबार में छप जाने के लिए ही अपनी बात रखी है । आपने वायदा किया था कि हर हाथ को काम और हर खेत को पानी इसके लिए काम करने का आपको अवसर भी मिला आप इतने दिनों से मंत्री हैं लेकिन आपने उस वायदे को पूरा नहीं किया । यही स्थिति से काम किया तो अगले 20 वर्षों में भी आप प्रदेश की सिंचन क्षमता में हर खेत को पानी पहुंचाने में समर्थ नहीं हो सकेंगे । आपने सिल्ट की सफाई की बात कही । 90 प्रतिशत से अधिक नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने की बात की पिछले वर्षों के बजट भाषण को आप यदि पढ़े तो हर बार 90 से 98 प्रतिशत टेल तक पानी पहुंचाने की बात कही जाती रही है । पिछले वर्ष भी आपने यही आंकड़ा दिया था । क्या देश की जनता केवल आपके भाषण से ही संतुष्ट होगी । जो छोटे किसान हैं जिनके पास एक बीघा दो बीघा जमीन है और वह एक फसल ही कर पाते हैं उनके बारे में आपने कोई चिन्ता नहीं की है । आप आंकड़ों से हमें संतुष्ट करने का काम कर सकते हैं लेकिन हकीकत में सूखे हुए खेतों तक पानी पहुंचाने का काम करें । नहरों की लम्बाई 30,900 कि०मी० है और 18,986 कि०मी० नहरों की सिल्ट सफाई की बात आप कहते हैं और 90 परसेन्ट टेल तक पानी पहुंचाने की बात आप करते हैं । क्या यह सच्चाई है ? कितने नहरों में एक गांव से दूसरे गांव में बाहुबली पानी जाने देते हैं । मैं ऐसे कई गांवों के नाम बता सकता हूं जहां 5–10 साल से पानी की एक बूंद तक नहीं पहुंची है । मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं बल्कि प्रदेश के दर्द को बता रहा हूं । इसका आप परीक्षण करवा

लें कि क्या हकीकत में 90 परसेन्ट नहरों के टेल तक पानी पहुंच गया है । आपने कहा कि ब्रेकवार तक खुदाई की गई । क्या यह सच है । केवल कुछ नहरों की घास छील दी जाती है और लम्बे अर्से से जो आपके ठेकेदार बने हुए हैं, जिनके साथ विभाग की सांठ-गांठ है, बिना सफाई किये हीं करोड़ों रुपये सफाई के नाम पर और सिल्ट सफाई के नाम पर खा लिया जाता है और जब उन नहरों में पानी जाता है तो कह दिया जाता है कि फिर से सिल्ट आ गई, जिसका आप फिर परीक्षण भी नहीं कर सकते हैं । इसलिए आप इस हेतु एक कोई फूल-प्रूफ योजनायें बनायें ताकि सफाई के नाम पर धनादोहन न हो सके । इससे जनता का हित होगा ।

(इस समय 7 बजकर 20 मिनट पर अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग पीठासीन हुए)

मान्यवर, जहां तक जल उपलब्धता का सवाल है वह 78 एम०एफ० है और हम उसका मात्र 36 एम०एफ० ही उपयोग कर पा रहे हैं और बरसात के पानी का भी हम केवल 50 प्रतिशत ही उपयोग कर पा रहे हैं । आज अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पानी की कठिनाई महसूस की जा रही है और मीठे पानी की निरन्तर कमी हो रही है, यदि सही ढंग से इसका उपयोग नहीं किया गया तो सिंचाई व फसल तो प्रभावित हो ही रही है, मानव जीवन के लिये भी सबसे घातक होगा । इसलिये 50 प्रतिशत जो हम पानी खो रहे है, उसका हमें उपयोग करना चाहिये । हमें 70–75 प्रतिशत इसका उपयोग करना चाहिये ताकि इस समस्या का बड़े पैमाने पर निराकरण हो सके ।

मान्यवर, हमने कई योजनाओं के लिये 516 करोड़ रुपए का ऋण लिया । आई०आर०डी०पी० से 150 करोड़ का आई०डी०ए० से 153 करोड़ का और केन्द्र से 153 करोड़ का तथा इसी प्रकार वर्ल्ड बैंक से हमने लोन लिया परन्तु आज तक वे योजनायें पूर्ण नहीं हुई । 29 बड़ी परियोजनायें हैं, जो काफी समय से लम्बित हैं इसलिए इन परियोजनाओं को पूरा कराया जाय । क्योंकि मान्यवर, जल संसाधन हमारे औद्योगिक विकास का मेरुदण्ड हैं । यदि इन योजनाओं को चालू कर दिया जायेगा तो हमारे प्रदेश में इतनी बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न हो सकेगी जिससे हम ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर तो हो ही जायेंगे और हमारे यहां औद्योगिक विकास भी होगा और हम ऊर्जा को निर्यात भी कर सकेंगे और जो हमारी कृषि योग्य जमीन है, उसे हम 1–2 बार पानी सिंचाई हेतु दे सकेंगे ।

[समय 7 बजकर 25 मिनट]

लहचूरा शीर्ष परियोजना की लागत 8.53 करोड़ थी, जो अब बढ़कर 60 करोड़ हो गई है । 96–97 में 2.86 करोड़ रुपये इस पर खर्च हो चुके हैं और अबकी इस वर्ष शून्य करोड़ रुपये है । कब यह योजना पूरी हो सकेगी । इसी तरह से टिहरी बान्ध परियोजना है, यह बड़ी परियोजना है काफी महत्वाकांक्षी परियोजना है लेकिन इस परियोजना को भी पूरा करने के लिये आपके पास इच्छा शक्ति आपके पास नहीं है । आज आपके पास ऐसी कोई कठिनाई नहीं है भारत देश में आपकी सरकार है और हमारे प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश के हैं । सरकार भारत सरकार से इस स्तर पर वार्ता करे और केन्द्र से संसाधनों के लिये प्रयास करें । इस टिहरी परियोजना के पूरा होने से पूरे उत्तर प्रदेश को अभूतपूर्व कल्याण होगा । इस दिशा में भी आपने कोई काम नहीं किया है यह टिहरी हाइड्रो डेवलेपमेंट के पास है ।

इस वर्ष इसके लिये मात्र 40 करोड़ रुपया अनुमानित है और गत वर्ष 20 करोड़ रुपया इस पर परिव्यय किया गया । इस योजना की लागत 4000 करोड़ रुपये से अधिक है 20 करोड़ रुपये के अनुदान से कितने वर्ष में यह पूरी हो पायेगी । 20 करोड़ रुपया तो वहां के चौकीदार और दैनिक कर्मचारियों पर ही खर्च हो गया होगा । विकास के नाम पर आप इतने पैसे से एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते हैं । इसी तरह से लखवार व्यासी परियोजना भी बहुउद्देशीय है देहरादून में यमुना नदी में कालसी

के निकट लखवार गांव के पास 204 मीटर कान्क्रीट का बान्ध बनाकर 300 मेगावाट जल विद्युत पैदा होगी इसकी लागत 1440 करोड़ रुपये है । 97–98 में 7 करोड़ रुपया 98-99 में 7 करोड़ रुपया दिया गया और 99–2000 में 17.94 करोड़ रुपये दिया गया है और लक्ष्य रखा गया कि 2003–2004 तक इसको पूरा कर लिया जायेगा । यह 17.94 करोड़ रुपये जो इस परियोजना के लिये बजट रखा गया है इस वर्ष इससे इस योजना में एक कंकड़ भी नहीं लगने वाला है । इतना रुपया तो कर्मचारियों, अधिकारियों की गाड़ियों के पेट्रोल और उसके रख रखाव, मजदूरों और चौकीदार पर ही व्यय हो जायेगा । आपका इस योजना को पूरा करने का सपना कैसे पूरा होगा कि नवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक यह परियोजना पूरी हो सके ।

किसाऊ बांध परियोजना है यह बहुउद्देशीय परियोजना है इस पर 236 मीटर ऊंचा बान्ध बनेगा और 600 मेगावाट जल विद्युत प्राप्त होगी । यमुना नदी, टोंस नदी पर सभरखेड़ा पर 1.015 एम०एफ० पानी उपलब्ध होगा 88 में योजना पर 1053 करोड़ का व्यय अनुमानित था जिसमें विद्युत का अंश 678.46 करोड़ और सिंचाई अंश 374.54 करोड़ । 97 में इसकी लागत बढ़कर 3455.11 करोड़ हो गई. सिंचाई का 863.80 करोड़ हो गया । यह योजना भी अधूरी है आपमें कोई इच्छा शक्ति नहीं दिखाई पड़ रही है कि कैसे यह योजना नवीं पंचवर्षीय योजना में पूरी हो जायेगी ।

शारदा नहर प्रणाली के अन्तर्गत जल आपूर्ति सहायक योजना है 97–98 में यह योजना 72.68 करोड़ और 98–99 में 68 करोड़ रुपये परिव्यय किया गया । 99–2000 के लिये 52.76 करोड़ रुपया अनुमानित है । आज भी यह योजना अधूरी पड़ी हैं । राजघाट परियोजना है बेतवा नदी पर जिससे कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों को लाभ मिलना था । दोनों सरकारों के बीच तालमेल नहीं हो पाया । जो प्राथमिकता होनी चाहिए थी वह प्रशासकीय स्तर पर नहीं हो सकी । बाण सागर परियोजना सोन नदी पर बननी थी जिससे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार तीनों को लाभ होता । इसी तरह से सोन नदी के पानी के बंटवारे का अनुबन्ध हुआ उत्तर प्रदेश में डेढ़ लाख क्षेत्रफल सिंचित होता लेकिन अभी तक इसका कार्य पूरा नहीं हुआ उत्तर प्रदेश द्वारा मध्य प्रदेश को 163229 करोड़ रुपये दिये जा चुके हैं लेकिन अभी तक कोआरडिनेशन न होने के कारण कार्य नहीं हो सका है । इसी तरह से सरयू नहर परियोजना से बहराइच, बस्ती, श्रावस्ती, संतकबीरनगर, गोरखपुर जनपद घाघरा सरयू नदी से 9 हजार 5 किलोमीटर सिंचाई का लक्ष्य है । 14 हजार हेक्टेयर सिंचन होना है 222 करोड़ की प्रारम्भ में योजना थी । 1998-99 में 2810 करोड़ खर्चा होना था जिसमें 608 करोड़ व्यय हुआ है तो यह परियोजनायें कब तक पूरी होंगी । इसी तरह से मध्य गंगा परियोजना है वर्षा काल में पानी की पर्याप्त उपलब्धता थी इसमें बताया 1.78 लाख क्षेत्रफल की सिंचन, बढ़ाया । परियोजना की प्रारम्भिक लागत 96 करोड़ थी । परियोजना की कुल लागत 448.19 करोड़ है इसमें 488 करोड़ रुपया व्यय हो चुका है । यह स्थिति योजनाओं की है जिसको बजट भाषण में पढ़ा । मैं यह कहना चाहूंगा कि आप परियोजनाओं को समयबद्ध करें बहुत सारी योजनायें चलाने से हित होने वाला नहीं हैं । आप एक भी योजना का क्रियान्वयन करने में कामयाब नहीं हो पाएगें । आप समयबद्ध परियोजनायें बनाएं । आप इतना धन दे रहे हैं उसका सदुपयोग नही हो पा रहा है आपके पास सीमित संसाधन हैं इसलिए निवेदन है आप समयबद्ध कार्यक्रम तय करें । किसी योजना को पूरा करना है तो जितने संसाधन हैं उतनी योजनायें तैयार करें और उनको लागू करें ताकि प्रदेश की सिंचन क्षमता बढ़ सके और प्रदेश की जनता को लाभ मिल सके । पिछले दिनों नलकूप के संबंध में प्रश्न आया था तो माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया था कि ग्राम पंचायतों को इन्हें सौंपने जा रहे हैं ।

मान्यवर, 32.151 नलकूप हैं उनकी स्थिति यह है कि सारे संसाधन के बाद यह हुआ है कि प्रमुख अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता सहायक अभियन्ता तकनीकी अधिकारियों की लम्बी फौज है और इसके बाद ट्यूबवेलों का संचालन ठीक तरह नहीं हो रहा है । जो बजट साहित्य

मिला है जो राजकीय नलकूप हैं इससे सिंचित जो क्षेत्रफल है 1997-98 में कुल सिंचित क्षेत्रफल 9.61 लाख हेक्टेयर है । कुल चलित घन्टे जो हैं वह 307.47 लाख घंटे हैं प्रतिकूप सिंचित क्षेत्र 33.53 हेक्टेयर है प्रतिकूप चलित घंटे 1073 हैं । मान्यवर, अब आप 1998-99 का देखे कुल सिंचित क्षेत्रफल 6.78 लाख हेक्टेयर है और कुल चलित घंटे 205.79 लाख घंटे हैं प्रतिकूप सिंचित क्षेत्र 23.38 हेक्टेयर है प्रतिकूप चलित घंटे 710 हैं । मान्यवर, जो ट्यूबवेल की संख्या थी वह 29 हजार थी जो 32 हजार हो गई लेकिन जो सिंचित क्षेत्रफल था वह 33 से 23 रह गया । इनके राजकीय नलकूप 710 घंटे चले दो घंटे से कम एक वर्ष में चले हैं तो कैसे घाटा में नहीं चलेंगे प्राइवेट से सिंचाई कराते हैं तो उनसे पैसा लिया जाता है दो घण्टे के बजाए आपके ट्यूबवेल पौने दो घंटे चल रहे हैं पौने दो घंटे चला है पूरे वर्ष भर में । तो यह घाटे में नहीं जायेंगे तो क्या होगा । उसके ऊपर से यह बेचने का काम करेंगे पंचायतों के बहाने । कोई माफिया तैयार होगा और इसकी नीलामी होगी ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया संक्षेप करें ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, यह 32 हजार ट्यूबवेल अरबों रुपये की लागत से बनाये गये थे तो मैं यह चाहूंगा कि इन ट्यूबवेल को चलाने के लिए जिस प्रतिबद्धता से यह बनाये गये थे, विश्व बैंक की सहायता से और नाबार्ड से ऋण लेकर तो यह मंशा थी कि जहां नहरों पर पानी नहीं पहुंच पाता है गरीब किसानों को पानी नहीं मिल पाता है उन्हें पानी देने का काम करेंगे । मान्यवर, एक ट्यूबवेल पर 15 से 20 लाख रुपया का खर्च आता है लेकिन आज उससे एक किलोमीटर लम्बी नाली तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है । इन ट्यूबवेलों की बिजली खराब हो जाती है लेकिन कोई ठीक करने नहीं आता है । वहां पर ट्यूबवेल चालक सिर्फ तनख्वाह लेने का काम कर रहे हैं, कोई उसकी मेन्टीनेंस नहीं है । आपने 7 हजार से बढ़ाकर 12 हजार कर दिया लेकिन जो 12 हजार खर्च कर रहे हैं उसका व्यय हो रहा है या नहीं यह जनता के मन में जिज्ञासा है । 98-99 में मात्र पौने दो घंटा यह चला है । आप इतना बड़ा निर्णय जल्दबाजी में न लें । तमाम मैदानी इलाकों में सिंचाई के साधन जहां पर नहीं हैं वहां पर यह ट्यूबवेल लगाये गये थे । तो जो उनकी मेन्टीनेन्स है उसको करायें । उसकी बिजली को ठीक करायें, नाली को ठीक करायें । आप उन्हें आज पंचायतों को सौंपने का काम कर रहे हैं तो यह उचित नहीं है ।

मान्यवर, खाली भाषण देने से काम चलने वाला नहीं है । यह विधान सभा है और विधान सभा के अन्दर हम जो बातें करते हैं उसे करना चाहिये । यह अपेक्षा की जाती है कि जो बजट भाषण हो उसके अन्दर सत्यता हो । तो सच बोलिये । डा० राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था लोकतंत्र में लोक सभा और लोक सभा में चर्चा और चर्चा में सच्चाई और सच्चाई में लोकतंत्र है । जो विधान सभा में बातें हो वह आश्वासन हो, सच्चाई हो । जो माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है उसको पूरा करें । मान्यवर, तीसरी विभीषिका ने वह बाढ़ विभीषिका है । मान्यवर, पिछले वर्ष शताब्दी की सबसे भयंकर बाढ़ आयी थी, अरबों रु० की क्षति हुई थी । इस बाढ़ को कैसे रोका जाय, कैसे नेशनल ग्रिड बनाया जाय कैसे इन नदियों का उपयोग किया जाय, बरसात के पानी को कैसे इकट्ठा करके उपयोग किया जाय इस पर आपका प्रयास होना चाहिए । आपने बताया कि 73.36 लाख हे० बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है इसमें 58.72 लाख हे० क्षेत्र विभिन्न बाढ़ कार्यक्रमों से सुरक्षित किया जा सकता है । 7वीं पंचवर्षीय योजना में 300.36 करोड़ रु० बाढ़ नियंत्रण पर खर्चा आया 14.87 लाख हे० क्षेत्र सुरक्षित करने का कार्य किया गया, 8वीं योजना में जो 92 से 97 तक चली 389.39 करोड़ रु० राज्य प्लान से और 7.18 करोड़ नाबार्ड से खर्च करके 15.40 लाख हे० क्षेत्रफल को सुरक्षित करने का कार्य किया गया 98-99 में सरकार को जो मैचिंग ग्रान्ट देनी थी जो स्वीकृत अनुदान था नहीं दिया जा सका । 9वीं योजना में

कार्यकारी दल ने 600 करोड़ रु० का प्रविधान किया राज्य सरकार ने उसे काट कर 80 करोड़ रु० मात्र कर दिया है अब इस 80 करोड़ से 0.18 लाख हे० क्षेत्र सुरक्षित करने का काम होगा । मान्यवर, जहां पिछली योजनाओं में क्रमशः 7.16 लाख हे० और 8.15 लाख हे० पर कार्य हुआ वहीं 0.18 लाख हे० पर कार्य योजना है इससे लगता है कि आप बाढ़ के प्रति कितने गम्भीर हैं । बाढ़ पर जो परिव्यय होना है उसमें कंजूसी न की जाये । इस बजट में उस परिव्यय को बढ़ाने का आप काम करें ।

मान्यवर, सिंचन क्षमता बढ़ाने के लिए जो परियोजनाएं बनी हैं उन पर जो धन का आवंटन है अब जैसे सिल्ट सफाई के लिए 100 करोड़ रु० का प्राविधान है तो उसमें अगर 80 प्रतिशत भी धन सही रूप में खर्च हो जाय तो कई साल तक नहरें साफ रहेंगी । जो एस०आर०बाई० योजना है, अब उसमें तमाम दबाव डालकर तमाम तरह से पैसा देने का काम किया जाता है, लेकिन कितना काम होता है सिल्ट सफाई का । यह चिन्ता का विषय है, कहीं तो इसे रोकिये । इसके बाद जल प्लावन की बड़ी समस्या है । इसको कैसे ठीक किया जाय इसमें रुचि दिखाने की आवश्यकता है 36 हजार कि०मी० नाले हैं, जल प्लावित क्षेत्र में 8.67 लाख हे० जमीन इससे जल प्लावित है, 98-99 में 20 करोड़ रु० नाले की सफाई के लिए दिया गया है । मान्यवर, जल प्लावन के लिए 712 करोड़ रुपये की योजना मंत्री जी ने बनाई है और उन्होंने कहा है कि यह योजना विश्व बैंक को भेज दी गयी है और वहां से ऋण प्राप्त हो जाने के बाद प्रदेश की जल प्लावन की समस्या का निराकरण किया जा सकेगा ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान ड्रेनेज समस्या की ओर आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि आपका आज तक ड्रीनेज का कोई मास्टर प्लान नहीं बनाया गया है इसलिए मेरा निवेदन है कि जिलेवार ड्रीनेज का मास्टर प्लान आप बनवायें चूंकि अभी तक यह कार्य सभी विभाग अलग-अलग तरह से कर रहे हैं जो कि ठीक नहीं हैं । ड्रीनेज का मास्टर प्लान न होने से जल निकासी की समस्या हल होने के बजाय जल भराव की समस्या पैदा हो रही है । इसलिए मेरा अनुरोध है कि सिंचाई विभाग की मूल योजना में आप मास्टर प्लान बनवायें और उसके अनुसार ड्रीनेज की व्यवस्था की जाय । ड्रीनेज की समुचित व्यवस्था होने से जल प्लावन की समस्या दूर होगी और खेत की पैदावार को हम बढ़ा सकेंगे ।

मान्यवर, आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि हमने बिन्दुवार जो बातें संक्षेप में कहीं हैं उनके सम्बन्ध में मंत्री जी अपने उत्तर भाषण में अवश्य प्रकाश डालेंगे । अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री जी ने जो चिन्ता व्यक्त किया है उसके सम्बन्ध में मैं दो पंक्तियां कहना चाहता हूं –

सारे शहर के दरख्त अपने हाथों से काट कर,

अजीब सख्श हैं जो शाया तलासते हैं ।

धन्यवाद ।

* श्री भरत सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्रस्तुत बजट पर मुझे आपने बोलने के लिए जो समय दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं ।

मान्यवर, अभी सिंचाई मंत्री जी ने जो सिंचाई विभाग का वर्ष 1999–2000 का बजट प्रस्तुत किया है उसमें मैं कहना चाहता हूं कि जब से हमारे मुख्य मंत्री, श्री कल्याण सिंह, के नेतृत्व में यह सरकार आयी है और माननीय सिंचाई मंत्री जी के नेतृत्व में जो उल्लेखनीय कार्य हुये हैं उसमें सिंचाई

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

विभाग में जो भ्रष्टाचार ने अपनी जड़े जमा लिया था उसकी जड़ों पर मंत्री जी ने जोरदार प्रहार किया है इसलिए मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि वर्षों से जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा था उसे नियंत्रित करने का काम मंत्री जी ने किया है ।

मान्यवर, अभी पिछले वर्षों में यहां कई सरकारें आयीं लेकिन नहरों की सफाई ठीक से नहीं हुई थी, और सफाई डायरेक्ट होती थी । श्री अशोक बाजपेयी जी अभी कह रहे थे तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जब से सिंचाई मंत्री, श्री ओम प्रकाश सिंह, के समय में नहरों की सफाई का काम जो शुरू हुआ है उसमें वास्तव में नहरों की सफाई का काम हुआ है । मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र में नहरें नहीं हैं लेकिन जिलों में नहरें है तो वहां हमने किसानों से बात किया है तो जानकारी मिली है कि वास्तव में नहरों की सफाई हुई है । आज तक सिंचाई विभाग में नहरों की सफाई केवल कागज पर हुआ करती थी । सिंचाई विभाग के अन्दर जो करोड़ों का टेन्डर हुआ करता था, जिसमें ठेकेदारी सिस्टम था, राइफलधारी, रिवाल्वर धारी लोग, माफिया लोग हर टेन्डर को हथिया लिया करते थे, कोई दूसरा सक्षम सही ठेकेदार टेन्डर नहीं डाल पाता था, उस व्यवस्था को अब दुरूस्त किया गया है । जो टेन्डर नीति अब बनी है, उसमें माफिया राज को नियंत्रित किया गया है, अब टेन्डर 3–3 जगह डाला जा रहा है, जहां काम हो रहा है, वहां इसके अलावा जिला और कमिश्नरी में, इस प्रकार टेन्डर प्रणाली में काफी सुधार हुआ है ।

माननीय सिंचाई मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसमें काफी सिंचाई सुविधायें बढ़ाने का प्राविधान किया है, इसके अलावा पिछले साल जो वायदे किये थे, उसमें से काफी कुछ वायदे पूरे किये गये हैं, इसलिये हम इस बजट का समर्थन करते हैं और माननीय सिंचाई मंत्री और इस सरकार का ध्यान अपने क्षेत्र की 2–3 समस्याओं की तरफ आकृष्ट करना चाहते हैं । हमारे इलाके में गंगा नदी के किनारे पैरिया संसार टोला बांध झुआ के पास गंगा नदी के कटान से खतरे में है । मैं आशा करता हूं कि जो नीचे से प्लान स्वीकृत होकर आया है, साढ़े 4 करोड़ का, निश्चित रूप से सरकार इस वर्ष उसका पैसा रिलीज करेगी ताकि वह पक्की ठोकर बन जाय और जन-धन की हानि रोकी जा सके ।

मान्यवर, नलकूप के बारे में भी कुछ सुझाव देना चाहता हूं । इसमें कोई दो राय नहीं है कि नलकूपों की स्थिति दयनीय हो गई है, लगभग आधे से अधिक नलकूप सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, सारी व्यवस्था और तामझाम के बावजूद । इसलिये सिंचाई मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि इन नलकूपों को ग्राम पंचायतों को न दिया जाय बल्कि जो वर्तमान व्यवस्था है, उसी में सुधार किया जाय अन्यथा जो भी सिंचाई अभी हो पा रही है, वह खत्म हो जायेगी, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, जय हिन्द, जय भारत ।

श्री सौलत अली एडवोकेट–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे डा० अशोक बाजपेयी जी द्वारा रखे कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया । मैं माननीय बाजपेयी के प्रस्ताव पर बल देते हुये अपनी बात कहना चाहूंगा । यह सरकार जो आंकड़ों की सरकार कही जाती है, उसके परिप्रेक्ष्य मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कुछ आंकड़े रखे, वैसे तो इन आंकड़ों की सच्चाई बाजपेयी जी ने स्पष्ट कर दी है । उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 294.36 लाख हेक्टेयर है, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया । इसमें 73.36 लाख बाढ़ प्रभावित है, इसमें से 58.72 लाख हेक्टेयर को आप सुरक्षा दे सकते हैं लेकिन अभी तक [illegible] लाख हेक्टेयर को दे पाये हैं । [illegible] करोड़ रुपया इस पर इसके लिये मांगा है । [illegible] जो 1800 लाख का परिव्यय था, जिसमें से 300 लाख रुपया आई०आर०डी०एफ० [illegible] लिये था । आपकी संवेदनशीलता इस बात से प्रकट होती है कि इस वर्ष आपने भीषण [illegible] लिए 1800 लाख रुपये का परिव्यय वर्ष 1998-99 में

दिखाया गया है, जिसमें से 300 लाख आई०आर०डी०एफ० की योजनाओं में लग जायेगा और वर्ष 1999–2000 में केवल 1080 लाख रुपये का परिव्यय दिखाया है, जिसमें से 600 लाख रुपये आई०आर०डी०एफ० की योजनाओं में लग जायेगा और केवल 400 लाख रुपया बच पायेगा, तो इससे आप बाढ़ पर नियंत्रण कैसे कर पायेंगे ।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में पांच गांव, हटयपुर, सैफपुर, सिकन्दरपुर, खरगपुर बाजे, देवापुर हैं, जो बाढ़ से कट गये हैं । 1998 में तत्कालीन सिंचाई मंत्री श्री जयपाल सिंह ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया था, कमिश्नर ने दौरा किया और जिलाधिकारी ने भी दौरा किया था । शिक्षा मंत्री भी वहां पर गये थे और आश्वासन दिया था कि बरसात के पहले ही कुछ न कुछ कार्यवाही शुरू कर दी जायेगी, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है । सरकार उन गांवों को बचाने के लिये कोई चिन्ता नहीं कर रही है । मान्यवर, इसके लिये 5.55 लाख की योजना बनी थी वह टी०ए०सी० को भेज दी गयी टी०ए०सी० ने उसे रुड़की माडल स्टडी के लिए भेज दिया उन्होंने 10 लाख रुपये का खर्च माडल स्टडी का बताया ।

मान्यवर, 5.55 लाख सरकार देने के लिए तैयार नहीं है । मान्यवर, आपको इस बजट में कुछ छोटी-छोटी योजनाओं को बनाना चाहिए जिससे 10-20 गांवों को जीवनदान मिल सकता लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया है । मेरा आपसे निवेदन है कि इसको आप टी०ए०सी० में रखकर कार्यान्वित करायें । मान्यवर, मेरे गांव में एक सैफपुर दुल्ला गांव है जिसमें 1978 में बाढ़ आयी थी उसके मात्र 70 परिवार अब तक बसाये जा सके हैं और लगभग 100 परिवार शेष हैं । आप 1978 की बाढ़ में कटे हुये गांवों को अब तक नहीं बसा पाये हैं और अगली बरसात आने वाली है, केवल 3 महीने रह गये हैं । मान्यवर, मेरा क्षेत्र पांच नदियों से घिरा हुआ है, रामगंगा, कोसी, ढेला, गांगन, बहल्ला ये पांचों नदियां पहाड़ों से आती हैं और मेरे क्षेत्र से 52 गांव बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं बाढ़ से सैकड़ों जानवर और फसलें नष्ट हो जाती हैं । आप अपने रिकार्ड को देख लें गत दस वर्षों में कितनी-कितनी हानि बाढ़ से हुयी है उसका आप आंकलन अभी तक नहीं कर सके हैं आगे की योजना क्या बनायेंगे वीरपुर बरयार उर्फ खरग बाढ़ से घिर गया था वहां पर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) गये थे और उन्होंने आश्वासन दिया था एक लाख 18 हजार सुबह तक पहुंच जायेगा लेकिन वहां पर 18 पैसे की भी राहत नहीं दी गयी है । मान्यवर, लालाटीकर न्याय पंचायत में 14 गांव हैं ये गांव एक तरफ तीन नदियों से घिरा है और एक तरफ बरसात के पानी से घिर जाता है और यहां के निवासियों को बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है ।

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि लालाटीकर न्याय पंचायत क्षेत्र में छोटा पुल ही बना दिया जाये और एक सम्पर्क मार्ग बनवा दिया जाये । यही काफी होगा वहां के 14 गांव को जीवनदान मिल जायेगा आपने अम्बेडकर गांव चतुरपुर नकराखेड़ा के 95-96 में घोषित किया है उसको भी सम्पर्क मार्ग अभी तक नहीं दिया जा सका है । इसके अलावा ट्यूबवेल की बात कहना चाहता हूं । आप ग्राम पंचायतों को ट्यूबवेल देने जा रहे हैं । उत्तर प्रदेश में लगभग 30 हजार ट्यूबवेल है इनकी सिंचन क्षमता आपने 97-98 में जो दिखायी है उसी अनुपात में 1998 में जो क्षमता दिखायी है उसमें कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है । इसकी वजह यह है कि ट्यूबवेल पर जो अधिष्ठापन भार आपका है वह 244.87 करोड़ का है और सालाना मरम्मत का 21.68 करोड़ और विद्युत ऊर्जीकरण पर 130.18 करोड़ रुपया है ।

ब्याज एवं डेरीशियन पर 98.60 करोड़ रुपया है और अन्य व्यय 1.02 करोड़ है । आपके राजकीय नलकूपों पर इस प्रकार एक वर्ष में कुल 506.34 करोड़ रुपया खर्च आता है । खरीफ की सिंचाई दर 2.40 रु० में 10,000 गैलन पानी आपने दिया है इसी तरह रबी की फसल में 2.40 रुपये पर 5000

गैलन पानी कृषकों को 6 माह के उधार पर दिया जब कि निजी नलकूपों से 30 रुपये में 6 हजार गैलन कृषकों को पानी दिया है । इस प्रकार राजकीय नलकूपों से कृष्कों को सिंचाई में इस समय 12 से 20 गुना फायदा है । लेकिन अब जो नयी प्रणाली लागू करने जा रहे हैं उसमें 15 गुना ज्यादा आबपासी पर काश्तकार को देना पड़ेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री सौलत अली एडवोकेट–

मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं । नहरों की पटरियों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । आपने नहरों की पटरी योजना के बारे में अच्छी योजना बनाई है यह अच्छा काम किया है । इससे सस्ते में अच्छी सड़कें गांव को देने की बात की है लेकिन इसमें ईमानदारी भी बरतने की आवश्यकता है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछले 2 सालों में एक भी इन्च नहर की पटरी पक्की नहीं हुई है । मैं 2 बार प्रस्ताव आपको भेज चुका हूं लेकिन अभी तक कोई काम वहां पर नहीं हुआ । इसके साथ ही मैं कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री मोहम्मद मुकीम–

माननीय अधिष्ठाता महोदय आपने मुझे कटौती पर बोलने का अवसर दिया । मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं ।

श्री भरत सिंह–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मैं जब बोल रहा था उस समय आपने पांच मिनट के पहले ही बत्ती जला दी थी तो उसी नियम का पालन दूसरों के साथ भी होना चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता–

आपकी बात सही है ।

श्री मोहम्मद मुकीम–

मान्यवर, मा० सिंचाई मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है मैं उस पर रखे कटौती प्रस्ताव पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि मेरा जिला सिद्धार्थनगर बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित था वहां जो बन्धे थे वह पूरी तरह टूट गये उसमें एक छगड़वा मुहचुरवा और दूसरा मदरहवा, अदोजवा बांध टूटे पड़े हैं उनकी मरम्मत का काम नहीं हुआ है । उक्त बन्धे पर रेगुलेटर उनके निर्माण का कार्य अभी प्रारम्भ नहीं किया गया है । जिसके कारण जल भराव होता है और हजारों बीघे जमीन पर बुआई समय पर नहीं हो पाती है । मैंने सिंचाई मंत्री जी को कई बार लिखकर दिया । मेरे यहां छगरिया मुहचूरवा बांध है वहां पर बडवीछगड़िहवा में और जो मदाहवा असोगवां बांध है उसमें मधवापुर एक बरमपुर पर एक रेगुलेटर बनाया जाये और पानी की निकासी हो सके और वहां की जनता अपने खेतों की बुआई कर सके । लेकिन मेरे क्षेत्र में रेगुलेटर न बनने के कारण किसानों की फसल बुआई प्रभावित होती है । हमारे जिले के मंत्री जी है मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वहां पर 70 प्रतिशत ट्यूबवेल खराब पड़े हैं । मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री महोदय को यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि वर्ष 1991 से लेकर वर्ष 1999 तक कितने ही ट्यूबवेल के तार बदले गये वहां के अधिशासी अभियन्ता द्वारा बदले गये हैं । लेकिन एक भी पुराना तार उनके स्टाक में मौजूद नहीं है । वहां तारों का पूरी तरह से गबन किया गया है । मान्यवर, मेरा क्षेत्र जो सिंचाई के मामले में

बहुत पीछे है, मैंने अपने क्षेत्र करही मटहना के लिए ट्यूबवेल की मांग की थी परन्तु मेरी मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया । माननीय सिंचाई मंत्री जी जब अपना उत्तर भाषण दें तो मैंने जो दो-चार बिन्दु अपने क्षेत्र के बारे में रखे हैं उन पर अपना प्रकाश डाले ।

श्री कैलाश सिंह राजपूत–

मान्यवर, मैं आपका बड़ा ही आभारी हूं कि आपने माननीय सिंचाई मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट में बोलने का मौका दिया । मान्यवर, इस वर्ष नहरों की सफाई की गई । 10,000 किलोमीटर तक की नहरों में टेल तक पानी पहुंचाया गया । 24000 हेक्टेयर क्षेत्रफल की सिंचाई की गई । एक हजार किलोमीटर तक की नहरों की पटरी पक्की करने का कार्य पूरा किया गया । ठेकेदार व माफिया राज जो था उसे पूरी तरह समाप्त किया गया और पारदर्शी व्यवस्था लागू की गई । 1000 किलोमीटर ड्रेनों की सफाई की गई । माननीय मंत्री द्वारा किये गये कार्य की मैं सराहना करता हूं सफाई की योजना सराहनीय है । कुलाबा समिति के गठन की योजना सराहनीय है मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूं । मान्यवर, कुलाबा समिति की व्यवस्था से किसान अपने पानी का स्वयं बटवारा कर सकेंगे ।

मान्यवर, उमरदा विधान सभा क्षेत्र, में अपने जिले कन्नौज के संबंध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं । इस वर्ष लगभग एक करोड़ रुपये की लागत से हमारे क्षेत्र में नालों और बम्बों की सफाई की गई । मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं । इससे पूर्व भी सरकारें थीं परन्तु बिलों का पता ही नहीं लगता था कि कब नहर की सफाई हो गई और जैसे की तैसे ही हमारी सफाई व्यवस्था रह जाती थी, जल भराव की समस्या बनी ही रहती थी । माननीय मंत्री जी हमारे विधान सभा क्षेत्र में आये थे और वास्तव में आजाद भारत में लोगों ने महसूस किया कि आजादी क्या है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय मुख्य मंत्री, सिंचाई मंत्री के माध्यम से जो कार्य हुआ है वह इससे पूर्व किसी सरकार में नहीं हुआ था ।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं हमारे यहां नहर की पटरियां बहुत कमजोर हैं । सदन के सम्मानित सदस्य जानते हैं कि नहर की पटरियां कमजोर होने से नहरें टूट जाती हैं और फसलें बरबाद होती हैं । मेरे विधान सभा क्षेत्र उमरदा में फसलें जब पककर तैयार थीं तो नहर के कट जाने से करोड़ों रुपयों की फसल बरबाद हो गयी और जनता के लिये खाना और जानवरों के लिये चारे की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई । नहर दो बार कटी है जिससे किसानों की फसलें चौपट हुयी हैं । किसानों की सहायता के बजाय उन पर लगान लगा दिया गया जिससे उनके सामने रोजी-रोटी की समस्या पैदा हो गयी । यही नहीं मान्यवर, उन पर दोबारा तावान लगाने की कार्यवाही की गयी और उनसे धन वसूल किया जा रहा है ।

मान्यवर, मैं एक व्यवहारिक कठिनाई की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं कि नहर विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों की गलती से नहर कटी और किसानों की फसलें नष्ट हुयीं लेकिन इसका दण्ड किसानों को क्यों दिया जा रहा है । माननीय मंत्री जी हमारे क्षेत्र में गये थे उन्होंने भी इसका अनुभव किया था । मान्यवर, हमारे यहां पांडु नदी है जिसमें ड्रेन आदि का पानी बरसात में जाता है जिसकी वजह से नदी में सिल्ट जमा हो जाती है और बरसात में भयंकर जल भराव हो जाता है । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उसका सर्वे कराकर उसकी सिल्ट हटाकर गहरा करा दें तो बरसात का पानी जो ड्रेनों से उस नदी में आता है वह निकल सके । माननीय मंत्री जी ने सम्मानित विधान सभा के सदस्यों का कार्यों का भौतिक सत्यापन करने के लिये जो परिपत्र जारी किया है उससे कार्यों की गुणवत्ता में सुधार होगा ।

मान्यवर, इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां खड़िनी से हसेरन तक और बारापार से कानपुर देहात तक की नहर की पटरी को पक्का कराने की कृपा करें ताकि आवागमन में आसानी हो । माननीय मंत्री जी ने जो एतिहासिक बजट प्रस्तुत किया गया उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया । मा० मंत्री जी ने सिंचाई विभाग का बजट प्रस्तुत किया मैं समझता हूं कि सभी लोगों के लिये सभी माननीय सदस्यों के लिये एक रुचि का विषय है क्योंकि हमारा देश और प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और इसके क्षेत्र में जो भी तरक्की हुई है उसमें यह मानकर चला जाता है कि जल संसाधनों का सही दोहन और जल उपलब्धता से ही कृषि सम्भव हो सकेगी । लेकिन आज सिंचाई क्षेत्र में जितनी परियोजनायें लम्बित है या विचाराधीन है उनके मामले में यदि सरकार का दृष्टिकोण साफ नहीं रहा और जो उनके कार्यान्वयन की रफ्तार है वही कायम रही तो उनका क्रम टूट जायेगा । सदन में बार-बार यह चर्चा होती है सम्मानित सदस्य अपने-अपने क्षेत्र की जनता की जो समस्यायें हैं उससे सरकार को वाफिक कराते रहते हैं ।

(इस समय 8 बजकर 14 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बालचन्द्र मिश्र पीठासीन हुये ।)

श्रीमान्, आज की तारीख में यदि देखा जाये तो वास्तव में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधीन ऐसा लग रहा है जैसे एक अघोषित प्रतिबन्ध सभी तरह की परियोजनाओं पर लग चुका है और यह तय कर दिया गया है कि सिंचाई विभाग को [illegible] में किसी भी परियोजना पर काम नहीं करना है । मेरी समझ में नहीं आता कि जब कभी भी किसी महत्वाकांक्षी परियोजना को चलाने की बात करते हैं तो मैं बहुत जिम्मेदारी पूर्वक आरोप लगा रहा हूं कि हमें यह लगता है कि कहीं-कहीं विदेशी ताकतें इसके लिये जोर लगाती हैं, दबाव डालती हैं कि जो वृहद परियोजनायें हैं, जैसे टिहरी परियोजना है, इसको रोकने का कोई न कोई षड्यन्त्र रचा जाता है मैं बार-बार इस सम्मानित सदन के अन्दर इस पीड़ा को उद्वेलित होकर कहता चला आया हूं कि आज जब प्रदेश के अन्दर बिजली की त्राहि-त्राहि मच रही है, पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर बिजली आपूर्ति को लिये संकट है, इस स्थिति में भी हमारे दृष्टिकोण में कोई बदलाव नहीं आया ।

हम बार-बार कहते हैं कि शार्टकट ढूंढने की कोशिश की जा रही है लेकिन यह जानने की कोशिश नहीं कर सके हैं कि हमारा प्रदेश और देश किस दौर से गुजर रहा है । जब ऊर्जा का समाधान ढूंढने की बात होती है तो थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगाने की बात करते हैं उससे जो बिजली पैदा करते हैं उसकी कास्ट ढाई तीन-रुपये प्रति यूनिट पड़ती है जबकि जो छोटे इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उसकी दर काफी कम है । माननीय नरेश अग्रवाल जी बोले तो जरूर आपत्ति करते लेकिन मान्यवर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक की कीमत आज भी 30–35 पैसे प्रति यूनिट से ज्यादा नहीं है । अभी डा० अशोक बाजपेयी जी ने कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया । मान्यवर देखा जाये तो ऐसा कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका इलाज न हो सिंचाई भी ऐसी कोई समस्या नहीं है । यदि देखा जाय तो तमाम तरीके से जलसंसाधन हैं, उनको इन्टीग्रेट करके नहीं चलेंगे तो समस्यायें दूर नहीं होंगी । कोई बांध परियोजना के निर्माण की बात करते हैं । किसी नदी [illegible] से निकलना है उन्हें सेन्ट्रल सिस्टम के द्वारा अपने ऐरीगेशन को बढ़ाने का काम करें इसके जरिये मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि माननीय अशोक बाजपेयी जी ने कहा कि एक छोटी सी परियोजना सिंचाई की थी, लखवाड़ व्यासी परियोजना, मामूली सी परियोजना थी । वह 4-5 वर्षों से चल रही है और इसमें अब तक जो पैसा परियोजना के क्रियान्वयन में लगता था, मेरी तो समझ में नहीं आता कि पेयजल के निर्माण के लिये दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, जोर डाल रहे हैं, ये सभी [illegible] पैसा देने को तैयार रहते हैं क्योंकि उनको पीने का पानी चाहिये । सिंचाई के लिये पानी चाहिये । वह [illegible] चाहते हैं लेकिन हमारे प्रदेश की सरकार कहीं पर इच्छा शक्ति प्रदर्शित नहीं करती, [illegible] चुका है । आप लखवाड़ व्यासी और मनेरी भाली परियोजना को पूरा करें ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें। 5 मिनट हो गया है।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, अधिष्ठाता महोदय ने इसी सीट पर बैठकर के 7 मिनट का समय दिया था, अगर बीच में टोकेंगे तो दिक्कत हो जाती है। माननीय मंत्री जी उठकर कहीं चले गये। जब उन्होंने अपना बजट भाषण प्रस्तुत किया तो मुझे इस बात को जानकर हैरानी हुई कि उन्होंने यह जानने की कोशिश नहीं की कि वस्तुस्थिति इस तरह की है कि उत्तरांचल राज्य के निर्माण के नाम पर जब कभी बात होती है तो झुनझुना पकड़वा देते हैं।

(व्यवधान)

यह कह दिया जाता है कि तुम्हारा राज्य अलग बन रहा है। वहीं काम करना।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें। 12-13 मिनट से आप बोल रहे हैं।

श्री मुन्ना चौहान–

मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आज मैदानी क्षेत्रों में ट्यूबवेल के रख-रखाव पर जो 12,000 रुपये का मानक है वहीं भाबर और तराई क्षेत्रों में रख-रखाव का मानक है।

(व्यवधान)

जबकि मैदानी क्षेत्रों में 70 से 100 फीट पर पानी मिलता है जबकि भावर क्षेत्र में 500 से लेकर 700 फीट तक पानी मिलता है लेकिन मानक एक ही है। मैदानी क्षेत्र में 10 से 15 हार्स पावर मोटर यूज किया जाता है जबकि भावर क्षेत्र में 75 से 100 हार्स पावर का मोटर यूज किया जाता है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री मुन्ना चौहान–

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता–

आप पीठ पर आक्षेप लगा रहे हैं। आप वरिष्ठ सदस्य हैं, विद्वान सदस्य हैं इसलिये आपको अपनी बात कहने का पर्याप्त समय दे दिया जाता है। अब जो मुन्ना चौहान कह रहे हैं, लिखा नहीं जायेगा।

श्री मुन्ना चौहान–

[× × ×]

[समय 8 बजकर 25 मिनट।

नोट–[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

* श्री बिन्दु लाल–

मान्यवर, सिंचाई विभाग के बजट पर आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। पिछले कई वर्षों से प्रदेश में अनियोजित तरीके से नियोजन होने के कारण प्रदेश का करोड़ों रुपया बरबाद हो गया और यह प्रदेश पिछड़ता चला गया। सिंचाई विभाग की कई ऐसी योजनायें हैं जिनकी घोषणा 1960 व 1967 में कर दी गई राजनीतिक दृष्टिकोण के कारण परन्तु वह आज तक पूरी नहीं हो पायी। हमारे ही यहां 4-5 योजनायें ऐसी हैं, जिनकी घोषणा बहुत पहले हो चुकी थी। सरयू कैनाल योजना, जिसे 1977 में घाघरा योजना के नाम से घोषित की गई, जिस पर करोड़ों रुपये खर्च किया गया और हजारों एकड़ भूमि की मिट्टी खोदकर फेंक दी गई परन्तु एक एकड़ जमीन को पानी तक नहीं मिला। इसी प्रकार चित्तौड़गढ़ योजना है, 1960 में पहले इसकी घोषणा हुई, फिर 1977 में दुबारा घोषणा हुई। शुरू में इसकी लागत एक करोड़ रुपये थी। अब माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसका लोकार्पण कर दिया है और आम आदमी को उससे लाभ मिलने लग गया है।

इस योजना पर 40 करोड़ रुपये लगे। इन्हीं कारणों की वजह से सिंचाई विभाग को काफी नुकसान हुआ। अतरौला लिफ्ट पम्प कैनाल का 1991 में माननीय मुख्य मंत्री जी ने दुबारा घोषणा की और अब उसका उन्होंने लोकार्पण कर दिया है और आम आदमी को उससे लाभ मिलने लग गया है। बाढ़ के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे यहां राप्ती और बूढ़ी राप्ती नदी है। नैपाल की सीमा से लगने के कारण सारी नदियां हमारे क्षेत्र से होकर जाती हैं। पिछली बार भी मैंने कलमाना बांध के बारे में कहा था। कई बार उसका सर्वे हुआ पता नहीं टी०ए०सी० उसमें क्यों आब्जेक्शन लगा देती हैं। उसमें मात्र 10–20 लाख रुपये खर्च होने हैं। जो बाढ़ राहत के नाम पर धन दिया जाता है यदि उसका थोड़ा सा हिस्सा इस पर खर्च कर दिया जाय तो हजारों एकड़ जमीन को बचाया जा सकता है। मझगुवा बांध का केवल फीडर खराब है। यदि इसके फीडर को ठीक कर दिया जाय तो हजारों एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकती है। केवलगढ़ बांध पर सन् 1960 से कार्य नहीं हो रहा है। यदि उस पर कार्य नहीं होना है तो लोगों की जमीन वापस कर दी जाय। उसका मुआवजा किसानों को आज तक नहीं मिला। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यदि उस जमीन का उपयोग उस परियोजना में नहीं हो रहा है किसी और परियोजना को वहां बनाने जा रहे हैं किसी और परियोजना में वह क्षेत्र आ रहा है तो मेरा अनुरोध है कि किसानों को जमीन वापस कर दी जाय ताकि वह खेती कर सकें, अनाज पैदा कर सकें। एक किसान के लिये इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी।

श्री अधिष्ठाता–

बिन्दु लाल जी अब आप समाप्त करें।

श्री बिन्दु लाल–

इसी तरह से जो बन्धे हैं, तुलसीपुर, बगेलखण्ड आदि चार पांच बंधे हैं इन पर तीन-चार सौ किलोमीटर नहर बनी है उसका ठीक से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। उसका लाभ ठीक से वहां की जनता को मिल सके। माननीय मंत्री जी ने, शासन ने योजनाबद्ध जो कार्य शुरू किया है राप्ती नदी है उस पर नहर का निर्माण हो रहा है पहले चरण में उसमें वो क्षेत्र लिया गया है जहां पर ट्यूबवेल हैं, पानी है मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि तुलसीपुर, सिसियापुर आदि ऐसे ब्लाक हैं जहां पानी की कमी है आप उन क्षेत्र को अगले चरण में अवश्य शामिल करें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता–

बिन्दु लाल जी अब आप समाप्त करें।

श्री बिन्दु लाल–

मान्यवर, इसके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि उन क्षेत्रों को जो असिंचित हैं अपनी योजना में लें ताकि योजना का लाभ उनको मिल सके। सिद्धार्थनगर में जो बान्ध बन रहा है उससे 20-25 गांव डूब जायेंगे मेरा अनुरोध है कि उसकी व्यवस्था .....

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

(श्री दद्दू प्रसाद का नाम पुकारे जाने पर)

एक मिनट, पहले मैं एक निवेदन कर दूं। सभी माननीय सदस्य अ सहयोग दे रहे हैं और सदन ठीक से चल रहा है। आप तय कर लें आप जितनी देर बैठना चाहें

(व्यवधान)

आप सबका अच्छी तरह से डिबेट हो जाय, आपके विचार आ जायं कोई ग्रह न हो। इतना निवेदन करता हूं कि 5-5 मिनट में स्वयं घड़ी देखकर बोलेंगे। मैं आपको टोकू नहीं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, हम बी०एस०पी० के सब लोगों को कुल 15 मिनट का समय दे दीजिये। हम इससे ज्यादा समय नहीं लेंगे।

श्री अधिष्ठाता–

मेरे पास जो सूची है उसके अनुसार ही मैं बुला रहा हूं

श्री दद्दू प्रसाद–

मान्यवर, अपका आभारी हूं कि आपने मुझे सिंचाई भाग के बजट पर डा० अशोक बाजपेयी द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। बुन्देलखण्ड में चित्रकूट में सिंचाई के साधनों का नितान्त अभाव है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारा जिला चित्रकूट में कई पम्प कैनाल चिल्ली राकसा सलौटा और पश्चिमी कताई, पम्प कैनाल काफी लम्बे अरसे से खराब हैं। टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है। नहरें जगह जगह पर कटी हुई हैं। सिंचाई मंत्री इस ओर ध्यान देकर इसको ठीक करने की व्यवस्था करेंगे। हमारे बुन्देलखण्ड में ऐसा नहीं है कि जल संसाधनों की कमी हो, जल संसाधन प्रचुर मात्रा में है लेकिन बान्ध के अभाव में वहां पर सिंचाई के साधनों का नितान्त अभाव है यमुना का पानी है बेतवा, केन धसान आदि पर बांध बनाने की आवश्यकता है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि बड़दहा नदी पर बांध की योजना तैयार की जाये। जो ओहन मारो बांध है इसका पानी रिस जाता है। इसके लिये शासन में योजना तैयार है इसके लिये सिंचाई मंत्री जी धन आवंटित करें। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं 11 स्थानों पर, सिंचाई मंत्री जी ने कहा बुन्देलखण्ड में 11 स्थान चिन्हित किये हैं तो उत्तर भाषण में 11 स्थानों के नाम बताने की कृपा करेंगे। मान्यवर, सात परियोजनायें बुन्देलखण्ड के लिये स्वीकृत की गई हैं सात परियोजनायें कहां पर हैं इसका भी खुलासा माननीय मंत्री जी अपने भाषण में करेंगे।

मान्यवर, गुंता नाला बांध बन रहा है मैं कहना चाहता हूं दो बार वह टूट चुका है माननीय सिंचाई मंत्री जी कहते हैं क्षतिग्रस्त हो गया है यह क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। विभाग की लापरवाही रही है।

सितम्बर, 1993 को यह टूट गया था इसका शीघ्र निर्माण करायें और उसे पूरा करायें । मान्यवर, मैं सिंचाई मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि गुंता बांध का निरीक्षण करा लें ऐसा न हो दुर्भाग्य से टूट जाये । सिल्ट सफाई के बारे में आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो बड़ी नहर मेरे क्षेत्र में है सिल्ट सफाई के बारे में भ्रष्टाचार पहले भी हुआ है इसमें अनुश्रवण की कार्य योजना होनी चाहिये कागज पर सफाई कार्य दिखा देते हैं । बड़दहा नदी पेसनी नदी पर बांध बनायें ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त कर दें ।

श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, आपने मुझे सिंचाई मंत्री जी द्वारा रखे गये सिंचाई विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । श्रीमन् मैं सिंचाई मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । श्रीमन् मैं आपके माध्यम से किसान पुत्र माननीय कल्याण सिंह जी को बधाई देना चाहता हूं उन्होंने जो 30 हजार किलोमीटर की सफाई का लक्ष्य रखा है इसके लिए वह बधाई के पात्र हैं । जब नहर की सफाई नहीं होगी तो पानी टेल तक कहां से पहुंचेगा तो जो व्यवस्था की गई है उसके लिये वह बधाई के पात्र हैं । नहर की पटरी को पक्का करने के लिये प्राविधान किया गया है उसके लिये भी मैं बधाई देना चाहता हूं ।

मान्यवर, अब मैं मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहूंगा श्रीमन् चीफ गंगा कैनाल मेरठ द्वारा लोअर गंगा कैनाल आगरा के लिये धन आवंटित हुआ लेकिन कोई कार्य नहीं हुआ इसमें जांच करा ली जाए तो अच्छा होगा । मेरे क्षेत्र मथुरा में गोवर्धन विधान सभा क्षेत्र पड़ता है अधिशासी अभियन्ता आगरा में बैठते हैं अधिकारी मिल नहीं पाते हैं अगर अपर कैनाल से हिस्सा जोड़ दिया जाए, प्रस्ताव ऐसा आया था, मथुरा में कैनाल को जोड़ दें तो अधिकारी मिल जाएंगे मथुरा के जनप्रतिनिधियों को आगरा जाने में परेशानी होती थी । श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि अब गर्मी का मौसम आने वाला है । पोखर तालाब ठीक करने के लिये सिंचाई विभाग कार्य करता है । उनकी व्यवस्था अभी से करने की कृपा करें । क्योंकि फर्जी आंकड़े आयेंगे जब सिंचाई बन्धु की बैठक होगी । इसलिये अभी से उसकी व्यवस्था करें । वहां यह न कहा जाय कि पोखर भर दिये गये हैं और तालाबों को ठीक कर दिया गया है । टी० ए० सी० की जांच होती है । मेरी शिकायत एवं एक और सदस्य द्वारा नियम–301 में सूचना लगायी थी । कोई मिस्टर अग्रवाल जांच करने गये । वह विधायकों से नहीं मिले और बिना बताये सारी शिकायतों का निस्तारण कर दिया यह हमारी समझ में नहीं आया जबकि वहां पर धरातल पर काम हुआ नहीं हुआ था । इस प्रकार टी० ए० सी० की जांच कराने से क्या फायदा ।

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि कोई एक जांच है जो प्रमुख सचिव के ज्ञान में हैं और वह अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र लेकर मथुरा में अधिकारी काम कर रहा है उसका निस्तारण किया जाय । लोवर कैनाल में एक्सचेंज के भ्रष्टाचार के आरोप में होने पर भी काम कर रहे हैं उसका निस्तारण किया जाय । मान्यवर, हमारा गोवर्धन विधान सभा क्षेत्र कटोरानुमा क्षेत्र हैं । वहां पर पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है । वहां पर गोवर्धन ड्रेन बनी है । स्वार्थी राजनीतिक लोगों द्वारा उसका निर्माण हुआ है जबकि वहां पर हुलबाना ड्रेन का निर्माण होना था । मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो वेस्टर्न डिप्रेशन ड्रेन है उसकी खुदाई, सफाई न होने से किसानों की हजारों एकड़ जमीन जलमग्न है । मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसको दिखवा लें ।

श्री लालजी वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज सिंचाई का बजट प्रस्तुत हुआ । सिंचाई विभाग उन विभागों में से है जो प्रदेश के विकास के लिये नहीं बल्कि मानवता के लिये एक महत्वपूर्ण विभाग है । डा० अशोक वाजपेई ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसके तमाम बातों का इसमें जिक्र किया है । हम आज

खाद्यान्न के मामले में या अन्य जो हमारी समस्यायें हैं, पूरे प्रदेश में बाढ़ आयी और इस बाढ़ की त्रासदी से हम प्रभावित हुए । यह दायित्व सिंचाई विभाग का है । हम ऐसी योजनाएं नहीं बना पा रहे हैं जिससे हम रिर्सोसेज को इक्ट्ठा करके संकलित कर सकें । मान्यवर, आज जो विभाग की समस्यायें हैं उसका कारण भ्रष्टाचार है और उसी के परिणामस्वरूप यह परिस्थिति बन रही है । मान्यवर, मैंने एक सवाल लगाया था कि क्या माननीय सिंचाई मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि टांडा लिफ्ट कैनाल में पूलों को तोड़कर निर्माण कराया जा रहा है । तो उसका जवाब आया कि "जी नहीं" । मान्यवर, उसमें फिर से छत डालने का काम किया गया जब इंजीनियर से पूछा तो कहा कि पानी नहीं निकल रहा था । पहले उसमें 10 मशीन चलती थी आजमगढ़ तक उससे पानी जाता था अब दो मशीनें चलती थी केवल 10-15 कि०मी० तक पानी जाता है, आज बाकी मशीनें काम नहीं कर रही हैं । मान्यवर, नलकूपों की क्या हालत है, यह सब जानते हैं । मेरे क्षेत्र में मेरे गांव में 1991 में एक ट्यूबवेल स्वीकृत हुआ आज तक उसकी नाली का निर्माण नहीं हो पाया । उसमें मैंने प्रयास करके किसानों की थोड़ी जमीन दिला दी थी आज तक मुआवजा नहीं मिला है । मेरे क्षेत्र में कई ट्यूबवेल लगे हैं आपरेटर्स जाते नहीं हैं । किसी में भी नाली का कार्य पूरा नहीं हो पाया है । ऊपर से किसान खेत में पानी ले जाय तो सींच ले ।

मान्यवर, यह ऐसा विभाग जो जन कल्याण और खाद्यान्न उत्पादन से जुड़ा हुआ है । इस बात का निर्णय होना चाहिये कि मुफ्त में सिंचाई व्यवस्था मुहैय्या हो । मान्यवर, मैंने जो कुछ बातें कहीं हैं अगर उनकी जांच करा ली जाय तो काफी सार्थक होगा । मान्यवर, हमारा यहां बाढ़ डिवीजन है 3-4 गांव बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं मैंने ठोकर लगाने के लिये प्रयास किया कहा गया कि यह योजना ही समाप्त हो गयी है । मान्यवर, वे गांव मिट जायेंगे अगर ठोकर नहीं लगायी जायेगी । इस पर पुनर्विचार कर गांव को बचाने की दिशा में कार्यवाही करें । इसी के साथ कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

(व्यवधान)

* श्री कमलेश कुमार सिंह–

मान्यवर, माननीय सिंचाई मंत्री जी ने बड़े ही नियोजित तरीके से सिंचाई विभाग के बजट को रखा है और जो क्षेत्रीय असमानता है उसको दूर करने का प्रयास किया है । मान्यवर, पूर्व की सरकारों में अनियोजित तरीके से सिंचाई व्यवस्था की इसलिये प्रदेश में असमानता है । मान्यवर, मेरा तुलसीपुर क्षेत्र बलरामपुर में है । सरयू नहर राप्ती के उत्तर 15 वर्ष पूर्व जमीन अधिगृहीत हुई मुआवजा दिया गया लेकिन नहर की खुदाई नहीं हुई अवैध कब्जे हो गये हैं । मंत्री जी के द्वारा प्रयास किया गया है । हम आग्रह करेंगे कि इस सरयू नहर योजना जो 3 चरण में प्रस्तावित है, अगर जल्दी ले ली जाती तो वहां का जल्दी विकास हो जाता । वहां बोरिंग नहीं लग पाती है । वहां सैकड़ों वर्ष पुराने बंधे हैं सिंचाई क्षमता समाप्त होती जा रही है । मान्यवर, इस क्षेत्र के बंधे पट गये हैं 500-600 कि०मी० नहर बेकार पड़ी है बांधों में क्षमता के अनुरूप पानी नहीं रोका जाता है । जैसा मैंने अभी कहा कि इस क्षेत्र में बोरिंग भी नहीं लगती है पहाड़ी क्षेत्र है । बांधों की मरम्मत कराके या बन्द सरयू नहर के कार्य को अति शीघ्र चालू कराये जाने की आवश्यकता है मान्यवर, टी० एल० आर० में नहर पटरी का कार्य कुछ नहीं हुआ है । यहां के बन्धे बाढ़ लाने में सहयोग करते हैं जब पानी ज्यादा बहता है तो बांधों से पानी छोड़ दिया जाता है और बाढ़ का प्रकोप भीषण रूप ले लेता है । इस क्षेत्र में इस सरयू नहर परियोजना को तत्काल लागू करके इन बांधों के माध्यम से सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय श्री अशोक बाजपेयी जी द्वारा कटौती का जो प्रस्ताव रखा गया है उसके समर्थन में मुझे आपने बोलने का जो मौका दिया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, सिंचाई मंत्री जी अपने को किसानों का हमदर्द कहते हैं और किसानों से सिंचाई विभाग और गन्ना विकास विभाग दोनों जुड़े हैं एवं मंत्री जी भी इन दोनों विभागों के मंत्री हैं तथा वह किसानों के हितैषी हैं लेकिन मैं सदन को बताना चाहता हूं कि एक मजदूर की मजदूरी 47 रुपये हैं जिनमें टारगेट के अनुसार काम नहीं हो पाता है जिससे इनका झगड़ा मजदूरों से चल रहा है। परिणामस्वरूप नहरों की सिल्ट सफाई का कार्य नहीं हो पाया है जिससे नहरों में टेल तक पानी नहीं पहुंच पाया है। इसलिये मैं पूछना चाहता हूं कि जब टेल तक पानी नहीं पहुंचा है तो खेतों की सिंचाई कैसे होगी जबकि मंत्री जी कहते हैं कि हम किसानों के हमदर्द हैं लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि वह किसान के हमदर्द नहीं बल्कि विरोधी हैं।

मान्यवर, जितने स्टेट ट्यूबवेल लगे हैं मैं दावे के साथ कह सकता हूं उनमें आधे ट्यूबवेल खराब हैं जिससे पूरे प्रदेश में सिंचाई का काम नहीं हो पा रहा है। मान्यवर, मंत्री जी ने जो नहरों की सफाई की बात कही है उसमें टारगेट के अनुसार सफाई का कार्य नहीं हुआ है और सफाई के फर्जी आंकड़े पेश किये जाते हैं।

मान्यवर, सिंचाई मंत्री जी ने कहा है कि हम बड़े-बड़े पुल और बांध बना रहे हैं। लेकिन मैं सदन को बताना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र मल्लावां जिला हरदोई में 30 ड्रेनें हैं जिन पर आने जाने के लिये पुलिया नहीं बनायी जा रही हैं इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार इन पुलियों को बनाने की ओर विशेष ध्यान दें। मैं यह भी कहना चाहता हूं हमारे क्षेत्र में जो 30 ड्रेनें हैं उनमें एक की भी कई सालों से सफाई नहीं हुई है जिससे बरसात का पानी खेतों में आज भी भरा है जिसके संबंध में हम बराबर मांग करते रहे हैं कि खेतों से पानी निकालने हेतु पम्पिंग सेट और फायर ब्रिगेड लगाये जायें जिससे खेतों का पानी निकाला जा सके और किसान अपने खेतों को बो सकें। इसलिये मैं कहता हूं कि यह सरकार किसान विरोधी सरकार है।

मान्यवर, बिजली विभाग के मंत्री जी ने एक-एक विधायक के क्षेत्र के पांच-पांच गांवों के विद्युतीकरण करने की घोषणा की है। मैं सिंचाई मंत्री जी से चाहता हूं कि वह भी विद्युत विभाग की तरह ड्रेन बनाने हेतु प्रत्येक विधायक के क्षेत्र में पांच-पांच पुलिया हर ब्लाक में बनाने की घोषणा आज करें तथा 5-5 पुलिया बनाई जाय जिससे किसानों को आने-जाने में सुविधा हो सके तथा गंगा नदी पर कटाव रोकने हेतु संखन पुरवा के पास राजघाट पर बांध बनवाया जाये जिससे गरीब किसानों का कल्याण हो सके।

मान्यवर, सिंचाई मंत्री गन्ना मंत्री भी हैं, इसलिये मैं उनसे कहता हूं कि वह गन्ना किसानो के बकाये का भुगतान जल्दी से जल्दी करायें। मान्यवर, शुगर मिल हरदोई बन्द कर दी गयी है जबकि वहां के किसानों ने अपने खेतों में गन्ना बोया था लेकिन मिल बन्द हो जाने से किसानों के सामने गन्ना के पेराई की समस्या खड़ी हो गयी है। इस तरह आज हर किसान परेशान है। सरकार कहती है कि हम किसान के हमदर्द हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वह सरकार किसान विरोधी सरकार है। मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र मल्लावां में 3 साल पहले [illegible] कम्पनी द्वारा एक गन्ना फैक्ट्री हेतु शासन से लाइसेंस दिया था परन्तु लगायी गयी थी उसमें केवल बाउंड्री बनाकर छोड़ दिया गया था और सैकड़ों बीघा भूमि कृषकों को धोखा देकर फैक्ट्री वाली [illegible] है इसलिये मंत्री जी से अनुरोध है कि इस गन्ना फैक्ट्री को तुरन्त चालू कराया जाय, [illegible] हित में होगा। यह जनता के हित की बात है, किसान के हित की बात है। आप कहते हैं कि 80 फीसदी पैसा किसानों के ऊपर खर्च करेंगे लेकिन हमारे यहां इतना जबरदस्त जलप्लावन रहा और आपने पानी निकालने के लिये पंपिंग सेट तक की व्यवस्था भी नहीं की, फायर ब्रिगेड लगाकर पानी खेतों से निकाला, नतीजा यह हुआ कि हमारे यहां 42 गांव बुरी तरह जल प्रभावित हुये, हजारों बीघा भूमि बोने से वंचित रह गई है। करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ।

श्री अधिष्ठाता–

मिश्र जी, अब समाप्त करें ।

(सत्ता पक्ष की ओर से टोकाटाकी किये जाने पर व्यवधान)

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

मान्यवर, आप कहते हैं हम बड़ी-बड़ी योजनायें बना रहे हैं, बड़े-बड़े बांध बना रहे हैं, लेकिन आप गांवों की तरफ ध्यान नहीं दे न राजघाट, शंखरनपुर के पास बांध रहे हैं । पीड़ित किसानों के जीवन मरण का प्रश्न है । मैं चाहता हूं कि आप कटौती के प्रस्ताव को स्वीकार कर लें, जो बाजपेई जी ने पेश किया है, मैं उस पर बल देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री राम जग–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे सिंचाई के बजट पर बोलने का मौका दिया, मैं आभारी हूं । माननीय बाजपेयी जी द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव के समर्थन में अपनी बात कहना चाहूंगा । हमारा पूरा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और सिंचाई इसका मूलाधार है तभी हम अनाज का अधिक उत्पादन करके, अपनी जनता के बेहतर जीवन के लिये कुछ कर सकते हैं । हम आजादी की 50वीं जयन्ती मना रहे हैं और आज यह चिन्ता का विषय है कि आज भी बड़े पैमाने पर बाढ़ आती है । जब पानी बरसता है तो फसल बरबाद होती है, जब नहीं बरसता तो फसल बरबाद होती है । आज आजादी के 50 साल बाद भी हम बाढ़ के पानी का सही उपयोग नहीं कर पाये हैं । बरसात होती है, बाढ़ आती है और सारा पानी बहकर समुद्र में चला जाता है । माननीय मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हैं और सिंचाई मंत्री जी भी बैठे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि समाजवादी देश चीन, जहां हुआग हो नदी जिसे चीन का शोक कहा जाता था, जिसमें प्रतिवर्ष भयंकर बाढ़ आती थी, इसको रोककर चीन ने उसके पानी का सिंचाई के लिये भरपूर इस्तेमाल किया है और आज शोक कहलाने वाली यह नदी चीन में सिंचाई का मुख्य साधन बनी हुई है । आज सिंचाई के मामले में चीन विश्व में पहला स्थान रखता है । मैं चाहता हूं कि सिंचाई मंत्री जी सभी दलों की एक टीम बनाकर चीन भेजें क्योंकि जिस प्रकार जनसंख्या आबादी पर नियंत्रण चीन ने किस तरह किया, इसके लिये वहां जाकर अध्ययन कर रहे हैं तो सिंचाई के क्षेत्र में भी चीन ने किस तरह व्यवस्था किया, इसके लिये एक प्रतिनिधि मंडल चीन भेजा जाना चाहिये । केन्द्र में आपकी ही सरकार है, हम भी इसमें आपका सहयोग करने को तैयार हैं ।

जहां तक पूरे उत्तर प्रदेश की स्थिति है, प्रदेश में बहने वाली छोटी नदियां पट गई हैं और पानी बरसता है तो सारा पानी फैल जाता है और फसलें बरबाद हो जाती हैं, उनकी खुदाई का काम नहीं हो पा रहा है । हम थोड़ा प्रयास करके इन छोटी-छोटी नदियों के पानी के बहाव का बेहतर इन्तजाम कर सकते हैं और फसलों को बरबाद होने से बचा सकते हैं । माननीय मंत्री जी आप भले ही कितनी लच्छेदार हिन्दी में अपनी बात कहें, लेकिन यदि प्रदेश में बंधों को समय से बनाया गया होता तो पूर्वी उत्तर प्रदेश को बाढ़ से बचाया जा सकता था, वहां की जनता को बचाया जा सकता था । यह बाढ़ को इतना भयानक होने से रोक सकते हैं । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि सिंचाई विभाग में बहुत भ्रष्टाचार है, अगर माननीय मंत्री जी इस विभाग भ्रष्टाचार को ही रोक लें तो सारी योजनायें पूरी हो सकती हैं, यह कम से कम 50 प्रतिशत पैसा सकते हैं । मान्यवर, नहरों की सफाई के नाम पर किनारे किनारे की मिट्टी खोद दी जाती है और उसका पैसा ले लिया जाता है, यह बड़ा दुर्भाग्य है । नहरों की सफाई न होने के कारण नहरों में हेड से टेल तक पानी नहीं जाता है और कहते हैं कि हमारी ज्यादा क्षमता नहीं है । मान्यवर, पैदल पुलिया की बात कही गयी । मान्यवर, इनकी बड़ी जरूरत है गांवों में क्योंकि इससे गांव के लोगों को आने जाने में बड़ी परेशानी होती है, आप सर्वे करा लें, तो आपको पता चल जायेगा । मान्यवर, सिंचाई का सवाल सीधे किसानों से जुड़ा हुआ है, अगर सिंचाई की व्यवस्था

ठीक नहीं होगी तो फसल की पैदावार पर सीधे असर पड़ेगा । मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि आप एक प्रतिनिधि मंडल चीन को भेजे जो वहां की सिंचाई व्यवस्था को देखकर आये । आपकी सरकार केन्द्र में है, अटल बिहारी जी प्रधान मंत्री हैं, आप उनसे सम्पर्क करके एक प्रतिनिधि मंडल चीन को भेजे जो वहां की सिंचाई व्यवस्था को देखकर आये । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय अशोक बाजपेयी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री जय प्रकाश निषाद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सिंचाई विभाग के बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी है, सिंचाई की समुचित व्यवस्था की गयी है । नहरों का पानी टेल तक पहुंचाया जा रहा है । मान्यवर, सबसे अच्छी व्यवस्था यह की गयी है कि नहरों की पटरियों को पिच कराया गया है, जिससे आने जाने में सुविधा हो रही है । मान्यवर, हमारे यहां का 1/4 भाग बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जब बाढ़ आती है तो जो लो लैण्ड हैं वहां पर पानी लग जाता है, सारे रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं, जो वहां पर बंधे बने होते हैं, उनको बचाने के लिये जाते हैं और उस समय बंधे कच्चे होते हैं और वह भारी वर्षा के कारण कट जाते हैं । उनको बचाने के लिये जो संसाधन चाहिये वह नहीं जा पाते हैं इससे बन्धे टूट जाते हैं और बाद में इस पर भारी पैसे की बरबादी होती है । प्रत्येक वर्ष पैसा देना पड़ता है तो जिस प्रकार से पटरियों की पिचिंग की व्यवस्था की है उसी तरह बांधों की पिचिंग की व्यवस्था की जाये तो इससे काफी बचत होगी ।

मान्यवर, जो भी कार्य बाढ़ के समय किया जाता है उसको अगर पहले से ही देख लिया जाये तो भी पैसा कम खर्च होगा । 15 मई के बाद मानसून आ जाता है उससे पहले मरम्मत का कार्य हो जाना चाहिये अन्यथा बाढ़ आने पर और अधिक खर्च करना पड़ता है । बाढ़ के समय जो मरम्मत का काम होता है उनकी कुटाई का कार्य होता है उसी समय एक ऐसी टीम बनायी जाये जो उनका निरीक्षण करे और उसी समय सारा काम कर दिया जाये तो अच्छा रहेगा, नहीं तो बाद में फर्जी काम दिखाकर पैसा वेस्ट हो जाता है । जिला स्तर पर इस प्रकार की टीम बनाई जाये और यह कार्य उन्हीं की निगरानी में कराया जाये इससे पैसा भी कम खर्च होगा और मरम्मत भी की जा सकेगी ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आप समाप्त करें ।

श्री जय प्रकाश निषाद–

माननीय मंत्री जी द्वारा बजट प्रस्तुत का समर्थन करता हूं और अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं और जो बिन्दु मैंने यहां पर रखे हैं उन पर ध्यान दिया जाये ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपका आभारी हूं कि आपने सिंचाई के बजट पर बोलने की अनुमति प्रदान की । मैं माननीय मंत्री जी दो तीन बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा । माननीय मंत्री जी ने सिंचाई विभाग की निर्माणाधीन विभिन्न योजनाओं को पूरा करने का संकल्प व्यक्त किया है । वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लक्ष्यों को उन्होंने बताया । मैं बहुत उम्मीद से उनकी बात सुनने के लिये बैठा था लेकिन सबसे बड़ा दर्द मुझे हुआ जब प्राकृतिक आपदा बाढ़ के रोकथाम के बारे में उन्होंने जो बातें कही उसमें सरकार का मजबूत संकल्प नहीं दिखाई दिया । माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय मंत्री जी अवगत हैं । इस सम्मानित सदन में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की संस्तुतियों को क्रियान्वित करने के लिये एक संकल्प मैंने प्रस्तुत किया था कि "उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार से सिफारिश करे

कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में हर वर्ष आने वाली बाढ़ का स्थायी समाधान किया जाये और जो बाढ़ आयोग की संस्तुतियों को लागू किया जाये आयोग द्वारा जो उपाय सुझाये गये हैं उनको अमली जामा पहनाया जाये। पूर्वांचल की बाढ़ समस्या के स्थाई हल के लिए अब अलग से किसी अन्य टेक्निकल एक्सपर्ट के अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। मैं स्मरण कराना चाहता हूं कि जब सन् 1954 के०एल० राव केन्द्र में सिंचाई मंत्री थे तो उन्होंने बाढ़ की समस्या हेतु एक गंगा आयोग बनाया था।

गंगा आयोग की अनुशंसा सन् 1956 एवं भारत सरकार को तथा उत्तर प्रदेश सरकार को मिल गई। गंगा आयोग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का अध्ययन किया तथा बाढ़ नियंत्रण की कार्य योजनायें तैयार थीं। फिर 1976 में जयसुख लाल हाथी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग गठित हुआ तथा वर्ष 1980 में इसकी संस्तुति आ गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो नदियां हैं उनके कारण बाढ़ का प्रकोप जनता को झेलना पड़ता है। प्रदेश में जबसे नदियों के किनारों से बालू निकालने का कार्य शुरू हुआ है तब से बाढ़ की विकरालता और बढ़ गई है। अभी पिछली बार जो बाढ़ की विभीषिका आई उसमें तकरीबन 5 हजार करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। हजारों लोगों की जाने गई। मैं कहना चाहता हूं कि जो गंगा आयोग की जो संस्तुतियां आई थी कि गंगा की जो सहायक नदियां हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में जिनका उद्गम नेपाल में है वहां पर पंचेश्वर, शालू बांध, करनाली बांध बनाया जाये एवं जल कुण्डी में बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना स्थापित की जाये। इनमें सन् 1954-56 में मात्र 33 करोड़ रुपये का खर्चा आना था। तत्कालीन सरकार ने तैंतीस करोड़ रुपये का खर्च वहन नहीं किया तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश की बाढ़ के हवाले कर दिया। लोकतंत्र में इस सदन से शक्तिशाली स्थान और कोई नहीं है। जहां जीवित इन्सान की समस्याओं का समाधान हो सके। इस संसद के बाद परमात्मा का ही सदन बचता है। मैं चाहता था कि आज माननीय मंत्री जी संकल्प व्यक्त करेंगे कि जो बाढ़ आयोग की संस्तुतियां हैं उन पर ठोस निर्णय लेंगे। माननीय अधिष्ठाता जी मैं आपकी अनुमति से अपनी बात शीघ्र ही समाप्त करुंगा। मैं सिंचाई मंत्री जी को कुछ सुझाव पूर्वी उत्तर प्रदेश में आई बाढ़ की विभीषिका के संबंध में देना चाहता हूं। नदी के किनारे से बालू निकालने के कारण बाढ़ और विकराल हुई। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो नदियां हैं उनमें से बालू निकालने का काम नदी के भीतर से किया जाना चाहिए। नदियों के किनारे से बालू निकालने पर नदियों का पाट और चौड़ा होता है निरन्तर शिल्ट जमा होने के कारण रिवर बेड छिछला हो गया है।

श्री अधिष्ठाता–

एक दो पाइन्ट गिना दीजिये। उसके बाद समाप्त करें।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मैं अपनी बात जल्दी खत्म कर रहा हूं। माननीय मंत्री जी नहरों की सफाई की बात कर रहे थे हमारे विधान सभा क्षेत्र देवरिया में कई नहरें हैं। मैंने सिंचाई खण्ड द्वितीय के अधिशासी अभियन्ता को चिट्ठी लिखी कि नहर के क्लोजर का समय है कृपया यह बतायें कि सिल्ट की सफाई के क्या-क्या कार्यक्रम है। मैंने पत्र में यह लिखा था कि नहरों की खुदाई इस ढंग से की जाये कि टेल तक पानी पहुंचे। यह अभियन्ता निर्भय होकर देवरिया राजबहा पर ट्रैक्टर से नहर की सफाई का कार्य कर रहा था। जिलाधिकारी देवरिया ने स्वयं स्थल पर पहुंच कर चल रहे ट्रैक्टर को पकड़ा। वह मौके पर पकड़ गया और [illegible] 1998 में संबंधित अभियन्ता के खिलाफ मुकदमा स्थानीय थाना कोतवाली में जिलाधिकारी द्वारा प्रतीकृत कराया गया। 21-12-98 को जिलाधिकारी ने प्रमुख सचिव सिंचाई को लिखा कि नहर सफाई के कार्य में व्यापक गोलमाल हुआ है लेकिन दोषी अभियन्ताओं के विरुद्ध क कार्यवाही नहीं हुई। हाटा रजबहा पर नहर की पटरी 13 किलोमीटर पिच हो रही है नहर पटरी व

पर शंकरगढ़ की मिट्टी गिरानी थी जबकि नोतनवा की खराब किस्म की मिट्टी गिराई गई और बिना रोलर चलाये ही उसका भुगतान कर दिया गया है ।

मान्यवर, मैं अपनी बात समाप्त करते हुये सुझाव देना चाहता हूं कि यदि माननीय मंत्री जी बाढ़ की विभीषिका से प्रदेश की जनता को छुटकारा दिलाना चाहते हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता को बाढ़ से बचाना चाहते हैं तो वह बाढ़ की विभीषिका के स्थाई हल करने के लिये राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की संस्तुति पर आधारित कार्य कार्ययोजनाओं की घोषणा सत्काल करें । इन शब्दों के साथ में माननीय अशोक बाजपेयी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री ज्ञानेन्द्र सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं । जो आपने मुझे सिंचाई मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र में नहरें निकलती है जैसा कि अभी प्रतिपक्ष के सदस्य द्वारा जो वक्तव्य दिया जा रहा था कि केवल कागज पर नहर की सफाई होती है वह सही नहीं है । मैंने जन प्रतिनिधि के रूप में, जनता के रूप में इनका कार्यकाल भी देखा है । आज जो स्थिति है वह मैं बताना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र की जो 8 नहरें हैं उन सभी नहरों की सफाई पूर्ण गुणवत्ता के साथ हुयी है । इसी का परिणाम है कि पानी हमारे यहां हेड से टेल तक पहुंच सका है । विगत वर्ष 97-98 में नहर से सिंचाई 14 लाख हेक्टेयर हुयी थी वह सिंचाई क्षमता बढ़कर 98-99 में 24 लाख हेक्टेयर हो गयी । अगर नहरों की सफाई न हुयी होती तो यह सिंचाई क्षमता कैसे बढ़ती ।

मान्यवर, कुछ ड्रेनों की सफाई हुयी है और कुछ की सफाई होने की आवश्यकता है । मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं कि हमारा क्षेत्र लो-लैण्ड है । वहां पर जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण फसलों को क्षति होती है । मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उसके लिये कोई योजना बनायी जाय । मान्यवर, ड्रेनों के लिये जो भूमि ली जाती है, हमारे विधान सभा क्षेत्र में चकबन्दी के पहले कुछ ड्रेन निकले हैं जिनका मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है । मैं कहना चाहता हूं कि भरनी और चमखा अमवा माइनर के लिये ली गयी भूमि का मुआवजा दिया जाना सुनिश्चित किया जाय । हमारे विधान सभा क्षेत्र में टेढ़वा ग्राम सभा है यह विकास खण्ड घुघली में है । यह गांव नदी के किनारे है । अभी जो बाढ़ आयी थी उससे बंधा 200 मीटर कट गया । वहां किसान कुदाल लेकर पहरा दे रहे थे जिन्होंने बंधा बचाया । यह गांव नीचे है और नदी ऊपर है । यह जो 200 मीटर बंधा टूटा है उसका निर्माण करायें । इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, बाजपेयी जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसके समर्थन में मैं एक दो मौलिक सुझाव देना चाहता हूं । अभी जब सुबाष जी अपनी बात कह रहे थे तो उन्होंने के०एल० राव साहब का जिक्र किया । के० एल० राव साहब की जो योजना थी उस पर मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । यह योजना गंगा को दक्षिण की नदियों से जोड़ने की योजना थी । यह योजना न्यायोचित और सार्थक योजना थी । उनके मन में यह विचार आया कि क्योंकि वह भी पेशे से इन्जीनियर थे और मुझे यह कहते हुये बड़े गर्व का अनुभव हो रहा है कि मैं जिस स्थान से आता हूं वह केवल उत्तर प्रदेश का नहीं भारत के सिंचाई परियोजनाओं का, भारत में सिंचाई के अस्तित्व का सबसे बड़ा केन्द्र है अगर है तो वह रुड़की और हरिद्वार है । उस रुड़की विश्वविद्यालय के स्नातक के० एल० राव साहब थे जिन्होंने यह महसूस किया कि गंगा का बहता हुआ पानी जो बहुत अमूल्य है वह बहकर समुद्र में चला जाता है । अगर हम इस पानी का उपयोग उत्तर के नदी का उपयोग अपने दक्षिण के लिए कर सकें तो यह बहुत बड़ी सेवा इस देश के लिए होगी । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो योजना के०एल० राव साहब ने

बनायी थी वह रुड़की विश्वविद्यालय में और सेन्ट्रल वाटर कमीशन के पास तथा माननीय मंत्री जी के विभाग में भी उपलब्ध होगी, उसके अनुसार अध्ययन कराके योजना बना सके तो गंगा का एक बूंद भी पानी समुद्र में न जाये।

इस प्रकार का जल प्रबन्धन करे कि हमारे बांध जो वर्षा पर आश्रित हैं, वर्षा से भरते नहीं है, अगर ऐसा इन्तजाम कर दें, गंगा के बाढ़ का पानी उन जलाशयों तक ले जा सके, नहरों के माध्यम से, उनको भरने का काम कर दें तो मैं यह समझता हूं कि उन जलाशयों के भरने से अधिक सिंचन क्षमता पैदा कर सकते हैं। उन क्षेत्रों में जहां जल की भारी कठिनाई है, वाटर लेविल भी ऊंचा उठा सकते है। अभी बजट साहित्य पर नजर डाल रहा था कोई वर्ष ऐसा नहीं है जब सैकड़ों और हजारों करोड़ रुपये की हानि उत्तर प्रदेश में नहीं होती हो। अगर हम जल को व्यवस्थित कर लें तो उसके बेहतर लाभ होगे, बाढ़ से होने वाली प्रतिवर्ष की करोड़ों रुपये की हानि से बच जायेंगे। 1998 में 5000 करोड़ रुपये की हानि उत्तर प्रदेश में हुई। अगर आप इतना पैसा इन नहरों पर लगाने का काम करें तो मैं समझता हूं कि इस बाढ़ के पानी का सदुपयोग कर सकते हैं और यह भी कह सकते हैं कि हम आधुनिक युग इस विज्ञान के युग में रह रहे हैं जहां हम इतने अमूल्य चीज का सदुपयोग करेंगे वहीं बाढ़ से भी बचेंगे तथा सिंचाई होगी। होइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी लगा सकेंगे जिसका उपयोग उद्योग और खेती के क्षेत्र में कर सकेंगे। आज जो आप 125 रुपये का पेंशन बांट रहे हैं जब ऐसी योजनायें होंगी तो लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठाकर एक सम्मानपूर्ण अवसर दे सकते हैं अगर हम जल प्रबन्ध को करने का काम करे। यह महत्वाकांक्षी हो सकती है। मैं कहना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति ऐसा तो हुआ ही होगा जिसने महत्वाकांक्षी कल्पना की होगी जिसके फलस्वरूप हम इस विकास तक पहुंचे हैं। मंत्री जी भगीरथ बनने का काम करें और महत्वाकांक्षी योजना की शुरूआत करें आपको इतिहास याद रखेगा। एक मौलिक बात यह कहना चाहता हूं कि परियोजनाओं में अनुशासन होना चाहिए। प्राइस एक्सक्लेशन से उनका लाभ वर्षों-वर्षों तक नहीं मिल पाता है। बहुत सी योजनायें ऐसे हैं जो निरन्तर आधी-अधूरी पड़ी हुई है उनके लिए पैसा नहीं है। मान्यवर, मैं क्षेत्र की एक योजना का जिक्र करना चाहता हूं। 1987 में गोमपुर बालाबाली की योजना स्वीकृत हुई थी और 467 लाख रुपये उसकी लागत थी आज यह 1500 लाख रुपये की योजना हो गयी है। मैं नहीं कह सकता उसकी सारी औपचारिकतायें पूरा हो गयी हैं, भाखाड़ा से ऋण लेकर के इस योजना को साकार करवायेंगे तो बहुत-बहुत आभारी रहूंगा।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

(समय 9 बजकर 25 मिनट)

अभी श्री वाजपेयी जी ने अपने कटौती के भाषण में कहा है कि मंत्री जी ने पूर्व बजट भाषण को दुहरा दिया है। बाढ़ विभीषिका और जल प्लावन के संबंध में संक्षिप्त विवरण 1973 से 1998 तक इसी को दुहरा दिया है। आप अधिकारियों को क्षमता पर विश्वास रखकर उन पर छोड़ दें। इसमें 1990 से 1998 तक कोई विवरण नहीं दिया गया है। कितनी बाढ़ से क्षति हुई। आठ साल से यह किताब लगातार छप रही है। दूसरी तरफ अखबारों में मंत्री जी के बयान आते हैं कि पांच हजार करोड़ की हानि हो गई है साहित्य कहता है कि आंकड़े उपलब्ध नहीं है मंत्री जी इस तरफ ध्यान दें। ट्यूबवेल के इनजाईजेशन ऊर्जीकरण की तरफ मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। कुल ऊर्जीकृत किए गये ट्यूबवेलों की संख्या 6,895 है। मंत्री जी के कार्यकाल में 1997-98 में 169 ट्यूबवेल ऊर्जीकृत किए गये और 1998-99 में जो प्रदेश का लक्ष्य था वह 230 ट्यूबवेल।

इस तरह से दो साल में 400 ट्यूबवेल ऊर्जीकृत हुए हैं। मंत्री जी बता रहे हैं कि बुन्देलखण्ड को बहुत आवश्यकता है। छठी पंचवर्षीय योजना तक 6,880 का लक्ष्य, आठवीं पंचवर्षीय योजना तक एक

हजार ट्यूबवेल के ऊर्जीकरण का लक्ष्य इस तरह से हम ट्यूबवेल के ऊर्जीकरण के मामले में पीछे हट रहे हैं । सभी परियोजनाओं के बारे में मंत्री जी ने कहा लेकिन गंगा नहर की ऊपरी गंगा नहर के आधुनिकीकरण की परियोजना के बारे में कुछ नहीं कहा । इसका अधिकांश काम पूरा हो चुका है । उसको पूरा करने की माननीय मंत्री जी व्यवस्था करें तो बिजली भी अधिक मिलेगी इसके साथ-साथ सिंचाई की सुविधा भी बढ़ेगी उसका कमाण्ड एरिया अलीगढ़ से आगे है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं डा० अशोक बाजपेयी के कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री दद्दू प्रसाद–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल है । बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्यों को अपनी बात कहने का अवसर नहीं मिल रहा है ।

श्री बेचनराम–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय सिंचाई मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया । माननीय सिंचाई मंत्री जी ने जो बजट रखा है उसमें उन्होंने प्रदेश के हर क्षेत्रों के सिंचाई संशाधनों का हवाला दिया है । निश्चित रूप से मैं मानने के लिए तैयार हूं कि आपकी अच्छी नीति का परिणाम है कि समय से हमारे भी क्षेत्र में ड्रेनें और नहरें चल रही हैं । मैंने देखा है कि कभी भी इस तरह से नहरों की सफाई टेल तक नहीं हो पाती थी । लेकिन मंत्री जी के आदेश से नहरों की टेल तक सफाई हुई है और इस साल हमारे क्षेत्र में अच्छी फसलें हुईं । इस वर्ष पूरे उत्तर प्रदेश में रिकार्ड उत्पादन की संभावना है । हमारा क्षेत्र राप्ती, गंगा, घाघरा तीन नदियों से घिरा हुआ है । इस बार बाढ़ अधिक आ जाने के कारण बांध का फांट रुद्रपुर में टूट गया ।

माननीय मंत्री जी ने कई बार हमारे क्षेत्रों का सर्वेक्षण कराया और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कार्य करने हेतु आदेश दिये । आज हमारे क्षेत्र में जितने प्रोजेक्ट स्वीकृत किये गये थे, उन सभी पर कार्य हो रहा है । आपके निर्देश तो मई और जून तक के लिये थे परन्तु यह कार्य अप्रैल तक पूरा हो जायेगा । इसी के साथ ही मैं चाहता हूं कि बंधों की ऊंचाई भी बढ़ाई जाय जिससे कि बाढ़ आने की संभावना कम हो सके । इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का पुरजोर समर्थन करता हूं ।

श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे डा० बाजपेयी जी द्वारा कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिये अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, प्रदेश का सबसे पिछड़ा इलाका बुन्देलखण्ड है और यहां पर सबसे कम सिंचाई के साधन हैं जनपद बांदा में है । विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहां पर बड़ी नहरों की स्थापना तो नहीं हो सकी, मात्र कुछ राजकीय नलकूपों द्वारा यहां पर सिंचाई का कार्य होता है, उसमें से भी 50 प्रतिशत नलकूप बेकार पड़े हैं और जो चल भी रहे हैं उनमें से अधिकांश की नालियां टूटी हुई हैं या फिर साईफन टूटे हुए हैं और किसानों को पानी समुचित मात्रा में नहीं मिल पाता है । मेरे जनपद बांदा के विकास खण्ड जसपुरा में अमार पड़ोहरा के बीच केन नदी पर एक लिफ्ट पम्प नहर का निर्माण करने की कृपा करें । अलोना पम्प केनाल को पूर्ण क्षमता से चलाकर टेल में स्थित खपटिहा कलानिवाईच को सिंचाई हेतु जल प्रदान किया जाय ।

दौलतपुर पम्प कैनाल की जब से स्थापना की गई थी, तब से वह आज तक अपनी पूरी क्षमता के साथ नहीं चल पायी है, इसलिये इसे पूरी क्षमता के साथ चलाया जाय ताकि एक दर्जन गांवों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध हो सके । केन और यमुना नदी के संगम से ग्राम तारा चिल्ला, सादी मदनपुर और लौमर में प्रतिवर्ष काफी मात्रा में गांवों का कटान होता है । यदि इसके लिये उपाय नहीं किये गये तो

कुछ समय के बाद इन गांवों का अस्तित्व ही समाप्त हो जायेगा । इसलिये कटान को रोकने के लिये तटबन्ध बनाये जायं । बुन्देलखण्ड के लिये जो स्पेशल पैकेज दिया गया था, एक साल के बाद आज तक केवल स्थानों को चिन्हित किया गया है यदि इसमें तत्परता नहीं बरती गई तो अगले वित्तीय वर्ष इनका इस्टीमेट बनाने में लग जायेगा और आपकी योजनायें केवल कागज में रह जायेंगी । मैं मांग करता हूं कि बुन्देलखण्ड सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण उसे समुचित सुविधायें उपलब्ध करायी जायं ।

उन 11 स्थानों का जिनको चिन्हित किया गया है, मैं जल्दी से जल्दी चेक ड्रेन का निर्माण कराये जाने के आदेश निर्गत करें तथा जो राजकीय नलकूप हैं । जनपद बांदा में 400 के करीब हैं जिनमें से किसी की नालियां टूटी हुई हैं अगर आप थोड़ा सा मरम्मत का कार्य करवा दें तो इनको चलाया जा सकता है । सुनने में आया है, जन चर्चा में भी है कि राजकीय नलकूपों को आप ग्राम पंचायत को देने का प्रस्ताव कर रहे हैं । इस कारण से गांव के अवैध अंशकालिक पम्प चालक हैं उन्हें लगता है कि यह विभाग टूटने वाला है तो इस डर से वह जल्दी-जल्दी राजकीय नलकूपों को तोड़ने में लगे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

कुछ सुझाव हों तो दे दीजिये ।

(कई सदस्यों के आपस में बोलने से व्यवधान)

श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

मैं अपनी बात कहने के लिये सुबह से बैठा हुआ हूं विकास खण्ड जसपुरा में 106 नम्बर ट्यूबवेल है वहां पर अंशकालिक पम्प चालकों ने केवल इस भय से इसको ग्राम पंचायत में जाना है, उस पम्प की पाइप लाइन तुड़वाकर बेच दी है । इतना ही नहीं इस संबंध मे मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले में एक आदेश निर्गत करके राजकीय नलकूपों के लिये, उनकी मरम्मत के लिये आदेश दें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

(कई सदस्यों के बोलते रहने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैं 9.40 पर माननीय बाजपेयी जी से निवेदन करूंगा कि वे अपनी बात रखें । उससे पहले एक-एक मिनट में जो माननीय सदस्य बोलना चाहें बोल लें ।

चौधरी बाबू लाल–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया । हमारे यहां तीन नहरे हैं फतेहपुर सीकरी प्लान, आगरा टर्मिनल, आगरा रजवाहा । फ० सीकरी ब्रांच एक्यूडेक्ट पर है उसकी स्थिति ऐसी है कि यदि वह एक बार टूट जायेगा तो किसानों की खेती बर्बाद हो जायेगी । मेरे क्षेत्र में राजस्थान से पानी आता है जिससे वहां पर बाढ़ बन जाती है । फ० सीकीरी क्षेत्र में नालों की सफाई बीसियों वर्ष से नहीं कराई गई है । आपके माध्यम से मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि नालों की सफाई करवाने का कष्ट करें । मेरे क्षेत्र में जो खारी नदी है उस पर जगह-जगह पर चैक डैम बनाये जायं ताकि सिंचाई का कार्य हो सके क्योंकि पानी का लेवल काफी नीचा हो गया है । फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में टेलों तक पानी पहुंचाने के लिये हमेशा 15 अक्टूबर से नहरें चला करती थीं लेकिन इस बार 29 नवम्बर को नहर विभाग ने पानी चलाया तब तक किसानों ने अपने ट्यूबवेल से पानी लेकर किसी तरह काम चलाया । अब पानी की जरूरत है फसल के लिये तो इस समय यहां नहरों में पानी नहीं है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अविलम्ब नहरों को चलाया जाय ताकि फसलों को आखिरी पानी मिल सके ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें बाबू लाल जी ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

माननीय अधिष्ठाता जी मैं बाजपेयी जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । सत्तापक्ष में मायूसी आ गई है ।

श्री अधिष्ठाता–

इसमें समय न लगाएं ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि नेपाल से घाघरा गंगा सरयू कौड़ाला का पानी बहराइच बाराबंकी सीतापुर को छूता हुआ जब बाढ़ में आच्छादित होता है तो पानी को रिजर्वायर करने के लिये कोई व्यवस्था होनी चाहिए । नेपाल से जो पानी आता है बहुत तबाही करता है । मान्यवर, गंगा मेटल और दूसरे आयोग बने जिन्होंने अपने सुझाव दिए कि नेपाल से इस विषय में बात की जा सकती है, बातचीत की शुरूआत की जा सकती है । जब बाढ़ आती है तो बाढ़ से पूरे प्रदेश का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा डूब जाता है । मान्यवर, मंत्री जी ने जब पहली बार बजट रखा तो पहले नम्बर पर थे दूसरी बार रखा तो सेकेण्ड नम्बर पर थे और जब तीसरी बार रखा है तो थर्ड क्लास हो गये हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

आप सुझाव दीजिए मैं दो मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

सेकेण्ड नम्बर पर आए तब तक खुशी थी लेकिन अब बिन पानी सब सून, मान्यवर, जनपद बहराइच में मेरे क्षेत्र में बाढ़ का पानी छूता हुआ, बाराबंकी को छूता हुआ, बाराबंकी में तबाही आई, तो इसके लिए कोई सही व्यवस्था नहीं हो पाई । आदमकरौली बांध मेरे क्षेत्र में टूट गया । देवरिया बलिया, गोरखपुर में तमाम बांध टूटे तो अब आप अभी से कोई न कोई तैयारी कर लें । जो पहली बार तबाही हुई वह अभी न हो और उससे निपटा जा सके ।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

(व्यवधान)

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

बहरामपुर और खुर्रमपुर के सब रोड कट गए हैं तो एक बांध बनवा दें । जरवल रोड चीनी मिल के किसानों का बकाया है उनका भुगतान कराएं ।

(व्यवधान)

मान्यवर, राजकीय नलकूपों की सिंचाई क्षमता 1997-98 में 31.92 लाख हेक्टेयर थी यह 1988-89 में 32.03 लाख हेक्टेयर है । वास्तविक सिंचाई 1997-98 में 14.24 लाख हेक्टेयर थी । 1998-99 में सिंचाई 14.24 लाख हेक्टेयर है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करिए ।

(डा० अशोक बाजपेयी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

गत वर्ष में यह एक प्रतिशत भी नहीं बढ़ी है।

(व्यवधान)

श्री उदयराज यादव–

मान्यवर, मैं दो तीन सुझाव देना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने इजाजत नहीं दी है नाम शुरू में भेजते नहीं बाद में चले आयेंगे। मैंने बाजपेयी जी को बुला लिया है।

मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आप अव्यवस्था फैला रहे हैं और समय बरबाद कर रहे हैं। कृपया स्थान ग्रहण करें।

डा० अशोक बाजपेयी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बजट पर आपने देखा कि चाहे इस पक्ष के हो या उस पक्ष के माननीय सदस्य हो, सभी माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि सिंचन कार्य की समस्या है जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया उन्होंने अपनी क्षेत्र की समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराया और मूल्यवान सुझाव दिये तो जो भी सदस्य इसमें बोले दद्दू प्रसाद जी, बिन्दु जी, रामजग जी, अम्बरीष जी, मुन्ना चौहान जी, लालजी वर्मा जी, रामललित चौधरी जी, जय प्रकाश जी इन सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इन सब लोगों ने मूल्यवान सुझाव दिये। भले ही सत्ता पक्ष में बैठे मित्र औपचारिकतावश बजट का समर्थन कर रहे हैं लेकिन बात कटौती की। ऐसा लग रहा था कि वे सिंचाई से संतुष्ट नहीं हैं। माननीय मंत्री जी ने सारे सुझाव सुने हैं। चन्द सुझाव देकर अपनी बातसमाप्त करूंगा। आप अपने उत्तर भाषण में या कार्य योजना बनायेंगे तो इसे शामिल करेंगे ऐसा मेरा विश्वास है। मान्यवर, जो नहर का कमांड एरिया है वह निर्धारित है।

उस कमांड एरिया में जहां सिंचाई लगती है तो मैं चाहूंगा कि इसका परीक्षण करायें। जो व्यावहारिक है जहां पर पानी पहुंचता है तो उसका पैसा लिया जाय लेकिन जहां पर पानी नहीं पहुंच रहा है यह उसको भी सिंचन में शामिल कर लेते हैं और पैसा ले लेते हैं तो यह नहीं होना चाहिए। जो रजबाहे में टेल एण्ड तक पानी अगर दिया जाता है वहां डिस्चार्ज की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी झाबर या ड्रेन से सम्बद्ध कर दिया जाय तो जो जल प्लावन होता है, उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है, उससे बचाया जा सकता है। मान्यवर, जो इंस्पेक्शन हाऊस थे उनमें उनके जूनियर इंजीनियर, पतरौल और समय-समय पर अधिशासी अभियन्ता और अधिशासी अभियन्ता वहां पर जाते थे और नहरों को देखते थे, वहां की सम्पत्ति नष्ट हो रही है। उस सम्पत्ति पर वनीकरण करा दें। जो आवास बने हुए हैं छोटे-छोटे कर्मचारियों के हैं उनका रख-रखाव करें। कई बार नहरें फट जाती हैं और जब तक हजारों एकड़ जमीन जल प्लावित हो जाती है नहर पर अधिकारी रहे तो निदान हो सकता है। इसी तरह से नहर कोठियों का इस्तेमाल करने की भी बात है वृक्षारोपण आदि से उसका अच्छा उपयोग करके जो सम्पत्ति है उसको सुरक्षित रखने का काम किया जा सकता है। मान्यवर, जो राजकीय नलकूप हैं इसके लिए विशेषज्ञों की समिति बनायी जाये और उसमें अध्ययन किया जाय कि सिंचन क्षमता राजस्व कैसे बढ़ाया जाय ताकि जो कमांड एरिया है उसमें सिंचाई पूरी की जा सके। ट्यूबवेल संचालन में जो त्रुटियां हैं उसको वह समिति अध्ययन करे। जल्दबाजी में कोई निर्णय न किया जाय। मान्यवर, जो बड़ी परियोजनाएं हैं उनमें समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित किया जाय एक-एक परियोजनाओं को पूरा करेंगे तो

यह ज्यादा लाभकर होगा अगर एक-एक परियोजना को लेकर चलते रहेंगे तो अनेक वर्ष लग जायेंगे । नहरों की सफाई के संबंध में भौतिक सत्यापन की सुदृढ़ व्यवस्था बनायी जाये ताकि टेल तक पानी पहुंच सके ।

मान्यवर, रजबाहों को बाहुबली लोग बांध लिया करते हैं इस तरह के कार्यों को संज्ञेय अपराध माना जाना चाहिए और क्रिमिनल ऐक्ट में उनके विरुद्ध कार्यवाही हो । जल निकासी के संबंध में मास्टर प्लान की आवश्यकता है जिलेवार पूरा मास्टर प्लान तैयार कराया जाय । जो ड्रेनेज सिस्टम बनायें उसमें स्थायी व्यवस्था बन सके, उसमें कोआरडिनेटेड प्लान बने । इसी तरह से बेवर फीडर के बारे में कहा गया कि काम पूरा हो गया है आपने उद्घाटन भी किया था शाक्य जी बता रहे थे कि अभी कार्य पूरी तरह से पड़ा हुआ है । ऊपरी गंगा नहर योजना आपके विश्व बैंक से पोषित योजना है उसमें धन उपलब्ध नहीं हो रहा है उसमें अम्बरीष कुमार जी ने विस्तार से बताया है । उत्तराखण्ड के बारे में मुन्ना चौहान जी ने विस्तार से बताया वहां जो नलकूप लगाये गये हैं उनके रख-रखाव मैदानी क्षेत्र की अपेक्षा महंगा है वहां के मानक अलग होने चाहिए । जो पहाड़ में परियोजनाएं चल रही हैं जल विद्युत की उन सब पर काम अवरुद्ध है उनको पूरा करने के लिए प्रयास हो रुचि होनी चाहिए । मनेरी भाली पर 70 प्रतिशत काम हो चुका है । लखवाड़ व्यासी पर 300 करोड़ रु० खर्च हो चुके हैं 5 वर्ष से भी एक पैसा नहीं दिया गया है । टेहरी परियोजना पर 677 करोड़ रु० खर्च हो चुके हैं । 300 करोड़ का काम हुआ है । जो बड़ी-बड़ी परियोजनाएं हैं उनको पूरा कराने से लाभ होगा जल विद्युत एक स्थायी स्रोत बनेगा । हमारे जो थर्मल पावर हैं उनके सीमित स्रोत हैं जल विद्युत प्रदेश के लिए हितकर होगा ।

मान्यवर, इसके साथ ही जहां तक भ्रष्टाचार की बात है जिसमें मंत्री जी ने कहा है कि अगले वर्ष जब हम मिलेंगे तब तक भ्रष्टाचार का एक भी मामला लम्बित नहीं होगा और हम उसमें कार्यवाही कर चुके होंगे । मान्यवर, मैं भ्रष्टाचार के संबंध में एक पत्र देना चाहता हूं । मैं उसके द्वारा बताना चाहता हूं कि एक अधिकारी से लोवर आगरा कैनाल का है, वह अधिशासी अभियन्ता है उसे निलम्बित किया गया, उसने उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया । किन्तु सरकार ने स्टे वैकेशन की कोई कार्यवाही नहीं किया और इसलिए मेन्टीनेन्स हेतु लाखों रुपये दिये गये । इसी तरह से एक सहायक अभियन्ता हैं उन्हें भी निलम्बित किया गया । मैं उनके संबंध में आपके पास पत्र भेज रहा हूं । मैं चाहता हूं कि इनके साथ न्याय किया जाय जिससे भ्रष्टाचार बन्द हो ।

मान्यवर, इन शब्दों के साथ मुझे मंत्री जी से बड़ी अपेक्षायें थी लेकिन मेरी अपेक्षायें बजट भाषण से खरी नहीं उतरी हैं । मान्यवर, आपने न तो विभाग में मितव्ययिता लाने का काम किया है और न फिजूल खर्ची को ही आप रोक पाये हैं । इसलिए चाहे जितना धन आपको दे दिया जाये किन्तु लम्बित योजनाओं को आप पूरा नहीं कर पायेंगे । इसलिए मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं । अन्त में चार पंक्तियां आपको सुनाते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

वह आज अमन की तबलीग करने निकले हैं,
जो रोज जंग का नक्शा बनाया करता था,
इन्हीं के सदके में मुझको यह रजग मिलता है,
मैं जिन परिन्दों को दाना खिलाया करता था ।

धन्यवाद ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, मैं बजट की चर्चा में भाग लेने वाले समस्त माननीय सदस्यों को और जिन्होंने भाग नहीं लिया लेकिन बैठकर अपना मत व्यक्त किया, उन सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापन करता हूं ।

मान्यवर, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज सदन में माननीय सदस्यों ने सार्थक चर्चा किया है और जो सुझाव किसी भी पक्ष से आये हैं, कुछ को छोड़कर, जो तथ्यों से परे हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं।

मान्यवर, मैं सबसे पहले भ्रष्टाचार की बात से शुरू करता हूं। यह सभी मानते हैं कि समाज में अच्छाई या बुराई न तो एक दिन में पैदा होती है और न एक दिन में समाप्त ही होती है। मान्यवर, समाज में नीचे से लेकर उच्च स्तर तक किसी न किसी रूप में भ्रष्टाचार व्याप्त है। जब हम बिना योग्यता के किसी की सिफारिश करते हैं तो यह भी एक प्रकार का भ्रष्टाचार है, इस तरह भ्रष्टाचार सर्वव्यापी है जिसे समाप्त करने के लिए सशक्त इच्छा से प्रयास करना होगा और यह चीज दिखती है तो निश्चय ही इसका परिणाम एक दिन सामने आयेगा। प्रदेश में जो आज भ्रष्टाचार व्याप्त है।

वह एक दिन में नहीं है और मैं कह सकता हूं कि 10 साल से जो फाइलें लम्बित हैं वह क्यों लम्बित हैं। मैंने तो अपने कार्यकाल में 266 आदेश किये और 200 का निस्तारण करा लिया और 414 लोगों को दण्डित भी किया उसके बाद रोज सिफारिशें आती हैं कि आप बहुत दण्डित करते हैं, गलत दण्डित करते हैं, मान्यवर, हम न्याय की कुर्सीपर नहीं हैं, यह एक प्रशासनिक व्यवस्था है। इसमें अगर 10 लोगों को दण्डित करने में एक निर्दोष दण्डित हो जाता है तो आप उसे चेक नहीं कर सकते। मैं संकल्पित हूं और भ्रष्टाचार को दूर करना चाहता हूं और भ्रष्टाचार को दूर करके रहूंगा, अगर पूरे सदन का सहयोग मिले। मैंने बहुत सी चीजों की चर्चा नहीं की, लेकिन अन्दर झांककर देखें कि किस तरह का संरक्षण है। ठेकेदारी में कौन लोग जा रहे हैं, आर्थिक लाभ के लिये अपने और पराये के आधार पर संरक्षण हो रहा है कि नहीं, इससे भ्रष्टाचार रोकने में निश्चित रूप से बाधा आती है। हम जांचों को निस्तारित करने, जांच कराने में और दण्डित करने में कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। यह सिद्ध करता है कि हमारी मंशा भ्रष्टाचार को समाप्त करने की है और जिस तरह भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हो रहा है, एक दिन आयेगा जो सार्वजनिक रूप से लूट हो रही है, उसमें कमी आयेगी।

आज भ्रष्टाचार समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है वैसे तो दो प्रमुख समस्यायें हैं, भ्रष्टाचार और जनसंख्या, लेकिन सब मिलकर जिस दिन भ्रष्ट व्यक्ति का समर्थन नहीं करेंगे अपने और पराये के आधार पर, गुण और अवगुण के आधार पर आंकलन नहीं करेंगे, उस दिन समाज से और प्रशासन से भ्रष्टाचार दूर हो जायेगा लेकिन ऐसा है नहीं फिर भी मैं संकल्पित होकर कर रहा हूं और दण्डित कर रहा हूं, पर इसके लिये बदनाम भी हूं कि बहुत ज्यादा दण्डित करते हैं। जब व्यक्ति विवेक से काम न करे तो विवेकहीन व्यक्ति को दण्ड की व्यवस्था से ही ठीक किया जा सकता है, इसलिये दण्ड देने में कोई रुकावट न हो तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार दूर हो जायेगा फिर कोई शक्ति नहीं है जो भ्रष्टाचार को पनपाये रखे।

अभी सुबाष जी कह रहे थे, आप लोग भी जनरल रूप में कहें कि नहरों की सफाई से भ्रष्टाचार दूर हो। यह पहली बार हुआ होगा जब सांसदों के पास, माननीय विधायकों के पास सूचियां भिजवाई गई हों। कुछ नहरें साफ नहीं हुई हैं, उन सूचियों को भी आपके पास भिजवा रहा हूं जिनकी अधिकारियों ने मुझे साफ कर दिया बताया है। हम आपका सहयोग चाहते हैं कि आप भी इस पर नजर रखें, मुझे स्पेसिफिक शिकायत जरूर मिले। जो भी लोगों ने अपने भाषण में कहा है, मैं एक-एक का परीक्षण करूंगा। सुबाष जी देवरिया की बात कह रहे थे, ठाटा की बात कर रहे थे, वह चले गये। मैंने उसकी भी जांच करा ली है, जांच रिपोर्ट भी 2-3 दिन पहले आ गई है। मुख्य अभियन्ता से जांच कराई है, निश्चित रूप से दण्डित करूंगा। आप मुझे शिकायतें दीजिये, तथ्यों के साथ दीजिये, जरूर जांच कराऊंगा। अब मैं जांचों को टी०ए०सी० को नहीं भेजता, सतर्कता को नहीं भेजता, बल्कि इन्हीं अधिकारियों से जांच करा रहा हूं और इसी के आधार पर 418 लोगों को दण्डित किया है।

हमारी कार्य पद्धति पारदर्शी होनी चाहिए, नीयत साफ होनी चाहिये, नीति साफ होनी चाहिए और अपनी इच्छा शक्ति कार्य पद्धति में परिलक्षित होनी चाहिये । परिणाम अवश्य आयेगा इसलिये मैं दूसरे विभाग से जांच नहीं करवा रहा हूं । आप मुझे लिखकर दीजिये कि कहां भ्रष्टाचार हुआ है, मैं स्वागत करूंगा और निश्चित रूप से जांच कराकर कार्यवाही करूंगा । यह हो सकता है कि जांच में कुछ प्रतिशत गलत निकले लेकिन शासन की नीति पर नियत यदि अधिकारी जान लेता है कि अब मुझे माफ नहीं किया जायेगा तो अधिकारी भी सीधा रास्ता चलने लगता है ।

मान्यवर, व्यापक रूप से नहरों की सफाई का कार्य हुआ है और इसकी प्रशंसा भी हुई है, हो सकता है कि कहीं पर न हुआ हो । जो लोग दोषी पाये जायेंगे, उनको बक्शा नहीं जायेगा ।

मान्यवर, दूसरी बात ड्रेनों की सफाई की कही गयी, सिंचाई विभाग का कार्य एक साल में नहीं हो सकता है, हमारा प्रदेश सबसे सम्पन्न प्रदेश था, उस समय की सरकारों ने सारा का सारा कार्य क्यों नहीं करा दिया । सारे प्रदेशों में हमारा प्रदेश सम्पन्न प्रदेश था, लेकिन आज वह केवल बिहार से ऊपर है और सभी से पीछे है । जो पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं, क्या वह इसके लिये जिम्मेदार नहीं है, आज हमारे सामने आर्थिक संकट है, बंधे टूट गये हैं, तट टूट गये हैं, उनको मई तक पूरा करा देने का हमारा लक्ष्य है । मान्यवर, बहुत से सुझाव आये हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी ने भारत सरकार को पत्र लिखा है, एक विशेषज्ञ दल बनाया जाये, उसकी बैठक पटना में हो चुकी है और अब गोरखपुर में होने जा रही है कि उत्तर प्रदेश की बाढ़ की समस्या का कैसे समाधान किया जाये, दूसरी बात यह है कि नैपाल सरकार से बात की जाये और जो परियोजनायें विचाराधीन हैं, उनको स्वीकार किया जाये, जिससे उत्तर प्रदेश में बाढ़ न आये, तीसरी बात यह कही गयी है कि वित्तीय संसाधन भारत सरकार दे और उत्तर प्रदेश की बाढ़ की समस्या को एक राष्ट्रीय विकास की बैठक में उठाया गया है । इस विषय को राष्ट्रीय विपदा मानकर केन्द्र सरकार सुरक्षा दे ।

मान्यवर, नाबार्ड से 100 करोड़ रुपये स्वीकृत कराये गये हैं । 11वें वित्त आयोग के पास दो प्रस्ताव भेजे गये हैं, हमारी नीयत साफ है, हमारी नीति साफ है, लेकिन आर्थिक संकट का बन्धन है, वह एक बहुत बड़ा बन्धन है, लेकिन फिर भी हम उसके लिये कृत संकल्प है । मान्यवर, गंडक नहर में सिल्ट बहुत आ रही है, बिहार सरकार सिल्ट रिजेक्टर नहीं लगा रही है । हमने उनसे यह भी कहा है कि पैसा उत्तर प्रदेश सरकार खर्च करेगी, केवल वह अनुमति दे दें, लेकिन वह अनुमति भी नहीं दे रहे हैं, इस संबंध में अधिकारी स्तर की वार्ता हो रही है ।

अब यह वार्ता का दौर शुरू हुआ है उसके परिणाम निकलेंगे । कुछ नहरें साफ हुई हैं तो सभी नहरों का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है क्योंकि धन की उपलब्धता करा रहे हैं उसके मिलते ही सफाई करायेंगे ।

पुराने मुआवजे की बात कही गयी कि उसका भुगतान क्यों नहीं किया गया । इस समय जो योजनायें चल रही हैं उसके मुआवजे का भुगतान तुरन्त करा रहे हैं । पुराने पापों का फल भी हमें भुगतने के लिये कह रहे हैं यह तो भगवान के यहां भी नहीं होता है । पाप कोई करे और फल उसका हम भुगते, दण्ड उसका हम दें । यह कहां की न्याय की बात है फिर भी हम पुराने मुआवजे का भुगतान कर रहे हैं । निश्चित है कि धन की कमी है । वर्तमान समस्याओं का समाधान करने में हम प्राथमिकता देंगे और हम प्राथमिकता दे रहे हैं और मुआवजा भी दे रहे हैं । थोड़ा इसमें समय लगेगा । राव साहब की योजना की चर्चा आयी वह कब की योजना थी उस समय की सरकार सक्षम थी और पैसे की भी कमी नहीं थी क्योंकि तब आर्थिक स्थिति साउन्ड थी और पार्टी भी मजबूत थी क्यों नहीं उसे उस समय कराया गया । आज हम विषम परिस्थितियों में गुजर रहे हैं । उनके सुझाव कितने व्यवहारिक रहे होंगे

यह मैं नहीं कह सकता । गंगा को दक्षिण तक खोदकर ले जाना कितना संभव है यह मैं नहीं बता सकता ।

नलकूपों की बात कही गयी मैं निश्चित रूप से सहमत हूं लेकिन पहले के मुकाबले में उसमें बहुत सुधार हुआ है । बिजली की आपूर्ति में कमी है पैसा कम है कई नलकूप ऐसे हैं जिनकी नालियां नहीं बन पायी हैं तो उस समय की सरकार में वह नालियां क्यों नहीं बना दीं उनके पास तो पैसा भी था । नलकूप ऐसी चीज है इसका सिंचाई के लिये पांच प्रतिशत प्रयोग होता है और आलोचना 95 प्रतिशत होती है तो उसमें बिजली की उपलब्धता सबसे बड़ी समस्या है । इस समय वह तीन घन्टे से 10 घन्टे तक बिजली मिल रही है जब कि किसान को 18 घण्टे पानी चाहिये तो उसके लिये बिजली भी चाहिये तो 35 से 40 प्रतिशत से ज्यादा नलकूप सिंचाई नहीं कर रहे हैं ।

किसानों की सिंचाई की गलत इन्द्राज के बारे में बात कही गयी तो हमने व्यवस्था की है सिंचाई के लिये हर गांव में पर्ची वितरित की जाये । हमने कहा है कि जहां पर पर्ची नहीं वितरित होगी उसके लिये दंडित किया जायेगा और अब की मार्च तक वह पर्ची मिल जानी चाहिये अगर नहीं मिली तो कार्यवाही की जायेगी । आप भी इस बात का ध्यान रखें । हमने कहा है कि किसान को इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये अगर कहीं कोई निर्णय लेना है तो वह किसान के पक्ष में ही लिया जाये । मैं आप लोगों का आभारी हूं कि आपने बड़े अच्छे सुझाव दिये जो परियोजनायें हैं 30 में से 29 लम्बित हैं उसमें 7 हजार करोड़ रुपये की लागत आयेगी तो जिन सरकारों ने उनको लंबित रखा है उनके पास तो संसाधन भी थे क्यों नहीं इस पर ध्यान दिया । अब हम 20 परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने जा रहे हैं । पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 इस तरह से हम योजनायें लेगें और आगे भी इसी प्रकार कार्य करते रहेंगे । 2001 तक पांच परियोजनायें पूरा करेंगे । आप निश्चिंत रहिये 2001 तक हम रहेंगे और आगे भी रहेंगे तो इस तरह से 2001 व 2002 तक हम उन्हें पूरा करेंगे क्योंकि उस समय भी हम ही बजट पेश करेंगे ।

9 योजनायें जो कहीं स्थगित हैं, लम्बित हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना में जायेंगी । आपने टिहरी की बात कही । टिहरी परियोजना पर सेन्ट्रल गवरमेन्ट से तेज गति से बात हो रही है । 23 मार्च को इस सम्बन्ध में बैठक भी हो रही है । जिस दिन टिहरी का कार्य पूरा हो जायेगा पूरे क्षेत्र में दूना पानी पहुंचने लगेगा । टूटे बांधों की बात कही आप लोगों ने, जहां तक सिद्धार्थ नगर की बात है तत्काल काम शुरू किया जायगा और कार्य पूरा होगा । 56 बांध टूटे थे मई तक इनका काम पूरा हो जायेगा यह हम विश्वास दिलाते हैं । मान्यवर, चीन से सिंचाई व्यवस्था लाने की बात चल रही है । भ्रष्टाचार जैसी समस्या से हम लड़ रहे हैं । अगर हमारा बेटा अधिकारी हो तो हम चाहेंगे कि उसे कमाऊ जगह ट्रान्सफर कर दिया जाये लेकिन अगर दूसरे का लड़का उस जगह हो तो हम कहते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है इस नीति से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो सकता ।

हमारे वैज्ञानिक जो उच्च शिक्षित है यदि पूरा समर्थन उनको दिया जाये तो चीन से अच्छा परिणाम दे सकते हैं । इस सरकार ने जो परमाणु परीक्षण किया है वह पूर्णतया स्वदेशी है और हमारे ही देश के वैज्ञानिकों की देन है । हमारे यहां संसाधनों की कमी नहीं है । मान्यवर, जो भी समस्यायें आई हैं हमनें उनका मुकाबला किया है । मान्यवर, किसाऊ परियोजना के संबंध में राजस्थान सरकार हमसे बिजली मांग रही है इस समस्या का समाधान हो जायगा । इसी तरह से बीस परियोजनायें कार्य कर रहीं हैं । जिन्हें नौवी पंचवर्षीय योजना तक पूरा कर लिया जायेगा । हम 14 नई परियोजनायें शुरू करेंगे । हमें सिंचाई विभाग को भ्रष्टाचार मुक्त करना है । इस पर हम दृढ़संकल्पित हैं । हम सब मिलकर जनता की सेवा करें सिंचाई की व्यवस्था बढ़े और हमारा प्रदेश उत्थान के पथ पर अग्रतर हो यही मेरी इच्छा है और इसमें आप सबका सहयोग आवश्यक है । निश्चित रूप से हम अपने बजट को पास करेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय बाजपेयी जी क्या आप अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

डा० अशोक बाजपेयी–

मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-93 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान सं०-93 सिंचाई विभाग अधिष्ठान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 6,57,53,28,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान सं०-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 14,15,92,11,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री रामाधार सिंह स०वि०स० की रिहाई की सूचना

श्री अधिष्ठाता–

जिलाधिकारी हमीरपुर ने अपने फैक्स दिनांक 11 मार्च, 1999 में सूचित किया है कि श्री रामाधार सिंह, सदस्य, विधान सभा (हमीरपुर) को आज दिनांक 11 मार्च, 1999 को अपराह्न 1.00 बजे रिहा कर दिया गया है।

उक्त माननीय सदस्य की गिरफ्तारी की सूचना आज दिनांक 11 मार्च, 1999 को सदन में दी जा चुकी है।

उत्तर प्रदेश स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 1999।

(श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव का नाम संकल्प प्रस्तुत करने हेतु पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर)

चिकित्सा शिक्षा मंत्री (डा० शिवा कान्त ओझा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 1999; जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

मान्यवर, यह जो प्रस्ताव लाया गया है वह इसलिए लाया गया है कि एम०डी०/एम०एस० परीक्षा में प्रवेश के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों की सीटों के भरने की समस्या थी। जो प्रतिशत निर्धारित है उसके अनुसार 35 प्रतिशत सीटें आती हैं। अगर इस हिसाब से चयन करते तो सीटें खाली रह जाती। वर्तमान समय में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की 105 सीटे हैं और 35 प्रतिशत निर्धारित अर्हता पर आरक्षण के हिसाब से अनुसूचित जाति की 32 सीटें आती हैं और अनुसूचित जनजाति की चार सीटे आती है इस तरह से केवल 36 सीटे भरती है और 69 खाली रह जाती है। जहां तक पिछड़े वर्ग का सवाल है इनका आरक्षण 27 प्रतिशत है इन सीटो को भरने की समस्या नहीं थी।

मान्यवर, मुख्य समस्या थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को ले करके । इसलिए हम इसे आपके बीच ले आये । 1995 में डा० साधना देवी सिंह के मामले में कोर्ट ने फैसला किया कि आप न्यूनतम अंक निर्धारित करें । पूर्ववर्ती सरकार ने 35 प्रतिशत आरक्षित किया था और हम सभी सीटें भरने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे । हमने निश्चित किया कि 20 प्रतिशत न्यूनतम अंक निर्धारित करके 23 प्रतिशत का आरक्षण कोटा पूरा कर सकेंगे । इस विधेयक के लाने का यही मुख्य उद्देश्य है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–.

श्रीमन्, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब इस प्रस्ताव का भी अननुमोदन प्रतिपक्ष से यहां प्रस्तुत किया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रस्तुत नहीं किया गया ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

लिखकर देने का अर्थ आधा प्रस्तुत होना होता है । मुझे आश्चर्य हुआ कि इस देश में जिस प्रकार की सामाजिक विसंगतियों के कारण समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ गया था तो इस सरकार ने दृढ़ संकल्प के साथ वह भी जीव विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान की उच्चतम शिक्षा प्राप्त कर सके इसके लिए चेष्टा इस विधेयक के माध्यम से किया है । दूसरी बात माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा जो भी प्राप्त करता है उसके हाथ में आप बहुत बड़ा हथियार देते हैं और इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त चिकित्सक पर स्वभाविक रूप से सामान्य व्यक्ति का विश्वास भी होता है । आज आपने 20 प्रतिशत की सुविधा दी है, कल कोई कल्पना करें कि 20 प्रतिशत में भी यह वर्ग न आ सके, उस स्थिति में आप क्या करेंगे ? मेरी चिन्ता का विषय यह है । चूंकि उच्चतम न्यायालय ने एक वाद में यह निर्देश दिया है सरकार को कि आपको न्यूनतम अर्हता निर्धारित करनी पड़ेगी । मैं समझता हूं कि इस पर भी चिन्ता करनी चाहिए कि न्यूनतम अर्हता का अर्थ क्या है क्योंकि सामान्य रूप से परीक्षाओं में 45 प्रतिशत द्वितीय श्रेणी, केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 33 प्रतिशत और चिकित्सा विज्ञान की स्नातक शिक्षा अगर आपको उत्तीर्ण होना है तो कम से कम 50 प्रतिशत अंक होना चाहिए । इसलिए इस बात की भी चिन्ता करनी पड़ेगी कि इसका कुप्रभाव चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा पर न पड़े और मुझे आश्चर्य है कि संकल्प को कार्यसूची में लाने के बाद संकल्प के प्रस्तावक महोदय जो स्वभाविक रूप से सदन की सारी गतिविधियों में बड़ी विद्वता से भाग लेते हैं, आज वह भाग नहीं ले रहे हैं, वह सदन से भाग चुके हैं । इन्हीं शब्दों के साथ जो वर्तमान सामाजिक परिस्थितियां हैं उनको दृष्टिगत रखते हुये और उच्चतम न्यायालय के निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए जो विधेयक लाया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं ।

डा० वेद प्रकाश सिंह एम० एस०–

मान्यवर, आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर दिया मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं । मैं कुछ तथ्य लाना चाहता हूं । मैं विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । एम०बी०बी०एस० में एडमीशन के लिए कुछ सीटें सुरक्षित की जाती है और यह अपेक्षा की जाती है कि ऐसे वर्ग के विद्यार्थियों से कि वह पढ़ने के दौरान अपनी शिक्षा स्तर में सुधार लायेंगे और उन्हें वह आगे चलकर के जीवन में मौका दिया जाता है स्वयं आगे बढ़ने का । लेकिन जब यह विधेयक आया तो मुझे लगा कि इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है । एम०बी०बी०एस० मे धक्का दे करके 6-7 साल में ऐसे विद्यार्थियों को निकाला जाता है वहां पर उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक 50 प्रतिशत है । पहले जीरो प्रतिशत न्यूनतम अंक हो गया था । दूसरे प्रदेशों में देखा जाये तो ज्यादातर प्रदेशों में 40 से 55

प्रतिशत तक न्यूनतम अर्हतायें हैं मध्य प्रदेश और हरियाणा को छोड़कर । मध्य प्रदेश में 20 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लिए और 15 प्रतिशत जनजाति के लिए है और चण्डीगढ़ में 55 फीसदी न्यूनतम मार्क्स रखा है । मेरा इतना कहना है कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री क्या पाना चाहते हैं ? क्या संदेश देना चाहते हैं इस देश की, इस समाज की यह मेरी समझ में नहीं आता । एम०बी०बी०एस० के लिए 50 प्रतिशत मार्क और पोस्ट ग्रेजुएट में प्रदेश के लिए 30 प्रतिशत मार्क पर एडमीशन देना चाहते हैं । किस तरह के सर्जन, फिजीशियन, न्यूरोलाजिस्ट इस देश को देना चाहते हैं । मेरा सुझाव है कि पोस्ट ग्रेजुएट (स्नातकोत्तर) में दाखिला के लिए मिनिमम मार्क 50 प्रतिशत फिक्स किया जाना चाहिए । ऐसा मेरा सुझाव है इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री अरविन्द कुमार जैन)–

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि यह सरकार का विधेयक है इसलिए आंख मूदकर समर्थन करता हूं । सांइस के विषय में छूट किसी को नहीं होनी चाहिए । डाक्टर यदि 10 प्रतिशत में हो जाएगा तो वह कद्दू काटने लायक रहेगा । यह देश के लिए दुर्भाग्य होगा । इससे हमारी शिक्षा पद्धति में गिरावट आयेगी और इससे मानव जीवन का नुकसान होगा, फिर भी मैं आंख मूंदकर इसका समर्थन करता हूं ।

श्री मुन्ना चौहान–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं वैसे तो इस बिल पर न बोलता लेकिन हमारे कुछ साथियों ने ऐसी बात कही जिससे मुझे बोलना पड़ा । यह बिल बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है । इसके दूरगामी परिणाम होंगे । जहां तक किसी भी परीक्षा में आरक्षण का सवाल है प्रवेश में आरक्षण इसलिए दिया जाता है कि जिन लोगों को प्रापर शिक्षा का इन्वायरमेंट नहीं मिला उन्हें लो ग्रेड पर प्रवेश दे दिया जाता है । मुझे बहुत आश्चर्य हुआ डंग साहब की बात को सुनकर जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं लेकिन डंग साहब ने इस पर जो अपने विचार रखे उनसे मुझे बेहद आश्चर्य हुआ । आप के०जी०एम०सी० का रिकार्ड देख लें जिनको अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थी को 33 फीसदी पर प्रवेश मिला उन्होंने गोल्ड मेडल तक हासिल किया । आप किसी भी व्यक्ति के आई०क्यू० का अनुमान नहीं लगा सकते हैं । आरक्षण सामाजिक पृष्ठभूमि की वजह से दिया जाता है । अगर किसी को मेडिकल कालेज में आरक्षण के आधार पर प्रवेश मिलता है तो यह मानकर चला जाता है कि वहां पर उसको ऐसा माहौल मिलेगा कि वह आगे प्रगति कर सकेगा । जिन लोगों ने इसके विरोध में तर्क दिए हैं यह तो आपने खुद ही कहा एम०डी० परीक्षा पास करने के लिए 53 प्रतिशत मार्क हैं । इंजीनियरिंग परीक्षा पास करने के लिए 50 प्रतिशत मार्क है । यह कहीं नहीं लिखा है कि अनुसूचित जाति का छात्र 30 प्रतिशत मार्क पर पास कर दिया जाएगा और सामान्य वर्ग का छात्र 60 प्रतिशत मार्क पर पास किया जाएगा । डाक्टरी, इंजीनियरिंग में डिग्री तभी हासिल होगी जब वह क्वालीफाइंग मार्क हासिल करेगा । जिसके मुताबिक उसकी परफारमेन्स होगी । लिहाजा मैं कहना चाहता हूं कि इस बिल के अन्तर्गत जो आरक्षण की बात कही गई है, इससे एक कुप्रभाव पड़ेगा और इस बिल का सहारा लेकर एक प्रकार से रिजर्वेशन की पालिसी को नलीफाई करने का प्रयास किया जा रहा है । इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो इसके सभी पहलुओं पर विचार करे ।

डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर दिया । मैं इस बिल का समर्थन करता हूं । इसके लिये सरकार को बधाई भी देता हूं । देश की 25 प्रतिशत आबादी जो हजारों वर्षों से दबी, कुचली हुई थी और जिनके साथ अत्याचार किये गये थे, उनको भी समाज में सहभागिता मिल सके ।

आरक्षण का लाभ मिल सके, उसके अनुरूप कार्य करने का प्रयास किया गया है । कुछ विधायकों ने समर्थन करते हुए अपने सुझाव दिये । मैं भी कुछ सुझाव देना चाहता हूं और कुछ व्यावहारिक पक्ष भी रखना चाहता हूं । एक कहावत है करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान । जब कुएं से रस्सी द्वारा पानी निकाला जाता है तो वह पत्थर भी कट जाता है । कालीदास जी महामूर्ख थे जब उन्होंने विद्योत्मा से शादी की थी वह बाद में जाकर बहुत बड़े विद्वान बन गये । जब देश 11 अगस्त, 1947 को 11 बजकर 59 मिनट पर आजाद होने जा रहा था तो उस समय कोई भी ऐसा विद्वान यहां पर नहीं था जो इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता, राष्ट्रपति बन सकता या राज्यपाल बन सकता । परन्तु जैसे ही 12.00 बजे देश आजाद हुआ तो कोई प्रधानमंत्री बन गया कोई राज्यपाल बन गया और कोई राष्ट्रपति बन गया । मान्यवर, जिस प्रकार समूह "ग" की परीक्षा हुई है, इसके लिए मैं सरकार को बधाई भी देना चाहता हूं उसी प्रकार इन एम०डी० एवं एम०एस० परीक्षाओं का परिणाम भी समाचार-पत्रों में घोषित किया जाना चाहिए जिससे पारदर्शिता आ सके ।

श्री अधिष्ठाता–

आप अपनी बात समाप्त करें और कृपा करके बैठ जायं । माननीय मंत्री जी आपको उत्तर भाषण में कुछ कहना है । मैं अब प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1999 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 से खण्ड 3 तक खण्ड 1 प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 1999

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ ।)

उत्तर प्रदेश स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1997 का संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 1999 कहा जायगा ।

(2) यह 20 अक्टूबर, 1998 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 1997 में नई धारा 8-क का बढ़ाया जाना

2–उत्तर प्रदेश स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1997 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 8 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्; :–

"8–क–इस अधिनियम के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित; अधिनियम के उपबन्धों का स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रवेश परीक्षा, 1998 और स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रवेश परीक्षा, 1999 पर भी लागू होंगे।"

विस्तार

निरसन और अपवाद

3–(1) उत्तर प्रदेश स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 1998 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 15 सन् 1998 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा-संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जावेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 3 तक खण्ड 1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डा० शिवाकान्त ओझा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 1999 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 1999 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 103 के अन्तर्गत श्री गोरखनाथ पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में अधिवक्ताओं के समुचित प्रतिनिधित्व सम्बन्धी चर्चा (जारी)

श्री अधिष्ठाता–

श्री गोरखनाथ पाण्डेय जी आप प्रस्ताव प्रस्तुत कर चुके हैं और उस पर चर्चा जारी है उसको स्थगित करते हैं। चर्चा जारी रहेगी।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज नियम 51 के अन्तर्गत कुल 31 सूचनायें प्राप्त हुयीं ।

निम्नलिखित मा० सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनायें वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयीं :–

(1) डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी — हज यात्रियों की भांति कैलाश/मानसरोवर यात्रा पर उत्तर प्रदेश से जाने वाले यात्रियों को सम्मानजनक आर्थिक सहायता व सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के संबंध में ।

(2) श्री तारकेश्वर प्रसाद शुक्ल — जनपद गोरखपुर के सहजनवां क्षेत्रान्तर्गत ड्रेनेज खण्ड गोरखपुर द्वारा रिगौली-नढ़या तथा बढ़या-कोठा के निर्माण हेतु अधिगृहीत भूमि पर बन्धे का कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त भी किसानों की भूमि का प्रतिकर न चुकाये जाने के संबंध में ।

(3) श्री नवाब सिंह नागर — जनपद गौतम बुद्ध नगर के अन्तर्गत मै० एस्कार्ट यामाहा लि० सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा में हुई श्रमिकों की हड़ताल तथा प्रबन्धकों द्वारा समझौते के अनुरूप मजदूर यूनियन के अध्यक्ष एवं सचिव की बहाली न किये जाने से श्रमिकों में व्याप्त असंतोष के संबंध में ।

निम्नलिखित मा० सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनायें केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयीं :–

(1) श्री मुन्ना चौहान — राजस्व परिषद् इलाहाबाद द्वारा निर्णीत पत्रावलियां, जो कि आयुक्त गढ़वाल मण्डल को भेजी गयी थीं, के गुम होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

(2) श्री राम विशुन आजाद — जनपद–गोण्डा में मनकापुर विधान सभा क्षेत्र के नागरिकों की विद्युत संबंधी समस्याओं के निराकरण तथा सुविधाओं हेतु मनकापुर तहसील अथवा गोण्डा जिला मुख्यालय पर अधिशासी अभियन्ता (विद्युत) कार्यालय की स्थापना किये जाने के संबंध में ।

(3) डा० रामबाबू हरित — भारत रत्न डा० बी० आर० अम्बेडकर की जयन्ती के अवसर पर आगरा नगर में सफाई, विद्युत, पेयजल आदि की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने तथा अम्बेडकर पार्कों की मरम्मत व रंगाई-पुताई कराये जाने के संबंध में ।

(4) श्री जय प्रकाश निषाद — जनपद देवरिया की रुद्रपुर तहसील में बाढ़ राहत कार्य में लगायी गयी नावों व नाविकों की मजदूरी न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

(5) श्री अजय कुमार पोइया — प्रदेश में एम० एन० आर० की प्रवेश परीक्षा द्वारा चयनित छात्र/छात्राओं का प्रवेश के समय आर्थिक शोषण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में तथा

(6) श्री रामवीर उपाध्याय — श्रीमती हरप्यारी देवी इण्टर कालेज रोहई, हाथरस के प्रधानाचार्य द्वारा कालेज को बोर्ड परीक्षा केन्द्र बनवाकर कथित रूप से भ्रष्टाचार किये जाने के संबंध में ।

निम्नलिखित मा० सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया :–

(1) श्री पूर्णमासी पंकज — जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही) में निर्माण एवं परिकल्प सेवाओं में जल निगम भदोही द्वारा किये जा रहे अधूरे निर्माण कार्यों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

(2) श्री रणवीर सिंह — राजकीय पोषण गृह, प्राग नारायण रोड, लखनऊ की अधीक्षिका द्वारा कथित रूप से की जा रही अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार के संबंध में ।

(3) श्री सुधाकर सिंह — प्राचार्य राजकीय पं० जवाहर लाल नेहरू होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय, कल्याणपुर, कानपुर के विरुद्ध शासन/निदेशालय को प्राप्त जन-शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही किये जाने के संबंध में ।

(4) श्री राजपाल सिंह — क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम देहरादून द्वारा परिचालकों की प्रोन्नति में कथित रूप से की गयी अनियमितताओं के संबंध में ।

(5) श्री दद्दू प्रसाद — जनपद चित्रकूट की तहसील मऊ के ग्राम–भिटारी में श्री धनकल उर्फ अनिल कुमार की भूमि की अवैध कब्जेदारी समाप्त कराने तथा खनन का पट्टा दिलाये जाने के संबंध में ।

(6) श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद — जनपद बांदा के विकास खण्ड जसपुरा अन्तर्गत लसड़ा मार्ग पर सिन्धनकला के पास तुर्रा नाले पर पुल निर्माण शीघ्र कराये जाने के संबंध में ।

(7) श्री दीपक कुमार — जनपद उन्नाव अन्तर्गत ब्लाक सिकन्दरपुर सरौसे के ग्राम–मरांदा मझवारा में नदी पर रपटा हेतु स्वीकृत 14 लाख रुपये से जे० आर० वाई० 1994-95 में कार्य पूर्ण न होने से 50 गांवों के नागरिकों का आवागमन प्रभावित होने से उत्पन्न गंभीर समस्या के संबंध में तथा

(8) श्री उदय राज यादव — यू० पी० एस्बेस्ट्स सीट्स सीमेन्ट फैक्ट्री लि० मोहनलालगंज द्वारा ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने के संबंध में ।

शेष सूचनायें अस्वीकृत हुयीं ।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मद संख्या–20 से मद संख्या–27 तक स्थगित कर दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि जैसा कि माननीय संसदीय कार्य-मंत्री ने प्रस्ताव किया है कि मद संख्या–20 से मद संख्या–27 तक स्थगित कर दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

मद सं० 20 कृषि उत्पादन मण्डी समिति मथुरा में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृषि मंत्री के वक्तव्य का स्थगन ।

मद सं० 21 वाराणसी में गंगा जल का रंग काला एवं बदबूदार होने से नागरिकों में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में श्री श्याम देव राय चौधरी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पर्यावरण मंत्री के वक्तव्य का स्थगन ।

मद सं० 22 प्रदेश के नगरीय क्षेत्र के विधायकों को ग्रामीण क्षेत्र के विधायकों की भांति 5 गांवों की विद्युतीकरण योजना के अनुसार शहर के वार्डों और मोहल्लों में विद्युतीकरण की अनुसंशा के अधिकार के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य का स्थगन ।

मद सं० 23 प्रदेश में ग्रामीण अंचलों में पानी की निकासी की सुव्यवस्थित व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रामऔतार शाक्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य का स्थगन ।

मद सं० 24 प्रदेश में शिक्षा विभाग के शासनादेश सं०–2762/15-31-91-4/46/91शिक्षा अनुभाग–3 दि० 30-11-91 का अनुपालन अंग्रेजी स्कूलों द्वारा सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में डा० राम बाबू हरित द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य का स्थगन ।

मद सं० 25 जनपद अल्मोड़ा के रानीखेत क्षेत्रान्तर्गत "जाटली" में विकास खण्ड की घोषणा के अनुसार अधिसूचना जारी न किये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय भट्ट द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मा० मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य का स्थगन ।

मद सं० 26 प्रदेश के औद्योगिक विकास हेतु उद्यमियों के लिए "एकल खिड़की" प्रणाली का प्रारम्भ करने आदि विषयक श्री राम औतार शाक्य, श्री श्याम देव राय चौधरी आदि की नियम–49 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर आधे घण्टे की चर्चा का स्थगन ।

मद सं० 27 जनपद हरदोई स्थित उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम द्वारा संचालित कताई मिल संडीला के बन्द होने तथा मिल श्रमिकों की दयनीय स्थिति देखकर पुनः चालू करने के सम्बन्ध में डा० धर्मज्ञ मिश्र द्वारा नियम–49 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर आधे घण्टे की चर्चा का स्थगन ।

श्री अधिष्ठाता–

अब हम उठते हैं । कल 11.00 बजे पुनः बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 10 बजकर 44 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :
11 मार्च, 1999

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्र० सं-2 का उत्तर पीछे पृष्ठ–6 पर)

संख्या–901/70–4/98–46 (14)/83

प्रेषक,

डा० एस० डी० तिवारी,

विशेष कार्याधिकारी,

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

वित्त अधिकारी/कुल सचिव,

समस्त राज्य विश्वविद्यालय,

उत्तर प्रदेश ।

उच्च शिक्षा अनुभाग–4 लखनऊ : दिनांक 16 मई, 1998

विषय:–राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन योजना हेतु विकल्प की सुविधा ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–2938/15(15)/95–46(14)/83, तथा 2443/15 (15)–46 (14)/83, दिनांक क्रमश : 22-9-95 तथा 23-8-96 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय सम्यक विचारोपरान्त प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों के उन समस्त सेवानिवृत्त शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों जो अंशदायी भविष्य निधि योजना से आच्छादित होने के कारण अभी तक पेंशन/पारिवारिक पेंशन योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर पाये हैं, को उक्त सुविधा प्रदान किये जाने हेतु जी० पी० एफ० योजनान्तर्गत राजकीय दर की पेंशन/पारिवारिक पेंशन हेतु अपना विकल्प राजाज्ञा जारी होने के 90 दिनों के भीतर देने पर निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष सहमति प्रदान करते हैं :–

(1) देय अंशदायी भविष्य निधि जिसका भुगतान कर्मचारी को ब्याज सहित किया जा चुका है, में से प्रबन्धकीय अंशदान मय ब्याज के तथा राजाज्ञा निर्गत होने की तिथि तक ब्याज आगणित करके नियमानुसार सुसंगत लेखा शीर्षक में जमा कराया जायेगा । इसके उपरान्त ही पेंशन का भुगतान संबंधित शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी को किया जायेगा ।

(2) यदि संबंधित शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी इस आशय का प्रार्थना-पत्र शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा को दे दें कि सी० पी० एफ० का प्रबन्धकीय अंशदान मय ब्याज और राजाज्ञा निर्गत होने की तिथि तक का ब्याज पेंशन अवशेष से समायोजित किये जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, तो भी उस शिक्षक/कर्मचारी को पेंशन अनुमन्य की जा सकती है ।

(3) लाभत्रयी योजना के अन्तर्गत पेंशन तथा देय राहत जिसका भुगतान संबंधित शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को किया जा चुका है, का भी समायोजन देय अवशेष पेंशन से कर लिया जायेगा ।

(4) राजकीय दर से पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विकल्प देने वाले शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारी के पेंशन की गणना 60 वर्ष की वय तक की गयी सेवा के आधार पर की जायेगी । यदि उन्हें 60 वर्ष की वय पर सेवानिवृत्ति की सुविधा प्राप्त है । 60 वर्ष की वय के पश्चात् की गई सेवा (जिसके अन्तर्गत सत्रान्त तक की गई सेवा, यदि कोई हो, भी सम्मिलित है, तदर्थ रूप से या अनानुमोदित पदों पर की गई सेवाओं की गणना, उक्त प्रयोजन हेतु नहीं की जायेगी ।

(5) शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजाज्ञा निर्गत होने के 90 दिन के भीतर निर्धारित प्रपत्र पर इस आशय का विकल्प प्रस्तुत करना होगा कि वह पेंशन/पारिवरिक पेंशन की सुविधा निर्धारित शर्तों के अधीन प्राप्त करने के इच्छुक हैं ।

(6) विकल्प तीन प्रतियों में निदेशक, उच्च शिक्षा अथवा उनके द्वारा नामित किसी अधिकारी को संबंधित कर्मचारी द्वारा उपलब्ध कराया जाना होगा ।

(7) पेंशन/पारिवारिक पेंशन की दरों का निर्धारण तथा उस पर अनुमन्य राहत की दरें समय-समय पर राज्य कर्मचारियों के लिये निर्गत शासनादेशों के अनुसार होंगी और राज्य कर्मचारियों के संबंध में प्रवृत्त नियम/शासनादेश भी उक्त सीमा तक उन पर प्रवृत्त होंगे ।

(8) इस आदेश के आधार पर दिया गया विकल्प अन्तिम होगा और इसमें परिवर्तन की कोई अनुमति नहीं दी जायेगी ।

(9) तद्विषयक अब तक जारी समस्त शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायं ।

2–ये आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई–11. 1543/दस–1998. दिनांक 14-5-1998 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

एस० डी० तिवारी,

विशेष कार्याधिकारी ।

संख्याः 901 (1)/70-4/98–46 (14)/83 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश (आडिट प्रथम), इलाहाबाद ।

(2) निदेशक, उच्च शिक्षा, उ० प्र०, इलाहाबाद ।

(3) समस्त कोषाधिकारी, उ० प्र० ।

(4) निदेशक, स्थानीय निधि परीक्षा, उ० प्र०, इलाहाबाद ।

(5) उच्च शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी तथा अनुभाग ।

(6) वित्त (ई–11) ।

(7) निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, उ० प्र० लखनऊ को प्रसारणार्थ ।

आज्ञा से,

एस० डी० तिवारी,

विशेष कार्याधिकारी ।

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्र० सं-15 का उत्तर पीछे पृष्ठ-25 पर)

कृषि भूमि आबंटन निरस्त पट्टेदारों की सूची

क्रम सं० आवंटी का नाम पिता/पति का नाम

सर्वश्री

1-रामफल पुत्र रामशुफल
2-राम चरन पुत्र राम गरीब
3-मति राम पुत्र गुलाम
4-साहब प्रसाद पुत्र हौसिला
5-शंकर पुत्र अंगनू
6-बसन्ते पुत्र सुन्दर
7-छिदन लाल पुत्र झगरू
8-अमरा पत्नी तीरथ
9-शिवचरन पुत्र गोविन्द
10-अनार कली पुत्री झगरू
11-शोभा पत्नी मंगरू
12-दुखी पुत्र नरायन
13-जंगबहादुर पुत्र गुरूदीन
14-अछैवर पुत्र मिहीलाल
15-कलावती पुत्र भंदई
16-श्रीकान्त पुत्र गोविन्द
17-मिथलेश कुमार पुत्र लल्ला
18-छोटे लाल पुत्र रामनाथ
19-राम बहादुर पुत्र हनोमान
20-श्री रवी पुत्र रामपाल
21-धिरोऊ पुत्र हीरा
22-मो० हारून पुत्र यूसुफ
23-रामजस पुत्र रामनाथ
24-महन्त सिंह पुत्र हनोमान
25-रवीन्द्रदेव पुत्र राम अछैवर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम सं० आवंटी का नाम पिता/पति का नाम

सर्वश्री

26–मोहन पुत्र श्रीराम

27–विमला पत्नी विजयबहादुर

28–अकबर अली पुत्र करमर सूल

29–बासदेव पुत्र सन्तबख्श

30–केतार पुत्र रामदेव

31–हरिश्चन्द्र पुत्र रामअवधा

32–कमलेश कुमार पुत्र भवानीभीख

33–रामअचल पुत्र नकछेद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी०एस०यू०पी०–एल० 175 विधान सभा (514)–4-11-99 813 (डी०टी०पी०) ।